इसे वेबसाईट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2025—भाद्र 28, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2025

क्र. ई-1-55-2025-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी), नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 16-2-2025- EO (MM-1), दिनांक 7 अगस्त 2025 के अनुक्रम में, श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे (2010) संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल की सेवाएं निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर पाँच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो के लिए, नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2025

क्र. ई-1-55-2025-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अगस्त 2025 द्वारा श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे (2010), संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल की सेवाएं निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी गई हैं.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे (2010) के कार्यमुक्त होने पर श्री राजीव रंजन मीना, भाप्रसे (2012), वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

क्र. ई-13-13-2025-5-एक.—जापान सरकार के भारत के साथ तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत् भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 19 अगस्त 2025 के अनुक्रम में श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को जापान में दिनांक 21 सितम्बर से 11 अक्टूबर, 2025 तक "Promotion of Employment of persons with Disabilities" विषय पर आयोजित व्यक्तिगत ज्ञान सह-निर्माण कार्यक्रम नॉलेजको-क्रिएशन प्रोग्राम में भाग लेने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे (2000) के विदेश प्रशिक्षण में भाग लेने के फलस्वरुप उनकी प्रशिक्षण अवधि में उनका प्रभार डॉ. ई. रमेश कुमार, भाप्रसे (1999), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2025

क्र. ई-5-1203-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरविन्द कुमार शाह, भाप्रसे, (2021), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहडोल, जिला शहडोल का दिनांक 18 से 26 सितम्बर 2025 तक, नौ दिवस का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, उन्हें दिनांक 19 से 25 सितम्बर 2025 तक, सात दिवस हेतु एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार शाह, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहडोल, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार शाह, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार शाह, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2025

क्र. ई-1-239-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे, अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती दीपाली रस्तोगी, (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तथा विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल.
2.	श्री शिवशेखर शुक्ला (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल.

(2) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2025 से प्रभावशील होगा.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2025

क्र. ई-1-125-2025-5-एक.—श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे (1994), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा वि.क.अ.-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2025

क्र. GAD-6-0004-2025-GAD-1-एक (GAD).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री आनंद पाठक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-4497 (दो-1-7-2021), दिनांक 28 जुलाई 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 24 से 27 जून 2025 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 से 29 जून 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. GAD-6-0004-2024-GAD-1-एक (GAD).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री संजीव एस. कालगांवकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक डी-544 (दो-1-16-2024), दिनांक 30 जुलाई 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 21 से 24 जुलाई 2025 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 जुलाई 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. GAD-6-0005-2024-GAD-1-एक (GAD).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री ह्रदेश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक डी-5199 (दो-1-16-2023), दिनांक 30 जुलाई 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 जुलाई 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025

क्र. 2741-3278-2024-इक्कीस-अ(स्था.)-गोप.-2025.—राज्य शासन, श्री घासीराम कुर्मी, उप मुख्य ग्रंथपाल (सेवानिवृत्त दिनांक 31 अक्टूबर 2022), अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर को अस्थायी रूप से, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में मुख्य ग्रंथपाल के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न मुख्य ग्रंथपाल के पद पर छठवें वेतनमान में रुपये 9300-34800+4200 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 42700-135100 (लेवल-10) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.

''उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382-2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए पात्रतानुसार कर्मचारियों की वरिष्ठताक्रम में पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस.एल.बी. नम्बर-13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरुद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

पंजी क्र. 3003-2025-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर में विभागीय आदेश दिनांक 26 अगस्त 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री अब्दुल खलील कुरैशी द्वारा नोटरी प्रमाण-पत्र नवीनीकरण हेतु (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर से प्राप्त जानकारी के आधार पर) आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से उनका नाम नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2025

फा. क्र. 3618-इक्कीस-ब(एक).—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथा-संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श

से कुमारी सुमन श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A.) Act, देवास को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में सदस्य-सचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

F. No. 3618-(XXI)B(1).—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Ku. Suman Shrivastava, Special Judge SC/ST (P.A.) Act, Dewas as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office.

फा. क्र. 3627-2021-इक्कीस-ब (एक)-2025-(मेरिट क्रमांक 88).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री संतोष कुशवाहा पुत्र श्री प्यारेलाल कुशवाहा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल-J-1) में नियुक्त करता है.

श्री संतोष कुशवाहा का गृह जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) है एवं उनकी जन्मतिथि 7 अगस्त 1993 है.

फा. क्र. 3803-2025-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती आरती गौतम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खनियाधाना, जिला शिवपुरी का व्यवहार न्यायाधीश "वरिष्ठ खण्ड" के पद से त्याग-पत्र, दिनांक 14 अगस्त 2025 से स्वीकार करता है.

फा. क्र. 3804-2025-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती देशना जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना का व्यवहार न्यायाधीश "वरिष्ठ खण्ड" के पद से त्याग-पत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2025 से स्वीकार करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार पाठक, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधक, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 3 सितम्बर 2025

प्ररूप-बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 1052-भू-सर्वेक्षण-2020.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :—

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दतिया	दतिया-ग्रामीण	उनाव LGD Code 454755	97	नगरेत्तर

प्ररूप–बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व तथा भू–अभिलेख) नियम, 2020

भू–सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 1052–भू–सर्वेक्षण–2020.—मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व तथा भू–अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 को साथ पठित मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू–अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू–सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :—

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू–सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दतिया	दतिया–ग्रामीण	कटीली LGD Code 454773	52	नगरेत्तर

प्ररूप–बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व तथा भू–अभिलेख) नियम, 2020

भू–सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 1052–भू–सर्वेक्षण–2020.—मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व तथा भू–अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 को साथ पठित मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू–अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू–सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :—

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	भू–सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दतिया	दतिया–ग्रामीण	बसई LGD Code 454796	64	नगरेत्तर

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0402/2025-FLR-PCCF-Part(1) :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार,जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें।

अनुसूची

जिला - सागर
वन मंडल - उत्तर सागर (सा.)

तहसील - राहतगढ
वन परिक्षेत्र - खुरई

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाए
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	लक्ष्मनपुरा	लक्ष्मनपुरा	म.प्र. शासन वन विभाग	45	3.94	उत्तर :- संरक्षित वनखण्ड लक्ष्मनपुरा के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वनसीमा।
				57	7.40	पूर्व:- संरक्षित वनखण्ड लक्ष्मनपुरा के मुनारा क्रमांक 4 से 5 होते हुये संरक्षित वनखण्ड 10 सोठिया (पार्ट) के मुनारा क्रमांक 25 व 26 के मध्य स्थापित मुनारा क्रमांक 25/1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
				56	2.50	
				53/2	4.93	
				53/1	4.93	दक्षिण:- संरक्षित वनखण्ड 10 सोठिया (पार्ट) के मुनारा क्रमांक 25 व 26 के मध्य स्थापित मुनारा क्रमांक 25/1 से मुनारा क्रमांक 18 तक वन सीमा।
				52/1	0.60	
				52/2	9.08	
				51	0.18	पश्चिम:- संरक्षित वनखण्ड लक्ष्मनपुरा 10 सोठिया के मुनारा क्रमांक 18 से मुनारा क्रमांक 14 तक वन सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड 10 सोठिया मुनारा क्रमांक 14 से संरक्षित वनखण्ड लक्ष्मनपुरा के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
			Total -		33.56	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक FPMP/MIN/142344/2021 दिनांक 24-09-2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार वन मण्डल सिंगरौली की योजना घिरोली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकवा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल रकवा 33.56 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 33.56 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय तहसीलदार राहतगढ जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 516 अ/6 वर्ष 2024-25 पारित आदेश दिनांक 28-10-2024 से हस्तांतरित व नामांतरित किये जाने के कारण।

2) अन्य कार्यों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी राहतगढ जिला सागर के प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक 516 अ/6 वर्ष 2024-25 पारित आदेश दिनांक 28-10-2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2025

क्र–PCCF-7-0402-2025-FLR-PCCF-Part (1) .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र–PCCF-7-0402-2025-FLR-PCCF-Part (1), दिनांक 17 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 17th September 2025

No./PCCF/7/0402/2025-FLR-PCCF-Part(1) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act., 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Sagar **Tehsil - Rahatgarh**
Forest Division - North, Sagar (T.) **Forest Range – Khurai**

S. N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
	Laxmanpura	Laxmanpura	M.P. Govt. Forest Department	45	3.94	North: Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 4 of the Protected Forest Block Lakshmanpura. East: Artificial forest boundary from Pillar No. 4 to Pillar No. 5 of the Protected Forest Block Lakshmanpura, continuing to the newly established Pillar No. 25/1 located between Pillar Nos. 25 and 26 of the Protected Forest Block 10 Sothiya (Part).
				57	7.40	
				58	2.50	
				53/2	4.93	
				53/1	4.93	
				52/1	0.50	
				52/2	9.08	
				51	0.18	

1	2	3	4	5	6	7
						South: Forest boundary from the newly established Pillar No. 25/1 (between Pillar Nos. 25 and 26 of the Protected Forest Block 10 Sothiya) to Pillar No. 18. **West:** Forest boundary from Pillar No. 18 to Pillar No. 14 of the Protected Forest Block 10 Sothiya, and artificial forest boundary from Pillar No. 14 of the Protected Forest Block 10 Sothiya to Pillar No. 1 of the Protected Forest Block Lakshmanpura.
			Total:-		33.56	

(A) Reason for Publication of Notification:-

1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's Letter No. FP/MP/MIN/142344/2021 Dated 24-09-2024 in lieu of 1397.54 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Dhirauli Coal Block Singrouli Forest Division the above mentioned Non Forest Land of 33.56 hectare transferred of mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by Proposal No. 516 A/ 6 Year 2024-25 Dated 28-10-2024 of Revenue Department Rahatgarh Distt Sagar for the purpose of compensatory afforestation.

2) Details of other Reasons:- Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Proposal No. 516 A/ 6 Year 2024-25 Dated 28-10-2024 of Revenue Department Rahatgarh District Sagar are as under.

(A) Rights of Individuals:- There are not rights of individuals.

(B) Rights of Communities:- There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

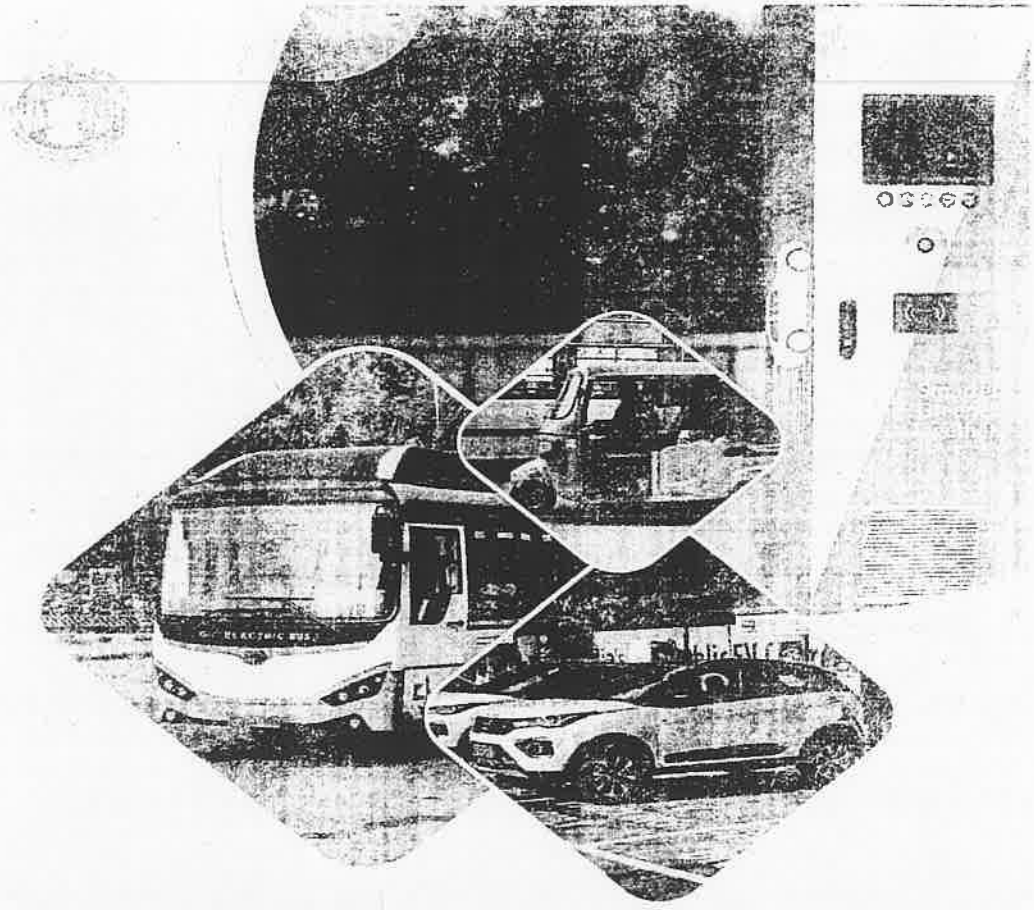
मंत्रालय, वल्लभ भवन; भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2025

क्र. एफ 4–3–29–0010–2024–Sec–2–अठारह (UDH).– राज्य शासन द्वारा "मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025" (Madhya Pradesh Electric Vehicle Policy 2025) अधिसूचना क्रमांक 02 एफ 4–3–29–0010–2024–Sec–2–अठारह (UDH), दिनांक 27 मार्च 2025 के माध्यम से मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है.

2. अतः उक्त नीति की कंडिका–20 के अनुक्रम में,"मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025" के दिशा–निर्देश अंग्रेजी भाषा में जारी किये जाते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.



MADHYA PRADESH

ELECTRIC VEHICLE POLICY

OPERATIONAL GUIDELINES

Urban Development & Housing Department Government of Madhya Pradesh

INDEX

1. Introduction
2. Electrification of Two-Wheeler Commercial Fleet by 2030
3. Electrification of State Government Vehicles
4. Electrification of Three- Wheeler and Four-Wheeler Segment
5. Electrification of Bus fleet for Public Transport SPV/ Any other government transport authority
6. Regulatory Incentives
7. Mandatory Parking Provisions
8. Retrofitting Incentive
9. Charge Point Operators (CPOs)/ Battery Swapping Operators (BSOs)
10. Availing Incentives for Public Charging Stations
11. Accessibility and Safety at Charging Stations
12. Protocol for sharing charging station data with UDHD and MPPMCL
13. Other Initiatives for development of charging infrastructure
14. RWAs to Issue NOCs for Resident EV Charging Infrastructure
15. Creating a Land Bank for Charging Infrastructure
16. Residents Requesting Public Charging Stations Near Their Location
17. Installing EV Charging Infrastructure at Fuel Stations
18. Vehicle 2 Grid (V2G) Pilot Project in EV Model Cities
19. Establishment of Centre of Excellence for Research and Development
20. EV Skill Development Initiatives
21. Madhya Pradesh Electric Vehicle Promotion Board (MP-EVPB)

Annexure - 1: Penalty Quantification Format for Non-Compliance of 2030 Targets – Only for Commercial 2-Wheeler Fleets
Annexure - 2: Registration Form for E-commerce / Commercial 2-wheeler Fleet Electrification
Annexure - 3: Quarterly report from the Transport Department detailing EV sales across various segments
Annexure - 4: EV Parking Compliance & Monitoring Form
Annexure - 5: Application for Electric Retrofitment Centre (RFC)
Annexure - 6: Incentive Application Form after successful retrofitting of the vehicle
Annexure - 7: Standard Operating Procedure for Testing Methods and Performance Procedures for Frame and Body Condition for Retrofitting of ICE vehicles
Annexure - 8: Process of Retrofitment and Claim of Incentive
Annexure - 9: Quarterly Report on Re-registration of Retrofitted Vehicles and Incentives Disbursed
Annexure - 10: Application form to seek relevant information from CPOs/BSOs for creating state level data room
Annexure - 11: Process for Availing Incentive for Public Charging Station
Annexure - 12: Calculation Procedure for Uptime of Charging Stations
Annexure - 13: Procedure for Future Penalties for failure to Meet Uptime Requirements
Annexure - 14: Charge Point Data Submission Form
Annexure - 15: Process for Resident to Obtain NOC from RWA for installing Charging Infrastructure
Annexure - 16: Template of NOC by RWA on society's letterhead
Annexure - 17: RWA residents' escalation form if RWA denied their request of setting up EV charging station
Annexure - 18: Standardized Land Information Collection Format
Annexure - 19: Residents Requesting Public Charging Stations Near Their Location
Annexure - 20: Public EV Charger Installation Request Form
Annexure - 21: Format of Submission of Proposal for Establishing a Centre of Excellence for Research & Development

1. INTRODUCTION

1.1. The Government of Madhya Pradesh has notified the Madhya Pradesh Electric Vehicle (EV) Policy 2025 to promote sustainable electric mobility and bring about a material improvement in the State's air quality by bringing down emissions from the transport sector.

1.2. The policy shall remain active for a duration of five years from the date of notification (or) until replaced by an updated/revised policy, as issued by the nodal department of the Madhya Pradesh Government.

1.3. Madhya Pradesh Urban Development & Housing Department (UDHD), Government of Madhya Pradesh ("GoMP"), will be the nodal department for the implementation of this policy.

1.4. The MP Power Management Company Limited (MPPMCL), Government of Madhya Pradesh ("GoMP"), serves as the state nodal agency for EV charging infrastructure.

1.5. The GoMP wants to achieve its vision and targets by emphasising on:

1.5.1. Electric Vehicle Type Incentive Structure

1.5.2. Manufacturing of EVs and its Components

1.5.3. Charging Infrastructure (CI)

1.5.4. Recycling and Refurbishing Ecosystem – Battery and EVs

1.5.5. Research & Development

1.6. This document outlines the operational guidelines for implementing all incentives provided under this policy. The incentives under the Madhya Pradesh Electric Vehicle (EV) Policy 2025 have become available with the notification of the policy for the duration as specified within the policy.

2. ELECTRIFICATION OF TWO-WHEELER COMMERCIAL FLEET BY 2030

2.1. Scope of Compliance:

2.1.1 Applies to e-commerce, quick commerce and ride-hailing platforms. Compliance will be mandatory for fleets with more than 500 vehicles on their platform, registered within Madhya Pradesh, including leased vehicles, while smaller fleet sizes are recommended to adhere to the target.

2.2. Procurement Target:

2.2.1 By the end of the policy period, the government aspires to achieve 100% of all new commercial two-wheeler registrations to be EVs..

2.3. Financial Year-wise Targets:

2.3.1 2026: 20% of new registrations aim to be EVs.

2.3.2 2027: 40% of new registrations aim to be EVs.

2.3.3 2028: 60% of new registrations aim to be EVs.

2.3.4 2029: 80% of new registrations aim to be EVs.

2.3.5 2030: 100% of new registrations aim to be EVs.

2.4. The target is recommended and adaptable based on organizational constraints. Organizations may propose alternative implementation plans, provided they commit to the 100% target by 2030.

2.5. While no immediate penalties are imposed, non-compliance by 2030 may attract penalties, which will be determined based on market conditions and policy reviews at that time. [Refer to Annexure 1].

2.6. Existing ICE vehicles can remain operational till they comply with contemporary emission standards and have a valid Fitness Certificate

2.7. Organizations falling in this category are required to register on the MP EV Tarang portal, enabling efficient tracking and assessment of their fleet electrification progress. [Refer to Annexure 2]

2.8. Procurement Target for private two wheelers: By the end of the policy period, the government aims to achieve 40% of all new private 2W registrations to be electric vehicles (EVs).

2.8.1. Implementation Timeline

2.8.1.1. 2026: 5% of new 2W registrations aim to be EVs.

2.8.1.2. 2027: 10% of new 2W registrations aim to be EVs.

2.8.1.3. 2028: 20% of new 2W registrations aim to be EVs.

2.8.1.4. 2029: 30% of new 2W registrations aim to be EVs.

2.8.1.5. 2030: 40% of new 2W registrations aim to be EVs.

3. ELECTRIFICATION OF STATE GOVERNMENT VEHICLES

3.1 Scope of Compliance:

3.1.1 Applies to all state government departments, including Government Corporations, Boards, hospitals and more.

3.1.2 Covers all vehicle categories: two-wheelers, three-wheelers and four-wheelers.

3.2 Procurement Target: By the end of the policy period, the government aims to acheive 80% of all new government vehicle procurements (includes purchase, lease and rent) to be electric vehicles (EVs).

3.3 Implementation Timeline:

3.3.1 2026: 20% of new procurements (includes purchase, lease and rent) aim to be EVs.

3.3.2 2027: 40% of new procurements (includes purchase, lease and rent) aim to be EVs.

3.3.3 2028: 60% of new procurements (includes purchase, lease and rent) aim to be EVs.

3.3.4 2029: 70% of new procurements (includes purchase, lease and rent) aim to be EVs.

3.3.5 2030: 80% of all new government vehicle procurements (includes purchase, lease and rent) aim to be EVs.

3.4 Departments facing operational challenges in achieving the mentioned targets may submit a justification report with an alternative transition plan to the Nodal department. However, departments in case of new vehicle procurements (includes purchase, lease and rent) shall strive to achieve 80% EVs adoption by 2030.

3.5 Existing ICE vehicles owned by departments can continue operations till they comply with contemporary emission standards and have a valid Fitness Certificate. The mandate applies only to new vehicle purchases/leases/rent.

3.6 Departments may consolidate their annual vehicle requirements and conduct a competitive bidding process to secure the best prices for vehicles.

3.7 Alternately, the aggregated demand can be submitted to the nodal department, which may also consolidate requirements from other departments and conduct a state-level competitive bidding process. Departments must submit their demand by December 31 each year to ensure that the tendering process is completed and vehicles are available at the beginning of the next financial year.

4. ELECTRIFICATION OF THREE- WHEELER AND FOUR-WHEELER SEGMENT

4.1 Scope & Applicability

4.1.1 These guidelines apply to all 3-wheelers and 4-wheelers operating within Madhya Pradesh.

4.2 Target for 3-wheelers (Passenger and Freight segments):

4.2.1 By the end of the policy period, the Government aims for 80% of all new registrations in the 3-wheeler passenger and freight segments to be electric.

4.3 Phase-Wise Target Implementation for 3-wheelers:

4.3.1 Year 1 (2026): Minimum 10% of 3-wheeler purchases aim to be electric.

4.3.2 Year 2 (2027): Minimum 25% of 3-wheeler purchases aim to be electric.

4.3.3 Year 3 (2028): Minimum 40% of 3-wheeler purchases aim to be electric.

4.3.4 Year 4 (2029): Minimum 60% of 3-wheeler purchases aim to be electric.

4.3.5 Year 5 (2030): Minimum 80% of 3-wheeler fleet purchases aim to be electric.

4.4 Target for 4-wheelers:

4.4.1 By the end of the policy period, the Government aims for 15% of all new 4-wheeler registrations to be electric.

5. ELECTRIFICATION OF BUS FLEET FOR PUBLIC TRANSPORT SPV/ ANY OTHER GOVERNMENT TRANSPORT AUTHORITY

5.1 Scope & Applicability

5.1.1 These guidelines apply to all Public Transport Special Purpose Vehicles (SPVs)/ any other government transport authority, operating within Madhya Pradesh.

5.1.2 Covers intra-city and inter-city bus fleets, including those under Urban Local Bodies (ULBs), State Transport Units (STUs) and Private Operators operating under government contracts.

5.2 Procurement Target:

5.2.1 By the end of the policy period, the government aspires to achieve 40% of all new bus registrations to be EVs.

5.3 Phase-Wise Target Implementation

5.3.1 Year 1 (2026): Minimum 10% of new bus fleet purchases aim to be electric.

5.3.2 Year 2 (2027): Minimum 15% of new bus fleet purchases aim to be electric.

5.3.3 Year 3 (2028): Minimum 20% of new bus fleet purchases aim to be electric.

5.3.4 Year 4 (2029): Minimum 30% of all new bus fleet purchases aim to be electric.

5.3.5 Year 5 (2030): Minimum 40% of all new bus fleet purchases aim to be electric.

5.4 Compliance & Monitoring

5.4.1 All SPVs and other relevant transport authorities must provide yearly reports to the nodal department on electric bus procurement, deployment and operational performance.

6. REGULATORY INCENTIVES

6.1 The state transport department shall notify all Regional Transport Offices (RTOs) across the state regarding the exemption of road tax and registration fees for EVs starting from the date of notification of the policy.

6.2 Regulatory Incentives (Segment-wise) will be as follows:

Vehicle Segment	Motor Vehicle Tax and Registration Fee Exemption	Time period of exemption since policy implementation
e-2W	100%	1st year
e-3W (only L5-N and M category)	100%	1st year

e-car (including L7 quadricycle)	100%	1st year
e-LCV	100%	1st year
E-Buses (Non Govt. i.e. School buses, private bus operators, etc.)	100% Permits exempted by Transport Department	2nd year
E-Buses (Govt. Buses including Mini, Midi, Standard and Standard AC Buses)	100% Permits exempted by Transport Department	2nd year
E-Truck	100%	2nd year
E-Tractor	100%	2nd year
E-Ambulance	100%	2nd year

6.3 RTOs must update their systems to reflect the exemptions and ensure that no road tax or registration fees are charged for eligible vehicles in the eligible period.

6.4 The Transport Department will submit a consolidated report to the Nodal Department on a quarterly basis on the uptake of incentives across different vehicle segments. [Refer to Annexure 3].

7. MANDATORY PARKING PROVISIONS:

7.1 Scope & Applicability - These guidelines apply to the following categories:

7.1.1 New RWA Housing Societies (those under construction and to be completed one year after the notification of these guidelines will also be included).

7.1.2 Public Roadside Parking Spaces within urban areas.

7.1.3 Educational Institutions and Commercial Complexes (both existing and new).

7.1.4 Government Offices (state-owned or leased properties).

7.2 Phased Implementation Strategy

7.2.1 To ensure a smooth transition, parking space reservations for EVs will be implemented in phases, considering demand growth and infrastructure readiness.

7.2.2 Minimum EV Parking Allocation: At least 5% of parking spaces across all categories shall be designated for EVs during 1st year.

7.2.3 Subsequent years: Incremental increase based on the local demand and EV influx, ensuring that the target is achieved by the end of the policy period.

7.3 Category-Wise Parking Allocation Requirements

7.3.1 New RWA Housing Societies:

7.3.1.1 Must reserve 20% of open visitor parking exclusively for EVs in phased manner as mentioned above in clause 5.2.2.

7.3.1.2 ICE vehicles cannot occupy these spaces, even if vacant.

7.3.1.3 Compliance must be demonstrated at the time of project approval and completion certification.

7.3.2 Public Roadside Parking Spaces: 25% of designated parking areas to be reserved for EVs by the end of the policy period.

7.3.3 Educational Institutions & Commercial Complexes:

7.3.3.1 25% of total parking spaces shall be reserved for EVs by the end of the policy period.

7.3.3.2 New establishments must include EV parking in their initial building plan approvals.

7.3.4 Government Offices:

7.3.4.1 25% of total parking spaces to be reserved for EVs by the end of the policy period.

7.3.4.2 Annual compliance reporting required for all government buildings.

7.3.5 Compliance & Monitoring

7.3.5.1 Municipal corporations and councils will aim to integrate EV parking requirements into building approvals and parking regulations.

7.3.5.2 Municipal corporations and councils will appoint a nodal officer to regularly monitor compliance and impose fines or penalties (when imposed) for any violations. [Refer to Annexure 4.]

8. RETROFITTING INCENTIVE

8.1 Scope & Applicability

8.1.1 The retrofitting incentive applies only to electric two-wheelers (e-2W), three-wheelers (e-3W) and four-wheelers (e-4W).

8.1.2 The incentive is available only for retrofits completed within the first year of policy implementation.

8.1.3 Retrofitting must be performed using kits approved by ARAI/ICAT or other MoRTH-certified agencies.

8.1.4 Only vehicles initially registered in Madhya Pradesh will be considered eligible.

8.1.5 All vehicles retrofitted in the state will be granted a valid registration for the remaining years of initial registration. On completion of 15 years since initial registration, vehicles will need to undergo re-registration, which will be valid for 5 years, provided these vehicles pass vehicle fitness test by prescribed authority/ ATS.

8.1.6 The penalty that is typically applied for FC on ICE vehicles beyond 15 years will be waived for vehicles converted to electric, up to 180 days from the date of FC expiration.

8.1.7 The Retro Fitment Centres (RFCs) will be registered at the state level, rather than at the individual district RTO level. All the RFCs on Vahan Green Portal, should register on the MP EV Tarang Portal. [Refer to Annexure 5.]

8.2 Incentive Structure & Disbursement

8.2.1 One-time incentive per individual, linked to their Aadhar card & SAMAGRA ID, ensuring no duplicate claims across different vehicle categories. [Refer to Annexure 6.]

8.2.2 The incentive can be availed through the MP EV Tarang portal after successful retrofitting and re-registration.

8.2.3 Upon approval by the nodal department, the incentive amount will be transferred directly to the beneficiary's bank account.

8.3 Incentives for Retrofitting Safari Vehicles and Forest Department Vehicles in National Parks and Sanctuaries

8.3.1 The Department of Tourism and the Forest Department will identify government vehicles used for safaris/patrolling in national parks and wildlife sanctuaries that can be retrofitted to electric powertrains.

8.3.2 Retrofitting these vehicles will:

8.3.2.1 Provide quieter rides, reducing disturbance to wildlife.

8.3.2.2 Deliver instantaneous torque and power, enhancing performance on rugged terrains.

8.3.2.3 Reduce fuel dependency and emissions, aligning with Madhya Pradesh's sustainable tourism goals.

8.3.3 These vehicles will be eligible for the same incentives available for four-wheelers under the EV policy.

8.4 Retrofitting Process Flow

8.4.1 For vehicles with an invalid/expired fitness certificate (FC) that are expected to be retrofitted to EVs, the Regional Transport Office (RTO) must follow the Standard Operating Procedure (SOP) outlined in Annexure-7 for retrofitment testing, developed as per Automated Testing Station (ATS) guidelines of CMVR Act,1989. Based on the SOP, the RTO will issue a No Objection Certificate (NOC) to the owner. Once the NOC is issued, the owner can proceed with the retro fitment. These vehicle owners can use this NOC and can apply for re-registration afterward. [Refer to Annexure 8.]

8.4.2 The RTO must ensure compliance with safety standards as prescribed in the attached SOP, before granting approval.

8.4.3 These requirements apply to vehicles with an invalid/expired FC, up to 180 days from the date of expiration. Vehicles with a valid FC may proceed directly with the steps outlined below.

8.4.3.1 For vehicles whose registration and FC have expired beyond 180 days, owners may still get their vehicles registered provided the vehicles are approved by the RTO for retrofitment as per the CMVR checklist in Annexure 7. In such cases, a penalty shall be levied for the number of days for which the FC has remained expired beyond 15 years.

8.4.4 Owners are required to select a government-empanelled RFC for the retrofitment of their vehicle. A list of the government-empanelled RFCs can be found on the MP EV Tarang portal and Vahaan Green Sewa Portal.

8.4.5 The vehicle's engine and conventional drivetrain will be replaced with an electric motor, battery system and updated electronics.

8.4.6 The RFC must issue a certificate of installation to the vehicle owner.

8.5 RTO Directives for Smooth Implementation

8.5.1 The Transport Department shall issue clear directives to all RTOs within 7 days of notification of guidelines to:

8.5.1.1 Update their registration systems to recognize and process retrofitted EVs.

8.5.1.2 Retrofitted vehicles will have a valid registration for the remaining year of initial registration, after which they will need to undergo re-registration, which will be valid for 5 years.

8.5.1.3 No registration fees will be applied to retrofitted vehicles, in line with the exemption of registration fees for new EVs.

8.5.1.4 Ensure fast-tracking of re-registration for retrofitted vehicles.

8.5.1.5 Conduct timely inspections and issue new RCs without undue delay.

8.5.1.6 Provide guidance to vehicle owners on the retrofitting approval process.

8.5.1.7 Process for the retrofitment of vehicles within their registration period.

Private Vehicles

- If the remaining life of the vehicle is less than 5 years, then a minimum validity of 5 years shall be granted post-retrofitment provided these vehicles pass vehicle fitness test by prescribed authority/ ATS.
- A fitness certificate (FC) shall be issued for this entire duration.

Commercial Vehicles

- For commercial vehicles retrofitted within their original 15-year registration period:
- The registration validity remains for the balance period up to 15 years from initial registration.
- The fitness certificate (FC) regime shall continue as per norms:
- Validity for the first 8 years from initial registration.

- Thereafter, biennial FC renewals (every 2 years) until completion of 15 years provided these vehicles pass vehicle fitness test by prescribed authority/ ATS.

8.6 After 15 years:

8.6.1 Retrofitted vehicles may be granted registration for an additional 5-year period, subject to fitness certification.

8.6.2 In this extended period, the fitness certificate must be renewed annually for commercial vehicles and will be valid for 5 years for personal vehicles, owing to the limited kilometres run of the personal vehicles.

8.7 Compliance and Monitoring

8.7.1 The Transport Department will submit a consolidated report to the Nodal Department on a quarterly basis on the segment-wise re-registration of retrofitted vehicles. [Refer to Annexure 9.]

9. CHARGE POINT OPERATORS (CPOS)/ BATTERY SWAPPING OPERATORS (BSOS)

9.1 Scope & Applicability

9.1.1 These guidelines apply to all CPOs/BSOs setting up Public Charging Stations (PCS) and Battery Swapping Stations (BSS) in Madhya Pradesh.

9.1.2 CPOs/BSOs shall apply for an electricity service connection through the MPPMCL. The status of the application can be tracked on the same portal using the application number or mobile number.

9.2 Charging infrastructure must comply with the guidelines and standards issued by the Bureau of Energy Efficiency (BEE) and any other guidelines issued by a relevant department.

9.3 The key specifications for PCS are outlined in the subsequent sections, which defines the classification of small, medium and large charging stations as per the policy.

9.3.1 Types of charging stations:

Small Charging Station: A facility equipped with multiple Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) offering varying capacities and supporting both AC and DC charging capabilities, with a total capacity not exceeding 112 kW (classified as Low Tension). It is specifically designed to charge electric two-wheelers and electric three-wheelers and is connected to an electricity supply with a capacity of less than 112 kW, or is linked to a Low-Tension line as per the regulations of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.

Medium Charging Station: A facility equipped with multiple Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) offering varying capacities and supporting both AC and DC charging capabilities, with a total capacity not exceeding 112 kW (classified as Low Tension). It is specifically designed to

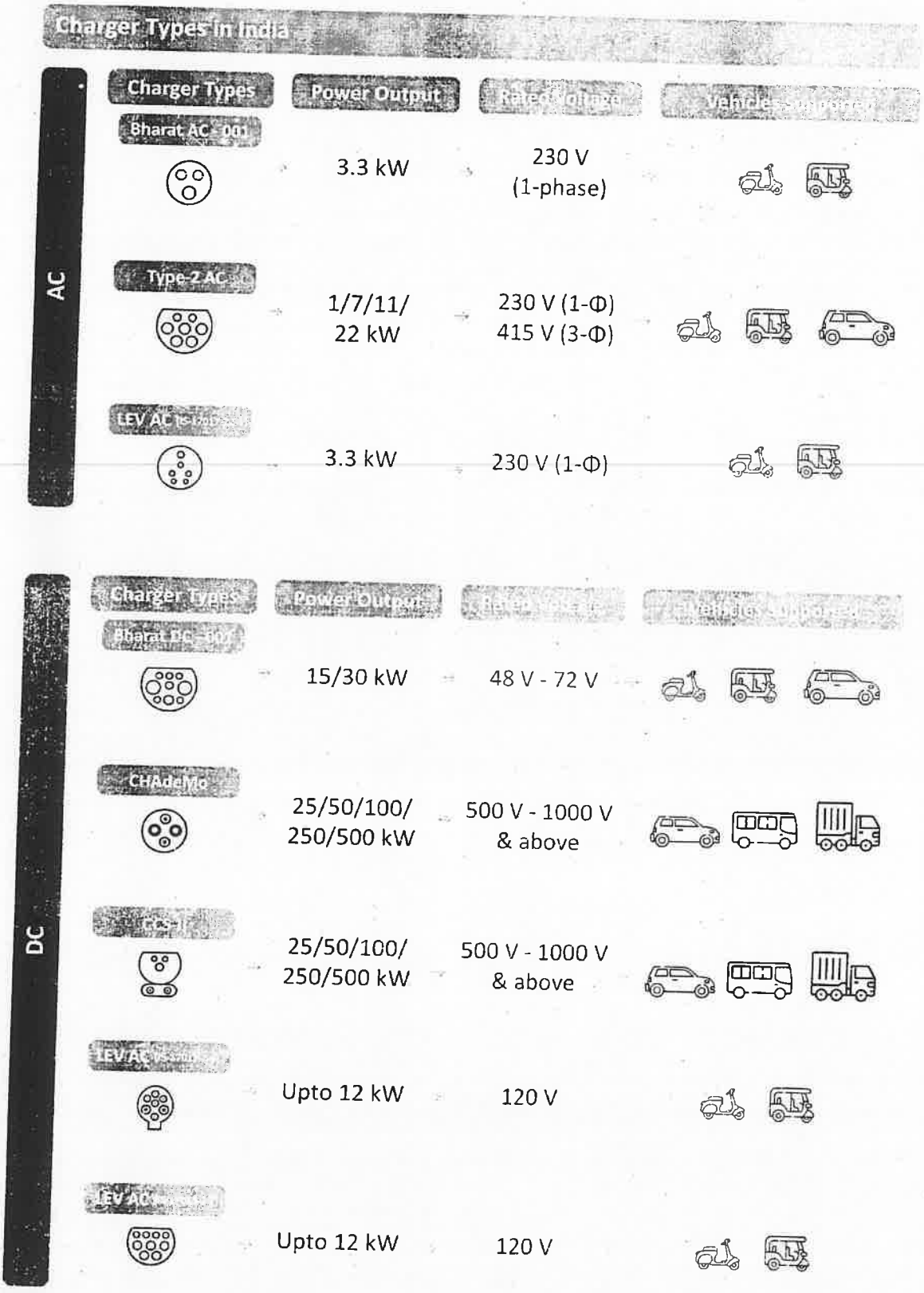
charge electric two-wheelers, electric three-wheelers, and, as a mandatory requirement, electric four-wheelers. The station is connected to an electricity supply with a capacity of less than 112 kW, or is linked to a Low-Tension line as per the regulations of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.

Large Charging Station: A facility equipped with multiple Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) offering varying capacities and supporting both AC and DC charging capabilities, with a total capacity exceeding 112 kW (connected to a High Tension (HT) line). It is mandatorily designed to charge light commercial vehicles, trucks, or buses, in addition to any other vehicle segments. The station is connected to an electricity supply with a capacity greater than 112 kW, in accordance with the regulations of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.

Station Type	Vehicle Category	Location	Type of Connection
Small Charging Stations	2W & 3W	City	Low Tension (LT)*
Medium Charging Stations	2W, 3W, Cars & e-LCV	City & Highways	Low Tension (LT)*
Large Charging Stations	2W, 3W, Cars, e-LCV & Heavy-Duty Vehicles	City & Highways	High Tension (HT)**

*According to MPERC regulation, consumers with a connected load not exceeding 150 HP (112 KW) will be supplied power in LT category.

**According to MPERC regulation, consumers having installation with a connected load exceeding 150 HP (112 KW) will be given in HT category.


Charger Types in India
AC
Charger Types
Power Output
Rated Voltage
Vehicle Suitability
Bharat AC - 001
3.3 kW
230 V
(1-phase)
Type-2 AC
1/7/11/
22 kW
230 V (1-Φ)
415 V (3-Φ)
LEV AC
3.3 kW
230 V (1-Φ)
DC
Charger Types
Power Output
Bharat DC - 001
15/30 kW
48 V - 72 V
CHAdeMo
25/50/100/
250/500 kW
500 V - 1000 V
& above
CCS-II
25/50/100/
250/500 kW
500 V - 1000 V
& above
LEV AC
Upto 12 kW
120 V
LEV AC
Upto 12 kW
120 V

Charging Station type	Vehicle Category
Small Charging Stations	On Chargers: Capital Subsidy of 30% of the value of the charging equipment/machinery for first 500 charging stations up to a Maximum subsidy of INR 1,50,000.
Medium Charging Stations	On Chargers: Capital Subsidy of 30% of the value of the charging equipment/machinery for first 300 stations up to a Maximum subsidy of INR 3,00,000.
Large Charging Stations	On Chargers: Capital Subsidy of 30% of the value of the charging equipment/machinery for first 200 stations up to a Maximum subsidy of INR 10,00,000.
Battery Swapping Station	One-time capital subsidy on eligible fixed capital investment for service providers at the rate of 30% for first 300 Swap Stations in the State up to a maximum of INR 5,00,000.

9.3.2 MPPMCL will review all incentive applications submitted by CPOs and BSOs for compliance with policy guidelines.

9.3.3 For new electricity connections with a load requirement of up to 150 kW, connections shall be provided to applicants without requiring a physical site inspection or survey by the distribution licensee, in line with the simplified process for promoting ease of doing business.

9.3.4 CPOs/BSOs must submit a Test Report verifying the electrical safety of the installation. This report must be issued by an 'A' class Electrical Contractor registered with the Office of the Chief Electrical Inspector.

9.3.5 CPOs/BSOs are required to upload all relevant safety certificates on the same Portal.

9.3.6 A provision is available on the MP EV Tarang Portal for uploading site/premise photographs by the CPOs/BSOs. In addition to the images, all required documents and certificates must be uploaded along with the information inputted in the application form.

9.3.7 A certificate of safety from the Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO), wherever applicable (especially for charging stations located near or within fuel retail outlets), must be obtained and uploaded on the MP EV Tarang Portal along with other mandatory forms and documents

9.4 CPOs/BSOs are required to submit details on the MP EV Tarang portal within 15 days of obtaining an electricity connection from MPPMCL for a PCS at a specific location. The information to be provided includes general details, type of electrical connection and load requirement, as well as the technical specifications of the charging station. [Refer to Annexure 10.]

10. AVAILING INCENTIVES FOR PUBLIC CHARGING STATIONS

10.1 Scope & Applicability

i. As per the limit mentioned in the EV Policy, incentives will be available on a first-come, first-served basis through the MP EV Tarang portal.

ii. CPOs/BSOs can apply for incentives multiple times and across multiple charging station categories.

10.1.1 Application Process on MP EV Tarang Portal - CPOs/BSOs must submit the following details while applying for the incentive. [Refer to Annexure 11]

10.1.2 Approval & Disbursement Process

10.1.2.1 Applications will be reviewed by the nodal department based on compliance with policy guidelines.

10.1.2.2 The nodal agency or authorised agency will carry out a physical verification of the charging station, assessing both the information submitted by the CPOs/BSOs and its safety and accessibility. Detailed criteria for verification are outlined in Section 12.

10.1.2.3 Upon approval, incentives will be transferred directly to the CPO's registered bank account.

10.1.2.4 If an application is incomplete or requires additional details, the CPO will be notified for corrections

10.2 Monitoring & Compliance

10.2.1 CPOs/BSOs must ensure the station remains operational for a minimum uptime of 97% post-incentive disbursement. A charging port is considered "up" when its hardware and software are both online and available for use, or in use and the charging port successfully dispenses electricity in accordance with requirements for minimum power level. Charging port uptime must be calculated on a monthly basis. [Refer to Annexure 12.]

10.2.2 If uptime is less than 97% on a monthly-basis, it may lead to penalty or blacklisting from future incentives. [Refer Annexure 13.]

11. ACCESSIBILITY AND SAFETY AT CHARGING STATIONS

11.1 Safety Standards for Charging Stations

11.1.1 Fire Safety

11.1.1.1 Charging stations located at petrol pumps must be installed in a manner that ensures strict adherence to Petroleum and Safety Explosives Organisation (PESO) safety norms, maintaining prescribed minimum safety distances and ensuring that operations

do not interfere with existing fuel dispensing activities.

11.1.1.2 Charging Stations must be equipped with Climate Control Equipment (CCE) and Liquid Cooled Cables (LCC) as required in addition to the requirements of Charging Station (PCs)2.

11.1.1.3 Main electrical panels like HT, LT & main power distribution, DG changeover and main supply panels in charging stations should be protected with in cabinet clean agent gas fire suppression system2.

11.1.1.4 The general safety precautions to be undertaken at the electricity transformer placed near the EV charging station shall adhere to the Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric Supply) Regulations, 20102.

11.1.1.5 Charging stations must have a robust fire suppression system capable of responding effectively in the event of any mishap, along with an automated emergency button linked to the nearest fire department facility for immediate response activation.

11.1.2 Spatial Requirements:

11.1.2.1 Charging Stations must adhere to spatial requirements as specified in the MP Bhumi Vikas Rules, 2012 and any subsequent amendments thereof.

11.1.3 Surveillance & Emergency Assistance:

11.1.3.1 CCTV cameras must be installed at all medium and large charging stations to monitor activities and enhance security.

11.1.3.2 Emergency assistance mechanisms, such as a panic button or a helpline number, must be displayed at the charging station.

11.1.4 Signage & Pricing Transparency:

11.1.4.1 Charging stations must display clear, visible signage with the following details:

11.1.4.1.1 Pricing structure (per kWh, per minute, or per session).

11.1.4.1.2 Availability of charging spots (real-time status if applicable).

11.1.4.1.3 Payment methods accepted.

11.1.4.1.4 Emergency contact details for assistance.

11.2 User-Friendly Payment & Digital Information

11.2.1 Flexible Payment Methods:

11.2.1.1 EV drivers must be able to pay without requiring a subscription.

11.2.1.2 Payment should be possible via:

11.2.1.2.1 Debit/Credit cards.

11.2.1.2.2 UPI & Mobile Wallets.

11.2.1.2.3 Contactless devices (NFC, QR codes, etc.)

11.3 Accessibility for People with Reduced Mobility

11.3.1 All Public Charging Stations / Battery Swapping Stations need to adhere to the space and service standards confirming to the needs of the differently abled persons, such as the guideline for Barrier Free Built Environment Guideline by CPWD, National Building Code or any other contemporary document issued by the government.

12. PROTOCOL FOR SHARING CHARGING STATION DATA WITH UDHD AND MPPMCL

12.1 CPOs/BSOs must develop an endpoint API to share details of charging and swapping stations, ensuring seamless integration with the EV Tarang portal. This requirement is mandatory for all CPOs operating in the state and the necessary details must be provided within 30 days of the station's commissioning. [Refer to Annexure 14.]

13. OTHER INITIATIVES FOR DEVELOPMENT OF CHARGING INFRASTRUCTURE

13.1 Government buildings will set a roadmap to setup charging or swapping stations in all of its parking spaces.

13.2 Existing and new government buildings or offices must install charging stations, ensuring that at least 10% of all parking spots are equipped with EV chargers.

13.3 Inter-State Bus Terminals (ISBT), bus terminals and bus stops are encouraged to have charging stations.

13.4 Municipal Corporation's Public parking spaces will be mandated to have charging stations.

13.5 Existing buildings, including malls and other commercial properties, will be incentivized to install charging and battery-swapping stations.

13.6 All new permits for commercial complexes, housing societies and residential townships with a built-up area of 2,000 sq.mt and above will mandatorily have charging stations. Additionally, at least 10% of all parking spots within these premises will be equipped with charging stations.

14. RWAS TO ISSUE NOCS FOR RESIDENT EV CHARGING INFRASTRUCTURE

Residents do not require a No Objection Certificate (NOC) from the RWA to install a 15A industrial socket for charging their EV near the parking spot, provided the connection is drawn from the individual resident's electricity meter. However, if a higher-capacity charging system is to be installed by drawing power from the RWA's common load connection, the following guidelines shall apply.

14.1 Scope & Applicability

14.1.1 Covers residents seeking to install EV charging infrastructure at their dedicated parking spaces in existing and new residential complexes.

14.1.2 Ensures a streamlined No Objection Certificate (NOC) issuance process to facilitate private EV charging.

14.1.3 For RWAs willing to self-establish charging stations, the guidelines outlined in section 9 & 10 of this document are to be followed.

14.2 NOC Issuance Process & Timeline

14.2.1 RWAs must issue an NOC within 7 working days of receiving a request from a resident.

14.2.2 The application process should be simple and transparent. [Refer to Annexure 15.]

14.2.3 NOC is granted within 7 working days, unless there are valid safety concerns or violation of any contemporary standards, guidelines, instructions, directives, orders, code etc. concerning installation, operation or maintenance of the charging infrastructure. [Refer to Annexure 16.]

14.3 Conditions for NOC Approval

14.3.1 The RWA cannot deny the NOC without a justified safety or regulatory reason.

14.3.2 If denied, the RWA must provide written reasons for rejection within the same 7-day period.

14.4 Compliance & Monitoring

14.4.1 RWAs must maintain a publicly accessible register of NOCs issued and denied. Residents can escalate delayed or unfairly denied requests through the MP EV Tarang Portal. [Refer to Annexure 17.]

15. CREATING A LAND BANK FOR CHARGING INFRASTRUCTURE

15.1 Objective & Scope

15.1.1 The Nodal Department will develop a comprehensive land bank database to facilitate the deployment of EV charging and battery swapping infrastructure across Madhya Pradesh.

15.1.2 This initiative will focus primarily on government-owned land parcels sourced from Municipal Corporations, government departments and other state entities. All Charging Infrastructure installed on government-owned land parcels will preferentially be on a Public-Private Partnership (PPP) model, where the terms and conditions described in the concerned tender documents will be upheld.

15.1.3 Additionally, private landowners interested in setting up charging stations can submit their land details through the MP EV Tarang Portal for consideration. The Nodal department will facilitate connecting private land owners with CPOs/BSOs/Govt. departments for setting up PSCs/BSSs.

15.2 Land Identification & Departmental Responsibilities

15.2.1 Municipal Corporations, Revenue Department, Public Works Department (PWD) and transport department shall identify suitable land parcels under their jurisdiction. All municipal parking facilities shall be reviewed and a portion of spaces shall be incorporated into the land bank for EV charging station deployment. Moreover, at least 10% of parking spaces in government offices and buildings must be identified in the land bank to allow for the deployment of public charging stations.

15.2.2 The Panchayat & Rural Development Department will assist in identifying land along inter-city bus routes to support charging infrastructure in rural areas.

15.2.3 The Department of Tourism will encourage the development of EV charging infrastructure on routes connecting major tourist destinations, enabling the creation of sustainable EV tourism circuits that enhance visitor access to Madhya Pradesh's rich cultural and natural heritage. To achieve this, the department will develop a land bank based on demand, ensuring at least one public charging station every 25 km and fast-charging stations for heavy-duty EVs every 100 km on both sides of the highway .

15.2.4 All these departments are required to submit the details to the Nodal Department within 3 months from the issuance of these operational guidelines.

15.3 Standardized Land Information Collection Format

15.3.1 The Nodal Department will provide a standardized template to all departments and private landowners for uniform data collection. [Refer to Annexure 18.]

16. RESIDENTS REQUESTING PUBLIC CHARGING STATIONS NEAR THEIR LOCATION

16.1 Objective & Scope

16.1.1 These guidelines facilitate residents to request public EV charging stations near their locations. [Refer to Annexure-19.]

16.1.2 The Nodal Department will collect and process requests and share them with Charge Point Operators (CPOs/BSOs) for planning and deployment.

16.1.3 This initiative will ensure demand-driven expansion of the charging network across urban and rural areas.

16.2 Resident Request Submission Process

16.2.1 Residents can submit requests for a charging station via MP EV Tarang Portal. [Refer to Annexure 20.]

16.3 Request Processing & Coordination with CPOs/BSOs

16.3.1 The Nodal Department will collect and aggregate all requests received monthly.

16.3.2 Compiled data will be shared with registered CPOs/BSOs based on their interest in expanding infrastructure.

16.3.3 CPOs/BSOs can request this information via email using the email id as per the aforementioned timeline- evtarang@mpurban.gov.in

16.3.4 CPOs/BSOs will review the demand data and may deploy charging stations near these locations after identifying the land parcel for deployment.

17. INSTALLING EV CHARGING INFRASTRUCTURE AT FUEL STATIONS

17.1 Scope & Applicability

17.1.1 These guidelines apply to all fuel stations in Madhya Pradesh.

17.1.2 Each fuel station is encouraged to install at least one fast EV charging point.

17.2 Implementation & Partnership Options

17.2.1 Fuel Stations can set up and operate the EV charging point independently or partner with a CPO for deployment and management.

17.2.2 If a CPO installs the charging infrastructure, they will also be eligible to avail incentives under the policy.

17.3 Incentives & Financial Support

17.3.1 Fuel stations can avail state incentives for setting up charging stations under the EV policy.

17.3.2 The incentive will be applicable for the charging infrastructure only, excluding auxiliary costs such as transformers, switches and fire safety equipment.

17.3.3 The application process for incentives will be through the MP EV Tarang Portal as per Annexure 11.

17.4 Safety & Compliance Standards

17.4.1 Fuel stations must ensure that charging infrastructure follows national safety guidelines, including:

17.4.1.1 Proper separation between fuel dispensing units and EV charging areas to minimize fire hazards.

17.4.1.2 Installation of fire suppression systems near the charging point.

17.4.1.3 Clear demarcation and signage indicating the EV charging area.

17.4.1.4 Trained personnel to handle basic troubleshooting and safety procedures.

17.4.1.5 Compliance with Bureau of Indian Standards (BIS) and Central Electricity Authority (CEA) regulations is mandatory for all installations.

18. VEHICLE 2 GRID (V2G) PILOT PROJECT IN EV MODEL CITIES

18.1 Technology Requirements

18.1.1 V2G chargers must be compatible with available EV models and follow standardized protocols (e.g., CHAdeMO, ISO 15118).

18.1.2 Interoperable backend system to manage real-time communication, charging instructions and data collection.

18.1.3 Integration with MP EV Tarang Portal for live tracking, performance monitoring and data analysis.

18.2 Operational Strategy

18.2.1 Diverse charging strategies:

18.2.2 Basic "dumb" charging for baseline comparisons.

18.2.3 Fixed schedule optimization (e.g., prioritizing lower carbon intensity periods).

18.2.4 Dynamic tariff-based optimization, adjusting for grid demand and user preferences.

18.2.5 User-first approach: Charging schedules must prioritize vehicle availability while optimizing grid benefits.

18.2.6 State of Charge (SoC) levels: Define minimum and target SoC levels to balance user convenience and energy dispatchability.

18.2.7 Comprehensive user training on V2G benefits and operational procedures.

18.2.8 Feedback collection via surveys to assess user experience, willingness to participate and perceived benefits.

18.3 Data Collection & Analysis

18.3.1 Charger performance metrics: Uptime, energy flow, charge/discharge cycles and communication reliability.

18.3.2 User behaviour tracking: Charging patterns, plug-in durations and impact of incentives.

18.3.3 Battery health monitoring: Assess potential degradation impacts due to bidirectional charging.

18.3.4 Data sharing through the MP EV Tarang Portal for policy evaluation and further research.

18.4 Safety & Compliance

18.4.1 Adherence to all national and international safety standards for electrical installations and bidirectional charging.

18.4.2 Thorough site feasibility assessments before installation to ensure grid stability.

18.4.3 Certified electrical contractors for installation and commissioning.

18.5 Pilot Duration

18.5.1 Recommended timeline: 12-18 months to enable:

18.5.1.1 Data collection across different seasons and usage conditions

18.5.1.2 Long-term evaluation of V2G impact on grid dynamics and user adoption.

18.6 Collaboration with DISCOMs

18.6.1 Early-stage engagement with MPPMCL for pilot site selection, approvals and technical feasibility.

18.6.2 Clear process for grid interconnection, ensuring regulatory compliance.

18.6.3 Data-sharing mechanisms to evaluate grid impact and future scalability.

18.6.4 Exploration of potential grid services, such as frequency regulation and demand response.

18.7 Incentives for Entities Deploying V2G Charging Stations

18.7.1 Charging Infrastructure Subsidy can be availed by the piloting agency.

18.7.2 The nodal agency will ensure streamlined site clearances and grid connections.

18.7.3 Participants successfully implementing V2G solutions will be recognized as pioneers in smart grid integration and may receive priority consideration in future EV infrastructure projects.

18.8 Piloting Agency & Selection Process

18.8.1 The V2G pilot project will be open to interested entities on a first-come, first-served basis.

18.8.2 Interested agencies must submit a detailed proposal outlining

18.8.2.1 Project scope and proposed location(s)

18.8.2.2 Number and type of V2G chargers to be deployed

18.8.2.3 Expected user participation and engagement strategy

18.8.2.4 Technical and financial feasibility assessment

18.8.2.5 Data collection and reporting methodology

18.8.3 Proposals must be submitted to the designated email ID- evtarang@mpurban.gov.in.

18.8.4 The Nodal Department will evaluate applications based on technical readiness, scalability potential and alignment with policy objectives.

19. ESTABLISHMENT OF CENTRE OF EXCELLENCE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT

Objective: The Government of Madhya Pradesh (GoMP) promotes research, innovation and industry–academia collaboration in the EV sector. To this end, a Centre of Excellence (CoE) will be established to advance cutting-edge research in the field of electric mobility. The entire incentive allocated under the policy will be directed to a single CoE to ensure the creation of a world-class, well-funded institution with the critical scale and resources required to drive impactful research.

19.1 Role of the Centre of Excellence (CoE)

19.1.1 CoE will function as hub for innovation, research and knowledge-sharing in the EV ecosystem.

19.1.2 It will foster synergies between academia, industry and government to ensure seamless technology transfer and commercialization.

19.1.3 The focus will be on strategic guidance, policy support and implementation of high-impact research projects.

19.2 Tentative Focus Areas of CoE –

19.2.1 EV Manufacturing & Component Design

19.2.2 Advanced Battery Management Systems (BMS)

19.2.3 Drivetrain Components & Power Electronics

19.2.4 Battery Chemistries & Fuel Cell Systems

19.2.5 Intelligent Transportation Systems (ITS)

19.2.6 Recycling & Second-Life Use of EV Batteries

19.3 Eligibility for Proposal Submission - The following entities can submit proposals for establishing a CoE:

19.3.1 Academic and R&D Institutions

19.3.2 Government Research Institutions & PSUs

19.3.3 Industries with Demonstrated R&D Experience

19.3.4 Private Research Institutions

19.3.5 Joint Ventures (JVs) & Consortia comprising two or more eligible entities

19.4 Evaluation & Selection Process

19.4.1 Stage 1: Shortlisting Based on Proposal Evaluation (Weightage-Based Criteria)

- Relevance, quality and deliverables of the proposal – 15%
- Availability of experienced manpower in relevant areas – 15%
- Level of collaboration between academia, industry and research institutes – 15%
- Financial commitment from collaborating partners (with supporting documents) – 10%

- Availability of physical space for the Centre of Excellence – 15%

19.4.2 Stage 2: Final Evaluation by MP Electric Vehicle Promotion Board (MP-EVPB)

- Shortlisted applicants will present their proposal before the MP-EVPB for final evaluation based on feasibility, impact and scalability.

19.5 Monitoring & Compliance

19.5.1 The Nodal Department will review CoE progress on a quarterly basis

19.5.2 The Nodal Department reserves the right to conduct site inspections to verify compliance and ensure the effective use of funds.

19.6 Funding & Financial Support

19.6.1 Upfront financial support of up to INR 2 crore will be provided to the Centre of Excellence in a phased manner. The disbursement of funds shall be subject to the creation of requisite infrastructure and the achievement of specific outcomes aligned with the selected research focus area.

19.6.2 Funding will cover infrastructure setup, procurement of essential research/testing equipment and operational costs.

19.6.3 The financial grant will not be used for salaries, administrative costs, or non-research-related expenses.

19.7 Proposal Submission Process: Proposals must be submitted exclusively to the nodal department at evtarang@mpurban.gov.in once the Request for Proposal (RFP) is published on the MP EV Tarang portal and in newspapers. [Refer to Annexure 21.]

19.8 Intellectual Property Rights (IPR) & Commercialization

19.8.1 The selected entity/entities will be responsible for protecting and managing the IPR generated through CoE research.

19.8.2 Any technology developed must prioritize commercialization, ensuring its integration into the EV ecosystem of Madhya Pradesh.

20. EV SKILL DEVELOPMENT INITIATIVES

Objective: To build a skilled workforce for the EV ecosystem, the Nodal Department will conduct a comprehensive study to assess the demand for skilled personnel and identify the essential skill sets required by industry partners.

20.1 Institutional Implementation & Course Development

20.1.1 Within one year of the release of these guidelines, all Polytechnic Colleges, ITIs and Engineering Institutes (both government and private) must introduce dedicated EV and EV supply chain-related courses (or) vocational training courses and begin accepting enrolments.

20.1.2 Courses should cover:

20.1.2.1 EV technology fundamentals

20.1.2.2 Battery management & charging infrastructure

20.1.2.3 EV maintenance & diagnostics

20.1.2.4 Motor control & drivetrain systems

20.1.2.5 Recycling & second-life use of EV components

20.2 Training for Roadside Mechanics & Service Technicians

20.2.1 Once the courses are in place, each institution must conduct at least two training sessions annually for roadside mechanics and service technicians.

20.3 Training Requirements.

20.3.1 Each session must have a minimum of 50 participants.

20.3.2 The training must be free of cost, with the expenses borne by the respective institution.

20.4 Mandatory Compliance Reporting:

20.4.1 Institutions must submit an annual training report by March 31st each year starting 2027 to evtarang@mpurban.gov.in.

20.4.2 The report must include:

20.4.2.1 List of participants

20.4.2.2 Training dates

20.4.2.3 Photographic documentation

20.4.2.4 Training syllabus covered

20.4.3 Non-compliance Penalty:

20.4.3.1 Institutes failing to conduct the required training sessions or submit reports will be subject to penalties as determined by the Nodal Department.

21. MADHYA PRADESH ELECTRIC VEHICLE PROMOTION BOARD (MP-EVPB)

21.1 The MP-EVPB will be constituted as a dedicated entity towards streamlining issues concerning mobility in Madhya Pradesh.

21.1.1 The MP-EVPB shall function as the apex body for coordination with various line departments for the effective implementation of the policy.

21.1.2 The MP-EVPB will be chaired by the Hon'ble Chief Minister of the Government of Madhya Pradesh ('GoMP'). The members of the MP-EVPB and their respective roles have been described briefly below:

(i) Member – Minister (Finance Department)

(ii) Member – Minister (Transport Department)

(iii) Member – Minister (Urban Development and Housing Department)

(iv) Member – Chief Secretary

(v) Member Secretary – Principal Secretary/Additional Chief Secretary (Urban Development and Housing Department)

(vi) Members Secretary Principal Secretary / Additional Chief Secretary of Finance Department. Home, Transport, Energy. Public Works. Panchayat and Rural development departments.

(vii) Member – Chairman (Madhya Pradesh Pollution Control Board)

(viii) Representative (Bureau of Energy Efficiency)

(ix) Representative (Ministry of Housing and Urban Affairs)

(x) Representative (Department of Heavy Industry)

(xi) Member Convenor – Commissioner (Directorate of Urban Administration and Development)

(xii) Upto 5 experts from Industry. Academia and Civil society to be nominated by Hon'ble Minister of Urban Development and Housing. GoMP. The Chairman also reserves the right to invite officers of other departments and subject experts to the MP-EVPB as per requirements.

Key Functions-

(i) Role of Member Secretary: Overseeing general functions of the MP-EVPB in coordination with the Chairman.

(ii) Role of Member Convenor:

a) Executive work related to the functioning of the MP-EVPB

b) Keep record of meetings and follow-up action

(iii) Schedule of meeting:

a) Twice annually as per need

b) Can be called to discuss urgent matters if deemed necessary

(iv) Functions:

a) Review the progress of projects in every meeting.

b) Deliberate and approve matters/issues/projects surrounding policy implementation

c) Ensure effective interdepartmental coordination

d) Take up matters with cross-sectoral implications

e) Mandatory clearance on any subjects having implications on Traffic and Transportation (T&T) and Infrastructure domain.

f) Ensure effective dispute resolution necessary for effective implementation of the policy

ANNEXURE-1

Penalty Quantification Format for Non-Compliance of 2030 Targets – Only for Commercial 2-Wheeler Fleets

Section	Details
Fleet Owner/Operator Details	
Name of Operator	
Registration ID	
Type of Ownership	[ ] Individual [ ] Company [ ] Cooperative
Contact Details	Email: _____ Phone: _____
Registered Location	City: _____ State: _____

Compliance Evaluation Summary				
Parameter	Target by FY 2030	Achieved (%)	Shortfall (%)	Remarks
Share of New Electric 2W Registrations in Fleet	100%	___%	___%	

Penalty Rationale				
Component	Baseline Metric	Non-Compliance	Penalty Rate	Total Penalty Proposed (INR)
Electric Vehicle Share Deficit	Target % - Actual %	___%	₹____ per % shortfall	₹_____
Delay in Data Submission	Number of Delayed Months	___ months	₹____ per month	₹_____
Repeated Non-Compliance (if any)	Yes/No	___	₹_____	₹_____

Summary of Penalty	
Total Penalty Imposed	

ANNEXURE-2

Registration Form for E-commerce / Commercial 2-wheeler Fleet Electrification

Organization Details	
Name of Commercial Fleet Operator:	
Corporate Office Address:	
City of Operation (in MP) (select multiple):	☐ Bhopal
	☐ Indore
	☐ Gwalior
	☐ Jabalpur
	☐ Ujjain
	☐ Other:
Authorized Representative Name:	
Designation:	
Contact Number:	
Email id:	

Fleet Details

Total Fleet Size in Madhya Pradesh:	
Number of Electric Vehicles Currently Deployed in MP:	
Charging Infrastructure Developed/Used:	☐ Own Charging Stations
	☐ Public Charging Stations
	☐ Battery Swapping

Declaration

I, the undersigned, declare that the information provided above is accurate and true to the best of my knowledge. I agree to comply with the operational guidelines for fleet electrification.	
Name:	
Signature:	
Date:	

ANNEXURE 3

Quarterly report from the Transport Department detailing EV sales across various segments.

Vehicle Segment	Quarterly EV Sales (in numbers)	Total Incentive
2-W (L2)		
3-W (L3 & L5)		
4-W (L7 & M category)		
LCV (M1 & N1)		
Bus (M2 & M3)		
Trucks (N2 & N3)		

ANNEXURE 4

EV Parking Compliance & Monitoring Form

Section A: General Project Information

Project Name	
Project Category	☐ New RWA Housing Society ☐ Educational Institution ☐ Commercial Complex ☐ Government Office ☐ Public Roadside Parking
Address	
Applicant Name	
Contact Information	
Building Plan Approval Number	
Project Status	☐ Planning Phase ☐ Under Construction ☐ Ready for Final Inspection ☐ Existing Facility

Section B: Compliance at Planning Stage

(To be filled during building plan review for new developments)

Requirement	Applicable?	Details/Observations	Compliance (Y/N)
EV parking provision included in the building plan?	☐ Yes ☐ No		
% of EV-designated parking as per category requirement (RWA – 20% of visitor parking, Others -- 25% of total)?	☐ Yes ☐ No		
EV signage & dedicated markings included?	☐ Yes ☐ No		

Requirement	Applicable?	Details/Observations	Compliance (Y/N)
Remarks by Reviewing Officer			
Approval Granted	☐ Yes ☐ No	If "No", state reason:	

Section C: **Compliance at Completion Stage (Commissioning/Occupancy Certificate)**

Item	Observation	Compliance (Y/N)	Photo Evidence Attached (Y/N)
EV parking area constructed as per approved plan			
Signage and marking for EV-only spaces clearly visible			
ICE vehicle restriction signage present (for RWA visitor EV parking)			
No ICE vehicles found occupying EV spaces			
Physical count of EV-designated spaces matches approved %			
Remarks by Inspection Officer			
Occupancy Certificate Recommendation	☐ Approved ☐ Denied	If "Denied", state reason:	

Section D: **End-of-Policy-Period Evaluation (for Existing Facilities)**

Field	Details
Date of Evaluation	
Evaluator Name & Designation	
Facility Category	☐ Public Roadside ☐ Educational Institution ☐ Commercial Complex ☐ Government Office

EV Parking Provision Evaluation

Parameter	Required %	Actual %	Compliant (Y/N)
EV-designated parking spaces	25%		

ANNEXURE-5

APPLICATION FOR ELECTRIC RETROFITMENT CENTRE (ERFC)

Sr. No.	Field / Description	Details
1	Name of the Workshop/ firm	
2	Complete address	
3	Weekly off. If any	
4	Name of the applicant (In Block Letter) & his status in the firm	
5	Area (Sq. yd.) of workshop premises	
6	If the application is for three, four or more wheelers then does the workshop have an opening of more than 16 feet and length of 40 feet or it has lesser measurements? Please write exact measurements	
7	If application is for two wheelers only then does the workshop have an opening of more than 10 feet and length of 30 feet or it has lesser measurements? Please write exact measurements	
8	Area of office, reception, waiting lounge and store etc. (The workshop and the office, reception, store etc. should be in the same premises)	
9	Complete details of tools to install Electric kit and kit maintenance	
9(a)-1	Two Post Lift/Ramp	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-2	Electric Hand drill machine and HSS drill bits	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-3	Set of "D" Ring and box spanners	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-4	Set of screw driver (both flat and star)	Make: _____ Nos.: _____

Sr. No.	Field / Description	Details
9(a)-5	Set of Allen keys	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-6	HSS hand saw	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-7	Crimping tool for electrical cable termination	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-8	Set letter and number punch	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-9	Measurement Tape	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-10	Torque Wrench	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-11	Inspection Light	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-12	Vernier caliper	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-13	Multimeter	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-14	Silicon seal/sealant	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-15	Alignment Tool	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-16	Belt tension measuring, equipment	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-17	Puller	Make: _____ Nos.: _____
9(a)-18	Testing equipment recommended by Kit Manufacturer	Make: _____ Nos.: _____
9(b)-1	Dry Chemical Powder (DCP) type- minimum two nos. of 5Kg each with ISI mark	Make: _____ Nos.: _____
9(b)-2	CO_2 type fire extinguisher — minimum 1 number of 5Kg with ISI Mark	Make: _____ Nos.: _____

Sr. No.	Field / Description	Details
9(b)-3	Fire buckets - 2 buckets (filled with sand)	Make: _____ Nos.: _____
10	Authorization letter from kit manufacturer/dealer/supplier with specified kit name and copies of Testing agency approval and approval of operation branch of Transport department, MP. (Both approvals to be self-attested by manufacturer/ supplier of ELECTRIC kit)	
11	Category for which authorization is sought: a.) Diesel driven vehicles to Electric mode b.) Petrol driven Two wheelers' vehicles to Electric mode c) Petrol driven three/four or more-wheeler vehicles to Electric mode	
12	Complete details of staff employed	
13(i)	Name	
13(ii)	Age	
13(iii)	Technical Qualifications (Attach self-attested copies of technical qualification)	
13(iv)	Whether the person trained by kit manufacturer /dealer / Supplier	
14	Whether premises are owned/leased agreement/rent agreement	
15	Proof that electricity connection is non domestic	
16	Lay out of the premises	

Signature of the Applicant: _____

Other instructions/ relevant documents to be submitted along with application:

1. Application must be made on the letterhead of the firm.
2. Applicants must be either by the Proprietor /Partner /Director /Managing Director as per the constitution of the firm.
3. Photographs showing external and internal views of the premises & tools.
4. All the enclosures/documents should be self-attested by the applicant.

ANNEXURE-6

Incentive Application Form after successful retrofitting of the vehicle

Vehicle Owner Details	
Owner's Name	
Mobile Number	
Email ID	
Address	
Aadhaar Number	
Samagra ID	
Bank Account Holder's Name	
Bank Name	
Account Number	
IFSC Code	
Vehicle Details (Post Retrofitting)	
(New) Vehicle Registration Number	
Chassis Number	
Motor Number	
Date of Retrofitting Completion	
Retrofitting Kit & Supplier Details	
Name of Certified Retrofitment Centre	
Kit Supplier Name	
Kit Model/Serial number	

Kit Type Approval Certificate	
Battery Manufacturer	
Battery chemistry (LFP/NMC)	
Battery Capacity (kWh)	
Number of Batteries Installed	
Battery type (fixed/swappable)	
Battery Warranty Details	
Mobile Number of the Retrofitment Centre	
Address of the Retrofitment Centre	
Cost Details	
Invoice No. & Date	
Total Cost of Conversion (including GST)	
Section E: Declarations	
☐ I confirm the above details are true and correct to the best of my knowledge.	

ANNEXURE-7

Standard Operating Procedure for Testing Methods and Performance Procedures for Frame and Body Condition for Retrofitting of ICE vehicles

1. Visual and Tactile Inspection

Purpose: To identify visible defects, structural damage, or corrosion that could compromise the safety of retrofitment.

Procedure:

- Park the vehicle on a level surface with proper lighting.
- ***Conduct a 360° walkaround*** inspection of the vehicle's frame, subframe, swingarm and other load-bearing components.
- ***Use a flashlight and inspection mirror*** to access concealed joints and welding points.
- Gently ***tap with a rubber mallet*** on suspect areas to check for sound inconsistency indicating internal rust or hollowing.
- **Perform tact*ile checks by running gloved hands*** across the surface to detect dents, cracks, or welding abnormalities.

Acceptance Criteria:

- No visible cracks, major dents, or compromised welds.
- Surface rust permissible if non-structural and treatable.
- No evidence of prior major collision repair using non-standard techniques.

2. Manual Torque Testing at Mounting Points

Purpose: To verify that the mounting points intended for the electric drivetrain components are structurally intact and capable of holding mechanical loads during vehicle operation.

Procedure:

- Identify all critical mounting points: swingarm pivot, footrest mounts, etc.
- ***Use a calibrated torque wrench*** to apply torque values as per OEM or standard mechanical engineering guidelines (typically in Nm).
- ***Monitor for any slippage, crack propagation, thread wear, or deformity*** during torque application.

Acceptance Criteria:

- All mounting points should retain torque without loosening or deformation.
- No cracking, elongation of bolt holes, or visible fatigue under standard test loads.
- Fasteners should be replaceable and not welded directly unless OEM-approved.

3. Basic Ride Test / Roadworthiness Assessment

Purpose: To evaluate the real-world structural integrity, vibration resistance and balance of the vehicle post basic checks.

Procedure:

- Conduct a 1–2 km test ride on a smooth and slightly undulated road surface.
- Accelerate, brake and turn under normal conditions.
- Check for:
  - ***Unusual rattling*** or creaking sounds.
  - ***Frame flex*** during turns.
  - Instability or ***wheel misalignment.***
  - ***Rear-end vibrations or suspension imbalance.***
- In case a road ride is not possible, perform the test using a dynamometer with vibration detection sensors.

Acceptance Criteria:

- No excessive vibration or structural noise.
- Stable handling and normal suspension behavior.
- No visible or audible sign of frame fatigue.

These procedures are over and above the following fitness tests indicated in rule 62 (tests to be conducted for issue of the fitness certificate) of the Central Motor Vehicle Rules (CMVR), 1989 and others prescribed by the Ministry of Road Transport and Highways at the Automated Testing Stations, as follows-

1. Visual Tests

Estimated Time: 8–10 minutes

Conducted under CCTV surveillance.

1. Headlamps assembly
2. Lights
3. Suppressor cap/High tension cable
4. Rear view mirrors
5. Safety glass (windscreen)
6. Horn
7. Silencer
8. Windscreen wiper
9. Dashboard equipment
10. Braking system
11. Joint Play Test
12. Speedometer
13. Rear under run protection device (RUPD)
14. Lateral under run protection device (LUPD)
15. FASTag
16. Priority Seats (only for buses)
17. Wheel Chair (only for buses)
18. Vehicle Location Tracking (VLT) device
19. High Security Registration Plate (HSRP)
20. Battery
21. Safety belt (seatbelt)
22. Speed Governor
23. Spray suppression devices
24. Tyres
25. Retro-reflector and reflective tapes
26. Protection against electric shock (EVs only)
27. State of Charge (SOC) Indicator (EVs only)
28. Malfunction indicator lamp – MIL (part of OBD scan tool)

2. Functional Tests

Estimated Time:

- 8–12 minutes for LMVs
- 10–14 minutes for HMVs

Station 1:

- Horn test
- Speedometer test
- Speed governor test

Station 2:

- Side slip test
- Front and rear suspension test
- Service brake & parking brake test

Station 3:

- Underbody visual inspection using axle play detector
- Steering angle test
- Headlamp test

3. Information Only Tests

Failure does **not** affect vehicle fitness status.

1. Side Slip Test
2. Suspension Test (only for 4-wheelers with GVW < 3.5 tons)
3. Joint Play Test
4. Speedometer Test
5. Malfunction Indicator Lamp – MIL (part of OBD scan)

4. Status 'Unfit' Upon Test Failure

Failure declares vehicle unfit unless passed on re-test.

1. Headlamp Assembly
2. Lights
3. Suppressor cap/High Tension cable
4. Rear View Mirrors
5. Safety Glass (Windscreen)
6. Horn
7. Silencer (including Exhaust Noise Test)
8. Windscreen Wiper
9. Dashboard Equipment
10. Braking System (Parking Brakes)
11. Joint Play Test
12. Speedometer
13. Rear Under Run Protection Device (RUPD)
14. Lateral Under Run Protection Device (LUPD)
15. FASTag
16. Priority Seats & related accessibility features (Buses)
17. Wheel Chair entry/housing/locking (Buses)
18. Vehicle Location Tracking (VLT) Device
19. High Security Registration Plate (HSRP)
20. Battery
21. Safety belt (seatbelt)
22. Speed Governor
23. Spray Suppression Devices
24. Tyres
25. Retro-reflector and reflective tapes
26. State of Charge (SOC) Indicator (EVs)

5. ELV (End-of-Life Vehicle) Tests

Failure leads to ELV declaration if not re-tested within 180 days.

1. Braking System (Service Brakes)
2. Steering Gear
3. Headlamp Test – Dipped Beam
4. Headlight Test (2-Wheelers)
5. Protection Against Electric Shock (EVs)
6. Insulation Resistance Measurement (EVs)
7. Speedometer Test (E-rickshaw/E-cart)

Detailed description of the above tests is provided ahead-

Test Name	Test Overview
Category: Information only Tests	
Applicability: For 3-wheelers and above	
Side Slip Test (Except 3 - wheelers)	Assesses the vehicle's ability to maintain stability while turning. It helps identify issues related to vehicle's wheel alignment, tyres and suspension. Process followed: •Vehicle is driven in a straight line passing over the side slip tester plate. •The sideslip tester measures the distance in meters over which a wheel of an axle is dragged sideways. when the other wheel of that axle runs straight for one kilometer. •Testing equipment gathers data on the vehicle's lateral movements and stability characteristics and sends it to the central ATS server.
Suspension Test (only for 4 wheelers having GVW less than 3.5 tons)	Measures significant difference between suspension system efficiency of left and right side of vehicle. Process followed: •Vehicle is driven in a straight line on the test plate and brought to rest.

	•The test plate vibrates at a set frequency for a fixed time period when the wheel is stationary. •Suspension play of both right and left side of an axle is analyzed and differences are noted.
Joint Play Test	A used car often shows wear and tear in ball joints, brushings, fixations, pivot points and shock absorber mountings. This test enables technician to detect play and wear in wheel guiding, steering and suspension components. Process followed: •Vehicle is positioned on the testing platform. •Controlled force or movement is applied to the specific joints of steering and suspension components being tested. •Maximum movement under max load condition as specified is recorded. •Visual data recorded is sent to the ATS central server.
Speedometer Test	Visually inspected for speedometer fitment, indicator illumination, dial cover condition, indicator needle condition. During testing on speedometer tester, vehicle is driven at specified speed on rollers & the actual speed of the vehicle is measured by speedometer tester.
Malfunction Indicator Lamp-MIL (part of OBD Scan Tool)	Identifies any malfunction in the vehicle system. If MIL is "On", it indicates the fault in any sensor/ critical safety component/emission circuit discontinuity/ any other critical parameters. Process followed: •The OBD scan tool is connected to the ECU of the vehicle dashboard. Any issues in the ECU system are highlighted on the tool indicating an error in that part of the system.
Category: Status 'Unfit' upon test failure	
Applicability: For 3-wheelers and above	

Headlamp Assembly	Visual inspection to check the following: •Working of headlamp bulb and operating switch. •Opacity of lamp lens (lens should not be broken, painted with colour or pasted with stickers). •No moisture deposition on the inside surface of the lens.
Lights Test (a)Top Lights (b)Stop Lights (c)Parking Lights (d)Fog Lamp (if fitted) (e)Warning Lights (in Ambulance) (f)Number Plate Lights (g)End-Outline (h)Marker Lamps (i)Direction Indicators (j)Hazard Warning Signal lamp	Visual inspection to check the following: •Colored lens (should not be faded) •Lens condition (should not be broken) •Lamp working and condition (well illuminating) •Stop lights must be working on actuation of brakes •For the lamps with dual coloured lens, red lens should be oriented towards rear and white lens towards front •No moisture deposition on the inside surface of the lens •Lamps must be fitted securely •Use of white light for illuminating number plate •Flashing light emitted from direction indicators and hazard warning signal lamp must be amber in colour
Suppressor cap/ High Tension cable	Visual inspection to check insulation and proper terminal connection of high-tension cables and condition of the suppressor caps.

Rear View Mirrors	Visual inspection of mirror transparency and fitment according to vehicle class (as per AIS 002).
Safety Glass (Windscreen)	Visual inspection to check the following (as per Rule 100, IS:2553 -Part 2 and BIS license marking): •Windscreen glass is transparent •Bears clear and indelible markings such as "LW" or "II" or IV or II/P in addition to manufacturer's logo •No damage, cracks and colored films on the glass
Horn	•Visual inspection of horn fitment, functioning of horn and check for presence of any unduly harsh, shrill, loud and alarming noise. •Functional test to measure sound pressure levels of horn to comply with decibel levels as specified in IS: 15796 Process Followed •Vehicle is positioned in the designated testing area •Sound level meter is positioned at a specified distance from the vehicle's horn. •Vehicle's horn is activated to record the noise level •Data is recorded and sent to ATS central server
Silencer Test (a)Silencer (b)Exhaust Noise Test (dB)	•Visual inspection of silencer fitment, leakages and damages (rust, wear & tear). •Inspection of exhaust noise is conducted at stationary phase as per IS10399:1998
Windscreen Wiper (a) Windscreen Wiper Blades	(a) Visual inspection of wiper fitment working condition and wear and tear damages. (b) Functional inspection of wiper to observe operation of each wiper arm (to cover maximum area of the windscreen): in case of split type windscreen (other

(b) Windscreen Wiper System	than three-wheelers). inspection for each windscreen wiper is conducted to observe its functioning Process Followed: •Vehicle is positioned in the designated testing area •Vehicle's engine is off but the electrical systems, including the wipers, are operable. •Wipers are activated and their ability to effectively clear water from the windshield is assessed. ensuring adequate visibility. •Various speed settings of the wipers (if applicable) are tested to evaluate their performance at different speeds.
Dashboard Equipment	Visual inspection of following: •Dashboard fitment. mounting and illumination •Insulation of wires •Warning lights for ABS. lights. brake system. battery. OBD/engine malfunction, fuel label engine oil pressure, engine coolant temperature.
Braking System (b) Parking Brakes	Measure the force exerted by the parking brake system to hold the vehicle stationary.Process followed –Parking Brakes: •Rear axle of the vehicle is positioned on the roller brake tester. •The rollers rotate the vehicle wheels at pre-defined speed. •Parking brake is applied to stop the rollers. The engine is kept on during testing. •Amount of force exerted by the parking brake system to hold the vehicle stationary using the testing equipment is measured and sent to the ATS central server.
Rear under run protection device (RUPD)	Visual inspection of Rear Under run Protection Device fitment. condition (corrosion/damages/wear and tear), sufficient ground clearance and dimensions as per IS-14812-2005.

for goods vehicles and trailers with GVW more than 3.5 tons	
Lateral under run protection device (LUPD) for goods vehicles and trailers with GVW more than 3.5 tons	Visual inspection of Lateral Under run Protection Device fitment, condition (corrosion/damages/wear and tear), sufficient ground clearance and dimensions as per IS-14682-2004.
FASTag	Visual inspection of placement of FASTagon the front windscreen and condition of the FASTag.
Priority Seats, Signs, securing of crutches/canes/ walker, hand-rail/ stanchions, controls at priority seats for differently abled passengers and passengers with reduced mobility (only for buses)	Visual inspection test parameters: •Visibility of the pictogram (in case of priority seats of buses) in front nearside of the bus and adjacent to relevant service door(s) •Pictogram placed internally adjacent to the priority seat •Passenger seats designated as priority seats for persons with disabilities. (Type I buses shall have at least two passenger seats in case of Mini and Midi buses and four passenger seats in case of other buses) •Forward-facing type priority seats and preferably be located behind the driver's seat •Appropriate facility for securing the crutches, canes, walkers etc. to facilitate convenient travel for persons with disabilities. •Handrails or stanchions at the entrance of all Type I buses. •Controls adjacent to priority seats for requesting stops and which alert the driver that a mobility aid user wishes to disembark for all Type I NDX buses.

	•Communication devices placed adjacent to any priority seat.
Wheel chair entry/ housing/ locking arrangement for wheel chair for differently abled passengers and passengers with reduced mobility	Visual inspection test parameters: •Pictogram visibility for the wheelchair both on the front nearside of the bus and adjacent to relevant service door(s) •Placement of the pictograms shall be adjacent to each wheelchair space indicating whether the wheelchair is to be positioned facing the front or the rear of the bus. •Presence of wheel-chair restraint system. •Sufficient space available for the wheelchair user to maneuver without the assistance of a person. •Type I vehicles to accommodate at least one wheelchair. •Placement of Communication devices for identified wheelchair area.
Vehicle Location Tracking (VLT) Device	Visual inspection of installation of Vehicle Location Tracking device and working condition of emergency alarm button
High Security Registration Plate (HSRP)	Visual inspection of fitment and condition of High Security Registration Plates installed at the front & rear of the vehicle
Battery	Visual inspection test parameters •Secured mounting •Ensure no leakage •Ensure top is clean, dry, free of dirt and grime
Safety belt (Seatbelt)	Visual inspection of safety belt on following parameters is conducted - •Mandatory safety belts shall be available and securely fitted

	•Safety belts shall not be damaged •Safety belt anchorage shall not be loose •Seatbelt reminder system, if available, should be functioning •G-lock of seatbelt should be functioning
Speed Governor	Visual inspection of speed governor for secure and sealed fitment, connection of wirings of speed governor is conducted. Functional inspection measures the vehicle speed while the speed governor is activated. The vehicle speed should be well contained within the specified limits mentioned below:
	•80 kmph for goods and passenger vehicles having at least 4 wheels manufactured on or after 1stOct 2015 •60 kmph for other transport vehicles manufactured on or after 1stOctober 2015 that are dumpers, tankers, school buses, those carrying hazardous goods or any other specified category of vehicles. Process Followed •Vehicle is positioned on the testing platform •The speed governor is activated by adjusting settings or through the vehicle's control panel. •Testing equipment is connected. •The vehicle's speed is recorded using the testing equipment while the speed governor is activated. •Recorded data on vehicle's speed readings obtained and sent to ATS server.
Spray Suppression Devices	Visual inspection is conducted of spray suppression devices to ensure its secure fitment. Spray suppression devices include mudguards, mudflaps. rain flaps and valances to reduce pulverization of water thrown upwards by the tires of vehicles in motion.

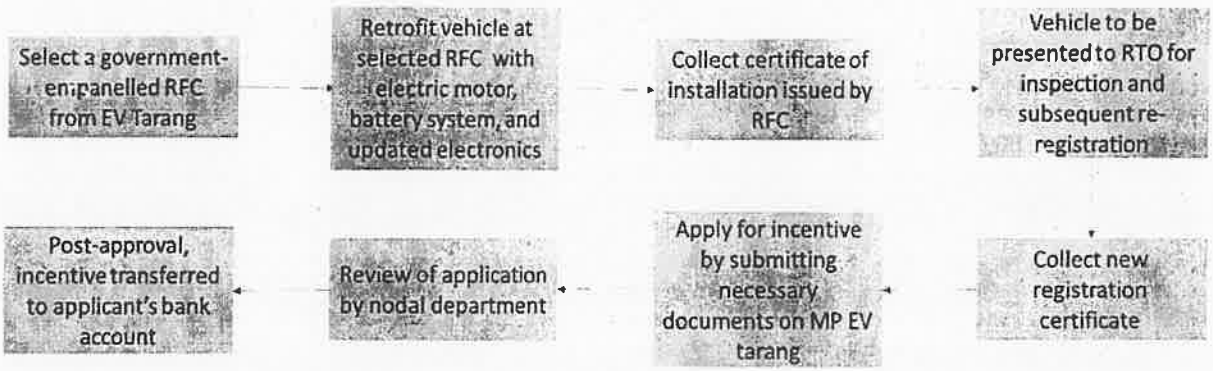
Tyres	Visual inspection of tyres is conducted to check the following specifications - •Tyres shall not have any serious damage (patched or repaired by an outside gaiter patch other than a vulcanized repair) or cut •Tyres should have minimum non-skid depth as per specifications and must not be too smooth •Tires shall be properly inflated •Tyresshall not show signs of incipient failure by local deformation or swelling •Tyrecasing fabric shall not be exposed due to wear of the tread or by any unvulcanised cut or abrasion in any of its parts •Temporary spare wheel or tyre puncture repair kit shall be available
Retro- Reflector and reflective tapes	(A) Reflectors Visual inspection of reflector fitment, physical condition (cleanliness / damages / scratches), color (as per rule 104 i.e., red colour to the rear or white to the front) is conducted. (B) Reflective Tapes Visual inspection of reflective tapes, location where tapes are pasted, physical condition (cleanliness / damages / scratches), visibility of the marks on the outside of the material, size and color (as per rule 104) is conducted.
Applicability: For Two-Wheelers (2W) only	
Braking system	Measures the braking force required to stop the vehicle. Procedure followed: •Front axle of the vehicle is positioned on the roller brake tester •The rollers rotate the vehicle's wheel at pre-defined speed •Brakes are applied to stop the rollers •Maximum brake force required to stop the wheel is measured by the equipment

	•Same steps are repeated for rear axle •Service Brake efficiency of a vehicle measured as per AIS 128
State of Charge (SOC) Indicator on Dashboard	Visual inspection to check that manufacturer supplied SOC indicator is in working condition and clearly displays charging status of battery
Category: Status 'ELV' upon test failure	
Applicability: For Two-Wheelers (2W) only	
Headlight	Measure the deviation of the headlamp beam from the centerline both vertically and horizontally. Process followed: • Headlights of the vehicle are positioned parallel to the headlamp tester. • Beam projection angle of the headlight is tested against the machine. • Readings are recorded and sent to the central ATS server directly.
Applicability: For For electric vehicles (EV) & hybrid-electric power train vehicles and electric two-wheelers	
Protection against electric shock test (if system voltage is >60 V DC or 30 V AC)	Identifies residue voltage difference which could lead to electrical shocks. The test kit contains a digital meter with voltage function, finger bender test probe and a neutral test probe. Process followed: • Both the test probes are connected to the digital voltage meter which is connected to a power source. • The neutral probe is attached to the electrical chassis (neutral point) while the finger bender probe is put in contact with different points on the electric vehicle to ensure that there is no residue voltage difference or shock. If the test fails, the light lamp on the digital meter will light up along with a beeping sound.

Insulation Resistance Measurement Test (If system voltage is >60 V DC or 30 V AC)	Measures insulation resistance value at different points in the vehicle. The test kit contains a digital reading device similar to multimeters used for electrical equipment along with 2 probes. Process followed: •The neutral probe needs to be attached to the ground while the other tester probe is put in contact near the battery, cables, engine and other important points to ensure that insulation resistance value is greater than 500 Ohm/V
Applicability: For electric vehicles only	
Speedometer Test (for E-rickshaw or E-cart)	Measures the maximum speed of the vehicle (must not be more than 25 km/hr) Process followed: •The vehicle shall be driven in unladen condition (with full charge and at full accelerator position) on straight, flat road or roller •When the vehicle attains full speed, the maximum speed shall be calculated by measuring time taken to travel fixed distance (viz 50 metres)

ANNEXURE-8

Section 7.4 – Process of Retrofitment and Claim of Incentive



ANNEXURE-9

Quarterly Report on Re-registration of Retrofitted Vehicles and Incentives Disbursed

Section	Details
Reporting Department	Transport Department – [State/UT Name]
Reporting Period	Quarter: Q1 / Q2 / Q3 / Q4 Year: _____
Report Submission Date	_____
Nodal Department	[]
Prepared By	Name: _____ Designation: _____ Contact: _____

Segment Wise Re-registration of Retrofitted Vehicles					
Vehicle Segment	**No. of Vehicles Re-registered**	**Date Range of Retrofitments**	**Names of Certified Retrofitment Agencies (mention number of retrofitted vehicles)**	**Retrofit Kit / Technology Provider (mention number of kits provided)**	**Remarks**
2-Wheelers					
3-Wheelers (Passenger)					
3-Wheelers (Goods)					
4-Wheelers (Personal)					
4-Wheelers (Commercial)					
Others (specify)					
Total					

Incentives Disbursed for Retrofitted Vehicles					
Vehicle Segment	**No. of Beneficiaries**	**Total Incentive Disbursed (INR)**	**Average Incentive per Vehicle (INR)**	**Disbursement Mode (DBT/Other)**	**Remarks**
2-Wheelers					
3-Wheelers (Passenger)					
3-Wheelers (Goods)					
4-Wheelers (Personal)					
4-Wheelers (Commercial)					
Others (specify)					
Total					

Issues & Observations		
Category	**Details/Challenges**	**Support Required from Nodal Department**
Approval Delays		
Shortage of Certified Retrofit Kits		
Customer Awareness Issues		
Financial Disbursement Delays		
Other (specify)		

Declaration

I/We certify that the data submitted above is true and is in accordance with the state's EV policy guidelines.

Signature: _____

Name: _____

Designation: _____

Seal: _____

Date: _____

ANNEXURE 10

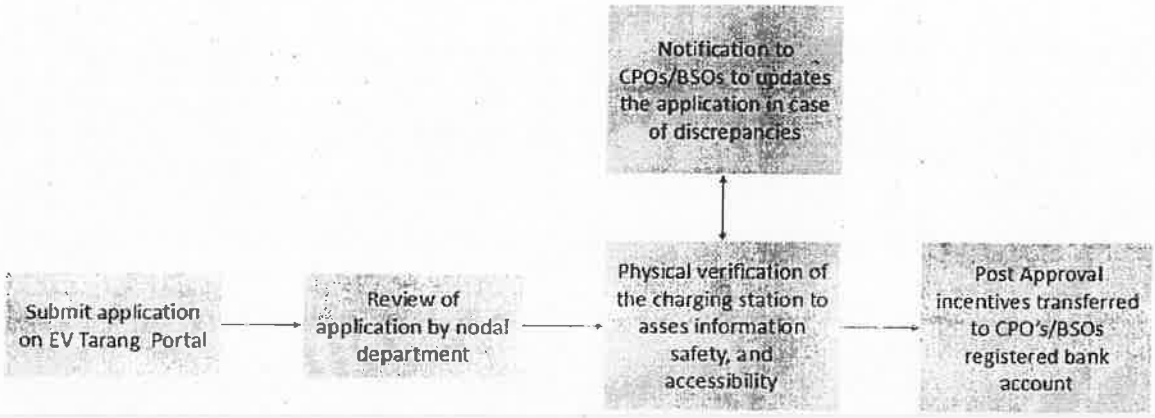
Application form to seek relevant information from CPOs/BSOs for creating state level data room

Particulars	Response
Company Details	
Name of Applicant/ Organisation	
Company Type	
Company registered under (Indian Companies Act / Individual / Co-operative Society / Any Other Corporate Entity)	
Company Registration Certificate / Memorandum of Understanding	
PAN Number	
GST number	
Company registration Number	
CIN No.	
Registration Address	
Submit copies of P&L account and Balance Sheet/ Annual Report)	
Present Activity/business carried by the applicant/ organisation	
Office Email ID	
Details of Authorised Person	
Designation	
Email	
Mobile Number	
Location Details of proposed site	
Name of village/ area	
District	
Type of Location	
City	
Pin Code	
Latitude	
Longitude	
Connection Details	
Connection Type	

Connection Category	
Connection Sub Category	
Details of network service provider	
Existing Load (kW / kVA)	
Supply Type (LT / HT)	
Desired Load (kW / kVA)	
Tariff Category	
Metering Status	
Phase	
EV Charger Details	
Type of Charger	
Capacity of each charger (kW)	
Total Connected Load	
Number of EV Chargers	
No. of connector guns	
Total no. of EVSEs	
Battery Swapping capacity (if applicable)	
Estimated cost of the project proposed (in Rs.)	
Planned duration for commissioning of the project (in Months)	
Others	
Power of Attorney confirming powers on the person(s) who are competent to execute the MoU / agreement	
Presence of Amenities	
Fire Fighting System Details	
Declaration	
1. We certify that all information furnished is true to the best our knowledge	
2. We abide by the rules and regulations, terms and conditions laid down by UDHD, MPPMCL or any other Government departments.	
3. We submit the required information periodically and give access to our charging station online data.	

ANNEXURE 11

Process for Availing Incentive for Public Charging Station



CPO/BSO Application Process to avail Incentives for Public Charging Stations

Charging Station Selection	
Type of Charging Station	1. Small Charging Station (LT Connection) 2. Medium Charging Station (LT Connection) 3. Large Charging Station (HT Connection) 4. Battery Swapping Station
Technical & Infrastructure Details	
Number of Chargers Installed	
Charger Specifications	
Charger Capacity	in kW
Charging Standard	1. CCS2 2. CHAdeMO 3. Bharat DC001 4. Others
Total Number of Charging Guns	
Total Number of EVSE Units	

Location of Charging Station	
Exact Location of Charging Station	
GPS Coordinates	
Latitude	
Longitude	
Proof of Deployment of commissioned charging station	
Financial Documentation	
Invoice / Bill Document	
Band Account details	

Note: Only the total cost of the chargers or battery swapping infrastructure will be calculated for eligible incentives from Invoice / Bill submitted. The cost of auxiliary equipment such as switches, transformers, fire safety equipment will not be considered for incentives.

ANNEXURE 12

Calculation Procedure for Uptime of Charging Stations

Parameter	**Value**
Total Time in Period (hrs)	
Actual Uptime (hrs)	
Downtime (hrs)	
Calculated Uptime (%)	
Required Uptime (%)	97%
Deviation from Required Uptime	
Is Requirement Met?	
Reason for Downtime (if any)	
Remarks	

ANNEXURE 13

Procedure for Future Penalties for failure to Meet Uptime Requirements:

Compliance Monitoring Timeline:

Month	Status	Action
Month 1	Uptime < 97%	Formal warning issued to CPO
Month 2	Uptime < 97% (again)	50% of incentive amount **recovered**
Month 3+	Continued non-compliance (Uptime < 97%)	Remaining 50% incentive **recovered**

Penalty Calculation Structure:

Assume,

- **Incentive Disbursed** = ₹X

Situation	Penalty Description	Amount Recovered
After Month 2 of non-compliance	Partial Recovery	₹X * 50%
After Month 3 or further non-compliance	Full Recovery (remaining amount)	₹X * 50%

Date:

ANNEXURE 14

Charge Point Data Submission Form (JSON Format)

Required API Endpoint Details

- Method:
- Endpoint URL:
- Content-Type:
- Authentication:

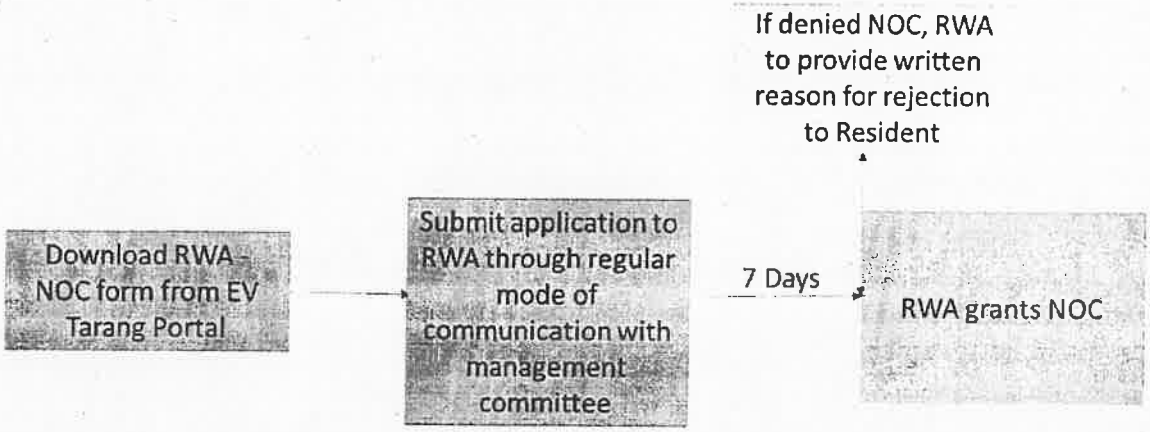
CPOs/BSOs must develop an endpoint API that provides the following details to ensure seamless information sharing for integration with EV Tarang portal.

Charging station general Information	
Unique charging station name or identifier	
Address (street address, city, State and zip code) of the property where the charging station is located	
Geographic coordinates in decimal degrees of exact charging station location	
Charging station operator name	
Charging network provider name	
Charging station status (operational, under construction, planned, or decommissioned)	
Charging station access information	
Charging station access type (public or limited to commercial vehicles)	
Charging station access days/times (hours of operation for the charging station)	
Charging port information	
Number of charging ports	

Unique port identifier	
Connector types available by port	
Charging level by port (AC Level 2, etc.)	
Power delivery rating in kilowatts by port	
Accessibility by vehicle with trailer (pull-through stall) by port (yes/ no)	
Real-time status by port in terms defined by Open Charge Point Interface 2.2.1	
Pricing and payment information	
Pricing structure	
Real-time price to charge at each charging port, in terms defined by Open Charge Point Interface 2.2.1	
Payment methods accepted at charging station	

ANNEXURE- 15

Process for Resident to Obtain NOC from RWA for installing Charging Infrastructure



ANNEXURE-16

Template of NOC by RWA on society's letterhead

To,

Name of the Applicant:

Address:

Date:

A No-Objection Certificate (NOC) is hereby granted to the applicant (name) as per request (ref. no) vide dated XXXX, for the purpose of installing a private EV charger in his/her allocated parking space considering all conditions of the circular titled "Operational Guidelines for Madhya Pradesh Electric Vehicle Policy 2025" issued by the Urban Development and Housing Department, Government of Madhya Pradesh.

Signature:

Name:

Society Stamp
Authorized Signatory
Name of the Housing Society

ANNEXURE - 17

RWA residents' escalation form if RWA denied their request of setting up EV charging station

Date	
Resident Details	
Name	
Address	
Contact Number	
RWA Details	
Name of RWA	
RWA Address	
Representative Name	
Contact Number	
Date of Request Submission to RWA	
Copy of Request	
Details of EV Charging Station Request	
Type of Charging Station proposed	
Proposed Location	
Supporting documents (such as proof of parking availability, etc)	
Grievance	
Nature of Grievance	1. Delay in response beyond 30 days 2. Unfair denial without valid reason 3. Additional charges imposed by RWA 4. Other (please specify)
Brief Description of the Issue	
Note: Explain why the request was denied, including any verbal or written communication from the RWA. Attach supporting evidence if available.	
Declaration	
I, the undersigned, hereby declare that the information provided is true and accurate to the best of my knowledge. I request the authorities to take necessary action regarding my escalation.	
Signature	

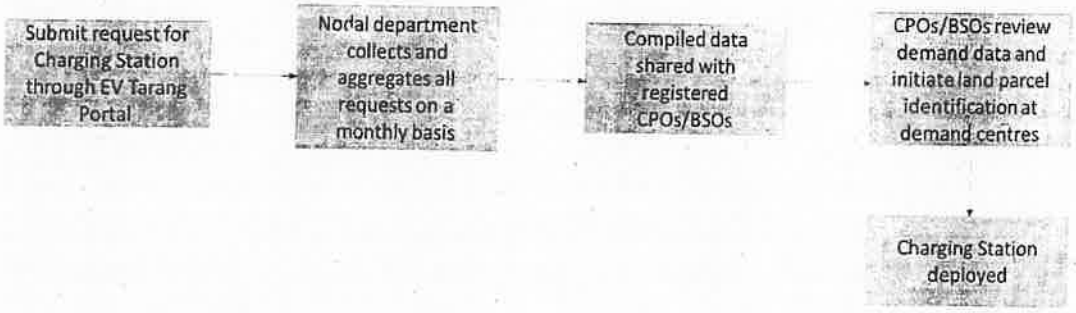
ANNEXURE-18

Land Ownership Detail	Drop Down Menu (Municipal Corporation, Revenue Dept., ISBT, Private Owner)		
Landowners Details			
Name of the Applicant		Address of the Applicant	
Contact Number		E-mail ID	
Alternate Contact Person's Name		Contact Number	
E-mail ID		Current Land Use Classification	
Location of the Land with Details			
Name of Village / Area		Block No.	
District		Pin Code	
Survey No.		Land Extent Survey No. Wise	
Latitude of Location		Longitude of Location	
Total area available (in sq.m. or acres)		Current Land Use	Drop Down Menu (vacant, parking lot, public amenities, government facility, private facility)

Nearest Sub-Station details			
DISCOM Name		Address of Sub-station	
Voltage Level of Substation		Distance from Proposed charging station	
Land Suitability for Infrastructure			
Proximity from expressway / state highway / district road (in km)		Availability of RE sources	Yes / No
Existing drainage & sewage facilities (Y/N)		Proximity to eco-sensitive zones*	
		*eco-sensitive zone - It is a type of designation of an area, which is rich in environmental resources and need special protection. eg - ESZs are designated areas around protected areas like national parks and wildlife sanctuaries, typically within a 10 km radius.	

ANNEXURE-19

Residents Requesting Public Charging Stations Near Their Location



ANNEXURE-20

- **Public EV Charger Installation Request Form**

Applicant Information	
Name:	
Address:	
City:	
Pin Code:	
Phone No.:	
Email ID:	
Electric Vehicle Information	
Electric Vehicle Segment:	
Electric Vehicle Number:	
Proposed Public Charging Station Information	
Type of Charger Required:	
Proposed Location of Charger:	
Nearest Landmark	

Declaration:

I, [Applicant's Name], hereby declare that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge. I understand that the approval of the request is subject to the evaluation of the concerned authorities.

ANNEXURE-21

Format of Submission of Proposal for Establishing a Centre of Excellence for Research & Development

To

The Nodal Department

Urban Development & Housing Department

Government of Madhya Pradesh

Subject: Submission of Proposal for Establishment of Centre of Excellence (CoE) for Research & Development under MP EV Tarang Initiative

Dear Sir,

We hereby submit our formal proposal for the establishment of a Centre of Excellence (CoE) for Research and Development under the MP EV Tarang initiative. After a detailed review of the eligibility conditions, funding framework and operational guidelines laid out in the scheme, we wish to express our commitment to actively contribute towards building a robust and forward-looking EV ecosystem in Madhya Pradesh. The proposed CoE will serve as a dedicated hub for research, innovation and technology development in the electric mobility domain. It is envisioned as a core institution that will drive focused R&D, enable knowledge transfer and support the state's transition towards clean and sustainable transport. By fostering indigenous innovation and capacity building, the CoE will complement the Government of Madhya Pradesh's broader objectives of reducing emissions and promoting green growth.

(i) Applicant Details

- Name of the Entity: (Full Name of Organization/Institution)
- Type of Entity: (Academic Institution / Government Research Institution / Industry / Private Research Institution / Joint Venture/Consortium)
- Address: (Registered Address)
- Contact Person: (Name, Designation)
- Email & Phone:
- Website:

(ii) Proposed Focus Area for the CoE (Please select the applicable focus areas)

- EV Manufacturing & Component Design
- Advanced Battery Management Systems (BMS)
- Drivetrain Components & Power Electronics
- Battery Chemistries & Fuel Cell Systems
- Intelligent Transportation Systems (ITS)

- Recycling & Second-Life Use of EV Batteries

(iii) Project Summary

- Title of the CoE Proposal:
- Brief Overview :
- Objectives of the Proposed CoE:
- Expected Outcomes and Impact:

We request financial support of up to INR 2 crore as per the scheme guidelines. A detailed budget breakdown is enclosed, which covers the costs of infrastructure, research/testing equipment and operational expenses.

We hereby declare that all the information provided is true to the best of our knowledge and agree to abide by all terms and conditions of the operational guidelines.

Sincerely,
[Authorized Signatory Name]
[Designation]
[Date & Place]
[Official Stamp/Seal]

Attachments

- Detailed Project Proposal
- Budget and Financial Plan

S.No.	Description	Cost in Rs.
1	Cost of setting up COEs	
2	Cost of Trainer	
3	Operational & Maintenance Expenses	
Total		

- Organization Profile
- Team Details & CVs of Key Personnel
- Past R&D Experience / Project Reports (if any)
- MoU (for Joint Venture/Consortia, if applicable)

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 2 सितम्बर 20225

प्र. क्र. 17-अ-82-वर्ष 2025-26.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	भसूड़ा	निजी भूमि रकबा 2.8000 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.7750 हे. कुल रकबा 3.5750 हे. है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जमुनिया सेहा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम भसूड़ा, तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 3 सितम्बर 20225

प्र. क्र. 18-अ-82-वर्ष 2025-26.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सब्दुआ	शासकीय भूमि पर स्थित 66 व्यक्तियों मकान जो क्षेत्रफल 3257.249 वर्ग मी. पर स्थित है.	उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पश्चिम मध्य रेल्वे, खजुराहो.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पश्चिम मध्य रेल्वे खजुराहो, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 4 सितम्बर 2025

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1679-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बहेरा	1.5000	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र. 3680 -भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	टिकुरी	3.0100	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र. 1681-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	हलियाकला	3.500	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र. 1682-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	नकेहली	1.5000	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र. 1683-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मिश्रगवां	3.2000 हे.	कार्यपालन यंत्री बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नगर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्र. 1695-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन .—(म. प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला — सतना

(ख) तहसील — नागौद

(ग) नगर / ग्राम — बिकरा

(घ) क्षेत्रफल — 1.5000 हे.

क्र.	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुराग सिंह पिता हरिओम सिंह बघेल, पता-भुलनी, तहसील नागौद.	468/2	0.0330

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	पुष्पा सिंह बघेल पत्नी सामंत सिंह बघेल, पता-बिकरा नागौद, अनुराग सिंह बघेल पुत्र सामंत सिंह बघेल, पता-बिकरा नागौद, अनुभव सिंह बघेल पुत्र सामंत सिंह बघेल, पता-बिकरा नागौद, स्नेहा सिंह पुत्री सामंत सिंह बघेल, पता-बिकरा नागौद, जिला सतना (म. प्र.)	545/1/1 549 550/1 551/1	0.6450 0.2360 0.1380 0.0500
3.	बृजेश सिंह पिता हीरा सिंह बघेल, पता-सा. भुलनी	547/1 548/2	0.0360 0.2450
4.	हरिओम सिंह पिता हीरा सिंह बघेल सा भुलनी	548/2	0.0670
5.	प्रदीप सिंह पिता राघवेंद्र सिंह, पता-बिकरा नागौद, प्रमोद सिंह पिता राघवेंद्र सिंह, पता-बिकरा नागौद, प्रभा सिंह पुत्री राघवेंद्र सिंह, पता-बिकरा नागौद, दिनेश सिंह पुत्र राघवेंद्र सिंह, पता-बिकरा नागौद, सुनीता सिंह पुत्री राघवेंद्र सिंह, पता-बिकरा नागौद, शकुंतला सिंह पुत्री राघवेंद्र सिंह, पता-बिकरा नागौद, नागेंद्र सिंह पिता राघवेंद्र सिंह, पता-बिकरा नागौद, सतना, सामंत सिंह पिता राघवेंद्र सिंह, पता-बिकरा नागौद, सतना, राजन उर्फ साजन पिता राघवेंद्र सिंह, पता-बिकरा नागौद, सतना.	552/2	0.0500
		कुल योग . .	1.5000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—उपमुख्य अभियंता (निर्माण-2) पमरे, सतना (म. प्र.) द्वारा सतना-पन्ना नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 9 सितम्बर 2025

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-25-26-पत्र क्र.-1703-भू-अर्जन-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सिकड़ौरा	1.9000	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

--

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 13 मई 2025

प्र.क्र.–60–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–बंधीकला, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–बंधीकला का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 285–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–बंधीकला की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–61–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–वनगांय, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–वनगांय का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 286–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–वनगांय की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–62–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–दिदौल, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–दिदौल, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 287–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–दिदौल, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–63–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–ईशानगर, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–ईशानगर, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 288–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–ईशानगर, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–64–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–कटारे का पुरवा, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–कटारे, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 289–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–कटारे, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–65–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–लहेरा, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–लहेरा, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 280–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–लहेरा, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–66–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–महाराजगंज, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–महराजगंज, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 281–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–महराजगंज, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–67–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–नदगांय, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–नंदगांय, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 282–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–नदगांय, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–68–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–पहाड़गांव, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–पहाड़गांव, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 293–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–पहाड़गांव, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–69–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–परापट्टी–2, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–परापट्टी–2, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 294–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–परापट्टी–2, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–70–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–पठादा, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–पठादा, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 295–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–पठादा, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–71–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–पुरवा, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–पुरवा, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 296–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–पुरवा, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–72–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–राजापुरवा, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–राजापुरवा, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 297–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–राजापुरवा, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–73–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–रामपुर, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–रामपुर, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 298–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–रामपुर, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–74–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–सीगौन, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–सीगौन, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 299–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–सीगौन, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–75–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–टुडर, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–टुडर, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 300–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–टुडर, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–76–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–कोटा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–कोटा, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 301–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–कोटा, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–77–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–बरद्वाहा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–बरद्वाहा, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 302–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–बरद्वाहा, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–78–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–गंज, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–गंज, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 303–कार्य–भू अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–गंज, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–79–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–कदौंहा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–कदौंहा, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 304–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–कदौंहा, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–80–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–कर्री, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–कर्री, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 305–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–कर्री, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–81–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–कटिया, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–कटिया, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 306–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–कटिया, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–82–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–लखरावन, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–लखरावन, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन- बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 307–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–लखरावन, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–83–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–पहरा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–पहरा, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 308–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–पहरा, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–84–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–सीलोन, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–सीलोन, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038 अ.ज.रा.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 309–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–सीलोन, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–85–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–टुरया, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–टुरया, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 310–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–टुरया, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–86–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–मलहरा (जोत), तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–मलहरा (जोत) का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 311–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–मलहरा (जोत) की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–87–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–गढ़ी (जोत), तहसील महराजपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–गढ़ी (जोत) का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 312–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–गढ़ी (जोत) की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–88–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–गौरारी (जोत), तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–गौरारी (जोत) का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 313–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–गौरारी (जोत) की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–89–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–गौर, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–गौर का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 314–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–गौर की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–90–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–कुर्राहा, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–कुर्राहा, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 315–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–कुर्राहा, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–91–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–कुसमा (जोत), तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–कुसमा (जोत) का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 316–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–कुसमा (जोत) की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–92–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–लहर, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–लहर का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 317–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–लहर की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–93–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–मदारी, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–मदारी का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी.2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 318–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–मदारी, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–94–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–खकरी बीरमपुरा, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–खकरी बीरमपुरा का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 319–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–खकरी बीरमपुरा की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–95–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–लुगासी, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–लुगासी का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 319–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–लुगासी की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–96–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–मऊ–2, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–मऊ–2 का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 321–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–मऊ–2 की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–97–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–नयागांव, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–नयागांव, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 322–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–नयागांव की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–98–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–तिंदनी, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–तिंदनी, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 323–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–तिंदनी की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–99–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–महाराजपुर (जोत), तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–महाराजपुर (जोत), का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 324A–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–महाराजपुर (जोत), की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–100–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–मऊ, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–मऊ का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 325–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–मऊ, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–101–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–नुना, तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–नुना, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 326–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–नुना की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–102–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–पड़वाहा, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–पड़वाहा का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 326–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–पड़वाहा, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–103–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–सैला, तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–सैला, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 327–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–सैला, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–117–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–बेडरी, तहसील सटई, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–बेडरी का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 329–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–बेडरी की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–118–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–दिदौनिया, तहसील सटई, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–दिदौनिया, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 331–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–दिदौनिया की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–119–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–झमटुली, तहसील सटई, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–झमटुली, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 333–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–झमटुली, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–120–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–करौंदिया, तहसील सटई, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–करौंदिया, का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 330–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–करौंदिया, की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

प्र.क्र.–121–अ–82–2023–24.– केन–बेतवा लिंक (राष्ट्रीय) परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम–कावर, तहसील सटई, जिला छतरपुर की निजी भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम–कावर का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 22 मार्च 2024 को किया जा चुका है.

तत्संबंध में लेख है कि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

चूंकि सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना नहर के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत आरेखण एवं केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा डाले गये आरेखण में भिन्नता आने से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3741038–अ.ज.स.इ.–2016 केन–बेतवा, दिनांक 14 फरवरी 2025 के अनुरूप कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर का पत्र क्रमांक 332–कार्य–भू–अर्जन–2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025 से केन–बेतवा लिंक नहर परियोजना निर्माण हेतु ग्राम–कावर की निजी भूमि "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)" की धारा 19(7) के अनुसार उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परन्तु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी.

अतः कार्यपालन यंत्री, केन–बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्रमांक 03, छतरपुर के अनुरोध पर बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पार्थ जैसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 384–भू–अर्जन–2025 देवास, दिनांक 1 सितम्बर 2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 मे "आई.एस.पी.–पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" हेतु ग्राम देवसिराल्या, तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे कमांक 270/2/3 की भूमि "पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" के लिए "आई.एस.पी.–पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण" से प्रमावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूचि 1

ग्राम– देवसिराल्या तहसील– कन्नौद जिला देवास

क.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	आई.एस.पी.–पार्वति फेस 1 और 2 सुक्ष्म उद्हन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण	0.0360	-	0.0360

अनुसूचि 2

ग्राम– देवसिराल्या तहसील– कन्नौद जिला देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	नूर बी पिता अब्दुल जाति पिंडारा निवासी भूमिस्वामी देवसिराल्या	270/2/3	0.9200	—	0.9200	0.0360	—	0.0360

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु राज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–8545–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.0094–अ–82–2024–25 उज्जैन, दिनांक 9 सितम्बर 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक–01कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमाक–1 में उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन नगर जिला उज्जैन के **ग्राम कस्बा उज्जैन** की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक–2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची–2 की भूमि की अनुसूची–1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	6.524	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची–2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	गोविन्द पिता पन्नालाल संजय पिता चम्पालाल इदरबाई चंदाबाई पार्वतीबाई मंजूबाई कोमल पुत्रीया चम्पालाल भागवंतीबाई बेवा चम्पालाल हुकुमचंद पिता पन्नालाल रमेश पिता पन्नालाल जाति माली पता कस्बा उज्जैन	3289/1	2.728	0.518	सिंचित
2	शीला आसवानी पति किशनचन्द्र तोरानी पता 93 ,94 साईनाथ कॉलोनी इंदौर रोड उज्जैन	3289/2/3	0.156	0.132	सिंचित
3	मैसर्स एनएम डेवलपर्स दवरा भागीदार सुनील बोहरा पिता राजमल बोहरा नारायण दास देवनानी पिता स्व मोहनलाल मनोज जैन पिता मांगीलाल जैन पता 101 प्रथमतल महाकाल ट्रेजर इंदौर रोड उज्जैन	3302/1/1	0.053	0.053	असिंचित
4	सत्यनारायण रूपनारायण गणेश महेश दिनेश पुत्रगण भरूलाल पवन पिता ओमप्रकाश चंदाबाई वि ओमप्रकाश पता कस्बा उज्जैन उज्जैन नगर	3302/2	0.115	0.084	असिंचित

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
5	देवकन्याबाई पुत्री भेरूलाल पत्नी भेरूलाल पत्नी सुरेशकुमार जाति कुमावत पता 61/2 श्रीकृष्ण कॉलोनी अंकपता मार्ग उज्जैन	3303/1/1/1	0.063	0.052	सिंचित
6	सूर्याश इन्फ्राकान प्रायवेट लिमिटेड उज्जैन द्वार डायरेक्टर नीरजजैन पिता नरेन्द्र कुमार जैन पता उज्जैन नगर हि.17660/21960, मिश्रीमल पुरोहित पिता केवलाजी पुरोहित पता 214 अमरनाथ ऐवेन्यू कॉलोनी अमरनाथ ऐवेन्यू कॉलोनी उज्जैन हि 40/21960 , नवीन जैन पिता स्व बसंतीलाल जैन पता ०४ नयापुराचौसट योगिनी मार्ग उज्जैन हि 930/21960, मुफ्फजल लश्करवाला पिता सेफुदीन अमरूदीन लश्करवाला पिता ताहैर अली लेश्करवाला पता 60/1 दादाभाई नोरोजी दादाभाई नोरोजी उज्जैन नगर हि. 1470/21960, दुर्विश शर्मा पिता देवेंद्रशर्मा पता २/१२ बसंतविहार उज्जैन हि 930/21960 , ब्रजेशशर्मा पिता बेनीप्रसादशर्मा पता ५ गणेश कॉलोनी जयसिंहपूरा हि 930/21960	3303/2/1	2.196	0.166	सिंचित
7	मिश्रीमल पुरोहित पिता केवलाजी पुरोहित पता 214 अमरनाथ ऐवेन्यू हिस्सा 640/22260 मेसेर्स एन ऍम डेवलपर्सदवरा भागीदार सुनील बोहरा पिता राजम लबोहरा नारायणदास देव नानी पिता स्व मोहनलाल मनोज जैन पिता मांगीलाल जैन पता 101 प्रथमतल महाकाल ट्रेजर इंदौर रोड उज्जैन हिस्सा 3120/22260, सुर्याश इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड उज्जैन दवरा डायेरक्टर नीरज जैन पिता नरेन्द्रकुमार जैन पता 105 मनीट्रेड सेन्टर 8/3 शंकुमार्ग फ्रीगंज उज्जैन हिस्सा 18314/22260 ,श्री नाकोडा ऐसोसिएट्स द्वारा भागीदार सीमा शाह पति गुणवंत शाह प्रीति गुप्ता पति अश्विनी गुप्ता आशादेंवी कोठारी पति हुकुमचंद कोठारी पता 43 ए सुरज नगर कालोनी हिस्सा 186/22260	3303/3/1	2.226	0.373	सिंचित
8	विष्णुलाल नागुलाल शिवनारायण गावेर्धन मोतीलाल परमानंद चंदरबाई पिता मूलचंद जाति गारी निकस्वा उज्जैन	3306/1/1	2.511	0.788	सिंचित

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
9	भरत पिता करम शी भाई प्रमोदा बेन पति भरत कुमार आशीष पिता भरत कुमार नीराशाह पति आशीष शाह पता कस्बा उज्जैन, गोपाल आंजना पिता गणपतसिह आंजना पवन आंजना पिता भगवानसिंह पटेल पता उज्जैन	3307/2/1/2	0.022	0.022	व्यावसायिक
10	सरफराज खॉ पिता सुल्तानखॉ पता 65 बेगमबाग	3307/2/3/2	0.016	0.016	सिंचित
11	कलावती पति सत्यनारायण यादव पता करबा उज्जैन	3308/1/1	2.887	0.107	सिंचित
12	कान्हा टाऊन शिप प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्रीमती कलावती पति सत्यनारायण यादव पता 37 रविन्दनाग टैगौर मार्ग, कस्बा उज्जैन अब्दालपुरा	3331/1	3.097	0.017	सिंचित
13	श्री सिद्दविनयाक देवकास प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर मोहन पिता पूनमचंद यादव पता उज्जैन	3288/1	0.296	0.020	सिंचित
14	कलावती पति सत्यनारायण यादव पता कस्बा उज्जैन	3288/2	0.424	0.102	सिंचित
15	श्री ब्रम्हभट्ट क्षत्रिय भाट समाज द्वारा अख्यक्ष राधेश्याम परमार पिता प्रकाश परमार सचिव नन्दकिशोर पिता प्रेमनारायण कोषाध्यक्ष बबलू खींची पिता रमेशचन्द्र सदस्य गणेश कालखेर पिता राधाकिशन दशरथ पिता नारायणसिंह विनोद खिची पिता छतरसिंह सकलपंच सिंहपुराहि 3135/5870 शिवदत्त गुप्ता पिता विध्याराम गुप्ता नि.19/3 अशोकनगर फ्रीगंज उज्जैन हि 2735/5870	3234/3/1/1	0.587	0.075	सिंचित
16	उमा बेवा कमल फूलसिह दयाशंकर पिता कमल जाति माली पता 5 ग्रीन पार्क कॉलोनी उज्जैन	3291/1/1/1/2	0.017	0.017	सिंचित
17	महेन्द्र पिता नेमीचद पता अम्बाप्रसाद तिवारी मार्ग उज्जैन नगर, गोपाल आंजना पिता गणपत सिह आंजना पवन आंजना पिता भगवानसिह पटेल पता उज्जैन	3291/1/1/2/1/1/1	0.023	0.023	व्यावसायिक

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
18	अभिनवसिंह कुशवाह पिता महेश सिंह पता 113 हरिओम विहार उज्जैन	3291/1/1/2/1/1/2	0.002	0.0021	आवासीय
19	अभिनवसिंह कुशवाह पिता महेश सिंह पता 113 हरिओम विहार उज्जैन	3291/1/1/3/1/1/1/2	0.028	0.028	आवासीय
20	मोहम्मद इकबाल खान मोहम्मद इकरार खान पिता मुन्ना खान पता जबरन कॉलोनी उज्जैन	3291/1/1/2/1/2	0.012	0.012	असिंचित
21	मोहम्मद इकबाल खान मोहम्मद इकरार खान पिता मुन्ना खान पता जबरन कॉलोनी उज्जैन	3291/1/1/3/1/1/2	0.0185	0.0185	सिंचित
22	सरफराज खॉ पिता सुल्तानखॉ पता 65 बेगमबाग कॉलोनी उज्जैन	3291/1/1/2/3	0.015	0.015	सिंचित
23	सरफराज खॉ पिता सुल्तानखॉ पता 65 बेगमबाग कॉलोनी उज्जैन	3291/1/1/3/2	0.016	0.016	सिंचित
24	भरत पिता करम शी भाई प्रमोदा बेन पति भरत कुमार आशीष पिता भरतकुमार नीराशाह पति आशीष शाह पता कस्बा उज्जैन ,हि.174/645 राजेश माली पिता कन्हैयालाल माली पता 65 बैगम बाग कॉलोनी,हि.91/645 वैभव यादव पिता मोहन जी यादव 52/3 पता गीता कालोनी हि. 380/645	3291/1/1/3/1/1/1/1	0.0645	0.0645	सिंचित
25	भरत पिता करम शी भाई प्रमोदा बेन पति भरत कुमार आशीष पिता भरत कुमार नीराशाह पति आशीष शाह पता कस्बा उज्जैन हि. 220/307 गोपाल आंजना पिता गणपतसिह आंजना हि. 150/307 पवन आंजना पिता भगवानसिंह पटेल पता उज्जैन	3291/1/1/3/1/2/2	0.015	0.015	व्यावसाहिक
26	भरत पिता करम शी भाई प्रमोदा बेन पति भरत कुमार आशीष पिता भरत कुमार नीराशाह पति आशीष शाह पता कस्बा उज्जैन गोपाल आंजना पिता गणपतसिह आंजना पवन आंजना पिता भगवानसिंह पटेल पता उज्जैन	3291/1/1/3/1/2/1	0.022	0.022	सिंचित
27	नदीश कलब एड रिसॉर्ट्स 1 कन्हैयालाल खटवानी पिता चंदीराम खटवानी 2 मनोज जैन पिता मागीलाल जैन 3 आशा गुप्ता पति दीपक कुमार गुप्ता पता उज्जैन	3212/1/1/1/2	0.177	0.087	व्यावसायिक

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
28	नंदीश कलब एंड रिसॉर्ट्स 1 कन्हैयालाल खटवानी पिता चंदीराम खटवानी 2 मनोज जैन पिता मांगीलाल जैन 3 आशा गुप्ता पति दीपक कुमार गुप्ता पता उज्जैन	3212/1/3/1	0.253	0.052	व्यावसायिक
29	प्रमोद सिंह पिता एल एल चौहान पता उज्जैन	3211/1/1	0.936	0.086	सिंचित
30	सीमा पति योगेश जाति गोस्वामी पता उज्जैन	3211/2	0.209	0.038	व्यावसायिक
31	युवराजसिंह पिता नारायणसिंह पता मंगरोला लेखराजसिंह पिता नारायणसिंह पता मंगरोला यशोदाबाई पिता नारायणसिंह पता मंगरोला गीताबाई बेवा नारायणसिंह पता मंगरोला	3193/1/2	0.039	0.039	सिंचित
32	नारायण आदि हरकुंवरबाई वि. भागीरथ व सुन्दरलाल मुन्शीलाल शान्तिलाल रमेश कैलाश (अव.) पि. भागीरथ, सर. हरकुंवर बाई भाग 4/5 भूरीबाई बेवा किसन गणफत (वय.) कन्हैयालाल जमनालाल (अव.) पि. किसन सर. माता भूमि स्वामी, भूरीबाई भाग 1/5 जाति माली पता नि. उज्जैन	3204/1/1/1	1.127	0.173	सिंचित
33	विजय पिता धन्नालाल जाति गारी व जरनकीबाई बैवा धन्नालाल जाति गारी नि.उज्जैन	3191	2.289	0.040	सिंचित
34	मंगूसिह पिता रतनसिह जाति राजपूत पता कस्वा उज्जैन	3186	4.077	0.016	सिंचित
35	युवराजसिंह पिता नारायणसिंह पता मंगरोला, लेखराजसिंह पिता नारायणसिंह पता मंगरोला, यशोदाबाई पिता नारायणसिंह पता मगरोला, गीताबाई बेवा नारायणसिह पता मंगरोला	3175/1/1	0.474	0.055	सिंचित
36	राकेश पिता ओमप्रकाश महेश पिता भैरूलाल पता कस्बा उज्जैन	3206/1/1	0.596	0.142	सिंचित
37	भायकबाई पुत्री स्व के सर सिह नाथूलाल बाबूलाल जगदीश दीपक पिता स्व .सरसिंह पता जयसिह पूरा कस्वा उज्जैन	3168	0.428	0.001	असिंचित
38	भायकबाई पुत्री स्व कसर सिंह नाथूलाल बाबूलाल जगदीश दीपक पिता स्व कसरी सिह पता जयसिह पूरा कस्वा उज्जैन	3178/2	0.219	0.015	सिंचित

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
39	लक्ष्मीनारायण पिता बद्रीलाल चौधरी घनश्याम पिता बद्रीलाल चौधरी पता जयसिंहपूरा कस्बा उज्जैन	3164/1	2.050	0.294	सिंचित
40	बद्रीलाल पिता भीला पता जयसिंहपुरा कस्बा उज्जैन	3163/4	1.273	0.014	असिंचित
41	कृष्णाबाई बेवा विजयसिह पता कस्बा उज्जैन	3162/1	1.302	0.199	सिंचित
42	कृष्णाबाई बेवा विजयसिंह पता कस्बा उज्जैन	3158/1	1.185	0.291	सिंचित
43	राकेश पिता ओमप्रकाश महेश पिता भैरूलाल पता कस्बा उज्जैन	3198/2/1	0.012	0.012	असिंचित
44	योगमाता सन्यासी जूना अखाडा पिता श्री शौकतराय पता निवासी 374 उषानगर एक्सटेंशन इंदौर	3152/ मिन–4/मिन/1	0.345	0.073	सिंचित
45	राजवर्धन हाडा पिता रघुवीरसिंह पता निवासी 40 सेठी नगर उज्जैन	3152 मिन–5/मिन–1	0.992	0.090	सिंचित
46	कृष्णाबाई बेवा विजयसिंह पता कस्बा उज्जैन	3182/1	0.304	0.210	असिंचित
47	युवराजसिंह पिता नारायणसिंह पता मगरोला, लेखराजसिंह पिता नारायणसिंह पता मगरोला, यशोदाबाई पिता नारायणसिंह पता मगरोला, गीताबाई बेवा नारायणसिह पता मगरोला	3183/1	1.316	0.062	सिंचित
48	जीतकुंवरबाई पति जगदीशसिंह जाति राजपूत	3153	0.595	0.334	सिंचित
49	लक्ष्मीनारायण पिता बद्रीलाल चौधरी घनश्याम पिता बद्री.लाल चौधरी पता जयसिंह पूरा कस्बा उज्जैन उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3179	0.040	0.038	सिंचित
50	जीतकुंवरबाई पति जगदीशसिह जाति राजपूत	3154/1	0.333	0.085	असिंचित
51	राजेन्द्र पिता विजयसिंह बैस जाति राजपूत पता उज्जैन	3154/2/1	0.123	0.123	असिंचित
52	राजेन्द्र पिता विजयसिंह बैस जाति राजपूत पता उज्जैन	3155	0.032	0.032	असिंचित
53	राजेन्द्र पिता विजयसिह बैस जाति राजपूत पता उज्जैन	3156/2/1	0.012	0.012	असिंचित
54	दिनेश राजेश पिता रामेश्वर पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	488/1	0.149	0.035	सिंचित

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
55	राजेन्द्र पिता विजयसिंह बैस जाति राजपूत पता उज्जैन	3157/2/1	0.020	0.020	असिंचित
56	भैरूलाल पिता ऊंकारलाल जाति यादव पता दानीगेट उज्जैन	404/6/1	0.035	0.035	असिंचित
57	वैजयंती यादव बेवा संजय वैष्णवी पायल याशिका सलोनी पुत्री सजय दीप पवन विनोद राजेश पिता भैरूलाल जाति यादव पता 9 महदजी मार्ग गलीन 1 कुम्हारवाडा दानीगेट कस्बा उज्जैन	404/7	0.078	0.078	असिंचित
58	निलेश गोपाल कमल पिता कल्याण हिरामणी अनिता पिता कल्याण कलावती बेवा कल्याण जाति नागर पता कस्बा उज्जैन हिस्सा 1/2, हंसानागर पिता स्व भागीरथ मदनलाल नागर पिता स्व. भागीरथ जाति नागर पता ग्राम सदावल हिस्सा 1/2	405/1/1	0.864	0.210	सिंचित
59	लीशा पमनानी पति महेंद्र पमनानी संगीता गुप्ता पति विवेक गुप्ता हिस्सा 104/171 ,शंकर सिह पिता पडिहार पिता पदमसिंह पडिहार पता दाउदखेड़ी हिस्सा 67/171	405/2/1	0.171	0.067	सिंचित
60	शंकर सिंह पिता पड़िहार पिता पदमसिंह पडिहार पता दाउदखेड़ी	406/1/2	0.052	0.052	सिंचित
61	मजीदखाँ पिता घीसाजी जाति मुसलमान पता कस्बा उज्जैन	400/1	2.878	0.401	सिंचित
62	मजीदखाँ पिता घीसाजी जाति मुसलमान पता कस्बा उज्जैन	401/1	0.921	0.040	सिंचित
63	दीपक शर्मा पिता मोहनलाल जी मुकेश शर्मा पिता मणिशंकर जी पता 134 पीर गली सिंहपूरी उज्जैन दीपक शर्मा पिता मोहनलाल जी मुकेश शर्मा पिता मणिशंकर जी पता 134 पीर गली सिंहपूरी उज्जैन	411/2	0.123	0.037	सिंचित
64	लोकेन्द्र व्यास पिता विश्वनाथ नीरज शर्मा पिता प्रकाशचंद पता 05 श्रीपाल मार्ग उज्जैन	411/3	0.124	0.036	सिंचित
65	शारदा पवार पति बाबूलाल पवार पता 60 इद्रानगर उज्जैन	411/4	0.124	0.036	सिंचित
66	विनोद पिता भैरूलाल जाति यादव पता दानीगेट उज्जैन	411/5	0.124	0.036	सिंचित
67	राजेश पिता भैरूलाल जाति यादव पता दानीगेट उज्जैन	411/6	0.124	0.036	सिंचित
68	शंकर सिंह पिता पड़िहार पिता पदमसिंह पडिहार पता दाउदखेड़ी	408/2	0.230	0.010	सिंचित
69	शंकर सिंह पिता पड़िहार पिता पदमसिंह पडिहार पता दाउदखेड़ी	407	0.178	0.039	सिंचित
			योग	6.524	

उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उज्जैन नगर, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–8548–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.0092–अ–82–2024–25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक–01कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमाक–1 में उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन नगर जिला उज्जैन के **ग्राम मोहनपुरा** की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमाक 2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची–2 की भूमि की अनुसूची–1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन नगर	मोहनपुरा	5.610	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची–2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	सुरेश कुमार कांतिलाल पिता जीतमल व प्रीतिबाला पुत्री सुरेश पता मोहनपुरा	168/2/1/1	0.517	0.131	सिचित
2	चेतराम पिता मोतीराम जाति आंजना पता मोहनपुरा	168/2/3/1	0.099	0.025	सिचित
3	राघव पंडया पिता ओमनारायण पड्या ऋचा पंडया पति राघव पडया जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	168/3	0.533	0.080	सिंचित
4	राघव पंडया पिता ओमनारायण पड्या ऋचा पंडया पति राघव पडया जाति ब्राह्मण पता उज्जैन	168/4	0.188	0.042	सिचित

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
5	अभय कुमार पवन कुमार पिता सुरेश कुमार दिलखुश पति सुरेश कुमार पता उज्जैन नगर, विजयकुमार विनयकुमार पिता कांतिलाल निर्मला पति कांतिलाल पता उज्जैन नगर	120/680/2/1	0.410	0.080	सिंचित
6	लक्ष्मीनारायण पिता रामंचद्र जाति आजना पता मोहनपुरा	120/1/1/1	0.201	0.065	सिंचित
7	रूघनाथ पिता मांगीलाल जाति बलाई पता मोहनपुरा	120/1/2/1	0.265	0.065	सिंचित
8	रतन पिता मांगीलाल जाति बलाई पता मोहनपुरा	120/1/3/1	0.139	0.065	सिंचित
9	रतन पिता मांगीलाल जाति बलाई पता मोहनपुरा	120/1/3/1	0.139	0.015	सिंचित
10	देबु ऊॅर्फ कुँवरजी पिता मांगीलाल जाति बलाई पता मोहनपुरा	120/1/4/1	0.138	0.065	सिंचित
11	देबु ऊॅर्फ कुँवरजी पिता मांगीलाल जाति बलाई पता मोहनपुरा	120/1/4/1	0.138	0.015	सिंचित
12	श्रीराम मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन	395	12.145	0.679	सिंचित
13	श्रीराम मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन	399	2.518	0.470	सिंचित
14	श्रीराम मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन	400/1	2.048	0.261	सिंचित
15	श्रीराम मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन	400/2	2.257	0.035	सिंचित
16	शंकर श्रीपाद पिता अनन्तराव पता मोहनपुरा	420/1	0.274	0.035	सिंचित
17	शंकर श्रीपाद पिता अनन्तराव पता मोहनपुरा	420/1	0.274	0.005	सिंचित
18	रईसशेख पिता आशिफ हुरौन जाति मुसलमान पता मोहनपुरा	422/1/1/1	0.169	0.063	सिंचित
19	रईसशेख पिता आशिफ हुरौन जाति मुसलमान पता मोहनपुरा	422/1/1/1	0.169	0.010	सिंचित

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
20	नफिस पिता मो आशिक जाति मुसलमान पता मोहनपुरा	422/1/1/5	0.557	0.080	सिंचित
21	नफिस पिता मो आशिक जाति मुसलमान पता मोहनपुरा	422/1/2	0.030	0.030	सिंचित
22	ओमप्रकाश पिता पुरूषोतम पता मोहनपुरा	419/1/1	0.710	0.063	सिंचित
23	अनवर हुसैन पिता मो ईस्माईल जाति मुसलमान पता मोहनपुरा	419/4/3	0.409	0.080	सिंचित
24	आशिक हुसैन पिता अब्दुल गनी नफीस शेख रईस शेख कोसर बी पिता आशिक हुसैन जाति मुस्लिम पता मोहनपुरा	419/4/1/3	0.300	0.120	सिंचित
25	आशिक हुसैन पिता अब्दुल गनी नफीस शेख रईस शेख कोसर बी पिता आशिक हुसैन जाति मुस्लिम पता मोहनपुरा	419/4/1/1	0.469	0.031	सिंचित
26	शमीम बी पति मो आशिक अनवरी बी पति मो आशिक जाति मुसलमान पता मोहनपुरा	419/3/3	0.339	0.130	सिंचित
27	ओमप्रकाश पिता पुरूषोत्तम पता मोहनपुरा	418/1	0.032	0.010	सिंचित
28	विश्वजीत पिता विक्रमसिंह जाति आंजना पता मोहनपुरा	417/1/1	0.774	0.130	सिंचित
29	इन्द्रप्रकाश पिता छोटेलाल भार्गव पता मोहनपुरा	369/1/2 369/2/ मि. –2	0.063	0.021	सिंचित
30	विश्वजीत पिता विक्रमसिंह जाति आंजना पता मोहनपुरा	369/3	0.167	0.031	सिंचित
31	फातिमा बी पति मौहम्द रफीक पता मोहनपुरा	364/3/3/4, 366/3/2	0.016	0.016	सिंचित
32	संजयसिंह पिता रघूवीरसिंह पता मोहनपुरा	366/3/2, 364/3/3 मिन–1	0.009	0.009	सिंचित
33	हेमा महेश्वरी पति मधुसूदन महेश्वरी पता मोहनपुरा	366/3/3, 364/3/3/2	0.030	0.030	सिंचित

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
34	शंकरलाल पिता मांगीलाल जाति आंजना पता उज्जैन	366 मि.–3	0.008	0.008	सिंचित
35	इन्द्रप्रकाश पिता छोटेलाल भार्गव पता मोहनपुरा	367	0.157	0.044	सिंचित
36	विक्रमसिंह पिता रामसिंह व सूरजबाई पति रामसिंह जाति आंजना पता उज्जैन	289/2	1.228	0.261	सिंचित
37	बसन्तीबाई पति कन्हैयालाल व तेजसिंह पिता कन्हैयालाल जाति आंजना पता मोहनपुरा	302/2/1	0.066	0.035	सिंचित
38	बसन्तीबाई पति कन्हैयालाल व तेजसिंह पिता कन्हैयालाल जाति आंजना पता मोहनपुरा	298/2/1	0.450	0.035	सिंचित
39	हरिराम पिता मांगीलाल रतनबाई वि मांगीलाल जाति आंजना पता मोहनपुरा	299/1	0.433	0.083	सिंचित
40	दिनेश पिता ठाकुरलाल जाति माली पता मोहनपुरा	122/1/1	2.518	0.334	सिंचित
41	अखिलेश पिता रूपनारयण जाति माली पता 1 अंक पता मार्ग काजीपुरा उज्जैन मोहनपुरा	122/2/1	2.419	0.334	सिंचित
42	तेजसिह पिता देवीसिंह जाति आंजना पता मोहनपुरा	144/1	1.881	0.136	सिंचित
43	लक्ष्मण पिता गोरधन जाति माली पता मोहनपुरा	124/1/1	3.058	0.063	सिंचित
44	लक्ष्मण पिता गोरधन जाति माली पता मोहनपुरा	124/1/1	3.058	0.479	सिंचित
45	योगेश पिता गोरधन जाति माली पता मोहनपुरा उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124/2/1	3.058	0.063	सिंचित
46	योगेश पिता गोरधन जाति माली पता मोहनपुरा	124/2/1	3.058	0.479	सिंचित
47	पराग पिता श्यामराव पाठक श्रीमति स्मिता पति पराग पाठक निवासी हेदरावाद डा. हेमंत पि. सुरेश बलेणकर पता मोहनपुरा	90/2/1/1	0.370	0.231	सिंचित
48	लक्ष्मण पिता गोरधन जाति माली पता मोहनपुरा	90/2/2/1	0.078	0.027	सिंचित
49	हरिराम पिता मांगीलाल रतनबाई वि मांगीलाल जाति आंजना पता मोहनपुरा	296/2/1	0.117	0.011	सिंचित
			योग	**5.610**	

उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतुहितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उज्जैन नगर, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–8553–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.0095–अ–82–2024–25 उज्जैन, दिनांक 10 सितम्बर 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 01कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमाक–1 में उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन नगर जिला उज्जैन के **ग्राम जियापुरा** की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक–2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची–2 की भूमि की अनुसूची–1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन नगर	जियापुरा	2.902	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची–2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	कांताबाई पति अनोखीलाल कृष्णा, संतोष नेहा पुत्री अनोखीलाल जाति अहिर पता सदावल	490/1/4	0.060	0.060	सिंचित
2	लीलाधर भागीरथ हुकुमचंद योगेश पिता भगवान पता मालीपुरा	499/2/1	0.701	0.190	सिंचित
3	लीलाधर पिता भगवान पता मालीपुरा	500/1/2	0.081	0.033	सिंचित
4	लीलाधर भागीरथ हुकुमचंद योगेश पिता भगवान पता मालीपुरा	506	1.881	0.062	सिंचित
5	पुष्पा पत्नी प्रेमनारायण अरूण पिंकेश पिता प्रेमनारायण टीना पिता प्रेमनारायण जाति माली पता जियापुरा	501/2/1/1	0.281	0.087	सिंचित
6	गिरधारीलाल पिता भेरूलाल जाति माली पिता जियापुरा	501/2/1/2	0.281	0.088	सिंचित

क्र.स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
7	राजेश अनिल सुनिल पिता विष्णुशंकर कांताबाई बेवा विष्णुशंकर माली	501/2/1/3	0.006	0.006	पड़त
8	लाखन पिता कैलाश जाति यादव पता जियापुरा	489/2/2/2	0.666	0.264	सिंचित
9	दिनेश राजेश पिता रामेश्वर पता जियापुरा	510/1/2	3.390	0.493	सिंचित
10	गोरधन बसन्तीलाल चुन्नीलाल पिता भुवान जाति अहीर पता जियापुरा	511,441/4, **441/2/1**, 512	1.230	0.544	सिंचित
11	गोरधन बसन्तीलाल चुन्नीलाल पिता भुवान जाति अहीर पता जियापुरा	440/1	1.278	0.093	सिंचित
12	शान्तीलाल पिता हिरालाल जाति अहीर पता मजरा सदाबल	431/1/2	0.310	0.260	सिंचित
13	देवीलाल पिता शोभाराम जाति अहीर पिता मजरा सदाबल	418/1/2	0.936	0.270	सिंचित
14	लीलाधर पिता भगवान पता मालीपुरा	3091/1/1	1.349	0.052	सिंचित
15	लीलाधर पिता भगवान पता मालीपुरा	3091/2	0.063	0.063	सिंचित
16	प्रकाश मोहन महेश राम प्रसाद पुत्रगण धुलजी रतनबाई बेवा धुलजी जाति गारी पता जयसिंहपुरा	3092/2/1/1	0.954	0.087	सिंचित
17	नरेन्द्र कुमार पिता विष्णु राव अजय पिता नरेन्द्र कुमार वंदना रूपली पिता नरेन्द्रकुमार जाति ब्राह्मण पता जियापुरा	505/1/1	0.079	0.015	सिंचित
18	रामचन्द पिता नरसिंह जाति बलाई	505/2/1	0.079	0.016	सिंचित
19	नरेन्द्रकुमार पिता विष्णु राव अजय पिता नरेन्द्र कुमार वंदना रूपली पिता नरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण पता जियापुरा	502	0.700	0.209	सिंचित
20	महेश यादव पिता सत्यनारयण जाति अहीर पता सदावल जियापुरा	513	1.881	0.010	सिंचित
			योग	**2.902**	

उज्जैन–सिंहस्थ 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण **अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उज्जैन ग्रामीण**, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.–8552–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.0067–अ–82–2024–25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक–01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक–1 में उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के **ग्राम ढाबला रेहवारी** की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक–2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची–2 की भूमि की अनुसूची–1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
01	02	03	04	05	06
उज्जैन	उज्जैन ग्रामीण	ढाबला रेहवारी	0.790	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन–सिंहस्थ बायपास 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर उन्नयन मार्ग निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची–2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	भवरीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण राठौर पता उज्जैन	361/2/2	0.310	0.001	सिंचित
2	विष्णुकुमार पिता लक्ष्मीनारायण राठौर पता उज्जैन	361/2/3	0.320	0.010	सिंचित
3	बलराम पिता कन्हैयालाल जाति सोनी पता उज्जैन	370	0.890	0.269	सिंचित
4	श्रीमती कृष्णा पति सोहनलाल अग्रवाल पता 26 अलखधाम नगर उज्जैन	369/1/1	0.400	0.090	व्यावसायिक
5	अरविन्द अग्रवाल पिता सोहनलाल अग्रवाल पता 25 संतनगर नगर उज्जैन	369/2	0.520	0.074	सिंचित
6	उमेदसिंह पिता प्रतापसिंह पता गुडगाव हरियाणा हाल मुकाम उज्जैन	368/1	0.210	0.063	सिंचित
7	उमेदसिंह पिता प्रतापसिह पता 127 खेरनी दौला गुडगांव हरियाणा हाल मुकाम उज्जैन	368/2	0.200	0.063	सिंचित
8	बलराम पिता कन्हैयालाल जाति सोनी पता उज्जैन	371	0.220	0.220	सिंचित
योग				**0.790**	

उज्जैन–सिंहस्थ 4–लेन मय पेव्हड़ शोल्डर मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण **अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उज्जैन ग्रामीण**, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रौशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–1571–अ.वि.अ.–भू–अर्जन–2025–रा.मा.क्रं.–0018–अ–82–2024–25 नरसिंहपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2025

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification NO.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक- 30.01.2023 प्रदान की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-:

अनुसूची-1

1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना ।
2. भूमि का विवरण

1. जिला : नरसिंहपुर
2. तहसील : सांईखेड़ा
3. ग्राम : खिरैटी
4. प.ह.नं. : 07
5. नं.ब. : 93
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.111 हे.

अनुसूची 2

क्रं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1.	कैलाश पिता करन सिंह जाति नोरिया पता सांईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	100/3 (S)	0.089

2.	मदन पिता घासीराम जाति किरार पता नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	101/1/1 (S)	0.337
3.	गुड्डू पिता कैलाश जाति ढीमर पता नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	105/2/1 (S)	0.685
	कुल योग			**1.111**

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा।

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–13153–भू–अर्जन–2025 विदिशा, दिनांक 16 सितम्बर 2025

ग्राम दपकन पटवारी हल्का नं 49 तहसील लटेरी

अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में टेम मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील– लटेरी जिला– विदिशा के ग्राम दपकन के लिए बांध डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम :– टेम मध्यम सिंचाई परियोजना
2. भूमि का विवरण
   1. जिला :– विदिशा
   2. तहसील :– लटेरी
   3. ग्राम :– दपकन

अनुसूची 01

भूमि अर्जन के प्रभावित भूमि इत्यादि का विवरण

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हरिसिंह पुत्र आशाराम	भूमि स्वामी	26	0.203	0.203	–	–	–

:: टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित ग्राम दपक्न की भूमि का पूर्व में भूमि अर्जन किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां सम्मिलित नहीं होने से निम्न तालिका अनुसार भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियो का अर्जन किया जा रहा है ::

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगन्नाथ पुत्र पूरन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.00	भूमि स्वामी	55	1.122	1.122	–	–	अमरूद–4 खजूर–4 बैर –6 बांस की जाल–1 सागौन –1 अंग्रेजी बबूल –8 बहेडा –2 सेंमल–2 नीम –3 लिप्टस –4 पीपल –1 गूलर –1 साजड –1 कुल –38
2	बुध्दा पुत्र पूरन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.00	भूमि स्वामी	56	1.122	1.122	–	–	बैर –11 खजूर –1 तिनस–4 सागौन –2 सेमल –1 खेजडा –1 नीम –1 महानीम–1 कुल – 22
3	सोभाराम पुत्र घासीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.00	भूमि स्वामी	57	1.123	1.123	–	–	महानीम –2 कहवा –2 बांस की जाल–1 अंग्रेजी बबूल –3 पलाश –2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								कुल–10
4	भोदा पुत्र कल्ला जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.00	भूमि स्वामी	58	1.123	1.123	–	–	बैर –1 साजड –1 कहवा –1 गुराड –1 पलाश –1 अंग्रेजी बबूल–2 कुल–7
5	रामदुलारी पत्नी पर्वत सिंह जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.71	भूमि स्वामी	68	0.386	0.386	–	–	ट्युबवेल –1 आम –4 कुल–3
6	पर्वत सिंह, रेवाराम, लालाराम पुत्रगण चंदन सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.70	भूमि स्वामी	69	0.392	0.392	–	–	आम–1 कुल–1
7	बापूलाल, हिम्मत सिंह, सीताराम, रामचरण पुत्रगण राम किशन जाति मैना, कन्चन बाई, रामवतीबाई, गोलू बाई पुत्रियां राम किशन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.74	भूमि स्वामी	71	0.506	0.506	–	–	ट्युबवेल –1 अमरूद –6 नींबू–2 सीताफल –1 बैर –2 खजूर –3 इमली–1 बांस की जाल–2 गुराड –1 सागौन –2 बबूल –1 कुल –22
8	रामचरण, हिम्मत सिंह पुत्रगण राम किशन भाग 1/2 बाबूलाल, हिम्मत सिंह, सीताराम, रामचरण पुत्रगण राम किशन जाति मैना, चंदनबाई, रामकली बाई, गोलू बाई, कमला बाई पुत्रियां रामकिशन भाग 1/2 पता	भूमि स्वामी	74	0.734	0.734	–	–	ट्युबवेल –1 आम –3 बांस की जाल–1 कुल–5

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.25							
9	भीकम सिंह पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.75	भूमि स्वामी	75	0.696	0.696	–	–	बांस की जाल –1 कुल –1
10	जगन्नाथ पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.71	भूमि स्वामी	80	0.291	0.291	–	–	कुआ–1 खजूर –1 खेजडा–1 कुल–3
11	जगन्नाथ पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.90	भूमि स्वामी	81	0.227	0.227	–	–	खजूर–1 कुल–1
12	तोफान सिंह पुत्र मोहर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.56	भूमि स्वामी	83	0.143	0.143	–	–	खजूर –1 कुल –1
13	कमल सिंह पुत्र श्रीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.30	भूमि स्वामी	103	0.329	0.329	–	–	बैर –3 सुरजना –1 बबूल –2 पीपल –1 कुल–7
14	मानसिंह पुत्र हजारीलाल साडीबाई बेवा हजारीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.30	भूमि स्वामी	64	0.076	0.076	–	–	ट्युबवेल– 1 कुल– 1
15	कमल सिंह पुत्र श्रीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.60	भूमि स्वामी	65	0.404	0.404	–	–	नींबू –1 खजूर–3 नीम –3 कुल –7
16	मानसिंह पुत्र हजारीलाल साडीबाई बेवा हजारीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.65	भूमि स्वामी	66	0.417	0.417	–	–	ट्युबवेल –1 नीम –4 कुल–5

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	मानसिंह पुत्र हजारीलाल साडीबाई बेवा हजारीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.00	भूमि स्वामी	67	0.442	0.442	–	–	बैर –3 अमरूद –2 आम –1 खजूर –1 अंग्रेजी बबूल –1 नीम –13 महुआ –1 कुल–22
18	मोकम सिंह पुत्र शोभाराम जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.35	भूमि स्वामी	62	0.342	0.342	–	–	ट्युबवेल–1 खजूर –2 बांस की जाल–1 कुल–4
19	मोकम सिंह पुत्र शोभाराम जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.90	भूमि स्वामी	63	0.228	0.228	–	–	खजूर –2 कुल–2
20	सीताराम पुत्र अमर सिंह भाग 3. 206 भूपत सिंह पुत्र नारायण सिंह भाग 0.086 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.13	भूमि स्वामी	61	0.721	0.721	–	–	ट्युबवेल –1 बैर –1 कुल–2
21	अर्जुन सिंह पुत्र श्रीराम जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.63	भूमि स्वामी	60	1.429	1.429	–	–	कुआ–1 नीबू –1 आम –5 जामून –1 नीम –6 सागौन –1 तिनस –2 अंग्रेजी बबूल–33 महुआ –1 बबूल –1 कुल–52
22	प्रेमबाई पत्नि मोकम सिंह जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.50	भूमि स्वामी	54	1.265	1.265	–	–	कुआ –1 आम –4 अंग्रेजी बबूल

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								–1 नीम –1 कुल–7
23	मानसिंह पुत्र हजारीलाल सडीबाई बेवा हजारीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.42	भूमि स्वामी	52	2.731	2.731	–	–	ट्युबवेल–1 कुआ–1 आम–2 बैर–1 कुल–5
24	रामचरण पुत्र किसन सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.80	भूमि स्वामी	105	0.202	0.202	–	–	खजूर–1 कुल–1
25	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भंमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह	भूमि स्वामी	112	0.354	0.354	–	–	बैर –2 कुल–2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पुत्रगण मर्दनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165/12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562/12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562/12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह . कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041/12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.40							
26	मांगीलाल पुत्र मंशाराम जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.21	भूमि स्वामी	115	0.765	0.765	–	–	ट्युबवेल –1 जामून –1 आम –3 बैर –2 नीम –3 कुल–10
27	नारान सिंह, मदनलाल, रामचरन पुत्रगण रामकिशन जाति मैना, गंगाबाई, मुल्ली बाई, कल्ली बाई पुत्रियां राम किशन जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.21	भूमि स्वामी	116	0.64	0.64	–	–	आम –5 कुल–5
28	भीकम सिंह पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.12	भूमि स्वामी	111	0.531	0.531	–	–	ट्युबवेल – 1 नीम –1 बांस की जाल –1 कुल–3

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	भीकम सिंह पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.65	भूमि स्वामी	96	0.164	0.164	–	–	खजूर –2 नींबू –1 अनार –1 सीताफल –1 जामून–1 कुल–6
30	काशीराम पुत्र राम प्रसाद 1.836 भाग भूमि स्वामी विष्णु पुत्र कमोद सिंह, लक्ष्मी बाई, पूजा बाई पुत्रियां कमोद सिंह, कला बाई बेवा कमोद सिंह, प्रेम बाई, नारानी बाई पुत्रियां बंशीलाल 1. 837 भाग भूमि स्वामी विजय राम पुत्र भमरलाल भूमि स्वामी सुजान सिंह पुत्र भमरलाल भूमि स्वामी हरनाथ पुत्र भमरलाल 1.836 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र मर्दन सिंह भूमि स्वामी नारायण सिंह पुत्र मर्दन सिंह 5.509 / 16. 528 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबू, पप्पीबाई पत्नि कुबेर सिंह समान भाग 2.052 भाग भूमि स्वामी शोभाराम पुत्र करन सिंह जाति मैना पता नि. सकतपुर तह. शमशाबाद 2.051 भाग भममि स्वामी लूमाबाई वेवा अमानसिंह जाति मैना भूमि स्वामी कमल सिंह पुत्र खुमान सिंह जाति मैना भूमि स्वामी हरिसिंह ना.वा. पुत्र खुमान सिंह सहपरस्त मॉ स्वयं जाति मैना पता निवासी ग्राम 1.372 / 16. 528 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.40	भूमि स्वामी	97	0.114	0.114	–	–	खजूर –1 कुल–1
31	मल्थू, फैलिया, भौदा, फुल्ला पुत्रगण कल्ला भमरी पुत्री कल्ला	भूमि	99	0.076	0	–	–	नीम–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.30	स्वामी						
32	प्रेमसिंह पुत्र श्रीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.76	भूमि स्वामी	101	0.076	0	–	–	खजूर –1 कुल–1
33	हजारी पुत्र रतिया भमरी, मधू, तीजू पुत्रियां रतिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.80	भूमि स्वामी	100	0.202	0.202	–	–	खजूर–1 रूसल्ला–1 कुल–2
34	तोपान सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.30	भूमि स्वामी	94	0.329	0.329	–	–	आम –1 खजूर– 1 कुल–2
35	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388/12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388/12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भंमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह	भूमि स्वामी	117	0.544	0.544	–	–	नीम –2 कुल–2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165 / 12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041 / 12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.54							
36	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई . पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भंमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता	भूमि स्वामी	118	0.24	0.24	—	—	खजूर–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165/12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562/12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562/12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041/12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.24							
37	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388/12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388/12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता	भूमि स्वामी	119	0.278	0.278	–	–	बांस की जाल –1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भंमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165 / 12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041 / 12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.55							
38	हमीर सिंह, कमल सिंह, तखत सिंह, भूपत सिंह पुत्रगण नारायण सिंह भूमि स्वामी वीरूबाई वेवा नारायण सिंह भूमि स्वामी, गोलो बाई पुत्री नारायण सिंह भूमि स्वामी, जगन्नाथ सिंह, प्रीतम सिंह, भीकम सिंह पुत्रगण निर्भय	भूमि स्वामी	120	0.253	0.253	–	–	आम–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सिंह जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.69							
39	मलखान सिंह, मुकेश पुत्रगण मिठ्ठूलाल, कल्लोबाई, रीना बाई, विमला बाई पुत्रियां मिट्ठूलाल, कम्माबाई वेवा मिट्ठूलाल जाति मैना 1/4 भू–स्वामी हरीसिंह पुत्र भावसिंह जाति मैना भू–स्वामी करन सिंह पुत्र भावसिंह जाति मैना भू–स्वामी सन्टू सिंह पुत्र भाव सिंह जाति मैना पता नि.ग्राम 3/4 भाग भूमी स्वामी भू–राजस्व 1.37	भूमि स्वामी	123	0.696	0.696	–	–	कुआ –1 आम –1 बैर –1 अमरूद –14 सागौन –1 कुल–18
40	नवल सिंह पुत्र श्रीराम जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.57	भूमि स्वामी	131	1.518	1.518	–	–	कुआ –2 आम –1 नींबू –1 आंवला–1 बबूल –7 कुल–12
41	प्रेम सिंह पुत्र इंदर सिंह जाति राजपुत पता निवासी बैरागढ भूमि स्वामी भू–राजस्व 7.07	भूमि स्वामी	36	2.580	2.580	–	–	कुआ–1 कुल–1
42	पर्वत सिंह वा. रेवाराम, लालराम पुत्रगण चंदन जाति मैना भू–राजस्व 4.83	भूमि स्वामी	42	1.670	1.670	–	–	कुआ–1 बबूल–1 कुल–2
43	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388/12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388/12494 भारतसिंह	भूमि स्वामी	41	2.301	2.301	–	–	खजूर–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भंमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165/12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562/12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562/12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह . कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041/12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 8.62							
44	राम नारायण सिंह पुत्रगण मरदन सिंह जाति मैना पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी हीरालाल पुत्र गोटूराम भूरीबाई धुन्दो बाई	भूमि स्वामी	51	1.569	1.569	—	—	खजूर –3 आम –1 पलाश –2 ककेन –1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पुत्रियां गोटूराम पुत्रगण मरदन सिंह जाति मैना पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.60							खेजडा –1 अंग्रेजी बबूल –1 नीम –1 कुल–10
45	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388/12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388/12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भंमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165/12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश	भूमि स्वामी	43	1.619	1.619	–	–	खेजडा–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1562/12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562/12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041/12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.42							
46	प्रेमसिंह पुत्र इंदर सिंह जाति राजपूत पता निवासी बैरागढ भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.14	भूमि स्वामी	45	0.721	0.721	–	–	पलाश–1 कुल–1
47	प्रेमसिंह पुत्र इदर सिंह जाति राजपूत पता निवासी बैरागढ भूमि स्वामी भू–राजस्व 6.50	भूमि स्वामी	50	2.351	2.351	–	–	ट्युबवेल– 1 कुल– 1
48	जगन्नाथ पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 7.44	भूमि स्वामी	10	2.352	2.352	–	–	कुआ–1 कुल–1
49	हमीर सिंह, कमल सिंह, तखत सिंह, भूपत सिंह पुत्रगण नारायण सिंह गुलाब बाई पुत्री नारायण सिंह पता. नि. ग्राम भू–स्वामी वीरो बाई वेवा नारायण सिंह पता नि. ग्राम भू–स्वामी भू–राजस्व 3.27	भूमि स्वामी	9	1.379	1.379	–	–	पलाश–1 कुल–1
50	प्रीतम सिंह पुत्र निर्भय सिंह जाति मैना (1.352 भाग सर्वे नं. 8/1) पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पुर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.96 शिवराज पुत्र प्रीतम सिंह जाति मैना (1.518 भाग सर्वे नं. 8/2) पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पुर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	2.870	2.870	–	–	ट्युबवेल–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भू–राजस्व 4.44							
51	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भंमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165 / 12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता· दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा	भूमि स्वामी	6	3.161	3.161	–	–	पीपल –1 कुल–1

स क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मध्य प्रदेश 1562/12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041/12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 9.12							
52	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388/12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388/12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भंमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347/12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165/12494 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5	3.364	3.364	—	—	कुआ –2 सुरजना –1 अमरूद–6 नींबू –4 बैर –1 इमली –1 खजूर –3 सागौन –2 अंग्रेजी बबूल–23 नीम –2 बांस की जाल–1 गुराड –1 सेमल–2 तेंदू –1 कुल–50

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562/12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562/12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041/12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.23							
53	पर्वत सिंह, रेवाराम, लालाराम पुत्रगण चंदन सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 13.75	भूमि स्वामी	33	4.704	4.704	–	–	ट्युबवेल –1 कुआ –1 आम –1 नीम–1 कुल–4
54	तोफान सिंह पुत्र मोहर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.50	भूमि स्वामी	29	0.954	0.954	–	–	ट्युबवेल–1 कुल–1
55	हरिसिंह पुत्र आशाराम पता विदिशा मध्य प्रदेश 0255/2276 भाग भूमि स्वामी ठाकुरसिंह पुत्र रामसिंह पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1011/2276 भाग भूमि स्वामी ठाकुरसिंह बालाराम लालाराम विष्णुप्रसाद ब्रम्हासिंह महेन्द्रसिंह गजेन्द्रसिंह प्रकाश पुत्र रामसिंह ग्यारसी गीता सावित्रि गायत्री पुत्री रामसिंह पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1010/2276 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.19	भूमि स्वामी	21	0.063	0.063	–	–	आम –1 महुआ–1 कुल–2
56	विष्णु पुत्र कमोद सिंह जाति मैना भूमि स्वामी, लक्ष्मी बाई,	भूमि	17	3.794	3.794	–	–	अमरूद –1 नीम –1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पूजा बाई पुत्रियां कमोद सिंह जाति मैना भूमि स्वामी, कला बाई वेवा कमोद सिंह जाति मैना 1/3 भाग भूमि स्वामी प्रेमबाई, नारानी बाई पुत्रियां बन्शीलाल जाति मैना 2/3 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.65	स्वामी						तिनस–2 सेमल –1 सागौन –5 कुल–10
57	भमंरजी पुत्र हीराजी जाति भील पता निवासी मजरा रामपुर धीरगढ भूमि स्वामी भू–राजस्व 18.65	भूमि स्वामी	166	9.611	1.130	–	–	कुआ– 1 सागौन –4 गुराड–1 कुल–6
58	घासीराम पुत्र हीराजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–स्वामी 16.11	भूमि स्वामी	165	8.358	1.120	–	–	कुआ –1 पलाश –1 बबूल–1 कुल–3
59	गोपाल सिंह पुत्र भीकम सिंह पता निवासी गाम भूमि स्वामी भू–राजस्व 6.00	भूमि स्वामी	28	2.693	1.698	–	–	ट्युबवेल–2 आम –3 कुल–5
60	बदन सिंह पुत्र किशन सिंह जाति मैना पता निवासी गाम भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.68	भूमि स्वामी	25	1.730	1.665	–	–	ट्युबवेल –1 अंग्रेजी बबूल –2 नीम–1 कुल–4
61	अमर सिंह, खुशीलाल पुत्रगण बट्टूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी, ग्यारसी बाई पुत्री बट्टूलाल जाति चमार पता निवासी गाम भूमि स्वामी पखिया बाई वेवा बट्टूलाल जाति चमार पता निवासी गाम भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.80	भूमि स्वामी	145	1.265	1.265	–	–	ट्युबवेल –1 कुआ –1 बैर –1 खजूर –1 नीम –1 गुराड –1 गूलर –1 कनेर –1 कुल–8
62	मांगीलाल पुत्र मंशाराम जाति मैना पता निवासी गाम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.66	भूमि स्वामी	137	0.759	0.759	–	–	कुआ–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	नारान सिंह, मदनलाल, रामचरन पुत्रगण रामकिशन गंगाबाई, मुल्ली बाई, कल्ली बाई पुत्रियां राम किशन पता निवासी गाम भूमि स्वामी भू–राजस्व 6.09	भूमि स्वामी	138	2.782	1.330	–	–	कुआ –1 अंग्रेजी बबूल –1 पलाश –1 अस्तो –2 गुराड –1 बबूल –2 कुल–8
64	भीकम सिंह पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी गाम भूमि स्वामी भू–राजस्व 5.55	भूमि स्वामी	141	1.933	1.400	–	–	ट्युबवेल–1 कुल–1
65	रामचरण, हिम्मत सिंह पुत्रगण राम किशन 1/2 बापूलाल, हिम्मत सिंह, सीताराम, रामचरण पुत्रगण राम किशन चन्दन बाई, रामकला बाई, गोलू बाई कमला बाई पुत्रियां राम किशन 1/2 भाग पता निवासी गाम भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.26	भूमि स्वामी	146	1.518	1.518	–	–	ट्युबवेल–1 कुल–1
66	बाफूलाल पुत्र सावलिया जाति मैना पता निवासी गाम भूमि स्वामी भू–राजस्व 6.17	भूमि स्वामी	147/min-1	4.135	4.135	–	–	कुआ –1 अमरूद–3 नींबू –2 तेंदू –9 कनेर –2 नीम –2 खेजडा –1 कुल–20
67	भरोसा पुत्र संकरिया जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.15	भूमि स्वामी	4	0.181	0.181	–	–	अमरूद–1 कुल–1

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण स.क्र.	अभिलेखानुसार भू–धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शासकीय	73	हिम्मतसिंह पुत्र रामकिशन	देशी कवेलू	91.76	हिम्मतसिंह (मुखिया)	स्थाई
						विशाल(पुत्र)	स्थाई
						सीताराम (भाई)	स्थाई
				योगः	**91.76**		
2	शासकीय	73	धुन्धोबाई पत्नि बापूलाल	देशी कवेलू	76.32	धुन्धोबाई (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	18.36	जसमन (पुत्र)	स्थाई
				टीन चादर	21.35	रूबी (पुत्री)	स्थाई
				देशी कवेलू	15.75	दिनेश (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**131.78**		
	शासकीय	104	जसमन पुत्र बापूलाल	देशी कवेलू	25.84		
				योगः	**25.84**		
3	शासकीय	104	रामचरण पुत्र राम किशन	देशी कवेलू	67.98	रामचरण (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	96.38	सोनाबाई (पुत्री)	स्थाई
						पूजा बाई (पुत्री)	स्थाई
						भूरा(पुत्र)	स्थाई
				योगः	**164.36**		
4	शासकीय	104	बापूलाल पुत्र सांवलिया	लकड़ी के पटिया	71.40	बपूलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	50.40	धनराज (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	77.00	रामकृष्ण(पुत्र)	स्थाई
				पन्नी	3.61	सुरेश(पुत्र)	स्थाई
						घनश्याम (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**202.41**		
			दौलतसिंह पुत्र बापूलाल	देशी कवेलू	34.98	दौलतसिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**34.98**		
			प्रकाश पुत्र बापूलाल	देशी कवेलू	44.84	प्रकाश(मुखिया)	स्थाई
				योगः	**44.84**		

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	शासकीय	104	अजबसिंह पुत्र मर्दनसिंह	देशी कवेलू	34.58	अजबसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	19.25		
				टीन चादर	4.16		
				योगः	**57.99**		
6	शासकीय	104	नारान सिंह पुत्र मर्दन सिंह	देशी कवेलू	29.60	नारानसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	17.05	अरून (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	12.42	भजन (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	4.42		
				योगः	**63.49**		
7	शासकीय	104	बब्लू पुत्र नारान सिंह	देशी कवेलू	64.60	बब्लू (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	13.65		
				टीन चादर	16.80		
				योगः	**95.05**		
8	शासकीय	104	रामचरण पुत्र राम किशन	देशी कवेलू	64.86	रामचरण (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	16.20	राकेश (पुत्र)	स्थाई
						सोनू (पुत्र)	स्थाई
						जीवन (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**81.06**		
9	शासकीय	104	मदनलाल पुत्र रामकिशन	पन्नी	35.91	मदनलाल (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	40.92		
				योगः	**76.83**		
10	शासकीय	104	प्रेमबाई पत्नि नारायण सिंह	देशी कवेलू	75.00	प्रेमबाई (मुखिया)	स्थाई
				घासफूस	28.00		
				देशी कवेलू	41.60		
				पन्नी	29.48		
				योगः	**174.08**		
11	शासकीय	104	मांगीलाल पुत्र मंशाराम	देशी कवेलू	44.85	मांगीलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	35.36	अखेसिंह (पुत्र)	स्थाई

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				टीन चादर	54.60	गंधर्व सिंह(पुत्र)	स्थाई
				पन्नी	7.54		
				योगः	**142.35**		
12	शासकीय	104	संजीव पुत्र मांगीलाल	देशी कवेलू	89.89	संजीव (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	43.68		
				पन्नी	3.24		
				योगः	**136.81**		
13	शासकीय	104	कृष्णमोहन पुत्र मोवत सिंह	देशी कवेलू	33.81	कृष्ण मोहन (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**33.81**		
14	शासकीय	104	मोवत सिंह पुत्र शोभाराम	देशी कवेलू	47.08	मोवत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	34.24		
				योगः	**81.32**		
15	शासकीय	104	मोकम सिंह पुत्र शोभाराम	देशी कवेलू	48.99	मोकमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	3.00		
				टीन चादर	27.88		
				देशी कवेलू	18.04		
				टीन चादर	13.44		
				आर.सी.सी.	3.42		
				देशी कवेलू	44.28		
				अंग्रेजी कवेलू	44.28		
				योगः	**203.33**		
16	शासकीय	104	मानसिंह पुत्र हजारीलाल	देशी कवेलू	70.56	मानसिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	33.54	धर्मेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				टीन चादर	25.80	रजनी (पुत्री)	स्थाई
				देशी कवेलू	99.12		
				टीन चादर	1.69		
				अंग्रेजी कवेलू	1.26		
				योगः	**231.97**		

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण स.क्र.	अभिलेखानुसार भू–धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			विजयराम पुत्र मानसिंह	देशी कवेलू	26.13	विजयराम (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	4.18		
				योगः	**30.31**		
17	शासकीय	104	नवल सिंह पुत्र श्रीराम	देशी कवेलू	14.19	नवल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	18.49		
				देशी कवेलू	23.40		
				लकड़ी के गाडर पटिया	10.54		
				योगः	**66.62**		
18	शासकीय	104	कमल सिंह पुत्र श्रीराम	देशी कवेलू	22.40	कमलसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	31.50	सचिन (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	36.92	अनिल (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**90.82**		
19	शासकीय	104	सुनिल पुत्र अर्जुन सिंह	देशी कवेलू	61.00	इनका पुनर्वास नैनागढ में किया गया है	अस्थाई
				योगः	**61.00**		
20	शासकीय	104	राहुल पुत्र प्रेमसिंह	लकड़ी के गाडर पटिया	54.60	इनका पुनर्वास नैनागढ में किया गया है	अस्थाई
				देशी कवेलू	21.00		
				योगः	**75.60**		
21	शासकीय	104	सनमान सिंह पुत्र श्रीराम	देशी कवेलू	54.60	सनमान सिंह (मुखिया)	स्थाई
						भैय्यालाल (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**54.60**		
			लक्ष्मण पुत्र सनमान	टीन चादर	52.50	लक्ष्मण (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**52.50**		
			दुर्जन पुत्र सनमान	देशी कवेलू	50.96	दुर्जन (मुखिया)	स्थाई

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण स.क्र.	अभिलेखानुसार भू–धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				योगः	**50.96**		
22	शासकीय	104	कल्लू पुत्र सनमान सिंह	देशी कवेलू	53.30	कल्लू (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	37.82		
				योगः	**91.12**		
23	शासकीय	104	मलखान सिंह पुत्र मिट्ठूलाल	देशी कवेलू	65.80	मलखान सिंह (मुखिया)	स्थाई
						अरून (पुत्र)	स्थाई
						सबालसिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**65.80**		
24	शासकीय	104	मुकेश पुत्र मिट्ठूलाल	देशी कवेलू	53.90	मुकेश (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	26.66		
				योगः	**80.56**		
25	शासकीय	104	भूपेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह	अंग्रेजी कवेलू	26.60	भूपेन्द्र सिंह(मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	23.56		
				टीन चादर	20.52		
				गाटर फर्शी	13.65		
				अंग्रेजी कवेलू	32.32		
				टीन चादर	29.29		
				योगः	**145.94**		
26	शासकीय	104	हीरालाल पुत्र गोटूराम	देशी कवेलू	26.40	हीरालाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	52.00	नीरज (पुत्र)	स्थाई
				पन्नी	29.26	पूजा (पुत्री)	स्थाई
				योगः	**107.66**		
27	शासकीय	104	लाखनसिंह पुत्र पर्वतसिंह	अंग्रेजी कवेलू	22.10	लाखन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	24.05		
				देशी कवेलू	63.50		
				योगः	**109.65**		
			महाराज सिंह पुत्र पर्वतसिंह	अंग्रेजी कवेलू	21.42	इनका पुनर्वास नैनागढ में किया	अस्थाई
				टीन चादर	23.31		

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				देशी कवेलू	55.65	गया है	
				योगः	**100.38**		
			पर्वतसिंह पुत्र चन्दन सिंह	देशी कवेलू	16.06	इनका पुनर्वास नैनागढ में किया गया है	अस्थाई
				पन्नी	6.60		
				योगः	**22.66**		
28	शासकीय	104	रेवाराम पुत्र चंदन सिंह	देशी कवेलू	16.06	रेवाराम (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	6.60		
				योगः	**22.66**		
29	शासकीय	104	रामचरण पुत्र किशन लाल	देशी कवेलू	20.30	रामचरण (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	28.00	सहदेव (पुत्र)	स्थाई
						नन्नीबाई (मां)	स्थाई
				योगः	**48.30**		
			नन्नी बाई पत्नि किशनलाल	पन्नी	17.25		
				योगः	**17.25**		
			पप्पू पुत्र किशनलाल	देशी कवेलू	109.50	पप्पू (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**109.50**		
			बदनसिंह पुत्र किशन	देशी कवेलू	17.15	बदन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	104.00		
				योगः	**121.15**		
30	शासकीय	104	गोपाल सिंह पुत्र भीकम सिंह	देशी कवेलू	77.28	गोपाल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	5.67		
				योगः	**82.95**		
31	शासकीय	104	शिवराज सिंह पुत्र प्रीतम सिंह	गाटर फर्शी	45.76	शिवराज (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	30.80	आशीष (पुत्र)	स्थाई
						राजकली मीणा (पुत्री)	स्थाई
				योगः	**76.56**		

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	शासकीय	104	भीकम सिंह पुत्र निर्भय सिंह	गाटर फर्शी	8.37	भीकम सिंह (मुखिया)	स्थाई
				गाटर फर्शी	29.11	यशपाल (पुत्र)	स्थाई
				गाटर फर्शी	29.11		
				योगः	**66.59**		
33	शासकीय	104	भगवान सिंह पुत्र जगन्नाथ	गाटर फर्शी	27.50	भगवान सिंह (मुखिया)	स्थाई
				गाटर फर्शी	27.50		
				योगः	**55.00**		
34	शासकीय	104	नवल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह	आर.सी.सी.	45.76	नवल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	13.94	सत्यप्रकाश (पुत्र)	स्थाई
				टीन चादर	12.80	रजनेश (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**72.50**		
35	शासकीय	104	प्रीतम सिंह पुत्र निर्भय सिंह	अंग्रेजी कवेलू	13.94	प्रीतम सिंह (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	2.70		
				योगः	**16.64**		
36	शासकीय	104	गुलाबबाई पत्नि जगन्नाथ, लालाराम संजीव पुत्रगण जगन्नाथ	लकड़ी के गाडर पटिया	104.00	गुलाब बाई (मुखिया)	स्थाई
				लकड़ी के गाडर पटिया	104.00	लालाराम व संजीव का पुनर्वास क्रमशः स. क्र. 51 व 52 पर किया गया है।	अस्थाई
				योगः	**208.00**		
37	शासकीय	104	ऊधम सिंह पुत्र फूलसिंह	देशी कवेलू	29.05	ऊधम सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	28.67		
				टीन चादर	11.61		
				टीन चादर	3.24		
				पन्नी	32.56		
				योगः	**105.13**		
38	शासकीय	104	दीवान सिंह पुत्र	देशी कवेलू	20.13	दीवान सिंह	स्थाई

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			फूलसिंह			(मुखिया)	
						राजेश (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	36.27	रजनी (पुत्री)	स्थाई
						रवि (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**56.40**		
39	शासकीय	104	फूलसिंह पुत्र शोभाराम	लकड़ी के गाडर पटिया	29.58	इनका पुनर्वास नैनागढ में किया गया है	अस्थाई
				देशी कवेलू	29.58		
				देशी कवेलू	26.97		
				योगः	**86.13**		
40	शासकीय	104	भारत सिंह पुत्र घासीराम	देशी कवेलू	54.76	भारतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**54.76**		
41	शासकीय	104	घासीराम पुत्र शोभाराम	टीन चादर	64.68	घासीराम(मुखिया)	स्थाई
						गोरधन (पुत्र)	स्थाई
						सौदान सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**64.68**		
			गोरधन, सौदान सिंह पुत्र घासीराम	देशी कवेलू	74.76		
				योगः	**74.76**		
42	शासकीय	1	कलाबाई पत्नि कमोद	टीन चादर	37.26	कलाबाई (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	55.89	विष्णु (पुत्र)	स्थाई
				फर्शी	1.44		
				पन्नी	6.25		
				टीन चादर	50.00		
				घासफूस	50.00		
				योगः	**200.84**		
43	शासकीय	91	काशीराम पुत्र राम प्रसाद	देशी कवेलू	67.64	काशीराम (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	29.52		

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				टीन चादर	38.08		
				पन्नी	40.25		
				पन्नी	76.16		
				पन्नी	8.99		
				योगः	**260.64**		
44	शासकीय	121	कम्माबाई पत्नि मिट्टूलाल	देशी कवेलू	64.35	कम्मा बाई (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	40.92	करन सिंह (देवर)	स्थाई
				पन्नी	10.37	हरिसिंह (देवर)	स्थाई
				योगः	**115.64**		
			हरिसिंह पुत्र भावसिंह	देशी कवेलू	65.00		
				योगः	**65.00**		
45	शासकीय	18	राजाराम पुत्र फेलीराम	देशी कवेलू	91.25	राजाराम (मुखिया)	स्थाई
						सडी बाई (मां)	स्थाई
				योगः	**91.25**		
46	शासकीय	19	भगवानसिंह पुत्र हरिसिंह	देशी कवेलू	110.50	भगवान सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**110.50**		
			सौदानसिंह पुत्र हरिसिंह	देशी कवेलू	39.95	सौदान सिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	5.72		
				योगः	**45.67**		
			लखपतसिंह पुत्र हरिसिंह	देशी कवेलू	66.60	लखपत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	4.68		
				योगः	**71.28**		
			हरिसिंह पुत्र आशाराम	पन्नी	5.80	हरिसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	14.75	ओमप्रकाश (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**20.55**		

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
47	शासकीय	104	विजयराम पुत्र भंवरलाल	देशी कवेलू	10.00	–	अस्थाई
				देशी कवेलू	12.00		
				योगः	**22.00**		
48	शासकीय	104	संतोष पुत्र भीकम	आर.सी.सी.	34.50	संतोष (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	62.92		
				टीन चादर	16.50		
				टीन चादर	52.52		
				योगः	**166.44**		
49	शासकीय	104	लेखराज पुत्र बनेसिंह	देशी कवेलू	24.48	इनका पुनर्वास नैनागढ में किया गया है	अस्थाई
				देशी कवेलू	16.40		
				योगः	**40.88**		
50	शासकीय	86	श्री हनुमान मन्दिर	आर.सी.सी.	4.20	मंदिर	–
				टीन चादर	26.27		
				योगः	**30.47**		

:: टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित ग्राम दपकन की भूमि का पूर्व में भूमि अर्जन किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में भूमि पर स्थित प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण सम्मिलित नहीं होने से निम्न तालिका अनुसार भूमि पर स्थित मकानो का अर्जन एवं कुटुंबो का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जा रहा है ::

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
51	जगन्नाथ पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.90	81	लालाराम पुत्र जगन्नाथ सिंह	पन्नी	50.41	लालाराम (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	47.52	नीरज (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**97.93**		
52	डॉ. अजीत सिंह पुत्र लालाराम जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.90	82	संजीव पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	109.20	संजीव (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**109.20**		
53	तोफान सिंह पुत्र मोहर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.56	83	महाराज सिंह पुत्र मोहर सिंह	अंग्रेजी कवेलू	47.58	महाराज सिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	31.62	अभिषेक (पुत्र)	स्थाई
				टीन चादर	18.62		
				टीन चादर	29.24		
				टीन चादर	9.20		
				योगः	**136.26**		
54	सुजान सिंह, हरनाथ सिंह, विजय राम पुत्रगण भवरजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.55	98	रामप्रसाद पुत्र मिश्रीलाल	पन्नी	31.36	रामप्रसाद (मुखिया)	स्थाई
						मांगीलाल (पुत्र)	स्थाई
				पन्नी	17.98		
				योगः	**49.34**		
			राधेश्याम पुत्र रामप्रसाद	टीन चादर	45.58	राधेश्याम (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**45.58**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			पप्पू पुत्र रामप्रसाद	देशी कवेलू	36.58	पप्पू (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**36.58**		
			गोलू पुत्र रामप्रसाद	अंग्रेजी कवेलू	29.75	गोलू (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	8.64		
				योगः	**38.39**		
			बब्लू पुत्र रामप्रसाद	अंग्रेजी कवेलू	17.55	बब्लू (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	6.93		
				योगः	**24.48**		
55	भीकम सिंह पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.65	96	भैरो सिंह पुत्र काशीराम	लकड़ी के गाडर पटिया	43.40	भैरोसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	43.40		
				योगः	**86.80**		
			पप्पू पुत्र काशीराम	लकड़ी के गाडर पटिया	37.74	पप्पू (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	37.74		
				देशी कवेलू	37.13		
				योगः	**112.61**		
56	भीकम सिंह पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.65	96	भारत सिंह पुत्र सुदान सिंह	लकड़ी के गाडर पटिया	38.27	भारत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	38.27	कलाबाई (मां)	स्थाई
				लकड़ी के गाडर पटिया	8.74	विक्रमसिंह (भाई)	स्थाई
				देशी कवेलू	8.74		
				टीन चादर	77.76		
				देशी कवेलू	32.50		
				योगः	**204.28**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / क़च्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
57	भीकम सिंह पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.65	96	प्रेमनारायण पुत्र निर्भय सिंह	देशी कवेलू	26.40	प्रेमनारायण (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	15.60		
				पन्नी	5.76		
				देशी कवेलू	64.78		
				योगः	**112.54**		
58	भीकम सिंह पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.65	96	हरीनारायण, कमल सिंह पुत्र खुमान सिंह	लकडी के गाडर पटिया	35.38	हरिनारायण (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	35.38	कमल सिंह (भाई)	स्थाई
				देशी कवेलू	23.04		
				योगः	**93.80**		
59	भीकम सिंह पुत्र निर्भय सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.65	96	पहलवान सिंह पुत्र अमर सिंह	अंग्रेजी कवेलू	44.22	पहलवान सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**44.22**		
			दिलिपसिंह पुत्र पहलवान	अंग्रेजी कवेलू	49.58	दिलिप (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	14.62		
				योगः	**64.20**		
			लक्ष्मण पुत्र पहलवान	टीन चादर	15.30	लक्ष्मण (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	35.97		
				टीन चादर	3.68		
				पन्नी	9.02		
				योगः	**63.97**		
60	हमीर सिंह, कमल सिंह, तखत सिंह, भूपत सिंह पुत्रगण नारायण सिंह गुलाब बाई पुत्री नारायण सिंह वीरो बाई वेवा नारायण सिंह जाति मैना	109	सुनिल पुत्र कमल सिंह	अंग्रेजी कवेलू	40.32	सुनिल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	15.84		
				टीन चादर	36.12		
				टीन चादर	1.20		
				योगः	**93.48**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	पता नि. ग्राम भू–स्वामी भू–राजस्व 2.13		कमल सिंह पुत्र नारायण सिंह	टीन चादर	22.05	कमल सिंह (मुखिया)	स्थाई
						अनिल (पुत्र)	स्थाई
						अनिता (पुत्री)	स्थाई
				योगः	**22.05**		
61	हमीर सिंह, कमल सिंह, तखत सिंह, भूपत सिंह पुत्रगण नारायण सिंह गुलाब बाई पुत्री नारायण सिंह वीरो बाई वेवा नारायण सिंह जाति मैना पता नि. ग्राम भू–स्वामी भू–राजस्व 2.13	109	तखत सिंह पुत्र गोरधन सिंह	अंग्रेजी कवेलू	38.76	तखतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**38.76**		
			मुकेश पुत्र गोरधन	टीन चादर	26.01	मुकेश (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**26.01**		
62	हमीर सिंह, कमल सिंह, तखत सिंह, भूपत सिंह पुत्रगण नारायण सिंह गुलाब बाई पुत्री नारायण सिंह वीरो बाई वेवा नारायण सिंह जाति मैना पता नि. ग्राम भू–स्वामी भू–राजस्व 2.13	109	हमीर सिंह पुत्र नारायण सिंह	अंग्रेजी कवेलू	24.75	हमीर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	24.70	रानी (पुत्री)	स्थाई
				योगः	**49.45**		
			झलकन पुत्र हमीर सिंह	टीन चादर	25.92	झलकन (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	16.96		
				योगः	**42.88**		
63	हमीर सिंह, कमल सिंह, तखत सिंह, भूपत सिंह पुत्रगण नारायण सिंह गुलाब बाई पुत्री नारायण सिंह वीरो बाई वेवा नारायण सिंह जाति मैना पता नि. ग्राम भू–स्वामी भू–राजस्व 2.13	109	रामबाई पत्नि तखतसिंह	अंग्रेजी कवेलू	31.05	रामबाई (मुखिया)	स्थाई
				गाटर फर्शी	9.36	वीरोबाई (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**40.41**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
64	हमीर सिंह, कमल सिंह, तखत सिंह, भूपत सिंह पुत्रगण नारायण सिंह गुलाब बाई पुत्री नारायण सिंह वीरो बाई वेवा नारायण सिंह जाति मैना पता नि. ग्राम भू–स्वामी भू–राजस्व 2.13	109	शंकरलाल पुत्र मिश्रीलाल	देशी कवेलू	42.78	शंकर लाल (मुखिया)	स्थाई
						भोगीराम (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**42.78**		
65	हमीर सिंह, कमल सिंह, तखत सिंह, भूपत सिंह पुत्रगण नारायण सिंह गुलाब बाई पुत्री नारायण सिंह वीरो बाई वेवा नारायण सिंह जाति मैना पता नि. ग्राम भू–स्वामी भू–राजस्व 2.13	109	तोफान सिंह पुत्र मोहर सिंह	देशी कवेलू	61.88	तोफान सिंह (मुखिया)	स्थाई
						रामकृष्ण (पुत्री)	स्थाई
						रजनी (पुत्री)	स्थाई
						रूपेन्द्र (पुत्री)	स्थाई
				योगः	**61.88**		
			सोदानसिंह पुत्र मोहरसिंह	टीन चादर	23.31	सोदान सिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	4.08		
				योगः	**27.39**		
66	हमीर सिंह, कमल सिंह, तखत सिंह, भूपत सिंह पुत्रगण नारायण सिंह गुलाब बाई पुत्री नारायण सिंह वीरो बाई वेवा नारायण सिंह जाति मैना पता नि. ग्राम भू–स्वामी भू–राजस्व 2.13	109	भागवती बाई पत्नि सीताराम	देशी कवेलू	57.33	भागवती बाई (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	72.80		
				देशी कवेलू	19.38		
				पन्नी	6.51		
				योगः	**156.02**		
67	हमीर सिंह, कमल सिंह, तखत सिंह, भूपत सिंह पुत्रगण नारायण सिंह गुलाब बाई पुत्री नारायण	109	बनेसिंह पुत्र फैलीराम	देशी कवेलू	131.60	बनेसिंह (मुखिया)	स्थाई
						जगमोहन	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	सिंह वीरो बाई वेवा नारायण सिंह जाति मैना पता नि. ग्राम भू–स्वामी भू–राजस्व 2.13					(पुत्र)	
				योगः	**131.60**		
68	पर्वत सिंह, रेवाराम, लालराम पुत्रगण चंदन सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107	लालाराम पुत्र चंदन सिंह	अंग्रेजी कवेलू	64.97	लालाराम (मुखिया)	स्थाई
						विशाल (पुत्र)	स्थाई
				टीन चादर	4.62	पप्पू (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**69.59**		
69	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भंमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा	5	रूपसिंह पुत्र सुखराम	देशी कवेलू	73.15	रूपसिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	38.44	जितेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				फर्शी	1.69	दीपक (पुत्र)	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165 / 12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041 / 12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 9.12						
				योगः	**113.28**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
70	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भंमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165 / 12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन	5	बालाजी मंदिर	आर.सी.सी.	34.31		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041 / 12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 9.12						
				योगः	**34.31**		
71	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानींबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भंमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश	5	रामबाबू पुत्र तखत सिंह	देशी कवेलू	102.96	रामबाबू (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	44.29		
				फर्शी	1.69		
				योगः	**148.94**		
			सरदार बाई तखत सिंह	पन्नी	60.45	सरदार बाई (मुखिया)	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0347 / 12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165 / 12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041 / 12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 9.12						
				योगः	**60.45**		
72	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई	5	कुमेर सिंह पुत्र भीकम सिंह	देशी कवेलू	50.74	कुमेर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	49.56		
				पन्नी	48.16		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165 / 12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा						

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041 / 12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 9.12						
				योगः	**148.46**		
73	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भंमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई	5	भीकम सिंह पुत्र अर्जन सिंह	देशी कवेलू	93.60	भीकम सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	23.80		
				टीन चादर	15.25		
				योगः	**132.65**		
			भूरा पुत्र भीकम	टीन चादर	39.20	भूरा (मुखिया)	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165 / 12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041 / 12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 9.12						
				योगः	**39.20**		
74	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन	5	पूरन सिंह पुत्र सुखराम	अंग्रेजी कवेलू	37.70	पूरन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	120.96		
				योगः	**158.66**		
			बापूलाल पुत्र सुखराम	देशी कवेलू	40.81	बापूलाल (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**40.81**		
			जगदीश पुत्र पूरनसिंह	देशी कवेलू	176.40	जगदीश (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	1.44		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165 / 12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता						

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041 / 12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 9.1						
				योगः	**177.84**		
75	काशीराम पुत्र रामप्रसाद पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विष्णु पुत्र कमोदसिंह लक्ष्मीबाई पुजाबाई पुत्रीयां कामोदसिंह कलाबाई बेवा कमोदसिंह प्रेमबाई नारानीबाई पुत्रीयां बंशीलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1388 / 12494 भारतसिंह विक्रमसिंह पुत्रगण सुजानसिंह रामश्रीबाई पुत्री सुजानसिह कलाबाई बेवा सुजानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, विजयराम पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भूमि स्वामी हरनाथसिंह पुत्र भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, कपुरीबाई बेवा भमरलाल पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0347 / 12494 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल नारायणसिंह पुत्रगण	5	बिहारीलाल पुत्र मांगीलाल	अंग्रेजी कवेलू	47.60	बिहारीलाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन चादर	54.60	गोलू (पुत्र)	स्थाई
				टीन चादर	10.83	संदीप (पुत्र)	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर. सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	मदनसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 4165 / 12494 भाग भूमि स्वामी उमाबाई पत्नि रामबाबु पप्पीबाई पत्नि कुमेरसिंह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई पत्नि करणसिंह जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1562 / 12494 भाग भूमि स्वामी, लुमाबाई बेवा अमानसिंह कमलसिह पुत्र खुमानसिंह हरिसिह पुत्र खुमानसिह पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1041 / 12494 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 9.12						
				योगः	**113.03**		
76	वन भूमि		भगवान सिंह पुत्र रूगनाथ	देशी कवेलू	77.88	–	अस्थाई
				योगः	**77.88**		
77	प्रेमसिंह पुत्र इन्दरसिंह	45	अजीत सिंह पुत्र लालाराम	देशी कवेलू	71.07	अजीत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**71.07**		

उपरोक्त तालिका अनुसार टेम मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि अर्जन के कारण तहसील लटेरी के ग्राम दपकन, नैनागढ़ ,धीरगढ एवं बैरागढ़ में 440 व्यक्तियों के मकान प्रभावित हो रहे है जिसमें प्रभावित मकान धारकों के अलावा अधिनियम 2013 की धारा 3डी के तहत सर्वेक्षित 727 कुटुंब भी निवासरत हैं, इस प्रकार तहसील लटेरी में कुल 1167 प्रभावित कुटुंबों का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है। उपरोक्तानुसार परिवारों (कुटुंबों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत हैं तथा जिनके

अन्यत्र स्थानों पर निवास हेतु मकान नहीं है, को विस्थापित क्षेत्र में भूमि पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर शासकीय आवासीय पट्टे 40'X 20'= 800 वर्गफुट साईज के भूखंड प्रदाय किये जावेंगे। जिसकी समयसीमा भू–अर्जन प्रकरणों में अवार्ड पारित होने के उपरांत तीन माह होगी।

अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो का निम्नानुसार पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें/सुविधायें दी जावेगी।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार प्रस्थापित किया जा सकेगा।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, को पॉच लाख रूपये का एक बारगी संदाय दिया जावेगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुवाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए, एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधॉए, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और सुनियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(15) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़को और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(16) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित जल निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(17) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(18) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(19) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह।

(20) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

(21) यथोचित पंचायत घर ।

(22) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(23) जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।

(24) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल।

(25) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

(26) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी ।

(27) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

(28) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र।

(29) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

(30) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

(31) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

(32) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चबूतरा।

(33) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।

(34) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(35) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील लटेरी के ग्राम दपकन में शासकीय भूमि खसरा नंबर–169 का रकवा 23.470 हेक्टेयर में से 15.035 हेक्टेयर भूमि न्यायालय कलेक्टर, विदिशा के प्रकरण क्रमांक – 0007/अ–20 (3)/2022–23 में पारित आदेश दिनांक 28/07/2023 द्वारा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला–विदिशा को आवंटित की गई है, साथ ही लटेरी के ग्राम बैरागढ में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 29/1 रकबा 10.431 हे0 भूमि के पुनर्वास हेतु आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। टेम मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 40'×20' = 800 वर्गफुट का आवासीय भू–खण्ड आवंटित भूमि पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

(36) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा–11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजो साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(37) अधिनियम की धारा 3 डी. के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा– 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

क्र.–13155–भू–अर्जन–2025

अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में टेम मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील– लटेरी जिला– विदिशा के ग्राम बैरागढ़ के लिए बांध डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम :– टेम मध्यम सिंचाई परियोजना
2. भूमि का विवरण
   1. जिला :– विदिशा
   2. तहसील :– लटेरी
   3. ग्राम :– बैरागढ

:: अनुसूची – 01 ::

::भूमि अर्जन के प्रभावित भूमि इत्यादि का विवरण ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शंकर पुत्र दयाराम ग्राम बैरागढ़	भूमि स्वामी	77/1	1.500	1.500	–	–	कुआ–1
2	मांगीलाल पुत्र लक्ष्मण ग्राम बैरागढ़	भूमि स्वामी	174/1	0.210	–	0.210	–	
3	मदन पुत्र लक्ष्मण ग्राम बैरागढ़	भूमि स्वामी	174/2	0.210	0.210	–	–	
4	मांगीलाल पुत्र लक्ष्मण ग्राम बैरागढ़	भूमि स्वामी	176/1	0.263	–	0.263	–	
5	मदन पुत्र लक्ष्मण ग्राम बैरागढ़	भूमि स्वामी	176/2	0.263	0.263	–	–	
6	उमराव सिंह पुत्र सुखराम, मुकेश पुत्र मोतीलाल, मधुबाई पुत्री सुखराम, शान्ती बाई पत्नि सुखराम, नैनीबाई पुत्री सुखराम, जसरथ पुत्र मोतीलाल, खुशीलाल	भूमि स्वामी	214/1	1.416	–	1.181	–	

	पुत्र सुखराम, पूजाबाई पुत्री सुखराम, सौरमबाई पुत्री सुखराम, लीलाबाई पुत्री सुखराम जाति भील पता बैरागढ लटेरी विदिशा म.प्र. भूमि स्वामी							
7	नन्दराम पुत्र हजारी ग्राम बैरागढ	भूमि स्वामी	214/2	1.417	–	0.841	–	
8	जीतेन्द्रसिंह पुत्र बिशनसिंह 1461/3895 भाग भूमि स्वामी बद्रीलाल पुत्रगण भोंदा 487/3895 भाग भूमि स्वामी सुरेश पुत्र प्रेमनारायण 0595/3895 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र बिशनसिंह 1352/3895 भाग भूमि स्वामी ग्राम बैरागढ	भूमि स्वामी	365	0.291	–	0.291	–	
9	पन्नालाल पुत्र गोरेलाल ग्राम बैरागढ	भूमि स्वामी	196/1	1.000	0.360	–	–	कुआ–1
10	करनसिंह पुत्र किशनाजी ग्राम बैरागढ	भूमि स्वामी	196/2	0.500	–	0.230	–	
11	मोहरसिंह पुत्र हजारी ग्राम बैरागढ	भूमि स्वामी	220/1	1.985	1.985	–	–	
12	फूलसिंह पुत्र हजारी ग्राम बैरागढ	भूमि स्वामी	220/2	1.985	1.985	–	–	
			योग	**11.040**	**6.303**	**3.016**		

:: टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित ग्राम बैरागढ की भूमि का पूर्व में भूमि अर्जन किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां सम्मिलित नहीं होने से निम्न तालिका अनुसार भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियो का अर्जन किया जा रहा है ::

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल/कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कमरलाल पुत्र किशनलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वाामी भू राजस्व 0.93	भूमि स्वामी	74/1	0.648	0.605	0.000	-	पलाश–2 कुल–2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	हरनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता नि ग्राम 1.633 भाग भूमि स्वामी महेन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति राजपूत पता नि ग्राम 0.414 भाग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.93	भूमि स्वामी	74/3	0.648	0.030	0.000	–	कुआ–1 खजूर–3 आम–1 पलाश–2 कुल–7
3	गोपालसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम 1.633 भाग भूमि स्वामी महेन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति राजपूत 0.415 भाग नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.93	भूमि स्वामी	74/4	0.648	0.040	0.000	–	नीम–1 कुल–1
4	जितेन्द्र सिंह वा. धमेन्द्र ना. वा. पुत्रगण प्रतापसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी मनुबाई ना.वा. पुत्री प्रताप सिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी कमरबाई वेवा प्रताप सिंह सरपरस्त मां स्वयं जाति राजपूत पता नि. मजरा रामगढ समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.93	भूमि स्वामी	74/2	0.648	0.535	0.000	–	खजूर–2 पलाश–1 नीम–2 कुल–5
5	फूलकुंवरवाई पत्नि शिवराजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम मुण्डेला भूमि स्वामी भू राजस्व 1.48	भूमि स्वामी	76	1.012	1.012	0.000	–	कुआ–1 ट्युबवेल–1 कुल–2
6	रामकुवंरबाई बेवा बिशनसिंह जाति राजपूत बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी केशरसिंह पुत्र बिशनसिह जाति राजपूत बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रघुवीर सिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी विक्रमसिंह	भूमि स्वामी	79	2.804	2.804	0.000	–	सागौन–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पुत्र बिशनसिह जाति राजपुत बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी जीतेन्द्रसिंह पुत्र बिशनसिह जाति राजुपत बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्र सिंह पुत्र बिशनसिह जाति राजपूत बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रूपेन्द्र सिंह पुत्र बिशनसिह जाति राजपुत बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी ब्रजकुंवर पुत्री बिशनसिह जाति राजपूत बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी अंजू संजू पुत्री भगवतसिंह, जगपालसिंह पुत्र भगवतसिंह, रामकुंवरबाई बेवा भगवतसिंह जाति राजपुत बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.65							
7	बाला प्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.82	भूमि स्वामी	80	1.530	0.000	1.230	–	कुआ–1 ट्युबवेल–1 बैर–3 सुरजना–1 खजूर–3 कटहल–2 जामून–3 अमरूद–6 आंवला–5 आम–7 कुल–32
8	रामचरण पुत्र बुद्धा जाति हरिजन पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	82/2	1.168	1.000	0.000	–	कुआ–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.50							
9	बब्बू पुत्र हजारी जाति अहिरवार पता विदिशा संपूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 7.40	भूमि स्वामी	83	1.417	0.000	1.000	–	नीम–1 कुल–1
10	सरवन पुत्र दया जाति अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी विक्रय निषेध भू–राजस्व 4.60	भूमि स्वामी	86	0.860	0.500	0.000	–	कुआ–1 नीम–2 पलाश–2 कुल–5
11	राजेन्द्र सिंह पुत्र सौभाग्य सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.00	भूमि स्वामी	107	0.506	0.300	0.000	–	कुआ–1 कुल–1
12	प्रेमसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.58	भूमि स्वामी	110	0.392	0.000	0.392	–	बैर–10 अमरूद–1 आम–1 इमली–1 पलाश–3 सागौन–6 अंग्रेजी बबूल–7 गुंदी–1 बांस की जाल–2 पीपल–1 शीशम–2 गुलमोहर–3 कुल– 38

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	रामकुवंरबाई बेवा बिशनसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी 1/9 भाग भूमि स्वामी केशरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी 1/9 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी 1/9 भाग भूमि स्वामी विक्रमसिंह							
13	पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी 1/9 भाग भूमि स्वामी जितेन्द्र सिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी 1/9 भाग भू–स्वामी सुरेन्द्र सिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी 1/9 भाग भू–स्वामी रूपेन्द्र सिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी 1/9 भाग भू–स्वामी ब्रजकुंवर पुत्री बिशनसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी 1/9 भाग भू–स्वामी अंजू संजू पुत्री भगवत सिंह जगपाल सिंह पुत्र भगवत सिंह रामकुंवरबाई बेवा भगवत सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी 1/9 भाग भू–स्वामी भू–राजस्व 0.54	भूमि स्वामी	116/1	0.183	0.183	0.000	–	गुंदी–1 कुल–1
14	विक्रमसिंह, सौभाग्यसिंह पुत्रगण जगदीशसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.55	भूमि स्वामी	116/2	0.184	0.184	0.000	–	ट्युबवेल–3 कुल–3

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	प्रेमसिंह, रामनाथसिंह, छोटेलाल पुत्रगण इंदरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी कमलसिंह धर्मेन्द्रसिंह रूपेन्द्रसिंह पुत्रगण गोविन्दसिंह श्यामकुवंर बेवा गोविन्दसिंह जाति राजपूत 1/4 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.32	भूमि स्वामी	117	0.114	0.114	0.000	–	कुआ–1 कुल–1
16	कुवेरसिंह पुत्र सजनसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी रामकुंअरबाई पत्नि सजन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.59	भूमि स्वामी	118	0.531	0.531	0.000	–	ट्युबवेल–1 आम–11 इमली–2 नींबू–11 जामून–1 अंग्रेजी बबूल–1 नीम–1 बांस की जाल–1 पीपल–1 कुल–30
17	कमल सिंह धमेन्द्र सिंह रूपेन्द्र सिंह पुत्रगण गोविन्द सिंह बेनीबाई पुत्री गोविन्द सिंह श्यामकुंवर बाई वेवा गोविन्द सिंह जाति राजपूत पता विदिशा संपूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 104/1	भूमि स्वामी	121	0.063	0.063	0.000	–	खजूर–13 नीम–3 गुंदी–4 कुल–20
18	कुवेरसिंह पुत्र सजन सिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी रामकुंअर बाई पत्नी सजन सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.22	भूमि स्वामी	124	0.961	0.961	0.000	–	नीम–2 कुल–2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	पदमसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति लोधी 1/2 भाग भूमि स्वामी भंबरलाल पुत्र हजारीलाल जाति लोधी भूमिस्वामी शक्कोबाई पुनिया बाई पुत्रीयां हजारीलाल जाति लोधी पता नि.ग्राम धीरगढ़ 1/2 समान भाग भूमिस्वामी भू–राजस्व 0.37	भूमि स्वामी	128	0.316	0.316	0.000	–	आम–2 खजूर–2 कुल–4
20	धन्नालाल मानसिंह गुलाबसिंह पुत्रगण नंद लाल जाति लोधी भूमि स्वामी जुगतीबाई वेवा नंदलाल जाति लोधी पता निवासी ग्रम समान भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.00	भूमि स्वामी	129	0.658	0.658	0.000	–	सीताफल–1 बैर–1 कुल– 2
21	कमरलाल पुत्र मोतीलाल जाति लोधी पता निवासी धीरगढ़ भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.72	भूमि स्वामी	131	1.808	1.808	0.000	–	बैर–1 अमरूद–3 आम–2 खजूर–5 महुआ–1 नीम–1 पलाश–1 अंग्रेजी बबूल–4 पीपल–1 खेजडा–1 गुर्जन –2 कुल– 22
22	कमलाबाई वेवा रामप्रसाद जाति लोधी पता नि. ग्राम भ–स्वामी भू–राजस्व 2.16	भूमि स्वामी	132	1.480	1.480	0.000	–	खजूर–2 कुल–2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	कुसुमबाई पत्नि छोटेलाल ख्याल कमरबाई पत्नि रामनाथसिंह जाति राजपूत पता विदिशा संपूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.36	भूमि स्वामी	135	0.885	0.885	0.000	–	पलाश–1 पीपल–2 सेमल–2 बहेडा–7 सागौन–4 गुंदी–1 कंजी–1 कुल–18
24	कमल सिंह धमेन्द्र सिंह रूपेन्द्र सिंह पुत्रगण गोविन्द सिंह बेनीबाई पुत्री गोविन्द सिंह श्यामकुंवर बाई वेवा गोविन्द सिंह जाति राजपूत पता विदिशा संपूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.50	भूमि स्वामी	136/1	1.043	1.043	0.000	–	नींबू–1 खजूर–1 अंग्रेजी बबूल –2 पलाश–3 सेमल–1 कुल–8
25	प्रेमसिंह पुत्र ईन्दरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.49	भूमि स्वामी	136/2	1.044	1.044	0.000	–	इमली–1 खजूर–1 अंग्रेजी बबूल –2 नीम–4 बबूल–2 सागौन–6 पलाश–1 कुल–17
26	कमल सिंह धमेन्द्र सिंह रूपेन्द्र सिंह पुत्रगण गोविन्द सिंह बेनीबाई पुत्री गोविन्द सिंह श्यामकुंवर बाई वेवा गोविन्द सिंह जाति राजपूत पता विदिशा संपूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.40	भूमि स्वामी	140	0.139	0.139	0.000	–	कुआ – 1 कुल –1
27	सुमन कंवर बाई पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.90	भूमि स्वामी	144	0.304	0.304	0.000	–	अमरूद–2 आम–1 जामून–1 नीम–1 अंग्रेजी बबूल–5

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								कुल–10
28	राजन सिंह पुत्र सजनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.19	भूमि स्वामी	145	0.569	0.569	0.000	–	कुआ–1 बैर–3 आम–1 नींबू–5 नीम–1 सागौन–1 कुल–12
29	घसिया पुत्र घोटया जाति कुम्हार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.00	भूमि स्वामी	149/2	0.922	0.922	0.000	–	खजूर–3 सागौन–1 कुल–4
30	मांगया सरवन शंकर रामप्रसाद पुत्रगण दयाराम जाति चमार भाग 0.739 समान भाग संजू सिंह पुत्र रामनाथ सिंह जाति राजपूत हि. 0.184 पता निवासी ग्राम भू–स्वामी भू–राजस्व 1.31	भूमि स्वामी	166	0.923	0.923	0.000	–	कुआ–1 कुल–1
31	कमल सिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि–स्वामी भू–राजस्व 2.62	भूमि स्वामी	170	1.770	1.300	0.000	–	खजूर–1 सागौन–3 जमराशी–1 बरगद–1 पीपल–1 कुल– 7
32	मदनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.90	भूमि स्वामी	171/1/Min-3	0.759	0.000	0.360	–	आम–6 अमरूद–5 खजूर–3 सीताफल–1 बांस की जाल–1 सागौन–2 रेंजडा–1 कुल–19
33	नारान पुत्र जगन्नाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.10	भूमि स्वामी	171/1/Min-1	1.000	0.000	0.500	–	खजूर–2 कुल–2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	दयाराम पुत्र जगन्नाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.10	भूमि स्वामी	171/1/1	1.075	0.700	0.000	–	बैर–6 महुआ–1 पीपल–1 कुल–8
35	नन्नू पुत्र जगन्नाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.15	भूमि स्वामी	171/1/Min-2	0.161	0.000	0.161	–	जामून–1 खजूर–2 महुआ–5 बांस की जाल–1 सागौन–4 बरगद–1 कुल–14
36	भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ सिंह जाति भील पता विदिशा संपूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.65	भूमि स्वामी	178/1	1.353	0.000	1.353	–	खजूर–2 बैर–3 गूंदी–1 कुल–6
	मोतीलाल पुत्र जगन्नाथ सिंह जाति भील पता लटेरी विदिशा सूंपर्ण भाग भू–स्वामी भू–राजस्व 1.65	भूमि स्वामी	178/2	1.353	0.000	1.353	–	खजूर–1 सागौन–1 कुल–2
37	राम सिंह पुत्र गोपाल जाति भील पता नि. मजरा हरीपुर 1.505 भाग भूमि स्वामी इमरत सिंह, कैलाश बाबू पुत्रगण नैनजी सुमंत्राबाई, लाड बाई पुत्रियां नैनजी, केशर बाई बेवा नैनजी 1. 505 भाग भूमि स्वामी जयसिंह, केशवीर सिंह पुत्रगण हरिसिंह जाति भील भूमि स्वामी शान्ति बाई बेवा हरिसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम 1.353 भाग भूमि स्वामी इमरत सिंह, कैलाश बाबू पुत्रगण नैनजी सुमंत्राबाई लाड बाई पुत्रियां नैनजी, केशर बाई बेवा नैनजी 1.505 भाग भूमि	भूमि स्वामी	179	5.375	0.000	4.544	–	अमरूद–4 बैर–3 खजूर–1 पीपल–1 पलाश–1 नीम–1 महुआ–1 कुल–12

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	स्वामी भू–राजस्व 6.57							
38	नारानसिंह पुत्र प्रभूलाल जाति भील पता बेरागढ़ लटेरी संपूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.75	भूमि स्वामी	180	1.429	0.000	0.370	–	बैर–1 बबूल–1 सागौन–3 नीम–1 तेंदू–1 रेंजडा–1 कुल–8
39	तीजूबाई पत्नी भंवरलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.80	भूमि स्वामी	182/1/Min-1	0.759	0.759	0.000	–	कुआ–1 नींबू–1 नीम–1 महुआ–2 कुल–5
40	रामप्रसाद, जगन्नाथ, केशर सिंह, कमरलाल, जगदीश सिंह पुत्रगण धनसिंह, सौरम बाई, प्रेमबाई पुत्रीयां धनसिंह फुयिाबाई बेवा धनसिंह जाति भील पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.50	भूमि स्वामी	183/1	1.050	0.000	0.200	–	कुआ–1 कुल–1
41	पदमसिंह पुत्र पन्नालाल जाति भील, पता बेरागढ़ लटेरी संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	184/1/1	0.753	0.753	0.000	–	कुआ–1 आम–2 अमरूद–2 कुल–5
42	रोडजी पुत्र पन्नालाल जाति भील पता बेरागढ़ लटेरी संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	184/1/2	0.753	0.753	0.000	–	कुआ–1 कुल–1
43	हिन्दूसिंह पुत्र हीराजी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी विक्रय निषेध भू–राजस्व 4.00	भूमि स्वामी	193/3	0.766	0.766	0.000	–	कुआ–1 ट्युबवेल–1 खजूर–1 सागौन–2 कुल–5

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	राजेन्द्र सिंह पुत्र हीराजी जाति भील पता लटेरी विदिशा म.प्र.संपूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.11	भूमि स्वामी	194/1	0.750	0.500	0.000	–	कुआ–1 आम–1 जामून–1 खजूर–1 बहेडा–1 सागौन–2 कुल–7
45	बाबूलाल, नारायण सिंह, प्रेमसिंह, हिन्दुसिंह, पुत्र हीराजी भाग समान जाति भील पता लटेरी विदिशा म. प्र. 4005/4056 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्र सिंह पुत्र हीराजी जाति भील पता लटेरी विदिशा म.प्र. 51/4056 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 0	भूमि स्वामी	194/2	3.044	1.500	0.000	–	कुआ–1 आम–7 महुआ–1 आचारपेड–2 कुल–11
46	रोडीबाई पुत्री हजारी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 135/2023 भाग भूमि स्वामी हरकुबाई पुत्री हजारी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 135/2023 भाग भूमि स्वामी लीलाबाई पुत्री हजारी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 135/2023 भाग भूमि स्वामी मोहरसिह पुत्र हजारी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 809/2023 भाग भूमि स्वामी फूलसिंह पुत्र हजारी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 809/2023 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.12	भूमि स्वामी	195	0.734	0.640	0.000	–	आम–1 सुरजना–1 नीम–1 सागौन–3 कुल–6
47	घीसाजी पुत्र किशनाजी जाति भील पता विदिशा म.	भूमि स्वामी	200/1/3	0.375	0.000	0.040	–	अमरूद–4 कुल–4

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	प्र. संपूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.50							
48	नन्नूलाल पुत्र किशनाजी जाति भील पता विदिशा म. प्र. संपूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.50	भूमि स्वामी	200/1/4	0.375	0.000	0.040	–	कुआ–1 कुल–1
49	राम सिंह पुत्र गोपाल जाति भील पता नि. मजरा हरीपुर 1.505 भाग भूमि स्वामी इमरत सिंह, कैलाश बाबू पुत्रगण नैनजी सुमंत्राबाई, लाड बाई पुत्रियां नैनजी, केशर बाई बेवा नैनजी 1. 505 भाग भूमि स्वामी जयसिंह, केशवीर सिंह पुत्रगण हरिसिंह जाति भील भूमि स्वामी शान्ति बाई बेवा हरिसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम 1.353 भाग भूमि स्वामी इमरत सिंह, कैलाश बाबू पुत्रगण नैनजी सुमंत्राबाई लाड बाई पुत्रियां नैनजी, केशर बाई बेवा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.15	भूमि स्वामी	203	0.126	0.000	0.126	–	आम–2 नींबू–3 बैर–1 रेंजडा–1 कुल–7
50	राम सिंह पुत्र गोपाल जाति भील पता नि. मजरा हरीपुर 1.505 भाग भूमि स्वामी इमरत सिंह, कैलाश बाबू पुत्रगण नैनजी सुमंत्राबाई, लाड बाई पुत्रियां नैनजी, केशर बाई बेवा नैनजी 1. 505 भाग भूमि स्वामी जयसिंह, केशवीर सिंह पुत्रगण हरिसिंह जाति भील भूमि स्वामी शान्ति बाई बेवा हरिसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम 1.353 भाग	भूमि स्वामी	210	0.215	0.000	0.215	–	सागौन–4 गुंदी–1 कुल–5

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भूमि स्वामी इमरत सिंह, कैलाश बाबू पुत्रगण नैनजी सुमंत्राबाई लाड बाई पुत्रियां नैनजी, केशर बाई बेवा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.26							
51	राम सिंह पुत्र गोपाल जाति भील पता नि. मजरा हरीपुर 1.505 भाग भूमि स्वामी इमरत सिंह, कैलाश बाबू पुत्रगण नैनजी सुमंत्राबाई, लाड बाई पुत्रियां नैनजी, केशर बाई बेवा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी जयसिंह, केशवीर सिंह पुत्रगण हरिसिंह जाति भील भूमि स्वामी शान्ति बाई बेवा हरिसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम 1.353 भाग भूमि स्वामी इमरत सिंह, कैलाश बाबू पुत्रगण नैनजी सुमंत्राबाई लाड बाई पुत्रियां नैनजी, केशर बाई बेवा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.09	भूमि स्वामी	211	0.075	0.000	0.075	–	सागौन–1 गुंदी–1 कुल–2
52	नंदराम पुत्र हजारीलाल जाति भील पता नि.मजरा गोरियापुरा भूमि स्वामी भू राजस्व 0.51	भूमि स्वामी	215/1	0.411	0.411	0.000	–	नीम–1 रेंजडा–1 कुल–2
53	उमराव सिंह पुत्र सुखराम जाति भील पता बैरागढ लटेरी सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.17	भूमि स्वामी	215/2/2	0.137	0.137	0.000	–	नीम–2 कुल–2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	पुनियाबाई वेवा मोतीलाल मुकेश जशरथ पुत्रगण मोती सीमाबाइ पुत्री मोती जाति भील पता बैरागढ लटेरी सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.17	भूमि स्वामी	215/2/3	0.137	0.137	0.000	–	नीम–3 कुल–3
55	रोडीबाई पुत्री हजारी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 135/2023 भाग भूमि स्वामी हरकुबाई पुत्री हजारी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 135/2023 भाग भूमि स्वामी लीलाबाई पुत्री हजारी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 135/2023 भाग भूमि स्वामी मोहरसिंह पुत्र हजारी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 809/2023 भाग भूमि स्वामी फूलसिंह पुत्र हजारी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्यप्रदेश 809/2023 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.87	भूमि स्वामी	218	1.289	0.000	0.410	–	महुआ–1 सागौन–1 कुल–2
56	प्रेमसिंह पुत्र हीराजी जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी विक्रय निषेध भू राजस्व 4.50	भूमि स्वामी	219/2	0.885	0.000	0.885	–	खजूर–1 कुल–1
57	सूरतसिंह पुत्र कोमलसिंह जाति भील पता बैरागढ लटेरी सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.03	भूमि स्वामी	225/2	0.843	0.000	0.770	–	बैर–1 खजूर–2 सागौन–1 महुआ–2 कुल–6
58	भारतसिंह, पुत्र कोमलसिंह जाति भील पता विदिशा सम्प्रर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0	भूमि स्वामी	225/3	0.843	0.000	0.770	–	आम–3 कुल–3

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	पुनियाबाई वेवा मोतीलाल मुकेश जसरथ पुत्रगण मोतीलाल सीमाबाई पुत्री मोतीलाल जाति भील पता बैरागढ लटेरी विदिशा सम्पूर्ण भाग भमि स्वामी भू राजस्व 0.16	भूमि स्वामी	234/3	0.106	0.093	0.000	–	कोडला–1 बैडला–2 कुल–3
60	घीसा जी पुत्र गेंदा जी जाति भील पता नि. मजरा गोरियापुरा भूमि स्वामी भू राजस्व 0.04	भूमि स्वामी	236	0.013	0.000	0.013	–	खजूर –1 कुल–1
61	नातीबाई, नरवदीबाई पुत्रियां भमरजी नारानसिंह पुत्र भमरजी पता विदिशा संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237	0.632	0.632	0.000	–	आम–2 सागौन–1 नीम–1 कुल–4
62	नारानसिंह पुत्र गेंदाजी पता विदिशा सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.12	भूमि स्वामी	242	1.455	1.455	0.000	–	आम–4 बैर–1 खजूर–4 नीम–2 रेंजडा–1 सागौन– 6 कुल– 18
63	पन्नालाल पुत्र सरदारसिंह जाति भील पता विदिशा सम्प्रर्ण भागं भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	243/1	0.349	0.349	0.000	–	आम–1 कंजी–1 कुल–2
64	नातीबाई, नरवदीबाई पुत्रियां भमरजी नारानसिंह पुत्र भमरजी पता विदिशा संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	244	3.579	0.000	3.400	–	खजूर–2 बैर–2 आम–3 सागौन–1 नीम–3 पलाश–1 बांस की जाल–1 कुल–13

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	बन्शीलाल, अमरसिंह, मोजीलाल पुत्रगण भैरोंसिंह जाति भील भूमि स्वामी भूलीबाई, केशरबाई वेवा भैरोसिंह जाति भील पता नि. मजरा गोरियापुरा भूमि स्वामी भू राजस्व 2.53	भूमि स्वामी	247	1.783	0.000	1.783	–	आम–4 बैर–1 अमरूद–1 खजूर–2 तिनस–1 महुआ–2 बबूल–1 सागौन–1 कुल–13
66	केशरसिंह नारायणसिंह पुत्रगण गेंदाजी तुलसीबाई रोडीबाई उमरावबाई पुत्रीयां गेंदाजी जाति भील पता विदिशा सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	248/1	0.474	0.000	0.056	–	बैर–1 खजूर–1 बहेडा–1 नीम–1 कुल–4
67	नारानसिंह पुत्र गेंदाजी पता विदिशा सम्पूर्ण भाग भमि स्वामी भू राजस्व 0.17	भूमि स्वामी	254	0.114	0.114	0.000	–	खजूर–3 नीम–2 कुल–5
68	रमकोबाई पत्नि छोटेलाल जाति भील पता निवासी ग्राम मजरा गोरियापूरा भूमि स्वामी भू राजस्व 0.38	भूमि स्वामी	255	0.151	0.000	0.049	–	खजूर–1 जंगलाशी–1 कुल–2
69	जगन्नाथ सिंह पुत्र प्रभुलाल जाति भील पता नि.ग्राम भमि स्वामी भू राजस्व 0.37	भूमि स्वामी	265	0.266	0.000	0.266	–	खजूर–4 कुल–4
70	कमल सिंह धर्मेन्द्र सिंह रूपेन्द्र सिंह पुत्रगण गोविन्द सिंह बेनीबाई पुत्री गोविन्द सिंह श्यामकुंवरबाई वेवा गोविन्द सिंह जाति राजपूत पता विदिशा सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.20	भूमि स्वामी	282/1	0.139	0.139	0.000	–	खजूर–1 नीम–2 बांस की जाल –4 कुल–7
71	प्रेमसिंह पुत्र ईन्दरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.21	भूमि स्वामी	282/2	0.139	0.000	0.139	–	खजूर–3 कुल–3
72	कुवेरसिंह पुत्र सजन सिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.42	भूमि स्वामी	283	0.291	0.291	0.000	–	खजूर–2 कुल–2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	प्रेमसिंह रामनाथसिंह छोटेलाल पुत्रगण इंदरसिंह जाति राजुपत पता निवासी ग्राम 3/4 भाग भूमिस्वामी कमलसिंह धर्मेन्दसिंह रूपेन्द्रसिंह पुत्रगण गोविंदसिंह श्यामकुवंर बेवा गोविन्दसिंह जाति राजुपत 1/4 भाग भुमि स्वामी	भूमि स्वामी	293	0.025	0.000	0.025	–	कुआ–1 कुल–1
74	कमल सिंह पुत्र गोविन्द जाति राजपूत पता विदिशा 1120/5867 भाग भूमि स्वामी छोटेलाल पुत्र इंदर सिंह जाति राजपूत पता लटेरी विदिशा 1854/5867 भाग भूमि स्वामी रामनाथ सिंह पुत्र इन्दर सिंह जाति राजपूत पता लटेरी विदिशा 492/5867 भाग भूमि स्वामी कंचन बाई पुत्री राम प्रसाद जाति अहिरवार पता लटेरी विदिशा 746/5867 भाग भूमि स्वामी भागचंद पुत्र बल्ला जाति अहिरवार पता लेटेरी विदिशा 493/5867 भाग भूमि स्वामी नरवी बाई उर्फ गुड्डी बाई पत्नि फत्तू उमेदा कलाबाई पत्नि रामभरोसा पता लेटेरी विदिशा 493/5867 भाग भूमि स्वामी अजूदीबाई पत्नि छीतरलाल जाति अहिरवार पता लटेरी विदिशा 658/5867 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.24	भूमि स्वामी	295	0.177	0.000	0.177	–	आम–1 कुल–1
75	छोटेलाल पुत्र इन्दरसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी. भू राजस्व 0.32	भूमि स्वामी	296	0.151	0.151	0.000	–	बांस की जाल–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	कमलसिंह पुत्र गोवर्धन जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.07	भूमि स्वामी	301/1	0.360	0.360	0.000	–	कुआ–1 आम–1 कुल–2
77	भमरलाल पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.35	भूमि स्वामी	301/2	0.120	0.120	0.000	–	ट्युबवेल–1 आम–2 अमरूद–4 कुल–7
78	प्रभुनाथसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.36	भूमि स्वामी	301/3	0.120	0.120	0.000	–	आम–5 नींबू–3 खजूर–1 महुआ–1 कुल–10
79	रामकुवरबाई बेवा विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी केशरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी विक्रमसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी जितेन्द्रसिहं पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रूपेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ	भूमि स्वामी	302	0.506	0.506	0.000	–	कुआ–1 अमरूद–1 आम–8 जामून–1 नींबू–6 सीताफल–1 कटहल–1 नीम–2 पीपल–1 अंग्रेजी बबूल –2 कुल–24

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी वृजकुवर पुत्री विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी अंजु संजु पुत्री भगवतसिंह जगपालसिंह पुत्र भगवतसिंह रामकुवंरबाई बेवा भगवतसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.50							
80	रामकुवरबाई बेवा विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी केशरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी विकमसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी जितेन्द्रसिहं पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रूपेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिंह	भूमि स्वामी	303	0.063	0.063	0.000	–	गुंदी–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी वृजकुवर पुत्री विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी अंजु संजु पुत्री भगवतसिंह जगपालसिंह पुत्र भगवतसिंह रामकुवंरबाई बेवा भगवतसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.15							
81	विक्रमसिंह, सौभाग्यसिंह पुत्रगण जगदीशसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.68	भूमि स्वामी	304	0.468	0.468	0.000	–	कुआ–1 ट्युबवेल–1 आम–19 जामून–1 खजूर–1 सुरजना–1 अंग्रेजी बबूल–1 कुल–25
82	रामकुवरबाई बेवा विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी केशरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी विक्रमसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश	भूमि स्वामी	305/1	0.183	0.000	0.183	–	बैर–3 खजूर–1 महानीम–1 अंग्रेजी बबूल –8 कंजी–1 नीम–8 कुल–22

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1/9 भाग भूमि स्वामी जितेन्द्रसिहं पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रूपेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी वृजकुवर पुत्री विशनसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी अंजु संजु पुत्री भगवतसिंह जगपालसिंह पुत्र भगवतसिंह रामकुवंरबाई बेवा भगवतसिंह जाति राजपुत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.26							
83	विक्रमसिंह, सौभाग्यसिंह पुत्रगण जगदीशसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.26	भूमि स्वामी	305/2	0.184	0.000	0.184	–	अमरूद–1 कुल–1
84	कमलसिंह पुत्र गोवर्धन जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.26	भूमि स्वामी	305/4	0.183	0.183	0.000	–	निरंक
85	प्रभुनाथसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत पता निवासी भूमि स्वामी भू राजस्व 0.26	भूमि स्वामी	305/3	0.184	0.000	0.184	–	अमरूद–1 बैर–4 अंग्रेजी बबूल–3 पीपल–1 कुल–9

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	विक्रमसिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.54	भूमि स्वामी	306	0.367	0.367	0.000	–	आम–3 कुल–3
87	मोतीलाल पुत्र पन्नालाल भगवतीबाई पुत्री पन्नालाल जाति कुम्हार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.00	भूमि स्वामी	307	2.024	2.024	0.000	–	कुआ–1 आम–4 बैर–1 अमरूद–5 महुआ–ध्ग1 बांस की जाल–1 कुल–13
88	विक्रमसिंह, सौभाग्यसिंह पुत्रगण जगदीशसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 5.55	भूमि स्वामी	308	3.795	0.000	3.795	–	कुआ–1 महानीम–2 कुल–3
89	कमलसिंह पुत्र गोवर्धन जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.95	भूमि स्वामी	309/2	1.328	1.328	0.000	–	इमली–1 अंग्रेजी बबूल–2 कुल–3
90	विक्रमसिंह, सौभाग्यसिंह पुत्रगण जगदीशसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.26	भूमि स्वामी	310	0.860	0.000	0.860	–	पीपल–1 कुल–1
91	भीकमसिंह पुत्र उमराव सिंह पता नि.मजरा रामगढ़ भूमि स्वामी भू राजस्व 1.78	भूमि स्वामी	312/1	1.201	1.201	0.000	–	कुआ–1 खजूर–1 बहेडा–1 पलाश–1 कुल–4
92	देवीलाल पुत्र उमराव जाति नाई पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.78	भूमि स्वामी	312/2	1.201	1.201	0.000	–	बैर–1 बांस की जाल–2 पलाश–2 कुल– 5

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	कमलसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति कारीगर 0.068 भाग भूमि स्वामी दिनेश वालिग पुत्र जगन्नाथ जाति कारीगर भूमि स्वामी सोनू पुत्र जगन्नाथ जाति कारीगर भूमि स्वामी व्रजेश ना.वा. जगन्नाथ संरक्षक मॉ सुगन बाई जाति कारीगर भूमि स्वामी तुलासाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति कारीगर भूमि स्वामी सरोजबाई पुत्री जगन्नाथ जाति कारीगर ,भू.स्वा सुगन बाई वेवा जगन्नाथ जाति कारीगर, 1.361 भाग भू.स्वा. कल्ला पुत्र गोपीलाल जाति कारीगर 1.214 भाग भू.स्वामी, महेन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति राजपूत 0.316 भाग भूमि स्वामी सन्तोष कुमारी पत्नी प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम 0.215 भाग भू. स्वा. भू.रा. 0.63.	भूमि स्वामी	313	0.430	0.000	0.430	–	आम–6 कुल–6
94	जीतेन्द्र पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0487/3895 भाग भूमि स्वामी जीतेन्द्रसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0487/3895 भाग भूमि स्वामी खुशीलाल बद्रीलाल पुत्रगण भोंदा पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0974/3895 भाग भूमि स्वामी सुरेश पुत्र प्रेमनारायण पता बैरागढ	भूमि स्वामी	316	0.304	0.000	0.304	–	खजूर–2 नीम–1 गूलर–2 कुल–5

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0595/3895 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1352/3895 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.41							
95	सुगनबाई वेवा जगन्नाथ जाति विश्वकर्मा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.11	भूमि स्वामी	320	0.038	0.000	0.038	–	कुआ–1 बैर–1 अमरूद–1 सीताफल–1 कबीट–1 नीम–1 कुल–6
96	रूघनाथसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत पता नि.मजरा रामगढ़ भूमि स्वामी भू राजस्व 0.22	भूमि स्वामी	321	0.151	0.000	0.151	–	नींबू–1 बैर–1 नीम–1 कुल–3
97	रायसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.21	भूमि स्वामी	325/1	0.143	0.100	0.000	–	बैर–1 बांस की जाल–2 कुल–3
98	छोटेसिंह नाबा कृष्णपालसिंह पुत्रगण सजनसिंह सर पिता स्वयं जाति राजुपत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी गुलाबसिह पुत्र बनेसिंह जाति राजपुत बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.05	भूमि स्वामी	328	0.038	0.000	0.015	–	कुआ–1 मौसम्बी–67 खजूर–1 अमरूद–1 बैर–4 आम–2 सीताफल–8 कुल–84
99	लक्ष्मनसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.14	भूमि स्वामी	329/1	0.095	0.017	0.000	–	खजूर–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	हरिसिंह पुत्र बनैसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.01	भूमि स्वामी	331/1	0.017	0.010	0.000	–	खजूर–1 कुल–1
101	दरयावसिंह पुत्र बनैसिंह पता निवासी ग्राम 2.098 भाग भूमि स्वामी जितेन्दं सिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम मुन्डेला 0. 379 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.01	भूमि स्वामी	331/2	0.072	0.036	0.000	–	खजूर–2 बैर–1 कंजी–1 कुल–4
102	विक्रमसिंह पुत्र बनैसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.08	भूमि स्वामी	336/1	0.089	0.089	0.000	–	कुआ–1 बैर–1 आंवला–1 सुरजना–1 इमली–1 जामून–1 अमरूद–4 नींबू–1 अनार–4 सीताफल–4 पलाश–1 कुल–20
103	प्रहलाद सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी सुन्दरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी प्रेमसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत पता नि. मजरा रामगढ़ भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.37	भूमि स्वामी	367	0.253	0.000	0.202	–	खजूर–1 नीम–2 पलाश–1 कुल–4
104	भमरजी, बुधसिंह खेमचन्द्र पुत्रगण मोहनलाल व उमरी बाई पुत्री मोहनलाल सम भाग जाति भील पता नि. मजरा भगवानपुरा भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.31	भूमि स्वामी	372	0.215	0.000	0.079	–	नीम–1 कुल–1
105	प्रहलादसिहं पुत्र विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा	भूमि स्वामी	376	0.430	0.000	0.172	–	खजूर–1 बैर–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी सुन्दरलाल पुत्र विजयसिंह पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी, प्रेमसिंह पुत्र विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी, चतरोबाई पुत्री विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी, धनबाई पुत्री विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी कलाबाई पुत्री विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0233/4151 भाग भूमि स्वामी भूपेन्द्रसिंह राजू दिलीप पुत्रगण विक्रमसिंह अनीताबाई पुत्री विक्रमसिंह उच्चवबाई बेवा विक्रमसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0278/4151 भाग भूमि स्वामी भारतसिंह मदनलाल कमलसिंह जसवंतसिंह पुत्रगण सूरत सिंह पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1106/4151 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र राजाराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1384/4151 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.61							कुल–2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	प्रहलादसिहं पुत्र विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी सुन्दरलाल पुत्र विजयसिंह पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी, प्रेमसिंह पुत्र विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी, चतरोबाई पुत्री विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी, धनबाई पुत्री विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी कलाबाई पुत्री विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0233/4151 भाग भूमि स्वामी भूपेन्द्रसिंह राजू दिलीप पुत्रगण विक्रमसिंह अनीताबाई पुत्री विक्रमसिंह उच्चवबाई बेवा विक्रमसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0278/4151 भाग भूमि स्वामी भारतसिंह मदनलाल कमलसिंह जसवंतसिंह पुत्रगण सूरत सिंह पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1106/4151 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र राजाराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश	भूमि स्वामी	377	1.316	0.000	0.449	–	कुआ–1 खजूर–3 बैर–3 पलाश –1 कुल–8

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1384/4151 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.91							
107	प्रहलादसिह पुत्र विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी सुन्दरलाल पुत्र विजयसिंह पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी, प्रेमसिंह पुत्र विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी, चतरोबाई पुत्री विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी, धनबाई पुत्री विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी कलाबाई पुत्री विजयराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0233/4151 भाग भूमि स्वामी भूपेन्द्रसिंह राजू दिलीप पुत्रगण विकमसिंह अनीताबाई पुत्री विकमसिंह उच्चवबाई बेवा विकमसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0278/4151 भाग भूमि स्वामी भारतसिंह मदनलाल कमलसिंह जसवंतसिंह पुत्रगण सूरत सिंह पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1106/4151 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र	भूमि स्वामी	378	1.770	0.000	1.770	–	कुआ–1 मौसम्बी–31 अमरूद–3 बैर–1 पलाश–4 कुल–40

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राजाराम पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1384/4151 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.45							
108	सन्मान पुत्र अखेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.00	भूमि स्वामी	379/1	2.000	2.000	0.000	–	कुआ–1 खजूर–4 मौसम्बी–78 बैर–1 पीपल–1 पलाश–13 सागौन–8 तिनस–1 सेमल–2 कुल–109
109	राजनसिंह अर्जुनसिंह महेन्द्रसिंह सजनसिंह नेपालसिंह पुत्रगण गोवर्धन लक्ष्मीबाई पुत्री गोवर्धन जाति राजपूत पता विदिशा संपूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.52	भूमि स्वामी	380	3.098	3.098	0.000	–	खजूर–1 पलाश–6 रूसल्ला–1 कुल–8
110	बैजनाथ नन्नूलाल पुत्रगण रामचन्द्र जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.10	भूमि स्वामी	387	1.442	1.442	0.000	–	कुआ–1 सुरजना–3 खजूर–3 सीताफल–1 बहेडा–1 अंग्रेजी बबूल –8 पलाश–1 कुल–18

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	पहलवान संतोष गजा सुनील पुत्रगण फत्तू जाति मेहतर भूमि स्वामी राजुमार फूला बाई पुत्रीगण फत्तू जाति मेहतर भूमि स्वामी मिंदाबाई वेवा फत्तू जाति मेहतर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू–राजस्व 4.60	भूमि स्वामी	388/2	1.112	1.112	0.000	–	कुआ–1 बैर–4 खजूर–1 आंवला–2 इमली–1 लिप्टस–1 अंग्रेजी बबूल –1 बांस की जाल –1 खेजडा–1 नीम–1 कुल–14
112	राजू, विजय सिंह पुत्रगण छीतर सुनीता बाई अनुसुईया बाई माया बाई पुत्रीयां छीतर सिंह, अजुद्धीबाई बेवा छीतर सिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.25	भूमि स्वामी	390/1	1.518	1.518	0.000	–	कुआ–1 अमरूद–44 जामून–1 सुरजना–5 आम–4 नींबू–1 लिप्टस–1 नीम–1 कुल–58
113	घासीराम, जमनालाल, गनेशराम पुत्रगण धूरिया, नारानी बाई, कमला बाई पुत्रीयॉ धूरिया जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.85	भूमि स्वामी	393	1.265	1.265	0.000	–	कुआ–1 अमरूद–10 आम–2 सुरजना–2 अंग्रेजी बबूल –2 नीम–1 बबूल–1 महुआ–1 खेजडा–1 कुल–21
114	भमरिया, मनफूला, सडिया पुत्रगणं प्यारा जाति चमार पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.85	भूमि स्वामी	395	1.265	0.000	1.265	–	बैर–6 सुरजना–1 अंग्रेजी बबूल –3 कुल–10

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	शंकरसिंह पुत्र साजनसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.07	भूमि स्वामी	398	0.746	0.746	0.000	–	खजूर–1 सुरजना–1 नीम–1 बबूल–1 कुल–4
116	प्रीतमसिंह गोवर्धन पुत्रगण मांगीलाल जाति लोधी भूमि स्वामी सीमाबाई पुत्री मांगीलाल जाति लोधी भूमि स्वामी केदारबाई वेवा मांगीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व	भूमि स्वामी	400	0.025	0.025	0.000	–	आम–3 पाखर–1 कुल–4
117	कमल सिंह पुत्र गोविन्द जाति राजपूत 1.120 भाग भूमि स्वामी दौलीबाई पुत्री रामप्रसाद भूमि स्वामी कंचनबाई पुत्री राम प्रसाद जाति राजपूत 1.416 भाग भूमि स्वामी छोटेलाल पुत्र इदर सिंह जाति राजपूत 1. 854 भाग भूमि स्वामी नरवी बाई उर्फ गुड्डी बाई पत्नि फत्तू पुत्री उमेदा कलाबाई पत्नि रामभरोसा 0.493 भाग भूमि स्वामी भागचंद पुत्र बल्ला जाति अहिरवार 0.986 भाग भूमि स्वामी रामनाथ सिंह पुत्र इन्दर सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम 0. 492 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.59	भूमि स्वामी	403	1.770	1.770	0.000	–	अमरूद–9 जामून–1 नीम–1 अंग्रेजी बबूल–3 कुल–14
118	धर्मेन्द्र पुत्र हिम्मत सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.37	भूमि स्वामी	406	0.253	0.000	0.253	–	इमली–1 बांस की जाल–1 कुल–2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	कमलसिंह पुत्र मांगीलाल जाति अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी विक्रय निषेध भू–राजस्व 5.30	भूमि स्वामी	407	1.164	1.164	0.000	–	इमली–1 कोशम–1 सेमल–2 कंजी–1 अंग्रेजी बबूल–1 कुल–6
120	अमरसिंह पुत्र शिवपाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी उमेदीबाई पुत्री शिवराज जाति मैना पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.92	भूमि स्वामी	408/1	1.309	1.309	0.000	–	आम–6 नींबू–1 बैर–1 अंग्रेजी बबूल–5 बहेडा–1 सालर–1 खेजडा–1 सेमल–1 गूंदी–1 पलाश–4 नीम–2 कुल–24
121	अमरसिंह पुत्र शिवपाल सिंह जाति मैना पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.83	भूमि स्वामी	409	2.655	0.000	2.655	–	कुआ–1 बैर–1 कबीट–1 बबूल–1 कुल–4
122	अमरसिंह पुत्र शिवपाल सिंह जाति मैना भूमि स्वामी उमेदीबाई पुत्री शिवपाल सिंह जाति मैना पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 5.00	भूमि स्वामी	411/1	3.506	3.506	0.000	–	बैर–3 आम–1 पलाश–3 गुराड–1 खेजडा–2 कुल– 10
123	बाबूलाल पुत्र शिवपाल सिंह हि. 1.040 कल्लोबाई पत्नी वदन सिंह हि. 0.743 अमर सिंह पुत्र शिवपाल सिंह हि. 0.506 जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गुलाबबाई पत्नि नन्नूलाल	भूमि स्वामी	411/2	2.988	2.988	0.000	–	आम–6 अमरूद–1 खजूर–1 नीम–1 कुल–9

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जाति मैना 0.743 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.00							
124	नन्नूलाल पुत्र शिवपाल जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 5.00	भूमि स्वामी	411/4	3.253	3.253	0.000	–	कुआ–1 बैर–2 पलाश–2 खेजडा–4 कुल–9
125	राजाराम बदनसिंह दिमानसिंह केदार सिंह पुत्रगण गंगाराम जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गुल्लोबाई वेवा गंगाराम जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 7.00	भूमि स्वामी	411/5	5.339	5.339	0.000	–	लिप्टस–6 असतो–2 पलाश–1 कुल–9
126	बदनसिंह पुत्र गंगाराम जाति मैना पता नि.मजरा धखेडा भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.83	भूमि स्वामी	412	1.075	1.075	0.000	–	आम–2 खजूर–2 पलाश–2 कुल–6
127	कमलसिंह पुत्र मांगीलाल जाति अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी विक्रय निषेध भू–राजस्व 5.30	भूमि स्वामी	428/1	0.424	0.424	0.000	–	बबूल–1 सागौन–2 कुल–3
128	फूलकुमर बाई पुत्री विजयसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.15	भूमि स्वामी	433	2.149	2.149	0.000	–	खजूर–1 कुल–1
129	नवलसिंह पुत्र मोतीलाल जाति लोधी 0.789 भाग भूमि स्वाामी जमनीबाई पत्नि नन्नूलाल जाति लोधी पता नि.धीरगढ़ 1.240 भाग भूमि स्वामी प्रभुनाथसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी विक्रमसिंह पुत्र जगदीशसिहं जाति राजपूत पता नि.ग्राम 0.506 समान	भूमि स्वामी	434	1.746	0.000	1.746	–	खजूर–1 कंजी–1 कुल–2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.52							
130	पदमसिंह पुत्र रूगनाथसिंह जाति लोधी पता नि.ग्राम धीरगढ़ भूमिस्वामी भू–राजस्व 0.81	भूमि स्वामी	435	0.531	0.000	0.531	–	नीम–1 कुल–1
131	राजाराम पुत्र गंगाराम जाति मैना पता नि.धौखेडा भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.28	भूमि स्वामी	438/1	2.903	2.903	0.000	–	बबूल–1 पलाश–1 कुल– 2
132	नन्नूलाल पुत्र मदनलाल पता नि.ग्राम 2.529/4.047 भाग भूमि स्वामी रामबाबू प्रताप पुत्रगण नन्नूलाल पता नि. ग्राम 1.518/4.047 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.08	भूमि स्वामी	438/2	2.813	2.813	0.000	–	आम–1 अमरूद–2 बैर–1 खजूर–1 महुआ– 1 कुल–6
133	मनफूल पुत्र प्यारा जाति हरिजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी विक्रय निषेध भू–राजस्व 5.50	भूमि स्वामी	444	1.227	1.227	0.000	–	पलाश–1 कुल–1
134	अमरसिंह पुत्र गोरेलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भू–राजस्व 0.16	भूमि स्वामी	446/2	0.119	0.119	0.000	–	सागौन–3 नीम–1 खेजडा–1 कुल– 5
135	अमरसिंह पुत्र शिवपाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी उमेदीबाई पुत्री शिवराज सिंह जाति मैना पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.04	भूमि स्वामी	452	0.025	0.025	0.000	–	नींबू–1 अमरूद–1 आम–2 कुल– 4
136	गंगाराम पुत्र शिवपालसिंह जाति मैना भूमि स्वामी अमरसिंह पुत्र शिवपालसिंह जाति मैना भूमि स्वाामी बाबूलाल पुत्र शिवपालसिंह जाति मैना भूमि स्वामी नन्नूलाल पुत्र शिवपालसिंह	भूमि स्वामी	454/2	0.648	0.648	0.000	–	अमरूद–6 नींबू–2 आम–2 बांस की जाल –1 पलाश–1 नीम–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल /कुल रकबा हे. में.	अर्जित रकबा हे.			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जाति मैना भूमि स्वामी कलाबाई पुत्री शिवपालसिंह जाति मैना भूमि स्वामी उमेदीबाई पुत्री शिवपालसिंह जाति मैना भूमि स्वामी प्रेमबाई पुत्री शिवपालसिंह जाति मैना 1/2 भाग भूमि स्वामी उधमसिंह पुत्र श्रीराम जाति मैना भूमि स्वामी मानसिंह पुत्र श्रीराम जाति मैना पता निवासी ग्रम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.39							पीपल–1 कुल–14
137	उधमसिंह मानसिंह पुत्रगण श्रीराम जाति मैना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.53	भूमि स्वामी	462	3.263	3.263	0.000	–	आम–1 अमरूद–1 कुल–2
138	गंगाराम पुत्र खुशाल पता नि. धीरगढ़ भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.98	भूमि स्वामी	466	2.669	2.669	0.000	–	आम–1 गुराड–1 कुल–2
139	रोडजी दयाल सिंह, निरंजन सिंह, सागर सिंह पुत्रगण जगन्नाथ, भमरी बाई, कलाबाई, भूलीबाई पुत्रीयां जगन्नाथ कंचन बाई बेवा जगन्नाथ पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.85	भूमि स्वामी	467	1.265	1.000	0.000	–	तेंदू–1 बिल्ली–1 बहैडा–1 कुल–3

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मे मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शासकीय	425	शान्ति बाई पत्नि उधम, रूपसिंह पुत्र उधम सिंह	देशी कवेलू	193.60	शांती बाई (मुखिया)	स्थाई
						प्रताप सिंह (पुत्र)	स्थाई
						कुमेर (पुत्र)	स्थाई
						गोलूबाई (पुत्री)	स्थाई
						रूपसिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**193.60**		
2	शासकीय	425	रघूवर सिंह पुत्र विजयराम , ओरमसिंह पुत्र रघूवर सिंह	देशी कवेलू	57.60	रघुवर (मुखिया)	स्थाई
						ओरम सिंह (पुत्र)	स्थाई
						धर्मेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**57.60**		
3	शासकीय	425	राम बाबू पुत्र मानसिंह	देशी कवेलू	57.96	रामबाबू (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**57.96**		
4	शासकीय	425	तुलाराम पुत्र खुशीलाल, रामस्वरूप पुत्र तुलाराम, गोपाल सिंह पुत्र तुलाराम	देशी कवेलू	89.60	तुलाराम (मुखिया)	स्थाई
						गोपाल (पुत्र)	स्थाई
						रामस्वरूप (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**89.60**		
5	शासकीय (आबादी)	455	बाबूलाल पुत्र सोपाल, कमल सिंह पुत्र बाबूलाल	देशी कवेलू	260.40	बाबूलाल (मुखिया)	स्थाई
						प्रेमसिंह (पुत्र)	स्थाई
						कमल सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**260.40**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	शासकीय (आबादी)	455	भूरासिंह पुत्र अमर सिंह	देशी कवेलू	88.44	भूरा सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	84.00	अभिषेक (पुत्र)	स्थाई
				टीन चादर	64.99	राहुल (पुत्र)	स्थाई
				टीन चादर	1.75		
				योग :	**239.18**		
7	शासकीय (आबादी)	455	मंदिर हनुमान जी	आर.सी.सी.	24.00	–	–
				योग :	**24.00**		
8	शासकीय (आबादी)	455	गुल्लोबाई पत्नि गंगाराम	देशी कवेलू	184.50	गुल्लोबाई (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**184.50**		
9	शासकीय (आबादी)	455	दीवान सिंह पुत्र गंगाराम	गाडर फर्शी	102.46	दीमान सिंह (मुखिया)	स्थाई
				गाडर फर्शी	47.00	विनोदबाबू (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	50.32	अरूण (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	49.20		
				योग :	**248.98**		
10	शासकीय (आबादी)	455	केदार सिंह पुत्र गंगाराम	गाडर फर्शी	74.55	केदार सिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	42.00	अभिषेक (पुत्र)	स्थाई
						लक्ष्मी बाई (पुत्री)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	58.74		
				अंग्रेजी कवेलू	27.00		
				टीन चादर	85.80		
				अंग्रेजी कवेलू	93.72		
				टीन चादर	5.40		
				योग :	**387.21**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
11	शासकीय (आबादी)	455	बदनसिंह पुत्र गंगाराम	अंग्रेजी कवेलू	128.00	बदन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	55.90	पर्वत सिंह (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	30.10		
				अंग्रेजी कवेलू	101.84		
				योग :	**315.84**		
12	शासकीय	185	बनेसिंह पुत्र दयाराम	देशी कवेलू	40.20	बनेसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	14.79		
				योग :	**54.99**		
13	शासकीय नदी	221	अमरसिंह पुत्र भमर सिंह	देशी कवेलू	70.49	अमरसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**70.49**		
			शान्ती बाई पत्नि विजयसिंह	देशी कवेलू	70.49	शान्ती बाई (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**70.49**		
14	शासकीय	185	धीरप सिंह पुत्र नन्नू लाल	देशी कवेलू	37.12	धीरप (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	7.00		
				टपरा घासफूस	8.75	वीरम (भाई)	स्थाई
				योग :	**52.87**		
			भजन सिंह पुत्र नन्नूलाल	देशी कवेलू	42.92	भजनसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	47.50		
				योग :	**90.42**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान : मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	शासकीय	185	नन्नूलाल, मदनलाल दयाराम, नारानसिंह पुत्रगण जगन्नाथ	देशी कवेलू	49.50	मदनलाल स. क्र. 17 पर दर्ज, नन्नूलाल, दयाराम, नारानसिंह के वर्तमान निवास मकान डूब क्षेत्र से बहार है	अस्थाई
				योग :	**49.50**		
	वन भूमि	2	बापूलाल पुत्र धूल जी	देशी कवेलू	71.69	बापूलाल (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**71.69**		
17	वन भूमि	2	मदनलाल पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	28.22	मदनलाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	10.88		
				देशी कवेलू	30.90		
				टीन शेड	2.25	विक्रमसिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**72.25**		
			रोडजी पुत्र मदनलाल	देशी कवेलू	36.77	रोडजी (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**36.77**		
18	शासकीय	267	माधो सिंह पुत्र कोमल सिंह	टीन शेड	43.05	माधोसिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	46.20		
				लकड़ी के पट्टे	21.17		
				देशी कवेलू	21.17		
				योग :	**131.59**		
19	शासकीय देवस्थान	266	शासकीय स्कूल	आर.सी.सी.	44.24	–	–
				आर सी.सी.	48.15		
				योग :	**92.39**		

स. क.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	शासकीय आबादी	258	भमरलाल पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	70.56	भमरलाल (मुखिया)	स्थाई
	जगन्नाथ पुत्र प्रभूलाल जाति भील पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.37	265		लकडी के पट्टे	53.00	दीमान (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	32.33		
				योग :	**155.89**		
21	शासकीय आबादी	258	नारायण सिंह पुत्र गेंदा जी	देशी कवेलू	10.71	नारायण (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	11.52	कमल (पुत्र)	स्थाई
				पन्नी	27.93	महेश (पुत्र)	स्थाई
						पुनिया (माताजी)	स्थाई
				योग :	**50.16**		
22	शासकीय आबादी	258	राकेश मुकेश पुत्र गण नारायण	देशी कवेलू	87.78	राकेश (मुखिया)	स्थाई
						मुकेश (भाई)	स्थाई
				योग :	**87.78**		
23	शासकीय आबादी	258	बबलू पुत्र नवल सिंह	देशी कवेलू	22.40	बबलू (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**22.40**		
24	शासकीय आबादी	258	रामदयाल सिंह पुत्र धूल जी	देशी कवेलू	49.14	रामदयाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44		
				योग :	**50.58**		

स क	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
25	शासकीय आबादी	258	छोटे लाल पुत्र घीसाजी	देशी कवेलू	46.40	छोटेलाल (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	8.25	पवन (पुत्र)	स्थाई
				पन्नी	34.56	भगवान सिंह (पुत्र)	स्थाई
						समन्दर(पुत्र)	स्थाई
				योग :	**89.21**		
			बबलू पुत्र छोटेलाल	देशी कवेलू	40.60	बब्लू (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**40.60**		
26	शासकीय आबादी	258	भारतसिंह पुत्र कोमलसिंह	देशी कवेलू	97.02	भारतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	62.04	धर्मेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				लकड़ी के पट्टे	62.78	टीनाबाई (पुत्री)	स्थाई
				देशी कवेलू	62.78		
				देशी कवेलू	1.50		
				योग :	**286.12**		
			मनीष पुत्र भारतसिंह	देशी कवेलू	46.80	मनीष (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**46.80**		
27	शासकीय आबादी	258	केशर सिंह पुत्र गेंदा जी	लकड़ी के पट्टे	33.30	केशरसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	33.30		
				टीन शेड	1.50		
				योग :	**68.10**		
28	शासकीय आबादी	258	मोहन पुत्र केशर सिंह	लकड़ी के पट्टे	19.35	मोहन (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	19.35		
				योग :	**38.70**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
29	शासकीय आबादी	258	भूरी बाई बैवा लखन सिंह	लकडी के पट्टे	38.35	भूरी बाई (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	38.35		
				योग :	**76.70**		
30	शासकीय आबादी	258	राम प्रसाद पुत्र सरदार	देशी कवेलू	44.88	रामप्रसाद (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	27.60		
				योग :	**72.48**		
31	शासकीय आबादी	258	जगदीश पुत्र नारायण सिंह	देशी कवेलू	49.13	जगदीश (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**49.13**		
			प्रीतम पुत्र नारायण सिंह	देशी कवेलू	40.78	प्रीतम (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	14.33		
				योग :	**55.11**		
			नारायण सिंह पुत्र भमर जी	पन्नी	17.67	नारायण सिंह (मुखिया)	स्थाई
						राजमणी (पुत्री)	स्थाई
						गंजूबाई (पुत्री)	स्थाई
				टीन शेड	1.56	संजू (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	42.25	रामबरोजी (पुत्री)	स्थाई
						कन्हैया (पुत्र)	स्थाई
						राजू (पुत्र)	स्थाई
						समन्दर(पुत्र)	स्थाई
				योग :	**61.48**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान / मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	शासकीय आबादी	258	मदनलाल, नन्नूलाल, करन सिंह, घीसाजी पुत्रगण किशना जी	देशी कवेलू	70.00	मदनलाल स. क्र. 166 पर दर्ज, नन्नूलाल स. क्र. 154 पर दर्ज, करनसिंह स. क्र. 147 पर दर्ज, घीसाजी स.क्र. 165 पर दर्ज,	अस्थाई
				योग :	**70.00**		
33	शासकीय आबादी	258	राजेन्द्र सिंह छोटेलाल	देशी कवेलू	54.06	राजेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	10.58		
				योग :	**64.64**		
34	शासकीय आबादी	258	भंवरलाल पुत्र घीसा जी	लकडी के पट्टे	72.80	भमरजी (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	72.80		
				योग :	**145.60**		
35	शासकीय आबादी	258	पुनिया बाई पत्नि मोतीलाल	पन्नी	73.13	पुनिया बाई (मुखिया)	स्थाई
						जशरत (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**73.13**		
			मुकेश पुत्र मोतीलाल	देशी कवेलू	88.20	मुकेश (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**88.20**		
36	शासकीय आबादी	258	लक्ष्मी सिंह पुत्र नन्दराम	देशी कवेलू	32.64	लक्ष्मी सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	35.84	सिया बाई (पुत्री)	स्थाई
				देशी कवेलू	47.58		
				योग :	**116.06**		
			नन्दराम पुत्र	लकडी के	44.70	नन्दराम	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			हजारीलाल	पट्टे		(मुखिया)	
				देशी कवेलू	44.70		
				योग :	**89.40**		
			रामबाबू पुत्र नन्दराम	लकडी के पट्टे	44.70	रामबाबू (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	44.70		
				देशी कवेलू	19.95		
				देशी कवेलू	57.15		
				योग :	**166.50**		
37	शासकीय आबादी	258	प्रेम सिंह पुत्र धूलजी	लकडी के पट्टे	26.84	प्रेमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	26.84	धर्मसिंह (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	43.31		
				योग :	**96.99**		
			चन्दनसिंह पुत्र धुलजी	लकडी के पट्टे	28.06	चंदनसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	28.06		
				योग :	**56.12**		
38	शासकीय आबादी	258	पर्वतसिंह पुत्र धुलजी	देशी कवेलू	44.02	पर्वत (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	55.61	हेमराज (पुत्र)	स्थाई
						गजराज (पुत्र)	स्थाई
						महेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**99.63**		
39	शासकीय	267	सूरजसिंह पुत्र कोमलसिंह	देशी कवेलू	85.15	सूरजसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**85.15**		
40	शासकीय	258	भजनसिंह पुत्र	देशी कवेलू	154.29	भजनसिंह	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
	आबादी		अमरसिंह			(मुखिया)	
						राजेश (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**154.29**		
			अमरसिंह पुत्र भैरोसिंह	देशी कवेलू	25.76	अमरसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**25.76**		
11	शासकीय जंगल	7	अंतरसिंह पुत्र भमरजी	देशी कवेलू	97.50	अंतरसिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	37.72		
				योग :	**135.22**		
12	शासकीय जंगल	7	बालमुकुन्द पुत्र घीसाजी	देशी कवेलू	105.00	बालमुकुन्द (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	33.25		
				देशी कवेलू	31.96	कन्हैया (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**170.21**		
13	शासकीय जंगल	7	माखन सिंह पुत्र उमराव सिंह	देशी कवेलू	52.70	माखन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**52.70**		
14	शासकीय	65	मुन्नी बाई पत्नि रायसिंह	अंग्रेजी कवेलू	83.25	मुन्नीबाई (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.69		
				योग :	**84.94**		
15	शासकीय आबादी	359	भम्मू पुत्र बनेसिंह जगदीश पुत्र बनेसिंह	देशी कवेलू	195.45	भम्मू (मुखिया)	स्थाई
						निशा (पुत्री)	स्थाई
						सुषमा (पुत्री)	स्थाई
						नीलेश (पुत्री)	स्थाई
						जगदीश (भाई)	स्थाई
				योग :	**195.45**		

स. क.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
46	शासकीय आबादी	359	समंदर सिंह पुत्र बनेसिंह	टीन शेड	55.08	समंदर (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**55.08**		
47	शासकीय आबादी	359	प्रेम सिंह पुत्र रायसिंह	देशी कवेलू	183.00	प्रेम सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**183.00**		
			हरनाथ सिंह पुत्र रायसिंह	आर.सी.सी.	54.40	हरनाथ सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**54.40**		
			चन्दर सिंह पुत्र रायसिंह	टीन शेड	58.24	चन्दर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**58.24**		
48	शासकीय आबादी	359	राम जानकी मंदिर	आर.सी.सी.	71.34	–	–
				योग :	**71.34**		
49	शासकीय आबादी	359	भम्मू पुत्र निर्भय सिंह	देशी कवेलू	54.00	भम्मू (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**54.00**		
50	शासकीय आबादी	359	धनवीर सिंह पुत्र विक्रम सिंह	देशी कवेलू	54.00	धनवीर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**54.00**		
51	शासकीय आबादी	359	तेजसिंह पुत्र गुलाब सिंह	देशी कवेलू	46.20	तेजसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	28.90		
				योग :	**75.10**		
52	शासकीय आबादी	359	ज्ञानबाई पत्नि गुलाबसिंह	देशी कवेलू	29.88	ज्ञानबाई (मुखिया)	स्थाई
						ममता बाई (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**29.88**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान : मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
·	2	3	4	5	6	7	8
53	शासकीय आबादी	359	महेन्द्र पुत्र गुलाब सिंह	देशी कवेलू	61.70	महेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	46.15		
				योग :	**107.85**		
54	शासकीय आबादी	359	शासकीय स्कूल	गार्डर फर्सी	43.68	–	–
				आर.सी.सी.	22.20		
				आर.सी.सी.	16.83		
				आर.सी.सी.	9.66		
				योग :	**92.37**		
55	शासकीय आबादी	359	प्रेमनारायण पुत्र वल्लभ, जगदीश, सुरेश पुत्रगण प्रेमनारायण, सहदेव पुत्र जगदीश	देशी कवेलू	33.50	प्रेमनारायण (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	54.00	जगदीश (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	72.90	गिरजेश (पोती)	स्थाई
						सहदेव (पोता)	स्थाई
						सुरेश (पुत्र)	स्थाई
						मोहित (पोता)	स्थाई
				योग :	**160.40**		
56	शासकीय आबादी	359	हरीनारायण पुत्र वल्लभ	देशी कवेलू	56.16	नजीराबाद निवास	अस्थाई
				योग :	**56.16**		
57	शासकीय आबादी	359	हुकमचंद पुत्र हजारीलाल	लकड़ी पट्टे	52.80	हुकुमचन्द (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	52.80		
				टीन शेड	1.44	रोहित (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**107.04**		
58	शासकीय आबादी	359	राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह	लकडी पट्टे	38.88	राजेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	23.76		
				योग :	**62.64**		

स. क.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान : मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
59	शासकीय आबादी	359	कुबेर सिंह पुत्र करन सिंह, दौलत सिंह पुत्र करन सिंह	लकड़ी पट्टे	57.72	कुबेर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	57.72	मोहित (पुत्र)	स्थाई
						भूपेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
						दौलतसिंह (भाई)	स्थाई
				योग :	**115.44**		
			कुबेरसिंह पुत्र करन सिंह	घासफूस	17.28		
				घासफूस	33.60		
				योग :	**50.88**		
60	शासकीय आबादी	359	नेपाल सिंह पुत्र पर्वत सिंह	देशी कवेलू	92.40	नेपाल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**92.40**		
61	शासकीय	351	जसरथ बाई पत्नि अखेसिंह	देशी कवेलू	129.36	जसरत बाई (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	50.60		
				योग :	**179.96**		
62	शासकीय	351	विजय कुमारी पत्नी छोटेलाल	देशी कवेलू	56.16	विजय कुमारी (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	43.20		
				टीन शेड	1.25	जगपाल (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**100.61**		
63	शासकीय	351	मोती सिंह पुत्र रामनाथ सिंह	देशी कवेलू	73.20	मोतीसिंह (मुखिया)	स्थाई
						मोहन सिंह (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	1.69	अंशु (पुत्री)	स्थाई
						रजनी कंवर (पुत्री)	स्थाई
						सचिन (पुत्र)	स्थाई

स. क.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान / मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				योग :	**74.89**		
54	शासकीय	351	सनमान सिंह पुत्र अखेसिंह	देशी कवेलू	40.00	सनमान सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	63.64		
				टीन शेड	1.25		
				योग :	**104.89**		
55	शासकीय	351	रंजीत सिंह पुत्र रामनाथ	देशी कवेलू	35.00	रंजीत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**35.00**		
56	शासकीय आबादी	359	जगन्नाथ सिंह पुत्र अमर सिंह, लालू सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह	देशी कवेलू	154.00	जगन्नाथ सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	28.00		
				टीन शेड	1.21	लालूसिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**183,21**		
57	शासकीय आबादी	359	रामलखन पुत्र मदन मोहन, रतन बाई पत्नि मदन मोहन	टीन शेड	40.20	रामलखन (मुखिया)	स्थाई
				घासफूस	39.60	शुभम (पुत्र)	स्थाई
						रोहित (पुत्र)	स्थाई
						रतन बाई (माताजी)	स्थाई
				योग :	**79.80**		
58	शासकीय आबादी	359	गुलाब सिंह पुत्र बने सिंह, सजन सिंह पुत्र गुलाब सिंह	देशी कवेलू	165.38	गुलाबबाई (मुखिया)	स्थाई
						सजनसिंह (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	1.44	कृष्णपाल (पोता)	स्थाई
						छोटू (पोता)	स्थाई
				योग :	**166.82**		

स क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान / मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
69	शासकीय आबादी	359	लक्ष्मन सिंह पुत्र बने सिंह	लकड़ी पट्टे	40.04	लक्ष्मण सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	40.04		
				टीन शेड	2.34	जगमोहन (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**82.42**		
70	शासकीय आबादी	359	निर्भय सिंह पुत्र बनेसिंह	लकड़ी पट्टे	55.44	निर्भयसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	55.44	बनाबाबू (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**110.88**		
			सुरेन्द्र सिंह पुत्र निर्भयसिंह	देशी कवेलू	57.60	सुरेन्द्र(मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	5.22		
				योग :	**62.82**		
71	शासकीय आबादी	359	विक्रम सिंह पुत्र बनेसिंह	लकडी पट्टे	108.50	विक्रम सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	53.20		
				पन्नी	4.48	दीपक(पुत्र)	स्थाई
				योग :	**166.18**		
72	शासकीय आबादी	359	विक्रम सिंह, निर्भय सिंह, लक्ष्मन सिंह, हरीसिंह पुत्रगण बनेसिंह शिवराज सिंह, लाखन सिंह, छोटेलाल पुत्रगण दरयाव सिंह	देशी कवेलू	45.44	विक्रमसिंह स. क्र. 71 पर दर्ज, निर्भय सिंह स.क्र. 70 पर दर्ज, लक्ष्मण सिंह स.क्र. 69 पर दर्ज हरिसिंह स.क्र. 73 पर दर्ज शिवराज सिंह, लाखन सिंह, छोटेलाल स. क्र. 74 पर दर्ज	अस्थाई
				योग :	**45.44**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान : मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
73	शासकीय आबादी	359	हरीसिंह पुत्र बनेसिंह	गार्डर फर्सी	56.10	हरिसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	56.10		
				देशी कवेलू	72.60		
				देशी कवेलू	12.00		
				देशी कवेलू	18.00		
				योग :	**214.80**		
74	शासकीय आबादी	359	शिवराज सिंह, लाखन सिंह, छोटेलाल पुत्रगण दरयाव सिंह	पनी घासफूस	33.30	लाखन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	53.24		
				देशी कवेलू	39.60	छोटेलाल (भाई)	स्थाई
				फर्शी	1.56	शिवराज (भाई)	स्थाई
				योग :	**127.70**		
75	शासकीय आबादी	359	प्रेमसिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह	लकडी पट्टे	53.28	प्रेमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	53.28		
				योग :	**106.56**		
76	शासकीय आबादी	359	प्रेमसिंह पुत्र विजय सिंह	देशी कवेलू	40.80	प्रेमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	49.40	भगवान सिंह (पुत्र)	स्थाई
				फर्शी	1.44	संजयसिंह (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	54.40		
				योग :	**146.04**		
			तारा बाई पत्नि सुन्दरसिंह	देशी कवेलू	42.16	ताराबाई (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	3.84		
				टीन शेड	1.44		
				देशी कवेलू	21.66	चंचल (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**69.10**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान १ मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			प्रहलाद सिंह पुत्र विजय सिंह	गार्डर फर्सी	16.20	प्रहलाद सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	16.20		
				देशी कवेलू	26.24		
				टीन शेड	1.44	जगदीश (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**60.08**		
77	शासकीय आबादी	359	उच्छव बाई पत्नि विक्रम सिंह	गार्डर फर्सी	58.80	उच्छव बाई (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	58.80	राजू (पुत्र)	स्थाई
						दिलीप (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**117.60**		
			भूपेन्द्र सिंह पुत्र विक्रमसिंह	टीन शेड	36.90	भूपेन्द्र (मुखिया)	स्थाई
				घासफूस	28.70		
				टीन शेड	1.32		
				योग :	**66.92**		
78	शासकीय	371	दोलत सिंह पुत्र भवानी सिंह, सोन पुत्र दोलत सिंह	देशी कवेलू	140.20	दौलतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44	मोनू (पुत्र)	स्थाई
						छोटे (पुत्र)	स्थाई
						सोनू (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**141.64**		
79	शासकीय	362	गंगाराम पुत्र देवीलाल	टीन शेड	17.00	गंगाराम (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रजी कवेलू	63.00	लखन सिंह (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	3.36	रोशनी (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**83.36**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
30	शासकीय आबादी	359	कमल सिंह पुत्र सूरत	देशी कवेलू	74.88	कमल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.32	राजपाल (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**76.20**		
			भारतसिंह पुत्र सूरतसिंह	देशी कवेलू	72.80	–	अस्थाई
				योग :	**72.80**		
31	शासकीय आबादी	359	जसरथ पुत्र सूरतसिंह	देशी कवेलू	46.00	जसरथ (मुखिया)	स्थाई
				पनी घासफूस	5.80	शिवानी (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**51.80**		
32	शासकीय आबादी	359	गोपाल सिंह पुत्र रतनसिंह	देशी कवेलू	64.00	गोपाल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	28.00	स्वार्थी (पुत्री)	स्थाई
						मेघा (पुत्री)	स्थाई
						राजपाल (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**92.00**		
33	शासकीय आबादी	359	कैलाश बाई पत्नी प्रताप सिंह	देशी कवेलू	86.80	कैलाश बाई (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	30.30	जितेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	11.60	धर्मेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	28.00		
				टीन शेड	1.32		
				पनी घासफूस	4.84		
				योग :	**162.86**		
34	शासकीय आबादी	359	हरनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह	गार्डर फर्सी	30.96	हरनाथ सिंह (मुखिया)	स्थाई

क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान : मकान धारक क निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				देशी कवेलू	30.96	विजयपाल (पुत्र)	स्थाई
				गार्डर फर्सी	36.12	देवेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	30.96		
				टीन शेड	36.12	बबली(पुत्री)	स्थाई
				योग :	**165.12**		
			देवेन्द्र पुत्र हरनाथ सिंह	टीन शेड	18.02		
				योग :	**18.02**		
	शासकीय आबादी	359	रघुनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह	देशी कवेलू	56.96	रघुनाथ (मुखिया)	स्थाई
				गार्डर फर्सी	50.15	संजू (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	50.15	नन्दू (पुत्र)	स्थाई
						विनिता(पुत्री)	स्थाई
						मनमोहन(पुत्र)	स्थाई
				योग :	**157.26**		
35	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व	321	संजू पुत्र रघुनाथ सिंह	देशी कवेलू	92.95		
				टीन शेड	1.44		
				योग :	**94.39**		
36	शासकीय आबादी	359	महेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह	देशी कवेलू	61.60	महेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**61.60**		

स. क.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
37	शासकीय आबादी	359	बद्रीलाल पुत्र भोंदा	देशी कवेलू	45.20	बद्रीलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	22.40	दीपेश (पुत्र)	स्थाई
				फर्शी	1.32	ज्योति(पुत्री)	स्थाई
						भारती (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**68.92**		
38	शासकीय आबादी	359	राजेश पुत्र कालूराम	देशी कवेलू	16.80	राजेश (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.32		
				योग :	**18.12**		
39	वन भूमि	2	विक्रमसिंह पुत्र खुशीलाल	देशी कवेलू	52.34	–	–
				देशी कवेलू	17.28		
				देशी कवेलू	18.00		
				योग :	**87.62**		
40	वन भूमि	2	अंतरसिंह पुत्र बापूलाल	पन्नी	54.87	–	–
				योग :	**54.87**		
41	वन भूमि	2	जन्तरसिंह पुत्र मुलमुलसिंह	अंग्रेजी कवेलू	90.00	जन्तर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	23.52	शक्तिमान (पुत्र)	स्थाई
				पन्नी	50.00	अल्लीबाई (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**163.52**		
42	वन	2	ऊधम सिंह पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	89.06	ऊधम सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**89.06**		
43	शासकीय	410	नन्नूलाल पुत्र सोपाल	अंग्रेजी कवेलू	142.00	नन्नूलाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	85.68		

स. क	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				टीन शेड	76.38		
				टीन शेड	7.60		
				फर्शी	1.56	कुलदीप (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**313.22**		
94	शासकीय आवास योजना	388	मोहर सिंह पुत्र नन्नूलाल	देशी कवेलू	54.00	मोहरसिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	19.04	पूजा बाई (पुत्री)	स्थाई
				टीन शेड	1.56		
				योग :	**74.60**		
95	शासकीय आवास योजना	388	बद्री पुत्र नन्नूलाल	देशी कवेलू	18.48	बद्रीलाल (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	18.15	फुलिया बाई (माताजी)	स्थाई
				योग :	**36.63**		
96	शासकीय आवास योजना	388	शंकरलाल पुत्र दयाराम ग्यासीराम पुत्र शंकरलाल	देशी कवेलू	120.00	शंकर (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	20.28	ग्यारसीराम (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	1.56		
				योग :	**141.84**		
97	शासकीय आवास योजना	388	मनफूल पुत्र प्यारेलाल	देशी कवेलू	66.00	मनफूल (मुखिया)	स्थाई
				घासफूस पन्नी	19.84		
				टीन शेड	1.44		
				योग :	**87.28**		
98	शासकीय आवास योजना	388	लालाराम पुत्र भागचन्द	देशी कवेलू	69.55	लालाराम (मुखिया)	स्थाई
						पहलवान (पुत्र)	स्थाई
						दीमान (पुत्र)	स्थाई
						लक्ष्मीनारायण (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**69.55**		

स. क.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			पहलवान पुत्र लालाराम	देशी कवेलू	18.00		
				योग :	**18.00**		
			दीमान पुत्र लालाराम	देशी कवेलू	19.50		
				टीन शेड	1.44		
				योग :	**20.94**		
99	शासकीय आवास योजना	388	रामचरण पुत्र फूलचंद	देशी कवेलू	38.08	–	अस्थाई
				योग :	**38.08**		
100	शासकीय आवास योजना	388	मांगीलाल पुत्र दयाराम	देशी कवेलू	56.84	मांगीलाल (मुखिया)	स्थाई
						जालमसिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**56.84**		
101	शासकीय आवास योजना	388	बब्बू पुत्र हजारी लाल	टीन शेड	11.88	बब्बू (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	11.88		
				टीन शेड	1.32		
				योग :	**25.08**		
			हजारीलाल पुत्र दयाराम	देशी कवेलू	25.08	हजारीलाल (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**25.08**		
			सूरजसिंह पुत्र हजारीलाल	देशी कवेलू	35.91	सूरजसिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	21.90		
				योग :	**57.81**		
			सरजुबाई पत्नि अजबसिंह	देशी कवेलू	32.50	सरजुबाई (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**32.50**		

क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान / मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			लल्लू पुत्र हजारीलाल	देशी कवेलू	29.64	लल्लू (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	31.04		
				योग :	**60.68**		
102	शासकीय आवास योजना	388	हरीसिंह पुत्र कालूराम	देशी कवेलू	55.37	हरिसिंह (मुखिया)	स्थाई
						रामबाबू(पुत्र)	स्थाई
						अरूण (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**55.37**		
			अरूण पुत्र हरिसिंह	पन्नी	12.00		
				योग :	**12.00**		
103	शासकीय आवास योजना	388	हरीनारायण पुत्र कालू छुटिया बाई पत्नि कालू	देशी कवेलू	61.74	हरिनारायण (मुखिया)	स्थाई
						छुटिया बाई (माताजी)	स्थाई
				योग :	**61.74**		
104	शासकीय आवास योजना	388	गोकल पुत्र कल्लू	देशी कवेलू	27.60	गोकल (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	16.80	जितेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	1.44	पप्पू (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	21.60		
				योग :	**67.44**		
			सोनू पुत्र गोकल	देशी कवेलू	34.65	सोनू (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**34.65**		
105	शासकीय आवास योजना	388	रतनलाल पुत्र प्रभूलाल	देशी कवेलू	38.40	रतन लाल (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**38.40**		
106	शासकीय	388	कमल सिंह पुत्र	अंग्रेजी कवेलू	34.50	कमल सिंह	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	आवास योजना		मांगीलाल			(मुखिया)	
						अर्जुन सिंह (पुत्र)	स्थाई
						अनिता बाई (पुत्री)	स्थाई
						राजु (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**34.50**		
			कुमेरसिंह पुत्र मांगीलाल	देशी कवेलू	34.50	कुमेर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	19.84		
				योग :	**54.34**		
107	शासकीय आवास योजना	388	पर्वत सिंह पुत्र कमल सिंह	देशी कवेलू	48.80	पर्वत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.20		
				योग :	**50.00**		
108	शासकीय आवास योजना	388	पहलवान पुत्र फत्तू	पन्नी	86.32	पहलवान (मुखिया)	स्थाई
						जितेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**86.32**		
109	शासकीय आवास योजना	388	मिन्दा बाई पत्नि फत्तू	देशी कवेलू	70.40	मिन्दाबाई (मुखिया)	स्थाई
						संतोष (पुत्र)	स्थाई
						सुनिल (पुत्र)	स्थाई
						राजा (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**70.40**		
			राजा पुत्र फत्तू	टीन शेड	8.28		
				योग :	**8.28**		
110	शासकीय आवास	388	कमल सिंह पुत्र भागचद	देशी कवेलू	31.16	कमल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	66.15		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान / मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	योजना			पन्नी	34.22	रविना (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**131.53**		
	शासकीय आवास योजना	388	इमरतसिंह पुत्र भागचंद	देशी कवेलू	65.72	इमरतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	32.98		
				टीन शेड	1.44		
111	द्रोपता बाई कंचन बाई पिता रामबख्श जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी 0.39	292	इमरतसिंह पुत्र भागचंद	देशी कवेलू	25.00		
				योग :	**125.14**		
112	शासकीय	386	राकेश पुत्र नन्नूलाल	देशी कवेलू	81.36	राकेश (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**81.36**		
			नन्नूलाल पुत्र रामचंद	लकडी के पटटे	14.00	नन्नूलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	14.00		
				टीन शेड	3.60		
				योग :	**31.60**		
			संतोष पुत्र नन्नूलाल	टीन शेड	39.78	संतोष (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**39.78**		
113	शासकीय	386	मदनसिंह पुत्र वंशीलाल	देशी कवेलू	29.44	मदनसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**29.44**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान / मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
114	शासकीय आबादी	298	रामदयाल पुत्र गोपीलाल	देशी कवेलू	25.20	रामदयाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	26.00		
				टीन शेड	1.44		
				पन्नी	58.20		
				योग :	**110.84**		
115	शासकीय आबादी	298	इन्दरियाबाई पत्नि गोपीलाल	देशी कवेलू	42.00	इन्दरिया बाई (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**42.00**		
116	शासकीय आबादी	298	रमेश पुत्र गोपीलाल	देशी कवेलू	37.70	रमेश (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	70.40	गोलू (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	1.56		
				योग :	**109.66**		
117	शासकीय आबादी	119	मोतीलाल पुत्र पन्नालाल	देशी कवेलू	38.00	मोतीलाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	28.50	दिलीप (पुत्र)	स्थाई
						रामगोपाल (पुत्र)	स्थाई
						कविता (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**66.50**		
118	शासकीय आबादी	119	विक्रम सिंह पुत्र हरीनारायण	देशी कवेलू	18.50	विक्रम (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**18.50**		
119	शासकीय देवस्थान	287	हनुमान मंदिर	आर.सी.सी.	10.50	–	–
				योग :	**10.50**		
120	शासकीय आबादी	119	सुखपाल सिंह पुत्र प्रेमसिंह, लोकपालसिंह	आर.सी.सी.	290.72	लोकपाल सिंह (मुखिया)	स्थाई

स. क.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			पुत्र प्रेमसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह	आर.सी.सी.	290.72	सुखपाल सिंह (भाई)	स्थाई
				आर.सी.सी.	35.40	महेन्द्र सिंह (भाई)	स्थाई
				आर.सी.सी.	35.40	निहाल (पुत्र)	स्थाई
				आर.सी.सी.	13.49	युवराज सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**665.73**		
			शोभा कमर पत्नि लोकपाल सिंह	टीन शेड	37.50	–	–
				योग :	**37.50**		
121	शासकीय आबादी	119	प्रेमसिंह पुत्र इंदरसिंह	टीन शेड	91.11	प्रेमसिंह (मुखिया)	स्थाई
	बालाप्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.73	290	प्रेमसिंह पुत्र इंदरसिंह	टीन शेड	81.00		
				टीन शेड	23.40		
				योग :	**195.51**		
122	शासकीय आबादी	119	कलिया बाई पत्नि हरिराम	देशी कवेलू	154.80	कलिया बाई (मुखिया)	स्थाई
						बालकिशन (पुत्र)	स्थाई
						रामकिशन (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**154.80**		

स. क.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान / मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
123	शासकीय आबादी	119	रामनाथ सिंह पुत्र इन्दर सिंह	गार्डर फर्शी	19.14	रामनाथ सिंह (मुखिया)	स्थाई
				गार्डर फर्शी	73.13		
				अंग्रेजी कवेलू	24.09		
				गार्डर फर्शी	28.35		
				योग :	**144.71**		
124	शासकीय आबादी	119	संजु पुत्र रामनाथसिंह	आर.सी.सी.	149.04	संजू (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	210.00		
				योग :	**359.04**		
125	शासकीय आबादी	119	रोहित पुत्र रामनाथ सिंह	आर.सी.सी.	131.30	रोहित (मुखिया)	स्थाई
				आर.सी.सी.	13.78		
				गार्डर फर्शी	74.34		
				अंग्रेजी कवेलू	25.96		
				अंगेजी कवेलू	9.24		
				टीन शेड	69.56		
	राजेन्द्र सिंह पुत्र सोभाग्य सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.33	111		टीन शेड	27.60		
				योग :	**351.78**		
126	शासकीय आबादी	119	शिवराज सिंह पुत्र सज्जन	लकडी के पट्टे	45.36	शिवराज सिंह (मुखिया)	स्थाई

प्र. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				देशी कवेलू	19.98		
				आर.सी.सी.	37.80		
				फर्शी	3.64		
				योग :	**106.78**		
			पुष्पेन्द्र पुत्र शिवराज	देशी कवेलू	20.80	पुष्पेन्द्र (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	12.00		
				योग :	**32.80**		
			शंकर पुत्र सजनसिंह	लकडी के पट्टे	39.20	शंकर (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	39.20	सपना (पुत्री)	स्थाई
				देशी कवेलू	10.92	बिट्टू (पुत्र)	स्थाई
						राहुल (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**89.32**		
			राहुल पुत्र शंकर	टीन शेड	4.10		
				योग :	**4.10**		
			बिट्टू पुत्र शंकर सिंह	टीन शेड	20.00		
				योग :	**20.00**		
127	शासकीय आबादी	119	जगदीश सिंह पुत्र प्रहलाद सिह	देशी कवेलू	13.44	जगदीश सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**13.44**		
128	शासकीय आबादी	119	बापू सिंह पुत्र गुलाबसिंह	आर.सी.सी.	11.73	बापूसिंह (मुखिया)	स्थाई
				आर.सी.सी.	60.06		
				आर.सी.सी.	2.08		
				टीन शेड	67.10		
				देशी कवेलू	4.42		
				योग :	**145.39**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
			कमलसिंह पुत्र गोरधनसिंह	गार्डर फर्शी	18.14	कमल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				गार्डर फर्शी	21.81		
				टीन शेड	20.74		
				गार्डर फर्शी	47.78		
				अंगेजी कवेलू	47.78		
				फर्शी	0.98		
				योग :	**157.23**		
129	शासकीय आबादी	119	रामकुंवर पत्नी भगवत सिंह	आर.सी.सी.	38.88	रामकंवर बाई (मुखिया)	स्थाई
				आर.सी.सी.	38.88	अंजू (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**77.76**		
130	शासकीय आबादी	119	रूपेन्द्र सिंह पुत्र विशन सिंह	लकडी के पट्टे	51.84	रूपेन्द्र (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	51.84		
				योग :	**103.68**		
			रघूवीर सिंह पुत्र विशन सिंह	लकडी के पट्टे	51.84	रघुवीर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंगेजी कवेलू	51.84		
				टीन शेड	33.28		
				योग :	**136.96**		
131	शासकीय आबादी	119	प्रभुनाथ सिंह पुत्र गुलाब सिंह	लकडी के पट्टे	48.36	प्रभुनाथ सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	48.36		
				आर.सी.सी.	91.00		
				अंग्रेजी कवेलू	8.75		
				टीन शेड	3.00		
				फर्शी	0.90		

स. क्र	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान / मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
				टीन शेड	44.00		
				देशी कवेलू	4.42	पूजा (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**248.79**		
132	शासकीय	109	आदित्य शर्मा पुत्र मांगीलाल	टीन शेड	46.62	आदित्य (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**46.62**		
133	शासकीय	109	शा. प्रा. शाला बैरागढ़	गार्डर फर्शी	104.16	–	–
				गार्डर फर्शी	18.55		
				गार्डर फर्शी	59.95		
				फर्शी	8.40		
				आर.सी.सी.	12.92		
				आर.सी.सी.	60.16		
				योग :	**264.14**		
134	शासकीय	150	शा. मा. शाला बैरागढ़	आर.सी.सी.	119.07	–	–
				आर.सी.सी.	37.31		
				आर.सी.सी.	113.19		
				आर.सी.सी.	31.08		
				योग :	**300.65**		
			कार्यालय ग्राम पंचायत बैरागढ	आर.सी.सी.	63.99	–	–
				आर.सी.सी.	59.29		
				योग :	**123.28**		

:: टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित ग्राम बैरागढ की भूमि का पूर्व में भूमि अर्जन किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में भूमि पर स्थित प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण सम्मिलित नहीं होने से निम्न तालिका अनुसार भूमि पर स्थित मकानो का अर्जन एवं कुटुंबो का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जा रहा है ::

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
135	अमर सिंह पुत्र शिवपालसिंह जाति मैना पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी उमेदीबाई पुत्री शिवपालसिंह जाति मैना पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.06	456	दौलत सिंह पुत्र ऊधम सिंह	अंग्रेजी कवेलू	49.28	दौलत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	12.60	धनराज (पुत्र)	स्थाई
				पन्नी	40.00	कान्हा (पुत्र)	स्थाई
				टीन चादर	52.80	कल्लू (पुत्र)	स्थाई
				टीन चादर	34.84	शिवानी (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**189.52**		
136	अमर सिंह पुत्र शिवपालसिंह जाति मैना पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी उमेदीबाई पुत्री शिवपालसिंह जाति मैना पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.06	456/1	मानसिंह पुत्र श्रीराम, माखन सिंह पुत्र मानसिंह	देशी कवेलू	54.88	मानसिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	72.80	माखन (पुत्र)	स्थाई
				टीन चादर	17.40	अनिता (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**145.08**		
137	गंगाराम पुत्र शिवपालसिंह जाति मैना भूमि स्वामी अमरसिंह पुत्र शिवपालसिंह जाति मैना भूमि स्वामी बाबूलाल पुत्र शिवपालसिंह जाति मैना भूमि स्वामी नन्नूलाल पुत्र शिवपालसिंह	454/2	राजाराम पुत्र गंगाराम	अंग्रेजी कवेलू	110.16	राजाराम (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	77.84	भैय्या लाल (पुत्र)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	134.00	मोहन सिंह (पुत्र)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	75.48	बब्लू (पुत्र)	स्थाई

क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक निवास विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
	जाति मैना भूमि स्वामी कलाबाई पुत्री शिवपालसिंह जाति मैना भूमि स्वामी उमेदीबाई पुत्री शिवपालसिंह जाति मैना भूमि स्वामी प्रेमबाई पुत्री शिवपालसिंह जाति मैना 1/2 भाग भूमि स्वामी उधमसिह पुत्र श्रीराम जाति मैना भूमि स्वामी मानसिंह पुत्र श्रीराम जाति मैना पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.39			लकडी के पट्टे	21.96		
				अंग्रेजी कवेलू	21.96		
				टीन चादर	44.89		
				फर्शी	10.73		
				योग :	**497.02**		
138	भंवरलाल पुत्र रामप्रसाद जाति लोधी पता नि ग्राम 0.126 भाग भूमि स्वामी मुल्लो बाई पत्नि मानसिंह जाति लोधी पता नि ग्राम 0.50 भाग भूमि स्वामी	182/min/2	रघुवीर पुत्र भमरलाल	देशी कवेलू	139.75	रघुवीर (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	52.50		
				योग :	**192.25**		
139	रामसिंह पुत्र गोपाल जाति भील पता नि. मजरा हरीपुरा 1.505 भाग भूमि स्वामी इमरतसिंह कैलाशबाबू पुत्रगण नैनजी समंत्रावाई लाडवाई पुत्रियॉ नैनजी केशरवाई बेबा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी जयसिंह केशरीसिंह पुत्रगण हरिसिंह जाति भील भूमि	179	कैलाश बाबू पुत्र नैनजी	देशी कवेलू	91.20	कैलाश बाबू (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	29.82		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
	स्वामी शान्तिबाई वेवा हरीसंह जाति भील पता निवासी ग्राम 1.353 भाग भूमि स्वामी इमरतसिंह कैलाशबाबू पुत्रगण नैनजी समंत्राबाई लाडवाई पुत्रियॉ नैनजी केशरवाई बेबा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 6.57						
				योग :	**121.02**		
140	नारानसिंह पुत्र प्रभूलाल जाति भील पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.75	180	कैशर बाई पत्नि नैनजी	देशी कवेलू	25.00	कैशर बाई (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.56		
				योग :	**26.56**		
141	नारानसिंह पुत्र प्रभूलाल जाति भील पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.75	180	इमरत सिंह पुत्र नैनजी	देशी कवेलू	76.86	इमरत सिंह (मुखिया)	स्थाई
						छोटेलाल (चाचा जी)	स्थाई
						राजेश (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**76.86**		
142	नारानसिंह पुत्र प्रभूलाल जाति भील पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.75	180	फूलिया बाई पत्नि धनसिंह	देशी कवेलू	32.64	फूलिया बाई (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.50	जगदीश (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**34.14**		
			रामप्रसाद पुत्र धनसिंह	देशी कवेलू	41.91	रामप्रसाद (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**41.91**		
			कमरलाल पुत्र	देशी कवेलू	31.36	कमर लाल	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			धनसिंह			(मुखिया)	
				योग :	**31.36**		
			केशरसिंह पुत्र धनसिंह	देशी कवेलू	60.80	केशरसिंह (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.50		
				योग :	**62.30**		
143	जयसिंह केसरी सिंह पिता हरिसिंह जाति भील पता विदिशा म.प्र 2/3 भाग भूमि स्वामी शांती बाई बैवा हरिसिंह जाति भील पता विदिशा म.प्र 1/3 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.31	201/1	मंदिर हनुमान जी	आर.सी.सी.	25.00	–	–
				योग :	**25.00**		
144	जयसिंह केसरी सिंह पिता हरिसिंह जाति भील पता विदिशा म.प्र 2/3 भाग भूमि स्वामी शांती बाई बैवा हरिसिंह जाति भील पता विदिशा म.प्र 1/3 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.31	201/1	भूली बाई पत्नि हीराजी	देशी कवेलू	40.00	भूली बाई (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	14.85	बाबूलाल (पुत्र)	स्थाई
						भगवानसिंह (पोता)	स्थाई
				टीन शेड	1.44	रघूवीर (पोता)	स्थाई
						नारायण सिंह (पुत्र)	स्थाई
						इन्दरसिंह (पोता)	स्थाई
				योग :	**56.29**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
145	जयसिंह केसरी सिंह पिता हरिसिंह जाति भील पता विदिशा म.प्र 2/3 भाग भूमि स्वामी शांती बाई बैवा हरिसिंह जाति भील पता विदिशा म.प्र 1/3 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.31	201 /1	हिन्दूसिंह पुत्र हीराजी	देशी कवेलू	87.63	हिन्दु सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**87.63**		
146	जयसिंह केसरी सिंह पिता हरिसिंह जाति भील पता विदिशा म.प्र 2/3 भाग भूमि स्वामी शांती बाई बैवा हरिसिंह जाति भील पता विदिशा म.प्र 1/3 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.31	201 /1	राजेन्द्र सिंह पुत्र हीराजी	अंग्रेजी कवेलू	71.68	राजेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**71.68**		
147	करन सिंह पुत्र किशना जी जाति भील पता विदिशा म.प्र सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.50	200 /1/ 1	करन सिंह पुत्र किशन जी	देशी कवेलू	72.00	करनसिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.50		
				योग :	**73.50**		
			मुन्शीलाल पुत्र करनसिंह	देशी कवेलू	42.42	–	अस्थाई
				योग :	**42.42**		
			चन्दन , मुकेश पुत्रगण करनसिंह	देशी कवेलू	88.80	चन्दनसिंह (मुखिया)	स्थाई
						मुकेश (भाई)	स्थाई
				योग :	**88.80**		
148	दयाराम पुत्र जगन्नाथ जाति भील पता विदिशा म.प्र सम्पूर्ण भाग भूमि	171 /1/	भारतसिंह पुत्र पन्नालाल	देशी कवेलू	34.97	भारतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	23.76	लाखन सिंह	स्थाई

त.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	स्वामी भू–राजस्व 1.10	1				(पुत्र)	
				योग :	**58.73**		
			विष्णु पुत्र भारतसिंह	देशी कवेलू	59.22	विष्णु (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**59.22**		
149	दयाराम पुत्र जगन्नाथ जाति भील पता विदिशा म.प्र सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.10	171/1/1	पदम सिंह पुत्र पन्नालाल	देशी कवेलू	31.36	पदमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	30.38		
				देशी कवेलू	9.90		
				देशी कवेलू	35.65		
				टीन शेड	32.00		
				योग :	**139.29**		
150	दयाराम पुत्र जगन्नाथ जाति भील पता विदिशा म.प्र सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.10	171/1/1	जगन्नाथ पुत्र धनसिंह	देशी कवेलू	36.29	जगन्नाथ (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	41.89		
				देशी कवेलू	9.44		
				योग :	**87.62**		
151	दयाराम पुत्र जगन्नाथ जाति भील पता विदिशा म.प्र सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.10	171/1/1	पन्नालाल पुत्र घीसाजी	देशी कवेलू	78.74	पन्नालाल (मुखिया)	स्थाई
						सोनू (पोता)	स्थाई
				योग :	**78.74**		
152	तीजु बाई पत्नि भंवरलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.80	182/min/1	गुलाब सिंह पुत्र गोरेलाल	पन्नी	30.50	गुलाब सिंह (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.56		
				योग :	**32.06**		
			नाती बाई पत्नि गोरेलाल	देशी कवेलू	26.60	नाती बाई (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**26.60**		
			अंतरसिंह पुत्र गोरेलाल	देशी कवेलू	28.08	अंतरसिंह (मुखिया)	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				योग :	**28.08**		
153	सुखराम पुत्र बुद्धा जाति भील पता विदिशा म.प्र सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.25	214 /1	उमराव सिंह पुत्र सुखराम	देशी कवेलू	62.62	उमराव सिंह (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.44		
				योग :	**64.06**		
154	करन सिंह पुत्र किशना जी जाति भील पता विदिशा म.प्र सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.50	200 /1/ 1	नन्नूलाल पुत्र किशना जी	देशी कवेलू	29.04	नन्नूलाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44		
				योग :	**30.48**		
155	रमेश पुत्र सुल्तान जाति मेहतर पता विदिशा म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी विक्रय निषेध भू राजस्व 4.50	219 /1	फूलसिंह पुत्र हजारीलाल	देशी कवेलू	96.39	फूलसिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44	सुरेश (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**97.83**		
			भगवान सिंह पुत्र फूलसिंह	देशी कवेलू	71.28	भगवान सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**71.28**		
			दीवानसिंह पुत्र फूलसिंह	देशी कवेलू	36.92	दीवानसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**36.92**		
156	रमेश पुत्र सुल्तान जाति मेहतर पता विदिशा म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी विक्रय निषेध भू राजस्व 4.50	219 /1	मोहरसिंह पुत्र हजारीलाल	देशी कवेलू	25.92	मोहरसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	79.05		
				देशी कवेलू	111.60		
				टीन शेड	1.50		
				योग :	**218.07**		
157	तीजु बाई पत्नि भंवरलाल जाति भील पता विदिशा	182	अमर सिंह पुत्र गोरेलाल	देशी कवेलू	26.66	अमरसिंह (मुखिया)	स्थाई

क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	म.प्र सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.80	/min/1		फर्शी	1.56	रूमालसिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**28.22**		
			दयाल सिंह पुत्र अमरसिंह	देशी कवेलू	31.00	दयालसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**31.00**		
158	रामसिंह पुत्र गोपाल जाति भील पता नि. मजरा हरीपुरा 1.505 भाग भूमि स्वामी इमरतसिंह कैलाशबाबू पुत्रगण नैनजी समंत्रावाई लाडवाई पुत्रियॉ नैनजी केशरवाई बेबा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी जयसिंह केशवीरसिंह पुत्रगण हरिसिंह जाति भील भूमि स्वामी शान्तिबाई वेवा हरीसंह जाति भील पता निवासी ग्राम 1.353 भाग भूमि स्वामी इमरतसिंह कैलाशबाबू पुत्रगण नैनजी समंत्रावाई लाडवाई पुत्रियॉ नैनजी केशरवाई बेबा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 6.57	179	केशरवीर पुत्र हरीसिंह	अंग्रेजी कवेलू	26.66	केशवीर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	26.66	लाखन सिंह (पुत्र)	स्थाई
						विजयपाल सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**53.32**		
159	रामसिंह पुत्र गोपाल जाति भील पता नि. मजरा हरीपुरा 1.505 भाग भूमि स्वामी इमरतसिंह कैलाशबाबू पुत्रगण नैनजी	179	सम्पतबाई पत्नि जयसिंह	देशी कवेलू	54.00	सम्पतबाई (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44	महीपाल सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**55.44**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	समंत्रावाई लाडवाई पुत्रियॉ नैनजी केशरवाई बेबा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी जयसिंह केशवीरसिंह पुत्रगण हरिसिंह जाति भील भूमि स्वामी शान्तिबाई वेवा हरीसंह जाति भील पता निवासी ग्राम 1.353 भाग भूमि स्वामी इमरतसिंह कैलाशबाबू पुत्रगण नैनजी समंत्रावाई लाडवाई पुत्रियॉ नैनजी केशरवाई बेबा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 6.57		चन्द्रपाल पुत्र जयसिंह	अंग्रेजी कवेलू	37.82	चन्द्र पाल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**37.82**		
160	रामसिंह पुत्र गोपाल जाति भील पता नि. मजरा हरीपुरा 1.505 भाग भूमि स्वामी इमरतसिंह कैलाशबाबू पुत्रगण नैनजी समंत्रावाई लाडवाई पुत्रियॉ नैनजी केशरवाई बेबा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी जयसिंह केशवीरसिंह पुत्रगण हरिसिंह जाति भील भूमि स्वामी शान्तिबाई वेवा हरीसंह जाति भील पता निवासी ग्राम 1.353 भाग भूमि स्वामी इमरतसिंह कैलाशबाबू पुत्रगण नैनजी समंत्रावाई लाडवाई पुत्रियॉ	179	तेजसिंह पुत्र रायसिंह	देशी कवेलू	42.70	तेजसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	9.90		
				योग :	**52.60**		
			रायसिंह पुत्र गोपाल	देशी कवेलू	91.50	रायसिंह (मुखिया)	स्थाई
						प्रीति बाई (पुत्री)	स्थाई
						मुकेश (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	1.50	लेखराज (पुत्र)	स्थाई

त.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	नैनजी केशरवाई बेबा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 6.57						
				योग :	**93.00**		
161	रामसिंह पुत्र गोपाल जाति भील पता नि. मजरा हरीपुरा 1.505 भाग भूमि स्वामी इमरतसिंह कैलाशबाबू पुत्रगण नैनजी समंत्रावाई लाडवाई पुत्रियॉ नैनजी केशरवाई बेबा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी जयसिंह केशवीरसिंह पुत्रगण हरिसिंह जाति भील भूमि स्वामी शान्तिबाई वेवा हरीसंह जाति भील पता निवासी ग्राम 1.353 भाग भूमि स्वामी इमरतसिंह कैलाशबाबू पुत्रगण नैनजी समंत्रावाई लाडवाई पुत्रियॉ नैनजी केशरवाई बेबा नैनजी 1.505 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 6.57	179	शांती बाई पत्नि हरीसिंह	देशी कवेलू	16.64	शान्ति बाई (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.56		
				योग :	**18.20**		
162	मदनलाल पुत्र किशनाजी जाति भील पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.50	200/1/2	राज पुत्र कमर लाल	देशी कवेलू	49.28	राज (मुखिया)	स्थाई
				आर.सी.सी.	65.34		
				योग :	**114.62**		
			कमरलाल पुत्र किशनलाल	देशी कवेलू	52.32	कमरलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	33.58	किशनलाल (पिताजी)	स्थाई
				योग :	**85.90**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
163	मदनलाल पुत्र किशनाजी जाति भील पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी विक्रय निषेध भू–राजस्व 3.00	193 /1	प्रेम सिंह पुत्र हीरा जी	देशी कवेलू	104.96	प्रेमसिंह (मुखिया)	स्थाई
						कृष्ण पाल (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**104.96**		
164	राजेन्द्रसिंह पुत्र हीराजी जाति भील पता लटेरी लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.11	194 /1	भरोसा लाल पुत्र हीरा जी	देशी कवेलू	53.12	भरोसा (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	28.16		
	जयसिंह केसरी सिंह पिता हरिसिंह जाति भील पता विदिशा म.प्र 2/3 भाग भूमि स्वामी शांती बाई बैवा हरिसिंह जाति भील पता विदिशा म.प्र 1/3 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.31	201 /1	भरोसा पुत्र हीराजी	देशी कवेलू	59.50		
				योग :	**140.78**		
165	पन्नालाल पुत्र गोरेलाल जाति भील पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.20	196 /1	घीसाजी पुत्र कृष्णाजी	देशी कवेलू	42.24	घीसाजी (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	46.80	स्तारा बाई (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**89.04**		
			विक्रम पुत्र घीसाजी	देशी कवेलू	39.65	विक्रम (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44		
				देशी कवेलू	9.60		
				फर्शी	1.44		
				योग :	**52.13**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
166	पन्नालाल पुत्र गोरेलाल जाति भील पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.20	196/1	मदनलाल पुत्र किशना जी	देशी कवेलू	20.88	मदनलाल (मुखिया)	स्थाई
						झूना बाई (माताजी)	स्थाई
				योग :	**20.88**		
167	पदमसिंह पुत्र पन्नालाल जाति भील पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	184/1/1	रोडजी पुत्र पन्नालाल	देशी कवेलू	88.76	रोडजी (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44		
				योग :	**90.20**		
168	केशर सिंह नारायण सिंह पुत्रगण गेंदाजी तुलसीबाई रोडी बाई उमराव बाई पुत्रियां गेंदाजी जाति भील पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.09	262/1	गुलाबबाई पत्नि शोभाराम	देशी कवेलू	66.00	गुलाबबाई (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	12.25	ममता बाई (पुत्री)	स्थाई
				टीन शेड	2.08		
				योग :	**80.33**		
169	केशर सिंह नारायण सिंह पुत्रगण गेंदाजी तुलसीबाई रोडी बाई उमराव बाई पुत्रियां गेंदाजी जाति भील पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.09	262/1	पन्नालाल पुत्र सरदार जी	देशी कवेलू	20.30	पन्नालाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	2.18		
				योग :	**22.48**		
			सुरेश पुत्र पन्नालाल	आर.सी.सी.	64.32	सुरेश (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**64.32**		
			गोलू पुत्र रमेश	देशी कवेलू	97.60	गोलू (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**97.60**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
170	केशर सिंह नारायण सिंह पुत्रगण गेंदाजी तुलसीबाई रोडी बाई उमराव बाई पुत्रियां गेंदाजी जाति भील पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.09	262/1	रमेश पुत्र सुलतान	देशी कवेलू	35.84	रमेश (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	14.25	मांगीलाल (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	1.56		
				योग :	**51.65**		
171	जगन्नाथ पुत्र प्रभूलाल जाति भील पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.37	265	रूपेन्द्र पुत्र मोतीलाल	देशी कवेलू	43.50	रूपेन्द्र (मुखिया)	स्थाई
						नौरंग बाई (माताजी)	स्थाई
				योग :	**43.50**		
			राहुल पुत्र मोतीलाल	देशी कवेलू	51.04	राहुल (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**51.04**		
172	दौला पुत्र देवीसिंह जाति भील पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.46	233	चैन सिंह पुत्र दोलाजी	देशी कवेलू	50.35	चेनसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	25.80	मोहनबाई (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**76.15**		
			दयालसिंह पुत्र चैनसिंह	देशी कवेलू	93.06	दयालसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**93.06**		
173	दौला पुत्र देवीसिंह जाति भील पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.46	233	कमरलाल पुत्र दौला जी	देशी कवेलू	57.60	कमरलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	15.00		
				पन्नी	16.82		
				फर्शी	1.44	रचनाबाई (पुत्री)	स्थाई
				देशी कवेलू	100.00		
				योग :	**190.86**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
174	दौला पुत्र देवीसिंह जाति भील पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.46	233	रंगलाल पुत्र दौलाजी	देशी कवेलू	71.68	रंगलाल (मुखिया)	स्थाई
				लकड़ी के पट्टे	78.00		
				देशी कवेलू	87.75		
				योग :	**237.43**		
175	दौला पुत्र देवीसिंह जाति भील पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.46	233	नारानी बाई पत्नि दौलाजी	देशी कवेलू	42.00	नारानी बाई (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	39.20		
				योग :	**81.20**		
176	खुशीलाल पुत्र सुखराम जाति भील पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.16	234	खुशीलाल पुत्र सुखराम	देशी कवेलू	65.96	खुशीलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	18.72	लखन (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**84.68**		
177	श्याम पुत्र बहादर सिंह राजकुमारी गायत्रीबाई पुत्रियॉ बहादरसिंह प्यारीबाई बेवा बहादरसिंह जाति राजपूत पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 819/5667 भाग भूमि स्वामी शैतानबाई पुत्री उमरावसिंह जाति राजपूत पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1809/5667 भाग भूमि स्वामी खुसीलाल पुत्र राजाराम जाति लोधी पता लटेरी लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 63/5667 भाग भूमि स्वामी महेन्द्रसिंह तेजसिंह	64/2	राम नारायण पुत्र मदनलाल	देशी कवेलू	60.60	रामनारायण (मुखिया)	स्थाई
						दरियाव सिंह (पुत्र)	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	पुत्र गुलाबसिंह ममताबाई दीपाबाई पुत्रियॉ गुलाबसिंह ज्ञानबाई बेवा गुलाबसिंह जाति राजपूत पता लटेरी लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1810/5667 भाग भूमि स्वामी भम्मूसिंह समंदरसिंह जगदीशसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत पता लटेरी लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1156/5667 भाग भूमि स्वामी क पुत्र क जाति ज पता लटेरी लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 10/5667 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.21						
				योग :	**60.60**		
178	कमरलाल पुत्र किशनलाल जाति भील पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.93	74/1	मुन्शीलाल पुत्र फूलसिंह, नरेश पुत्र मुन्शीलाल	देशी कवेलू	193.80	मुन्शीलाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44	सोनू (पुत्र)	स्थाई
						नरेश (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**195.24**		
179	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.22	321	मोहर सिंह पुत्र खुशीलाल	देशी कवेलू	24.00	मोहर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				पनी घासफूस	24.00	सुनिल (पुत्र)	स्थाई
				पनी घासफूस	24.00	सलोनी (पुत्री)	स्थाई
				गार्डर फर्सी	80.58		
				पन्नी	0.96		
				योग :	**153.54**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
180	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.22	321	बद्रीलाल पुत्र खुशीलाल	देशी कवेलू	24.00	बद्रीलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	24.00	संदीप (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	62.22		
				गार्डर फर्सी	80.58		
				योग :	**190.80**		
181	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.22	321	इमरत सिंह पुत्र रोशनलाल, धापू बाई पत्नी रोशनलाल	देशी कवेलू	189.00	इमरत सिंह (मुखिया)	स्थाई
						धापूबाई (माताजी)	स्थाई
				योग :	**189.00**		
182	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.22	321	गुड्डी बाई पत्नी बाबूलाल, मुकेश पुत्र बाबूलाल	देशी कवेलू	8.70	गुड्डीबाई (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	37.80		
				देशी कवेलू	63.00		
				देशी कवेलू	14.50	मुकेश (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**124.00**		
183	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.22	321	कमल सिंह, रामचरण, राम सिंह पुत्रगण रोशनलाल	देशी कवेलू	126.00	कमलसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	90.00	रामसिंह (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	15.00	रामचरण (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	15.00	रोशन लाल (पिता)	स्थाई
				योग :	**246.00**		

अ.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
184	कुबेरसिंह दौलतसिंह पुत्रगण करनसिंह गुडडीबाई पुत्री करनसिंह गीताबाई बेबा करनसिंह अरजनसिंह पुत्र विजयसिंह पर्वतसिंह पुत्र विजयसिंह पप्पू पुत्र मूलचन्द सत्यनारायण पुत्र देवीप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.07	357	कमलाबाई पत्नि अर्जुनसिंह वीरेन्द्र बलवीर पुत्रगण अर्जनसिंह	देशी कवेलू	188.10	कमलाबाई (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.32	वीरेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
						बलबीर (पुत्र)	स्थाई
				योग :	189.42		
185	छोटेसिंह नाबा कृष्णपाल सिंह पुत्रगण सजन सिंह सर पिता स्वयं जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी गुलाबसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.02	355	पेप कंवर पत्नि पर्वत सिंह मेहताब सिंह, छोटेलाल पुत्रगण पर्वत सिंह	देशी कवेलू	72.39	पेपकंवर (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	51.50	मेहताब सिंह (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	32.40	छोटेलाल (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	20.00		
				योग :	176.29		
186	भारतसिंह पुत्र सूरतसिंह पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी सुन्दर पुत्र विजय पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.15	373	रूपसिंह पुत्र मदन सिंह	देशी कवेलू	86.80	रूपसिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44	मदनसिंह (पिता)	स्थाई
						सागर सिंह (भाई)	स्थाई
	शासकीय आबादी	359		देशी कवेलू	31.50		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				योग :	**119.74**		
187	जितेन्द्रसिंह वा. धर्मेन्द्र ना. वा. पुत्रगण प्रतापसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी मनुबाई ना. वा. पुत्री प्रतापसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी कमरबाई वेवा प्रतापसिंह सरपरस्त मॉ स्वयं जाति राजपूत पता नि. मजरा रामगढ समान भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.015	369	प्रहलाद सिह पुत्र राम सिंह	अंग्रेजी कवेलू	33.00	प्रहलाद सिंह (मुखिया)	स्थाई
				आर.सी.सी.	49.20		
				टीन शेड	37.72		
				टीन शेड	9.00		
				टीन शेड	10.50	शीतल (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**139.42**		
188	भमरजी बुधसिंह खेमचन्द्र पुत्रगण मोहनलाल व उमरीबाई पुत्री मोहनलालसम्भाग जाति भील पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.31	372	हनुमान जी मंदिर	आर.सी.सी.	23.79	–	–
				योग :	**23.79**		
189	सुगनबाई बेवा जगन्नाथ जाति विश्वकर्मा पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	320	खुशीलाल पुत्र भोंदा	देशी कवेलू	16.80	खुशीलाल (मुखिया)	स्थाई
						रविबाबू (पुत्र)	स्थाई
						सुनिल (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**16.80**		
190	सुगनबाई बेवा जगन्नाथ जाति विश्वकर्मा पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.11	320	देवीलाल पुत्र उमराव	देशी कवेलू	75.00	देवीलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	87.50		
				देशी कवेलू	24.00		
				फर्शी	1.44		
				योग :	**187.94**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मे मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			अवधनारायण पुत्र भीकम	गार्डर फर्सी	19.44	अवधनारायण (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	19.44	अरूण (पुत्र)	स्थाई
				घासफूस	75.00		
				देशी कवेलू	19.44		
				योग :	**133.32**		
			भीकम पुत्र उमराव	देशी कवेलू	57.72	भीकम (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44	मनोज (पुत्र)	स्थाई
						मोनू (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**59.16**		
			मलखान पुत्र उमराव	देशी कवेलू	24.50	मलखान (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**24.50**		
			रामबाबू पुत्र देवीलाल	देशी कवेलू	31.50	रामबाबू (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**31.50**		
191	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.22	321	जयकिशन पुत्र फूलसिंह	गार्डर फर्सी	45.88	जयकिशन (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	45.88	गोविन्द (पुत्र)	स्थाई
				गार्डर फर्सी	23.04		
				देशी कवेलू	23.04		
				देशी कवेलू	15.05		
				टीन शेड	1.44		
	श्याम पुत्र बहादर सिंह राजकुमारी गायत्रीबाई पुत्रियाँ बहादरसिंह प्यारीबाई बेवा बहादरसिंह जाति राजपूत पता लटेरी	64/2		देशी कवेलू	42.48		
				देशी कवेलू	43.00		

क.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान = मकान धारक के निवास के विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	विदिशा मध्य प्रदेश 819/5667 भाग भूमि स्वामी शैतानबाई पुत्री उमरावसिंह जाति राजपूत पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1809/5667 भाग भूमि स्वामी खुसीलाल पुत्र राजाराम जाति लोधी पता लटेरी लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 63/5667 भाग भूमि स्वामी महेन्द्रसिंह तेजसिंह पुत्र गुलाबसिंह ममताबाई दीपाबाई पुत्रियॉ गुलाबसिंह ज्ञानबाई बेया गुलाबसिंह जाति राजपूत पता लटेरी लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1810/5667 भाग भूमि स्वामी भम्मूसिंह समंदरसिंह जगदीशसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत पता लटेरी लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1156/5667 भाग भूमि स्वामी क पुत्र क जाति ज पता लटेरी लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 10/5667 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.21						
				योग :	**239.81**		
192	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा	321	महेश पुत्र मुन्शीलाल	गार्डर फर्सी	45.88	महेश (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	45.88		
				योग :	**91.76**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक निवास विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
	मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0. 22		शिवलाल पुत्र मुंशीलाल	देशी कवेलू	25.16	शिवलाल (मुखिया)	स्थाई
				घासफूस	11.18		
				योग :	**36.34**		
193	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0. 22	321	कल्लू पुत्र गोपीलाल	देशी कवेलू	66.30	कल्लू (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	68.75	लक्ष्मीनारायण (पुत्र)	स्थाई
						राजकुमार (पुत्र)	स्थाई
						जितेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
						रामबाबू(पुत्र)	स्थाई
						रविकुमार (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**135.05**		
194	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0 22	321	कमल सिह पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	75.40	कमलसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**75.40**		
195	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0. 22	321	दिनेश बाबू पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	16.96	दिनेश बाबू (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44		
				योग :	**18.40**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
196	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.22	321	सोनू पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	27.39	सोनू (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**27.39**		
197	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.22	321	सुगन बाई पत्नी जगन्नाथ	देशी कवेलू	75.60	सुगन बाई (मुखिया)	स्थाई
						मोनू (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**75.60**		
198	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.22	321	मांगीलाल पुत्र प्रभूलाल	देशी कवेलू	33.67	मांगीलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	28.00	राकेश (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	50.05	घनयश्याम (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	1.44		
				योग :	**113.16**		
199	रूघनाथ सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.22	321	मथुरा लाल पुत्र भोनाजी	देशी कवेलू	36.40	मथुरालाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	60.18	राधेश्याम (पुत्र)	स्थाई
				घासफूस	37.44	धीरज (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**134.02**		
200	प्रहलादसिंह पुत्र विजयराम पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी	376	धनवीर पुत्र प्रहलाद सिंह	टीन शेड	24.00	धनवीर (मुखिया)	स्थाई

अ.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	सुन्दरलाल पुत्र विजयराम पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी प्रेमसिंह पुत्र विजयराम पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी चतरोबाई पुत्री विजयराम पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी धनबाई पुत्री विजयराम पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0230/4151 भाग भूमि स्वामी कलाबाई पुत्री विजयराम पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 0233/4151 भाग भूमि स्वामी भूपेन्द्रसिंह राजू दिलीप पुत्रगण विक्रमसिंह अनीताबाई पुत्री विक्रमसिंह उच्चवबाई बेवा विक्रमसिंह जाति राजपूत बैरागढ़ विदिशा मध्य प्रदेश 0278/4151 भाग भूमि स्वामी भरतसिंह मदनलाल कमलसिंह जसवंतसिंह पुत्रगण सूरतसिंह पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1106/4151 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र राजाराम पता बैरागढ़						

अ.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
	लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1384/4151 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व						
				योग:	**24.00**		
201	भमरिया मनॅफूला सडिया पिता प्यारा जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.85	395	दौलतसिंह पुत्र भंवरलाल	देशी कवेलू	32.45	दौलत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**32.45**		
202	भमरिया मनॅफूला सडिया पिता प्यारा जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.85	395	भमरलाल पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	32.45	भमरलाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44	मलखान (पुत्र)	स्थाई
						गोलू (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**33.89**		
			प्रहलाद सिंह पुत्र भमर लाल	पन्नी	24.85	प्रहलाद (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**24.85**		
			लाखन सिंह पुत्र भमरलाल	देशी कवेलू	16.80	लाखन (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**16.80**		
203	घासीराम जमनालाल गणेशराम पुत्र धूरिया नारानीवाई कमलावाई पुत्रियॉ धूरियॉ जाति चमार पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.8	393	राम किशन पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	70.80	रामकिशन (मुखिया)	स्थाई
						सीताबाई (पुत्री)	स्थाई
				योग :	**70.80**		
			राजेन्द्र पुत्र जगन्नाथ	घासफूस पन्नी	34.00	राजेन्द्र (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	4.50		
				योग :	**38.50**		

न.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
204	घासीराम जमनालाल गणेशराम पुत्र धूरिया नारानीवाई कमलावाई पुत्रियॉ धूरियॉ जाति चमार पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.85	393	जमनालाल पुत्र घूरियालाल	देशी कवेलू	80.73	जमनालाल (मुखिया)	स्थाई
						मलखान (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**80.73**		
			सोनु पुत्र जमूना लाल	पन्नी	40.30	सोनू (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**40.30**		
205	घासीराम जमनालाल गणेशराम पुत्र धूरिया नारानीवाई कमलावाई पुत्रियॉ धूरियॉ जाति चमार पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.85	393	घासीराम पुत्र धुरिया	देशी कवेलू	73.20	घासीराम (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44	विनोद (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**74.64**		
			गणेश राम पुत्र धुरिया	देशी कवेलू	28.80	गणेशराम (मुखिया)	स्थाई
						अरूण (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**28.80**		
			श्रीकिशन पुत्र घासीराम	देशी कवेलू	14.06	श्रीकिशन (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	11.44		
				पन्नी	11.44		
				योग :	**36.94**		
			मुंशीलाल पुत्र घासीराम	सीमेंट चादर	40.32	मुंशीलाल (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**40.32**		
			जीतू पुत्र घासीराम	पन्नी	25.00	जीतू (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**25.00**		

क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक निवास विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
206	अमरसिंह पुत्र शिवपाल पता विदिश म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी उमेदी बाई पुत्री शिवराज जाति मैना पता विदिशा म.प्र 1/2 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.92	408/1	अमरसिंह पुत्र सोपाल सिंह	आर.सी.सी.	50.37	अमरसिंह (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.32		
				योग :	**51.69**		
			बलमन सिंह पुत्र अमरसिंह	अंग्रेजी कवेलू	58.45	बलमन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंगेजी कवेलू	28.00		
				योग :	**86.45**		
			मांगीलाल पुत्र अमरसिह	अंगेजी कवेलू	24.50	मांगीलाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	76.80		
				टीन शेड	34.65		
				देशी कवेलू	22.05		
				योग :	**158.00**		
			खुमानसिंह पुत्र अमरसिंह	अंगेजी कवेलू	53.20	खुमान सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	37.82	धर्नेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	9.57	जितेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**100.59**		
			विक्रमसिंह पुत्र खुमान	टीन शेड	1.82	विक्रमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंगेजी कवेलू	33.00		
				योग :	**34.82**		
207	राजु विजयसिंह पुत्रगण छीतर सुनीता बाई अनुसुईया बाई माया बाई पुत्री छीतर सिंह अजुद्धी बाई बैवा छीतर सिंह जाति	390/1	अजुद्धी बाई पत्नि छीतरलाल	देशी कवेलू	109.20	अजुद्धी बाई (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	66.96	राजू (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	17.67		
				योग :	**193.83**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर . फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
	चमार पता विदिशा म.प्र सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.25		विजय पुत्र छीतर	टीन शेड	33.06	विजयसिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	23.49		
				फर्शी	1.69		
				योग :	**58.24**		
208	बैजनाथ नन्नूलाल रामचन्द जाति कुम्हार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू– राजस्व 2.10	387	मुकेश पुत्र वैजनाथ	देशी कवेलू	81.36	मुकेश (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**81.36**		
			बैजनाथ पुत्र रामचंद	लकडी के पटटे	12.00	बैजनाथ (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	12.00		
				टीन शेड	9.52		
				योग :	**33.52**		
			अशोक पुत्र बैजनाथ	टीन शेड	42.94	अशोक (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	3.24		
				योग :	**46.18**		
			मुकेश अशोक पुत्रगण बैजनाथ	टीन शेड	98.64		
				योग :	**98.64**		
209	कमलसिंह पुत्र गोविन्द जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1120/5867 भाग भूमि स्वामी छोटेलाल पुत्र इंदरसिंह पता लटेरी	403	सुनिल पुत्र बटनलाल	देशी कवेलू	48.14	सुनिल (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**48.14**		

क्र.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
	विदिशा मध्य प्रदेश 1854/5867 भाग भूमि स्वामी रामनाथसिंह पुत्र इंदरसिंह पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 492/5867 भाग भूमि स्वामी कंचनबाई पुत्री रामप्रसाद जाति अहिरवार पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 746/5867 भाग भूमि स्वामी भागचंद पुत्र बल्ला जाति अहिरवार पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 493/5867 भाग भूमि स्वामी नरवीवाई ऊर्फ गुडडीवाई पत्नि फत्तू पुत्री उमेदा कलावाई पत्नि पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 493/5867 भाग भूमि स्वामी अजुद्दीवाई पुत्री छीतरलाल जाति अहिरवार पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 658/5867 भाग भूमि स्वामी ह पुत्र ज जाति क पता लटेरी लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 11/5867 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.59		सोरमबाई पत्नि बटनलाल	टीन शेड	45.57	सोरम बाई (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**45.57**		
210	कमलसिंह पुत्र गोविन्द जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1120/5867 भाग भूमि स्वामी छोटेलाल	403	राधेश्याम पुत्र भवंरलाल	देशी कवेलू	18.91	राधेश्याम (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44		
				टीन शेड	9.61		

न.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपड़ी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
	पुत्र इंदरसिंह पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1854/5867 भाग भूमि स्वामी राननाथसिंह पुत्र इंदरसिंह पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 492/5867 भाग भूमि स्वामी कंचनबाई पुत्री रामप्रसाद जाति अहिरवार पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 746/5867 भाग भूमि स्वामी भागचंद पुत्र बल्ला जाति अहिरवार पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 493/5867 भाग भूमि स्वामी नरवीवाई ऊर्फ गुडडीवाई पत्नि फत्तू पुत्री उमेदा कलावाई पत्नि पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 493/5867 भाग भूमि स्वामी अजुद्दीवाई पुत्री छीतरलाल जाति अहिरवार पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 658/5867 भाग भूमि स्वामी ह पुत्र ज जाति क पता लटेरी लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 11/5867 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.59						
				योग :	**29.96**		
211	कमलसिंह पुत्र गोविन्द जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1120/5867	403	हेमराज पुत्र भमरलाल, प्रकाश पुत्र भमरलाल	गार्डर फर्शी	49.58	हेमराज (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	26.00	प्रकाश (भाई)	स्थाई

क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक निवास विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
	भाग भूमि स्वामी छोटेलाल पुत्र इंदरसिंह पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1854/5867 भाग भूमि स्वामी रामनाथसिंह पुत्र इंदरसिंह पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 492/5867 भाग भूमि स्वामी कंचनबाई पुत्री रामप्रसाद जाति अहिरवार पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 746/5867 भाग भूमि स्वामी भागचंद पुत्र बल्ला जाति अहिरवार पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 493/5867 भाग भूमि स्वामी नरवीवाई ऊर्फ गुडडीवाई पत्नि फत्तू पुत्री उमेदा कलावाई पत्नि पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 493/5867 भाग भूमि स्वामी अजुद्वीवाई पुत्री छीतरलाल जाति अहिरवार पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 658/5867 भाग भूमि स्वामी ह पुत्र ज जाति क पता लटेरी लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 11/5867 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.59			पन्नी	31.50		
				योग :	107.08		
12	रामनाथ सिंह पुत्र ईन्दर सिंह जाति राजपूत पता	299	सडिया पुत्र प्यारेलाल	देशी कवेलू	39.55	सडिया (मुखिया)	स्थाई

क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक निवास विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
	विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.सा. 99			योग :	**39.55**		
			देशराज पुत्र सडिया	पन्नी	17.00	देशराज (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	53.95		
				पन्नी	16.60		
				योग :	**87.55**		
213	रामनाथ सिंह पुत्र ईन्दर सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.सा. 99	299	भमरलाल पुत्र प्यारा	टीन शेड	29.70	भमरलाल (मुखिया)	स्थाई
						हल्किया (पुत्र)	स्थाई
						निरंजन (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**29.70**		
214	द्रोपता बाई कंचन बाई पिता रामबख्श जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी 0.39	292	सुन्दरलाल पुत्र रमेश	देशी कवेलू	20.30	सुन्दरलाल (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**20.30**		
215	द्रोपता बाई कंचन बाई पिता रामबख्श जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी 0.39	292	बब्बू पुत्र बुद्धा	देशी कवेलू	56.40	बब्बू (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	43.66	अभिषेक (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**100.06**		
216	द्रोपता बाई कंचन बाई पिता रामबख्श जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी 0.39	292	भारत सिंह पुत्र बुद्धा	लकड़ी पट्टे	16.45	भारतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	16.45		
				देशी कवेलू	12.22		
				योग :	**45.12**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक निवास विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
217	द्रोपता बाई कंचन बाई पिता रामबख्श जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी 0.39	292	राधे किशन पुत्र रामचरण	लकडी पट्टे	19.60	राधेकिशन (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	19.60		
				देशी कवेलू	14.56		
				टीन शेड	1.44		
				योग :	**55.20**		
218	द्रोपता बाई कंचन बाई पिता रामबख्श जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी 0.39	292	मुकेश पुत्र रामचरण	देशी कवेलू	14.04	मुकेश (मुखिया)	स्थाई
				लकडी के पट्टे	18.90		
				देशी कवेलू	18.90		
				योग :	**51.84**		
			रामचरण पुत्र बुद्धा	देशी कवेलू	65.45	रामचरण (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**65.45**		
219	द्रोपता बाई कंचन बाई पिता रामबख्श जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी 0.39	292	भारत सिंह पुत्र मांगीलाल	लकडी के पट्टे	21.84	भारतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	21.84		
				योग :	**43.68**		
220	द्रोपता बाई कंचन बाई पिता रामबख्श जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी 0.04	291	भीकम सिंह पुत्र सरवन	देशी कवेलू	23.68	भीकम (मुखिया)	स्थाई
				घासफूस	9.00		
				टीन शेड	22.54		
				पन्नी	1.44		
				योग :	**56.66**		
221	द्रोपता बाई कंचन बाई पिता रामबख्श जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी 0.	291	गोरिया बाई पत्नि सरवन	गार्डर फर्शी	25.80	गोरिया बाई (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**25.80**		

अ.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
122	रामनाथ सिंह पुत्र ईन्दर सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.56	300	विक्रम सिंह पुत्र जगदीश सिंह, सोभाग्य सिंह पुत्र जगदीश सिंह	अंगेजी कवेलू	24.60	विक्रमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंगेजी कवेलू	39.78		
				टीन शेड	42.80		
				आर.सी.सी.	66.40		
				आर.सी.सी.	99.75		
				आर.सी.सी.	45.00		
				आर.सी.सी.	6.80	सोभाग्यसिंह (भाई)	स्थाई
				योग :	**325.13**		
123	रामनाथ सिंह पुत्र ईन्दर सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.56	300	सुरेश पुत्र ऊधम सिंह	देशी कवेलू	72.00	सुरेश (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	36.00		
				योग :	**108.00**		
124	रामनाथ सिंह पुत्र ईन्दर सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.56	300	सुमित्रा बाई पत्नि उधम सिंह	टीन शेड	87.40	सुमित्राबाई (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	1.56	अनिल (पुत्र)	स्थाई
						सोनू (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**88.96**		
125	बालाप्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.73	290	रोडया पुत्र मोतीलाल	देशी कवेलू	171.20	रोड्या (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	16.20	पांचोबाई (मां)	स्थाई
				पन्नी	1.44	समंदर (पुत्र)	स्थाई
						धीरप (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**188.84**		

च.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
226	बालाप्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.73	290	केसरसिंह पुत्र बिसन सिंह	देशी कवेलू	50.00	केसरसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	22.40		
				टीन शेड	32.04		
				देशी कवेलू	10.20		
				योग :	**114.64**		
227	बालाप्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.73	290	श्री राम जानकी मंदिर	आर.सी.सी.	78.10	–	–
				योग :	**78.10**		
228	बालाप्रसाद पुत्र वंशीलाल जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.15	143	हरीनारायण पुत्र बुद्धा	टीन शेड	39.60	हरिनारायण (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**39.60**		
			राजाराम पुत्र हरिनारायण	अंगेजी कवेलू	49.52	राजाराम (मुखिया)	स्थाई
						मनु (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**49.52**		
			मनु पुत्र हरिनारायण	टीन शेड	4.56		
				योग :	**4.56**		
229	बालाप्रसाद पुत्र वंशीलाल जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.15	143	पप्पू पुत्र मुल्ला	देशी कवेलू	42.16	पप्पू (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	20.40	अरूण (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**62.56**		
			काशीराम पुत्र मुल्ला	देशी कवेलू	42.16	काशीराम (मुखिया)	स्थाई

क्र.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक व निवास क विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
				टीन शेड	10.20	बिट्टू (पुत्र)	स्थाई
				फर्शी	1.44	मोनिका(पुत्री)	स्थाई
						गजरी बाई (माताजी)	स्थाई
				योग :	**53.80**		
			सोनु पुत्र काशीराम	पन्नी	36.40	सोनू (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**36.40**		
			कन्हैया लाल पुत्र विश्वनाथ	टीन शेड	48.00	कन्हैयालाल (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**48.00**		
			रमाशंकर पुत्र विश्वनाथ	गार्डर फर्शी	27.20	रमाशंकर (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**27.20**		
			महेश पुत्र विश्वनाथ	गर्डर फर्शी	27.20	महेश (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**27.20**		
230	सुमन कंवर बाई पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.90	144	नारायण प्रसाद पुत्र विश्वनाथ	गार्डर फर्शी	21.60	नारायण प्रसाद (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**21.60**		
			हरिप्रसाद पुत्र विश्वनाथ	गार्डर फर्शी	21.60	हरिप्रसाद (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**21.60**		
			रामू पुत्र विश्वनाथ	अंग्रेजी कवेलू	21.12	रामू (मुखिया)	स्थाई
						नर्वदा प्रसाद (भाई)	स्थाई
				योग :	**21.12**		

क्र.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक व निवास क विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
			नर्वदा प्रसाद पुत्र विश्वनाथ	फर्शी	4.25		
				योग :	**4.25**		
231	सुमन कंवर बाई पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.90	144	राजेन्द्र सिंह पुत्र सजन सिंह	अंगेजी कवेलू	62.40	राजेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	25.16		
				टीन शेड	23.45		
				आर.सी.सी.	38.43		
				आर.सी.सी.	41.36		
				आर.सी.सी.	140.51		
				योग :	**331.31**		
			रूपेन्द्र सिह पुत्र राजेन्द्र सिंह	अंगेजी कवेलू	17.39	रूपेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	53.04		
				आर.सी.सी.	7.83		
				पन्नी	1.44		
				योग :	**79.70**		
232	विक्रमसिंह सोभाग्यसिंह पिता जगदीश सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.55	116/2	छोटेलाल पुत्र इंदर सिंह	आर.सी.सी.	193.59	छोटेलाल (मुखिया)	स्थाई
				आर.सी.सी.	193.59	भंवरसिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**387.18**		
			भंवरसिंह पुत्र छोटेलाल	फर्शी	6.12	–	–
				योग :	**6.12**		
			वीरेन्द्र पुत्र छोटेलाल	टीन शेड	156.60	वीरेन्द्र (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**156.60**		
			ममता बाई पत्नि जयदीप	टीन शेड	94.00	ममता बाई (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**94.00**		

त.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक व निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
			राहुल पुत्र छोटेलाल	देशी कवेलू	27.72	राहुल (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**27.72**		
233	कुबेरसिंह पुत्र सजन सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी रामकुंअरबाई पत्नी सजन सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.59	118	कमल सिंह पुत्र गोविन्द सिंह	आर.सी.सी.	152.00	कमलसिंह (मुखिया)	स्थाई
				घासफूस	84.00		
				योग :	**236.00**		
234	कुबेरसिंह पुत्र सजन सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी रामकुंअरबाई पत्नी सजन सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.59	118	धमेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह	आर.सी.सी.	91.45	धमेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**91.45**		
235	कुबेरसिंह पुत्र सजन सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी रामकुंअरबाई पत्नी सजन सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.59	118	रूपेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह	अंगेजी कवेलू	57.20	रूपेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई
				आर.सी.सी.	13.86	श्यामकंवर (माताजी)	स्थाई

अ.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान : मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
	बालाप्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.73	290	रूपेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्द सिंह	आर.सी.सी.	38.40		
				योग :	**109.46**		
236	रामकुंवर बाई बेवा बिशन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी केशरसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी विक्रमसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी जीतेन्द्रसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्रसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रूपेन्द्रसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ	303	कुबेर सिंह पुत्र सज्जन सिंह	टीन शेड	18.50	कुबेरसिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	1.56		
				टीन शेड	67.62		
				देशी कवेलू	31.27		
				टीन शेड	3.80	शिवानी (पुत्री)	स्थाई

क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
	लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी ब्रजकुंवर पुत्री बिशन सिंह जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी अंजू संजू पुत्री भगवतसिंह जगपालसिंह पुत्र भगवतसिंह रामकुंवरबाई बेवा भगवतसिंह न जाति राजपूत पता बैरागढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.15						
				योग :	**122.75**		
237	रामनाथ सिंह पुत्र ईन्दर सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.56	300	भवरलाल पुत्र गुलाब सिंह	गार्डर फर्शी	53.76	भवरलाल (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	13.44		
				देशी कवेलू	13.44		
				टीन शेड	7.03		
				योग :	**87.67**		
			कृष्णपाल पुत्र भमरलाल	टीन शेड	58.88	कृष्णपाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	3.44		
				योग :	**62.32**		
238	रामनाथ सिंह पुत्र ईन्दर सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.56	300	रामकंवर बाई पत्नि विशन सिंह	आर.सी.सी.	80.52	रामकंवरबाई (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	46.44		
				टीन शेड	126.10	विक्रमसिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**253.06**		

क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक का निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
			सुरेन्द्र पुत्र विशन सिंह	आर.सी.सी.	115.00	सुरेन्द्र (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**115.00**		
			जितेन्द्र पुत्र विशन सिंह	आर.सी.सी.	131.72	जितेन्द्र (मुखिया)	स्थाई
				आर.सी.सी.	6.21		
				टीन शेड	2.89		
				टीन शेड	52.50		
				योग :	**193.32**		
239	रामनाथ सिंह पुत्र ईन्दर सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.56	300	हिम्मत सिंह पुत्र सौभाग सिंह	टीन शेड	78.31	हिम्मतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग :	**78.31**		
240	रामनाथ सिंह पुत्र ईन्दर सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.56	300	धर्मेन्द्र पुत्र हिम्मतसिंह	देशी कवेलू	21.42	धर्मेन्द्र (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	18.85		
				देशी कवेलू	18.85		
				योग :	**59.12**		
			मनोहर पुत्र हिम्मतसिंह	टीन शेड	7.43	मनोहर (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	9.57		
				योग :	**17.00**		
			जयपाल पुत्र हिम्मतसिंह	देशी कवेलू	19.36	जयपाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	30.00		
				पन्नी	14.63		
				योग :	**63.99**		

र.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान मकान धारक निवास विवरण (स्थाई, अस्थाई
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
	2	3	4	5	6	7	8
241	रामनाथ सिंह पुत्र ईन्दर सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.56	300	भूपेन्द्र सिंह पुत्र हिम्मत सिंह	देशी कवेलू	36.65	भूपेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.44		
				योग :	**38.09**		
242	कमलसिंह पुत्र गोवर्धन जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.07	301/1	मिथुन पुत्र भंवरलाल	टीन शेड	54.60	मिथुन (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	10.50		
				योग :	**65.10**		
243	बालाप्रसाद पुत्र वंशीलाल जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.82	80	बाला प्रसाद पुत्र बंशीलाल	आर.सी.सी.	104.72	बालाप्रसाद (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	22.20	विनोद (पुत्र)	स्थाई
				योग :	**126.92**		
			विनोद शर्मा पुत्र बालाप्रसाद	टीन शेड	5.91		
				योग :	**5.91**		
			नवल पुत्र बालाप्रसाद	टीन शेड	18.43	नवल (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.44		
				योग :	**19.87**		
244	बालाप्रसाद पुत्र वंशीलाल जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.82	80	वन चौकी	आर.सी.सी.	94.83	–	–
				आर.सी.सी.	7.56		
				योग :	**102.39**		
245	छोटेलाल पुत्र इंदरसिंह संजय सिंह पुत्र रामनाथ	108	राजेन्द्र सिंह पुत्र सौभग्यसिंह	टीन शेड	87.84	राजेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.59	/1				महताबबाई (माताजी)	स्थाई
						रितेश(पुत्र)	स्थाई
						सेजल(पुत्री)	स्थाई
				योग :	87.84		

उपरोक्त तालिका अनुसार लेग मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि अर्जन के कारण तहसील लटेरी के ग्राम दपकना, नेनागढ़ ,धीरगढ़ एवं बैरागढ़ में 440 व्यक्तियों के मकान प्रभावित हो रहे हैं जिसमें प्रभावित मकान धारकों के अलावा अधिनियम 2013 की धारा 3डी के तहत सर्वेक्षित 727 कुटुंब भी निवासरत हैं, इस प्रकार तहसील लटेरी में कुल 1167 प्रभावित कुटुंबों का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है। उपरोक्तानुसार परिवारों (कुटुंबों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत हैं तथा जिनके अन्यत्र स्थानों पर निवास हेतु मकान नहीं है, को विस्थापित क्षेत्र में भूमि पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर शासकीय आवासीय पट्टे 40'X 20'= 800 वर्गफुट साईज के भूखंड प्रदाय किये जावेंगे। जिसकी समयसीमा भू–अर्जन प्रकरणों में अवार्ड पारित होने के उपरांत तीन माह होगी।

अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो का निम्नानुसार पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें / सुविधायें दी जावेगी।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार प्रस्थापित किया जा सकेगा।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, को पाँच लाख रूपये का एक बारगी संदाय दिया जावेगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय राहायता दी जाएगी।

(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय राहायता यथास्थिति, पशुवाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए, एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के, प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसा प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाँए, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और सुनियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(15) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़को और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(16) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित जल निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(17) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(18) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(19) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह।

(20) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

(21) यथोचित पंचायत घर ।

(22) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(23) जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।

(24) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल।

(25) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

(26) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी ।

(27) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

(28) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र।

(29) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

(30) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

(31) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

(32) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चबूतरा।

(33) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।

(34) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(35) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील लटेरी के ग्राम दपकन में शासकीय भूमि खसरा नंबर–169 का रकबा 23.470 हेक्टेयर में से 15.035 हेक्टेयर भूमि न्यायालय कलेक्टर, विदिशा के प्रकरण क्रमांक – 0007/अ–20 (3)/2022–23 में पारित आदेश दिनांक 28/07/2023 द्वारा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासोदा, जिला–विदिशा को आवंटित की गई है, साथ ही लटेरी के ग्राम बैरागढ में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 29/1 रकबा 10.431 हे0 भूमि के पुनर्वास हेतु आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। टेम मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 40'×20' = 800 वर्गफुट का आवासीय भू–खण्ड आवंटित भूमि पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

(36) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा–11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(37) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा– 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

क्र.–13154–भू–अर्जन–2025 विदिशा, दिनांक 16 सितम्बर 2025

ग्राम धीरगढ़ पटवारी हल्का नं 50 तहसील लटेरी

अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में टेम मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील– लटेरी जिला– विदिशा के ग्राम धीरगढ़ के लिए बांध डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम :– टेम मध्यम सिंचाई परियोजना

2. भूमि का विवरण

1. जिला :– विदिशा
2. तहसील :– लटेरी
3. ग्राम :– धीरगढ़

अनुसूची 01

भूमि अर्जन के प्रभावित भूमि इत्यादि का विवरण

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0. में.)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रेम सिंह पुत्र मोहर सिंह ग्राम धीरगढ़	भूमि स्वामी	50/1/3	0.146	0.146	–	–	–
2	कंचन सिंह पुत्र मोहर सिंह ग्राम धीरगढ़	भूमि स्वामी	50/1/4	0.146	0.146	–	–	–
3	जगन्नाथ पुत्र हजारीलाल	भूमि स्वामी	246	1.101	0.660	–	–	–
4	हरलाल पुत्र किशनलाल ग्राम धीरगढ़	भूमि स्वामी	334/1	0.863	0.310	–	–	–
5	भजनसिंह पुत्र लालसिंह ग्राम धीरगढ़	भूमि स्वामी	334/2	0.500	0.050	–	–	–

6	अर्जनसिंह पुत्र लालसिंह ग्राम धीरगढ़	भूमि स्वामी	335	1.0120	0.100	–	–	–
7	हरिसिंह पुत्र भंवरजी ग्राम धीरगढ	भूमि स्वामी	388/1/1	1.000	0.670	–	–	–
8	देवीसिंह पुत्र भंवर जी ग्राम धीरगढ़	भूमि स्वामी	388/1/2	1.000	0.500	–	–	–
9	गोवर्धन पुत्र खेमचन्द ग्राम धीरगढ़	भूमि स्वामी	388/2/1	1.000	0.300	–	–	–
10	भजनसिंह पुत्र लालसिंह ग्राम धीरगढ	भूमि स्वामी	388/2/2	0.415	0.150	–	–	–
11	धनसिंह पुत्र गैंदाजी ग्राम धीरगढ़	भूमि स्वामी	418	0.1520	0.152	–	–	–

:: टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित ग्राम धीरगढ की भूमि का पूर्व में भूमि अर्जन किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां सम्मिलित नहीं होने से निम्न तालिका अनुसार भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियो का अर्जन किया जा रहा है

स.क्र	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शांति बाई बेवा विजय सिंह, सिया बाई, शकीना ना बा पुत्रीया विजयसिंह, विशाल ना बा. पुत्र विजयसिंह सर मां स्वयं जाति भील पता धीरगढ 1644/3288 भाग भूमि स्वामी शांतिबाई पत्नि विजयसिंह जाति भील पता धीरगढ लटेरी विदिशा 1644/3288 भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.00	भूमि स्वामी	2/1	0.750	0.750	0.000	–	कंजी–1 धोंकडा–1 पलाश–1 कुल–3
2	शांति बाई बेवा विजय सिंह, सिया बाई, शकीना ना बा. पुत्रीया विजयसिंह, विशाल ना बा. पुत्र विजयसिंह सर मां स्वयं जाति भील पता धीरगढ 1644/3288 भाग भूमि स्वामी शांतिबाई पत्नि विजयसिंह जाति भील पता धीरगढ लटेरी विदिशा 1644/3288 भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.00	भूमि स्वामी	2/2	0.750	0.750	0.000	–	कंजी–2 कहवा–4 कुल–6

स.क्र	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	शांति बाई बेवा विजय सिंह, सिया बाई, शकीना ना बा. पुत्रीया विजयसिंह, विशाल ना बा. पुत्र विजयसिंह सर मां स्वयं जाति भील पता धीरगढ 1644/3288 भाग भूमि स्वामी शांतिबाई पत्नि विजयसिंह जाति भील पता धीरगढ लटेरी विदिशा 1644/3288 भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.00	भूमि स्वामी	2/3	0.750	0.400	0.000	–	कहवा–5 कंजी–1 कुल–6
4	अमर सिंह पुत्र भवर जी जाति भील पता निवासी बेरागढ म.गोरियापुरा भूमि स्वामी भू राजस्व 3.62	भूमि स्वामी	3	1.770	0.707	0.000	–	कंजी–1 कहवा–7 उमर–2 गूलर–1 बहेडा–1 कुल–12
5	बंशीलाल पुत्र भेरोंसिंह जाति भील पता विदिशा सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.75	भूमि स्वामी	4/1	2.529	0.092	0.000	–	खजूर–1 कुल–1
6	अमर सिंह पुत्र भवर जी जाति भील पता लटेरी विदिशा सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.12	भूमि स्वामी	4/2	0.759	0.092	0.000	–	खजूर –12 इमली–1 सागौन –2 कुल–15
7	नंदराम पुत्र हजारीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.69	भूमि स्वामी	13/2	0.399	0.110	0.000	–	आम–1 बैर–2 कुल–3
8	पन्नालाल पुत्र सरदार सिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.72	भूमि स्वामी	19/2	0.586	0.000	0.020	–	कुआ–1 जामून–1 कुल–2
9	मोतीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति भील पता नि. विदिशा सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.54	भूमि स्वामी	20/1	1.040	0.000	1.040	–	आंवला–1 आम–1 सीताफल–2 कटहल–1 सागौन–1 कुल– 6
10	भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ जाति भील पता विदिशा सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.54	भूमि स्वामी	20/2	1.040	0.000	1.040	–	तेंदू–1 कुल–1

स.क्र	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	भारतसिंह पुत्र कोमलसिंह जाति भील पता विदिशा सम्पुर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.39	भूमि स्वामी	21/1	0.949	0.949	0.000	–	नीम–2 कुल–2
12	माधोसिंह पुत्र कोमलसिंह जाति भील पता विदिशा सम्पुर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.39	भूमि स्वामी	21/2	0.948	0.948	0.000	–	खजूर–4 कटर–1 आम–3 सीताफल–1 अमरूद–1 महुआ–1 नीम–3 अंग्रेजी बबूल –4 कुल–18
13	सूरतसिंह पुत्र कोमलसिंह जाति भील पता विदिशा सम्पुर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.39	भूमि स्वामी	21/3	0.948	0.948	0.000	–	खजूर–2 कबीट–1 अमरूद–3 नीम–2 जमराशी–1 कुल–9
14	जगन्नाथ सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर पता विदिशा सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.00	भूमि स्वामी	22/1/1	0.080	0.000	0.017	–	खजूर–1 कुल–1
15	मुन्शीलाल पुत्र रूगनाथ सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.16	भूमि स्वामी	22/2	1.012	1.012	0.000	–	कुआ–1 कुल–1
16	गणपतसिंह पुत्र हरीसिंह जाति गुर्जर पता धीरगढ़ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.00	भूमि स्वामी	22/3	0.832	0.832	0.000	–	पीपल–1 नीम–1 कुल–2
17	कुवेरसिंह पुत्र नन्नूलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.40	भूमि स्वामी	25/1	0.278	0.278	0.000	–	बैर–1 कुल–1
18	श्यामसिंह पुत्र नन्नूलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.41	भूमि स्वामी	25/2	0.279	0.279	0.000	–	खजूर–2 कुल–2
19	रामप्रसाद पुत्र बक्सू जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.11	भूमि स्वामी	26	0.759	0.759	0.000	–	अमरूद–204 आम–1 बैर–1

स.क्र	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								महुआ–6 कुल–212
20	रामप्रसाद पुत्र बक्सू जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.96	भूमि स्वामी	27	2.023	2.023	0.000	–	सीताफल–6 बैर–4 नीम–1 सागौन –2 जमराशी–1 कुल–14
21	अर्जनसिंह पुत्र बक्सू जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.80	भूमि स्वामी	28	0.544	0.000	0.544	–	आंवला–2 कुल–2
22	अर्जनसिह पुत्र बक्शु जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.48	भूमि स्वामी	30/1	1.062	1.062	0.000	–	जामून–1 बैर–3 आंम–1 अमरूद–8 कुल–13
23	कुवेरसिंह पुत्र नन्नूलाल जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.74	भूमि स्वामी	30/2	0.822	0.822	0.000	–	बैर–5 अमरूद–1 आम–1 कुल–7
24	श्यामसिंह पुत्र नन्नूलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.74	भूमि स्वामी	30/3	0.822	0.822	0.000	–	बैर–5 कुल–5
25	अर्जनसिंह पुत्र बक्शू जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.59	भूमि स्वामी	31	0.405	0.405	0.000	–	महुआ–1 कुल–1
26	अर्जनसिंह पुत्र बक्शू जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.09	भूमि स्वामी	32	0.746	0.746	0.000	–	नीम–1 महुआ–1 कुल–2
27	नन्नूलाल पुत्र बक्शू जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.89	भूमि स्वामी	34	0.607	0.607	0.000	–	अमरूद–136 महुआ–1 कुल–137
28	सुल्तान, नन्नू, हल्का, कम्मा, शिव्वा, फत्तू, शैतान पुत्रगण प्यारा जाति भंगी (मेहतर) भूमि स्वामी मुन्नीबाई पुत्री प्यारा जाति भंगी (मेहतर) पता नि. बैरागढ म.गोरियापुरा भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.24	भूमि स्वामी	38	0.164	0.164	0.000	–	पीपल–1 नीम–2 दूधी–1 कनेर–1 बबूल–1 कुल–6

स.क्र	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	रामप्रसाद पुत्र बक्शु जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.40	भूमि स्वामी	39/1	0.228	0.228	0.000	–	बांस की जाल–3 अंग्रेजी बबूल–1 कुल–4
30	नन्नूलाल पुत्र बक्शू जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.39	भूमि स्वामी	39/2	0.177	0.000	0.177	–	अमरूद–1 बैर–3 अंग्रेजी बबूल–1 कडे–1 कुल– 6
31	धन्नालाल पुत्र नंदलाल जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.33	भूमि स्वामी	44	0.228	0.000	0.228	–	सीताफल–5 बैर–3 अंग्रेजी बबूल–2 बांस की जाल–3 पलाश–1 सेमल–1 कुल– 15
32	महेन्दसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत पता नि.मजरा रामपुर भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.90	भूमि स्वामी	56/1	0.696	0.000	0.696	–	खजूर–1 सागौन–2 कंजी–1 पीपल–1 पलाश–2 कुल–7
33	प्रेमसिंह पुत्र बापू जाति गुर्जर पता विदिशा सम्पुर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.39	भूमि स्वामी	59	0.949	0.000	0.322	–	महुआ–1 पीपल–1 कुल–2
34	भूरा पुत्र भागीरथ जाति ढ़ीमर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62	1.050	0.000	0.211	–	अमरूद–3 आम –1 आंवला–5 नींबू–2 कटहल–1 नीम–1 कुल– 13

स.क्र	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	नन्नुलाल पुत्र पेमाजी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1101/2656 भाग भूमि सुखराम पुत्र पेमाजी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1101/2656 भाग भूमि स्वामी मांगीलाल पुत्र पेमाजी जाति भील पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 227/2656 भाग भूमि स्वामी भैरोसिंह कल्याणसिंह निर्भयसिंह पुत्रगण नंदराम कृष्णाबाई पार्वतीबाई पुत्रियां नंदराम चम्पीबाई बेवा नंदराम पता लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 227/2656 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.55	भूमि स्वामी	64	1.745	1.231	0.000	–	नीम –2 अंग्रेजी बबूल–1 कुल–3
36	कल्याणसिंह पुत्र बल्देवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.20	भूमि स्वामी	116/2	0.761	0.000	0.496	–	कुआ–1 कुल–1
37	दातारसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत पता विदिशा सम्पुर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.19	भूमि स्वामी	118/2	0.133	0.133	0.000	–	कुआ–1 कुल–1
38	रामसिंह पुत्र बल्देवसिंह जाति राजपूत पता विदिशा सम्पुर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.42	भूमि स्वामी	214/1/1	0.229	0.020	0.000	–	कुआ–1 कुल–1
39	प्रेमसिंह पुत्र बापूलाल जाति गुर्जर 0.628 भाग भूमि स्वामी विमलेशबाई पत्नि किशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम 0.292 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.62	भूमि स्वामी	228	0.366	0.000	0.012	–	कुआ–1 कुल–1
40	श्रीहनुमानसिंह महाराज मंदिर व्यवस्थापक शिवराजसिंह पुत्र दातारसिंह जाति राजपूत 0.442 भाग भूमि स्वामी भगवानसिंह पुत्र गनपतसिंह जाति गुर्जर पता नि. मजरा	भूमि स्वामी	231	1.454	0.000	1.454	–	कुआ–1 इमली–1 आंवला–1 खजूर–2 भीला–1 पीपल–1

स.क्र	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	रामपुर 1.012 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.78							जमराशी –1 कोडला–5 कंजी–1 कनेर–2 बेडला–3 कुल–19
41	कंचनसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति गुर्जर पता विदिशा सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.50	भूमि स्वामी	232/1/4	0.091	0.000	0.091	–	कुआ–1 कुल–1
42	गणपत सिंह पुत्र हरीसिंह जाति गुर्जर पता धीरगढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.87	भूमि स्वामी	232/2	0.506	0.506	0.000	–	कुआ–1 कुल–1
43	उमरावसिंह पुत्र रूघनाथ सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.52	भूमि स्वामी	234/1	0.266	0.266	0.000	–	पीपल–2 कुल–2
44	बलदेव सिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत पता नि.मजरा रामपुर भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.38	भूमि स्वामी	234/3	1.202	1.196	0.000	–	कुआ–1 कुल–1
45	रामसिंह पुत्र भमरलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.85	भूमि स्वामी	281	0.429	0.000	0.429	–	बैर–1 अमरूद –2 आम–1 खजूर–1 कुल–5
46	बापूलाल पुत्र हजारीलाल जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.70	भूमि स्वामी	292	0.367	0.000	0.367	–	नींबू–2 अमरूद –7 महुआ–2 कुल–11
47	अमरसिंह, बापूलाल, नन्नूलाल पुत्रगण शोपाल जाति मैना भूमि स्वामी कल्लीबाई, उमेदीबाई, प्रेमबाई पुत्रियां शोपाल जाति मैना पता नि. ग्राम 6/7भाग भूमि स्वामी राजाराम, बदनसिंह,	भूमि स्वामी	416	0.506	0.000	0.506	–	नीम –1 कुल–1

स.क्र	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	केदारसिंह, दिमानसिंह पुत्रगण गंगाराम, गुल्लोबाई बेवा गंगाराम जाति मैना पता निवासी ग्राम 1/7 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.00							
48	मूलसिंह, सोहन सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र रामनाथ सिंह पेवकमर बेवा रामनाथ सिंह पता विदिशा संपूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.80	भूमि स्वामी	417/4	0.542	0.000	0.284	–	बैर–14 कुल–14
49	नेमसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह, सुशीलाबाई, बंटीबाई, रेखाबाई, मनीषा पुत्रियॉ गोवर्धन सिंह, धापूबाई बेवा गोवर्धन सिंह जाति राजपूत पता धीरगढ़ लटेरी विदिशा संपूर्ण भाग भू–स्वामी भू–राजस्व 0.80	भूमि स्वामी	417/5	0.542	0.000	0.204	–	आचार पेड–1 नीम–5 रेंजडा–2 कुल–8
50	रूगनाथ पुत्र गंगाराम जाति भील पता नि.मजरा भगवानपुर भूमि स्वामी भू–राजस्व 5.62	भूमि स्वामी	421	3.794	2.356	0.000	–	बैर–2 रेंजडा–1 नीम–1 बांस की जाल–2 कुल– 6
51	बर्फीबाई बेवा भंवरजी जाति भील पता विदिशा 1/9 भाग भूमि स्वामी हरीसिंह पुत्र भंवरजी जाति भील पता विदिशा 1/9 भाग भूमि स्वामी सनमान सिंह पुत्र भंवरजी जाति भील पता विदिशा 1/9 भाग भूमि स्वामी देवी सिंह पुत्र भंवरजी जाति भील पता विदिशा 1/9 भाग भूमि स्वामी पर्वत सिंह पुत्र भंवरजी जाति भील पता विदिशा 1/9 भाग भूमि स्वामी काशीराम पुत्र भंवरजी जाति भील पता विदिशा 1/9 भाग भूमि स्वामी भूरियाबाई पुत्री भंवर जी	भूमि स्वामी	420	1.214	0.000	0.595	–	कबीट–1 बैर–1 जामून–1 कुल–3

स.क्र	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जाति भील पता विदिशा 1/9 भाग भूमि स्वामी नारानीबाई पुत्री भवरजी जाति भील पता विदिशा 1/9 भाग भूमि स्वामी गुड्डीबाई पुत्री भंवरजी जाति भील पता विदिशा 1/9 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.40							

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड /पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का (वर्ग क्षेत्रफल मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शासकीय नदी	36	हनुमान मंदिर	गार्डर फर्शी	35.20	–	–
				आर.सी.सी.	35.25		
				टीनशेड	24.50		
				फर्शी	7.79		
				टीनशेड	24.48		
				फर्शी	0.96		
				आर.सी.सी.	8.41		
				योगः	**136.59**		
2	शासकीय नदी	36	सामूदायिक भवन	आर.सी.सी.	42.25	–	–
				योगः	**42.25**		
3	शासकीय	41	अर्जुन सिंह पुत्र बक्सू	टीनशेड	23.40	अर्जुन (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रजी कवेलू	37.44	मोहन (पुत्र)	स्थाई
				गार्डर फर्शी	34.32	कमल सिंह (पुत्र)	स्थाई
				गार्डर फर्शी	34.32		
				अंग्रेजी कवेलू	16.12		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड /पक्का गाटर फर्शी /आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				देशी कवेलू	29.40		
				योगः	**175.00**		
			धनवीर पुत्र अर्जुन	फर्शी	2.56	धनवीर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	26.04		
				योगः	**28.60**		
4	शासकीय	41	अर्जुन सिंह पुत्र बक्सू, नन्नूलाल पुत्र बक्सू, करन सिंह पुत्र राम प्रसाद	गार्डर फर्शी	109.88	अर्जुन सिंह स. क्रमांक 3 पर दर्ज, नन्नूलाल स. क्र. 5 पर दर्ज , करन सिंह स. क्र. 59 पर दर्ज	अस्थाई
				देशी कवेलू	109.88		
				योगः	**219.76**		
5	शासकीय	42	नन्नूलाल पुत्र बक्सू	देशी कवेलू	34.17	नन्नूलाल (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**34.17**		
6	शासकीय	42	कुवेर सिंह पुत्र नन्नूलाल	देशी कवेलू	42.30	कुवेर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	42.84		
				गार्डर फर्शी	11.84	श्याम सिंह (भाई)	स्थाई
				देशी कवेलू	11.84		
				टीनशेड	2.08		
				योगः	**110.90**		
7	शासकीय	42	पुनियाबाई बैवा राम प्रसाद	देशी कवेलू	33.00	पुनियाबाई (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**33.00**		
			मोती सिंह पुत्र रामप्रसाद	लकड़ी के पट्टे	29.23	मोती सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	29.23		
				देशी कवेलू	23.70		
				देशी कवेलू	27.74	किशन सिंह (पुत्र)	स्थाई
				टीनशेड	2.25		
				देशी कवेलू	22.54		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				योगः	**134.69**		
8	शासकीय	42	मदन लाल पुत्र लक्ष्मण सिंह	गार्डर फर्शी	77.88	मदन लाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	77.88	चन्दन (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**155.76**		
			धर्मराज पुत्र मदन लाल	घासफूस	35.28	धर्मराज (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**35.28**		
9	शासकीय	43	शा. प्रा. शाला धीरगढ	गार्डर फर्शी	107.90	–	–
				आर.सी.सी.	16.32		
				आर.सी.सी.	61.04		
				फर्शी	7.20		
				योगः	**192.46**		
10	शासकीय नाला	264	भमरलाल पुत्र राम प्रसाद	आर.सी.सी.	105.49	भमर लाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	40.26	अभिषेक (पुत्र)	स्थाई
				फर्शी	1.96	माखन (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**147.71**		
11	शासकीय नाला	264	इमरत सिंह पुत्र राम प्रसाद	देशीकवेलू	55.76	इमरत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	58.20		
				पन्नी	47.25	कमला बाई (मां)	स्थाई
				देशी कवेलू	97.92		
				फर्शी	1.96		
				योगः	**261.09**		
12	शासकीय नाला	264	लाखन सिंह पुत्र नन्नूलाल	देशी कवेलू	102.00	लाखन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	12.25	हीराबाई (मां)	स्थाई
				देशी कवेलू	11.90	पहलवान (भाई)	स्थाई
				गार्डर फर्शी	69.93	प्रहलाद सिंह (भाई)	स्थाई
				देशी कवेलू	69.93		
				योगः	**266.01**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	शासकीय	261	धनरूप पुत्र लक्ष्मण सिंह	देशी कवेलू	21.60	धनरूप (मुखिया)	स्थाई
				आर.सी.सी.	20.30	उमा (पुत्री)	स्थाई
				टीनशेड	34.68		
				पन्नी	33.60		
				पन्नी	17.34		
				फर्शी	3.75		
				देशी कवेलू	13.63		
				योगः	**144.90**		
14	शासकीय	261	कमर लाल पुत्र लक्ष्मण	अंग्रेजी कवेलू	18.48	कमरलाल (मुखिया)	स्थाई
				लकडी के पट्टे	21.12		
				अंग्रेजी कवेलू	21.12		
				गार्डर फर्शी	8.96		
				गार्डर फर्शी	10.88		
				गार्डर फर्शी	10.88	पप्पू (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**91.44**		
			पूरन सिंह पुत्र कमरलाल	लकड़ी के पट्टे	33.48	पूरन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	33.48		
				देशी कवेलू	26.26		
				फर्शी	1.96		
				योगः	**95.18**		
15	शासकीय	261	भंवरलाल पुत्र हजारीलाल	देशी कवेलू	41.58	भंवरलाल (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**41.58**		
			रामसिंह पुत्र भमरलाल	देशी कवेलू	75.97	रामसिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	24.32		
				देशी कवेलू	17.58		
				गार्डर फर्शी	56.88		
				आर.सी.सी.	56.88		
				टीनशेड	6.60	मनोज (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**238.23**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			बापूलाल पुत्र भमरलाल	देशी कवेलू	75.97	बापूलाल (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	24.32		
				देशी कवेलू	17.58		
				गार्डर फर्शी	56.88		
				आर.सी.सी.	56.88		
				टीनशेड	6.60	पवन (पुत्र)	स्थाई
						धर्मराज (पुत्र)	स्थाई
				योग:	**238.23**		
			राजेश पुत्र बापूलाल	टीनशेड	110.40	राजेश (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	18.60		
				योग:	**129.00**		
16	शासकीय	259	पदमसिंह पुत्र रघुनाथ	देशी कवेलू	99.66	पदम सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग:	**99.66**		
			शिवचरण सिंह पदमसिंह	देशी कवेलू	60.40	शिवचरण (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	35.96		
				देशी कवेलू	22.04		
				फर्शी	2.56	जगदीश (पुत्र)	स्थाई
				योग:	**120.96**		
17	शासकीय	261	कमरलाल पुत्र मोतीलाल	लकड़ी के पट्टे	28.16	कमरलाल (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	28.16		
				टीनशेड	65.49		
				टीनशेड	2.56		
				योग:	**124.37**		
			विक्रम सिंह पुत्र कमरलाल	लकड़ी के पट्टे	42.24	विक्रमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	42.24		
				योग:	**84.48**		
			विनोद पुत्र कमरलाल	लकड़ी के पट्टे	40.32	विनोद (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	40.32		
				योग:	**80.64**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड /पक्का गाटर फर्शी /आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	शासकीय	261	नवल सिंह पुत्र मोतीलाल	अंग्रेजी कवेलू	76.30	नवल सिंह (मुखिया)	स्थाई
						रामस्वरूप (पुत्र)	स्थाई
				टीनशेड	33.60	जगदीश (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**109.90**		
			मुल्लोबाई पत्नि मोतीलाल	टीनशेड	59.40	मुल्लोबाई (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**59.40**		
19	शासकीय	261	नाना भाई भारत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	आर.सी.सी.	35.31	नानाभाई भारतसिंह (मुखिया)	स्थाई
						राजाराम (पुत्र)	स्थाई
						बन्टी (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**35.31**		
			प्रेमसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	पन्नी	27.26	प्रेमसिंह (मुखिया)	स्थाई
						उमेश (पुत्र)	स्थाई
						भगवान सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**27.26**		
			गंगाराम पुत्र प्रेमसिंह	देशी कवेलू	17.92	गंगाराम (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**17.92**		
			बन्टी पुत्र भारतसिंह	टीनशेड	2.56		
				योगः	**2.56**		
20	शासकीय	262	निर्भय सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	गार्डर फर्शी	36.60	निर्भय सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	42.70	राधेश्याम (पुत्र)	स्थाई
				टीनशेड	1.69	वर्षा (पुत्री)	स्थाई
				योगः	**80.99**		
21	शासकीय	261	गुलाब सिंह पुत्र	देशी कवेलू	45.21	गुलाबसिंह	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड /पक्का गाटर फर्शी /आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			नन्दराम	देशी कवेलू	36.40	(मुखिया)	
				टीनशेड	23.94		
				लकडी के पट्टे	12.60		
				देशी कवेलू	12.60		
				देशी कवेलू	64.17		
				देशी कवेलू	10.80		
				फर्शी	1.96		
				योगः	**207.68**		
			सोहन पुत्र गुलाब सिंह	लकड़ी के पट्टे	31.35	सोहन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	31.35		
				योगः	**62.70**		
			मुकेश पुत्र गुलाबसिंह	लकड़ी के पट्टे	31.35	मुकेश (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	31.35		
				योगः	**62.70**		
22	शासकीय	262	रघूवीर पुत्र मानसिंह	देशी कवेलू	31.62	रघुवीर (मुखिया)	स्थाई
				गार्डर फर्शी	65.34		
				अंग्रेजी कवेलू	65.34		
				गार्डर फर्शी	28.56		
				देशी कवेलू	28.56		
				योगः	**219.42**		
			मानसिंह पुत्र नन्दलाल	देशी कवेलू	76.44	मानसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	29.67	शिवराज (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**106.11**		
23	शासकीय	261	धन्नालाल पुत्र नंदराम	देशी कवेलू	91.12	धन्नालाल (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**91.12**		
			पर्वतसिंह पुत्र धन्नालाल	आर.सी.सी.	31.20	पर्वतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	13.60		
				लकड़ी के पट्टे	34.30		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				देशी कवेलू	34.30		
				टीनशेड	7.92		
				टीनशेड	10.34		
				पन्नी	17.68	दिनेश (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**149.34**		
			अर्जुन पुत्र धन्नालाल	लकड़ी के पट्टे	34.30	अर्जुन (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	34.30		
				टीनशेड	35.70		
				टीनशेड	8.88		
				योगः	**113.18**		
24	शासकीय नाला	264	विष्णु पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	37.20	विष्णु (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.96		
				योगः	**39.16**		
			बापूलाल पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	39.60	बापूलाल (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**39.60**		
			मोहरसिंह पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	26.00	मोहर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**26.00**		
			मोजीलाल पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	28.80	मोजीलाल (मुखिया)	स्थाई
						लता बाई (पुत्री)	स्थाई
						देवीसिंह (पुत्र)	स्थाई
						भूरालांल (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**28.80**		
25	शासकीय नाला	264	रामबाबू पुत्र नन्नूलाल	आर.सी.सी.	38.00	रामबाबू (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**38.00**		
			प्रताप पुत्र नन्नूलाल	आर.सी.सी.	38.00	प्रताप सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**38.00**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			नन्नूलाल पुत्र मदनलाल	देशी कवेलू	20.46	नन्नूलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	24.42		
				अंग्रेजी कवेलू	29.61		
				देशी कवेलू	34.65		
				पन्नी	22.88		
				योगः	**132.02**		
26	शासकीय	259	रामसुखी बाई पत्नी फूलसिंह	देशी कवेलू	68.04	रामसुखी बाई (मुखिया)	स्थाई
						हेमराज (पुत्र)	स्थाई
				फर्शी	1.96	सूरज सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**70.00**		
27	शासकीय	259	प्रीतम सिंह पुत्र मांगीलाल	देशी कवेलू	23.56	प्रीतम सिंह (मुखिया)	स्थाई
				लकड़ी के पट्टे	25.08	राजकुमार (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	25.08	माखन (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	32.19	केदार बाई (माताजी)	स्थाई
				फर्शी	1.96		
				योगः	**107.87**		
28	शासकीय	259	गोरधन पुत्र मांगीलाल	देशी कवेलू	57.96	गोरधन (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	36.48		
				पन्नी	10.15		
				टीनशेड	1.96		
				योगः	**106.55**		
29	शासकीय	259	भारत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	देशी कवेलू	75.71	भारत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	1.96	भूपेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**77.67**		
30	शासकीय	264	श्री हनुमान मंदिर	आर.सी.सी.	24.01	–	–
				योगः	**24.01**		
31	शासकीय	259	गुड्डी बाई पत्नि धनसिंह	देशी कवेलू	66.96	गुड्डी बाई (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	10.50		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण: झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
1	2	3	4	5	6	7	8
				टीनशेड	20.35		
				टीनशेड	23.76		
				पन्नी	12.88		
				योगः	**134.45**		
			राकेश पुत्र धनसिंह	टीनशेड	20.88	राकेश (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	11.52		
				योगः	**32.40**		
32	शासकीय	243	नवलसिंह पुत्र गोरेलाल	देशी कवेलू	80.60	नवल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**80.60**		
			भगवत सिंह पुत्र नवल सिंह	देशी कवेलू	47.60	भगवत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	26.00		
				योगः	**73.60**		
			बन्टी पुत्र छोटेलाल	पन्नी	84.48	बन्टी (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**84.48**		
33	शासकीय नाला	164	भारत सिंह पुत्र लाल सिंह	टीनशेड	41.40	भारत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	36.36	सूरेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	33.33	जसोदा (पुत्री)	स्थाई
				टीन शेड	4.00		
				योगः	**115.09**		
			देवराज राजपूत पुत्र भारतसिंह	देशी कवेलू	66.50	देवराज राजपूत (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**66.50**		
34	शासकीय नाला	164	विक्रम पुत्र जगन्नाथ	टीन शेड	23.92	विक्रमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**23.92**		
			जगन्नाथ पुत्र मोहरसिंह	टीन शेड	17.02	जगन्नाथ (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**17.02**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उक्त के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड /पक्का गाटर फर्शी /आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			राजेन्द्र पुत्र जगन्नाथ	टीन शेड	21.16	राजेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**21.16**		
35	शासकीय नाला	164	लखपत सिंह पुत्र प्रेमसिंह	देशी कवेलू	54.40	–	अस्थाई
				योगः	**54.40**		
36	शासकीय नाला	164	कमरलाल पुत्र पन्नालाल	देशी कवेलू	36.00	कमरलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	28.60		
				योगः	**64.60**		
			हेमराज पुत्र कमरलाल	देशी कवेलू	19.80	हेमराज (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	29.04		
				योगः	**48.84**		
			सामतसिंह पुत्र कमरलाल	देशी कवेलू	25.30	सामत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**25.30**		
37	शासकीय	138	भगवत सिंह पुत्र गोरेलाल	टीन शेड	51.10	भगवत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	30.60	नीरज (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**81.70**		
38	शासकीय	138	भारतसिंह पुत्र मोहरसिंह	टीन शेड	49.28	भारत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.96		
				योगः	**51.24**		
			देवराज गुर्जर पुत्र भारतसिंह	देशी कवेलू	102.20	–	–
				योगः	**102.20**		
39	शासकीय	138	कंचन सिंह पुत्र मोहर सिंह	टीन शेड	55.48	कंचन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	46.90		
				टीन शेड	1.96		
				देशी कवेलू	40.92		
				देशी कवेलू	46.86		
				योगः	**192.12**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड /पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
40	शासकीय	70	जालमसिंह पुत्र गनेशराम	देशी कवेलू	35.51	जालमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	31.32	जितेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**66.83**		
			प्रतापसिंह पुत्र गनेशराम	देशी कवेलू	45.56	प्रताप सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**45.56**		
41	शासकीय	70	खुमानसिंह पुत्र खुशीलाल	देशी कवेलू	58.10	खुमान सिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	16.80	मरदन सिंह (पुत्र)	स्थाई
						उधम सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**74.90**		
42	शासकीय	388	प्रीतम सिंह पुत्र चम्पालाल	देशी कवेलू	79.20	प्रीतम सिंह (मुखिया)	स्थाई
						कमल सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**79.20**		
43	शासकीय	388	विष्णु पुत्र मोहन प्रसाद	टीन शेड	40.88	विष्णु (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	40.18		
				फर्शी	1.69		
				योगः	**82.75**		
44	शासकीय	388	पहलवान पुत्र चैनसिंह	देशी कवेलू	30.75	पहलवान (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	12.30		
				पन्नी	8.25		
				योगः	**51.30**		
			कलाबाई पत्नि चैनसिंह	देशी कवेलू	59.95	कलाबाई (मुखिया)	स्थाई
						श्याम सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**59.95**		
			हरिसिंह पुत्र चैनसिंह	पन्नी	32.48	हरिसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**32.48**		
45	शासकीय	388	सनमानसिंह पुत्र	देशी कवेलू	42.16	सनमान सिंह	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			भंवरजी	लकडी के पट्टे	25.16	(मुखिया)	
				देशी कवेलू	25.16	विजय सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**92.48**		
			महेन्द्र सिंह पुत्र सनमान सिंह	देशी कवेलू	63.72	महेन्द्र सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	48.06		
				पन्नी	8.00		
				योगः	**119.78**		
46	शासकीय	388	भारतसिंह पुत्र भंवरलाल	अंग्रेजी कवेलू	40.61	भारतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	58.95	मुकेश (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	19.80	हेमराज़ सिंह (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	19.80	महाराज सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**139.16**		
47	शासकीय	388	भारत सिंह पुत्र चम्पालाल	देशी कवेलू	70.72	भारतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.44	दिनेश (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**72.16**		
48	शासकीय	388	रूपसिंह पुत्र चम्पालाल	देशी कवेलू	15.84	रूपसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**15.84**		
49	शासकीय	388	प्रताप पुत्र चम्पालाल	देशी कवेलू	49.20	प्रताप सिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	44.64		
				योगः	**93.84**		
50	शासकीय	388	नैन जी पुत्र गेंदा जी	देशी कवेलू	87.00	नैनजी (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	41.58	निरमा बाई (पुत्री)	स्थाई
				पन्नी	25.92	माखन (पुत्र)	स्थाई
				फर्शी	1.44		
				योगः	**155.94**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
51	शासकीय	388	तेजसिंह पुत्र मदनलाल	देशी कवेलू	51.85	तेजसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	7.70		
				देशी कवेलू	21.20	सागर (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**80.75**		
52	शासकीय	388	मदनलाल पुत्र गैंदाजी	देशी कवेलू	33.39	मदनलाल (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	22.14		
				फर्शी	1.96	मोतीलाल (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**57.49**		
53	शासकीय	388	बंशीलाल पुत्र गैंदाजी	देशी कवेलू	96.99	बंशीलाल (मुखिया)	स्थाई
						सविना बाई (पुत्री)	स्थाई
				योगः	**96.99**		
			विक्रम पुत्र बंशीलाल	देशी कवेलू	30.16	विक्रम (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**30.16**		
54	शासकीय	388	ब्रजेश पुत्र प्रेमसिंह	देशी कवेलू	65.49	ब्रजेश कुमार (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**65.49**		
55	शासकीय	388	मुकेश पुत्र प्रेमसिंह	देशी कवेलू	91.00	मुकेश (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**91.00**		
56	शासकीय	388	प्रेमसिंह पुत्र बदसिंह	देशी कवेलू	36.54	प्रेमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.44	रचना (पुत्री)	स्थाई
				देशी कवेलू	21.20	मनोहर (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**59.18**		
57	शासकीय	388	गोवर्धन पुत्र खेमचन्द	देशी कवेलू	65.52	गोवर्धन (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	25.56		
				फर्शी	1.44	राहुल (पुत्र)	स्थाई
				योगः	92.52		

:: टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित ग्राम धीरगढ की भूमि का पूर्व में भूमि अर्जन किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में भूमि पर स्थित प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण सम्मिलित नहीं होने से निम्न तालिका अनुसार भूमि पर स्थित मकानो का अर्जन एवं कुटुंबो का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जा रहा है ::

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड /पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
58	सुल्तान, नन्नू, हल्का, कम्मा, शिव्वा, फत्तू, शैतान पुत्रगण प्यारा जाति भंगी (मेहतर) भूमि स्वामी मुन्नीबाई पुत्री प्यारा जाति भंगी (मेहतर) पता नि. बैरागढ़ म.गोरियापुरा भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.24	38	ग्राम पंचायत भवन	गार्डर फर्शी	46.06	–	–
				गार्डर फर्शी	42.80		
				फर्शी	7.22		
				योगः	**96.08**		
59	भारतसिंह पुत्र कोमलसिंह जाति भील पता विदिशा सम्पुर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.39	21/1	करनसिंह पुत्र रामप्रसाद	टीनशेड	31.32	करन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	40.89	राजन सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**72.21**		
60	समन्दर सिंह पुत्र बने सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र. 229/687 भाग भूमि स्वामी समुन्दर सिंह पुत्र बल्देव सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र. 458/687 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.16	167/1	पूरनसिंह पुत्र रतन सिंह	देशी कवेलू	68.04	पूरन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	24.64	शैलेन्द्र सिंह (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	89.06	राजा बना (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	39.27	छोटी बाई (पुत्री)	स्थाई
				योगः	**221.01**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड /पक्का गाटर फर्शी /आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
61	महेन्द्र सिंह, तेज सिंह, ममता बाई, दीपाबाई पुत्र पुत्री गण गुलाबसिंह ज्ञानबाई बैव गुलाबसिंह शिवराज सिंह, सुमन कंवर बाई प्रेमकवंर बाई पुत्र पुत्री बहादर सिंह प्यार बाई बैवा बहादर सिंह	170	बलवंतसिंह पुत्र केशरसिंह	अंग्रजी कवेलू	66.33	बलवंत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	24.94	मंगल सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**91.27**		
62	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	175/1	विष्णुबाई पत्नि सौदानसिंह	टीन शेड	25.92	विष्णुबाई (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	24.48		
				योगः	**50.40**		
63	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	175/1	बबलू पुत्र गोवर्धन सिंह	टीन शेड	29.60	बबलू (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	51.80	विजय (पुत्र)	स्थाई
				पन्नी	22.20		
				योगः	**103.60**		
64	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	175/1	गोरधन सिंह पुत्र लाल सिंह	टीन शेड	30.72	गोरधन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	90.24		
				योगः	**120.96**		
65	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	175/1	तेजसिंह पुत्र गोरधनसिंह	देशी कवेलू	63.00	तेजसिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.96		
				योगः	**64.96**		
66	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	175/1	पूनम कुवर पत्नी मनमोहनसिंह	देशी कवेलू	67.62	पूनम कंवर (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	4.16		
				योगः	**71.78**		
67	महेन्द्र सिह, तेज सिंह, ममता बाई, दीपाबाई	170	फतेहसिंह पुत्र केशरसिंह	अंग्रेजी कवेलू	47.88	फतेह सिंह (मुखिया)	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	पुत्र पुत्री गण गुलाबसिंह ज्ञानबाई बैव गुलाबसिंह शिवराज सिंह, सुमन कंवर बाई प्रेमकवंर बाई पुत्र पुत्री बहादर सिंह प्यार बाई बैवा बहादर सिंह			देशी कवेलू	51.66		
				योगः	**99.54**		
			भमरसिंह पुत्र फतेहसिंह	देशी कवेलू	27.20	भमर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रजी कवेलू	39.90		
				टीन शेड	35.04		
				योगः	**102.14**		
			गोपालसिंह पुत्र फतेहसिंह	टीन शेड	49.50	गोपाल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**49.50**		
68	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	175 / 1	रमेश सिंह पुत्र पन्नालाल	देशी कवेलू	68.32	रमेश (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	22.75		
				देशी कवेलू	22.80		
				पन्नी	8.96	भूली बाई (माताजी)	स्थाई
				योगः	**122.83**		
69	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	175 / 1	मिश्रीलाल पुत्र पन्नालाल	देशी कवेलू	84.32	मिश्रीलाल (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	36.00	सीता बाई (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	23.45	जगमोहन (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	17.42		
				टीन शेड	3.36		
				योगः	**164.55**		
70	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	175 / 1	उमराव सिंह पुत्र रघुनाथ	अंग्रजी कवेलू	68.25	उमराव सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	42.24		
				देशी कवेलू	60.72		
				योगः	**171.21**		
71	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत	175 / 1	संतोष बाई पुत्री भमरलाल	देशी कवेलू	35.00	संतोष बाई (मुखिया)	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड /पक्का गाटर फर्शी /आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	पता विदिशा म.प्र.					रामबाबू (पुत्र)	स्थाई
				टीन शेड	66.24	श्याम सिंह (पुत्र)	स्थाई
						जितेन्द्र सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**101.24**		
72	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	175/1	जगन्नाथ सिंह, कंचन सिंह, प्रेमसिंह पुत्रगण मोहर सिंह	देशी कवेलू	66.24	जगन्नाथ सिंह स क्र. 34 पर दर्ज, कंचन सिंह स. क्र. 39 पर दर्ज, प्रेमसिंह स. क्र. 75 पर दर्ज।	अस्थाई
				योगः	**66.24**		
73	बिक्रमसिंह पुत्र मोहर सिंह जाति राजपूत पता लटेरी विदिशा सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.12	173/1	प्रेमसिंह पुत्र बापूलाल	टीन शेड	54.53	प्रेमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	78.20	देवीसिंह (पुत्र)	स्थाई
				अंग्रजी कवेलू	36.00	गायत्री (पुत्री)	स्थाई
				योगः	**168.73**		
74	बिक्रमसिंह पुत्र मोहर सिंह जाति राजपूत पता लटेरी विदिशा सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.12	173/1	गोरेलाल पुत्र पन्नालाल	आर.सी.सी.	22.26	गोरेलाल (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**22.26**		
			सोनु पुत्र गोरेलाल	टीन शेड	60.40	सोनू (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	43.07		
				योगः	**103.47**		
75	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	175/1	प्रेम सिंह पुत्र मोहर सिंह	देशी कवेलू	44.00	–	अस्थाई
				देशी कवेलू	200.00		
				योगः	**244.00**		
76	श्री हनुमान मन्दिर व्यवस्थापक शिवराज सिंह पुत्र दातार सिंह जाति राजपूत 0.442	231	श्री हनुमान मंदिर	आर.सी.सी.	76.14	–	–
				देशी कवेलू	60.35		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	भाग भूमि स्वामी भगवान पुत्र गनपत जाति गुर्जर पता नि. मजरा रामपुर 1.012 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.78						
				योगः	**136.49**		
	प्रेमसिंह पुत्र बापूलाल जाति गुर्जर पता विदिशा म. प्र. विमलेश बाई पत्नि किशन सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र	228 / 1	श्री हनुमान मंदिर	आर.सी.सी.	25.52	–	–
				आर.सी.सी.	5.76		
				योगः	**31.28**		
77	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	175 / 1	गणपतसिंह पुत्र हरिसिंह	अग्रेजी कवेलू	124.70	गनपतसिंह (मुखिया)	स्थाई
						हेमकंवर (पुत्री)	स्थाई
				योगः	**124.70**		
			भगवानसिंह पुत्र गनपतसिंह	देशी कवेलू	140.76	भगवान सिंह (मुखिया)	स्थाई
				आर.सी.सी.	4.50		
				आर.सी.सी.	5.29		
				योगः	**150.55**		
			पिन्टू पुत्र गणपतसिंह	देशी कवेलू	86.25	पिन्टू (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**86.25**		
78	मंगलसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	175 / 1	मुंशीलाल पुत्र रघुनाथ सिंह	देशी कवेलू	65.70	मुंशीलाल (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**65.70**		
			सागर पुत्र मुंशीलाल	देशी कवेलू	115.92	सागर (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**115.92**		
			लक्ष्मण सिंह पुत्र मुंशीलाल	देशी कवेलू	71.30	लक्ष्मण सिंह (मुखिया)	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 4डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				योगः	**71.30**		
			समंदर पुत्र मुंशीलाल	अंग्रेजी कवेलू	22.94	समंदर (मुखिया)	स्थाई
						पूजा बाई (पुत्री)	स्थाई
				टीन शेड	3.30	भरतराम (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**26.24**		
79	लक्ष्मण सिंह पुत्र भमर लाल जाति राजपूत पता विदिशा म.प्र.	71	मूलचन्द पुत्र खुशीलाल	अंग्रजी कवेलू	20.74	मूलचन्द (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रजी कवेलू	31.32	अर्जुन (पुत्र)	स्थाई
				पन्नी	9.90	चरण सिंह (पुत्र)	स्थाई
						सर्जन सिंह (पुत्र)	स्थाई
						बबलू (पुत्र)	स्थाई
						सागर (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**61.96**		
80	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	भारतसिंह पुत्र गजाधर	देशी कवेलू	46.62	भारतसिंह (मुखिया)	स्थाई
						दीपक (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**46.62**		
81	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	गंगाराम पुत्र गजाधर	देशी कवेलू	56.35	गंगाराम (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**56.35**		
82	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	धनसिंह पुत्र गेंदाजी	देशी कवेलू	33.84	धन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	17.39		
				योगः	**51.23**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
83	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	भारतसिंह पुत्र धनसिंह	देशी कवेलू	90.72	भारतसिंह (मुखिया)	स्थाई
						रामदयाल (पुत्र)	स्थाई
						गोलू (पुत्र)	स्थाई
				योगः	90.72		
84	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	इमरतसिंह पुत्र धनसिंह	देशी कवेलू	46.62	इमरत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.44		
				योगः	48.06		
85	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	प्रेमसिंह पुत्र वीरम	देशी कवेलू	41.83	प्रेमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	32.04	कल्लू (पुत्र)	स्थाई
						पप्पू (पुत्र)	स्थाई
				योगः	73.87		
86	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	सूरजसिंह पुत्र केशरसिंह	देशी कवेलू	40.30	सूरज सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	40.30		
87	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	केशरसिंह पुत्र वीरम	देशी कवेलू	40.96	केशर सिंह (मुखिया)	स्थाई
						विनय सिंह (पुत्र)	स्थाई
						मनोहर सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	40.96		
88	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	धुलजी पुत्र रामलाल, दीवानसिंह, नैनजी पुत्रगण धुलजी	देशी कवेलू	30.00	धुल जी (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.44	दिवान सिंह (पुत्र)	स्थाई
						नैनजी (पुत्र)	स्थाई
				योगः	31.44		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
89	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	प्रकाश पुत्र मोहर सिंह	देशी कवेलू	34.81	प्रकाश (मुखिया)	स्थाई
						मोहर सिंह (पिता)	स्थाई
						गोपाल (भाई)	स्थाई
						राहुल (भाई)	स्थाई
				योगः	**34.81**		
90	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	कालूराम, तखतसिंह, दुर्गालाल पुत्र देवाजी	देशी कवेलू	87.58	कालूराम (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.69	उमरी बाई (माताजी)	स्थाई
						तखत सिंह (भाई)	स्थाई
						दुर्गालाल (भाई)	स्थाई
				योगः	**89.27**		
91	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	मानसिंह पुत्र चैनसिंह	देशी कवेलू	34.86	मानसिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	13.30		
				देशी कवेलू	8.68		
				फर्शी	1.44		
				योगः	**58.28**		
92	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	सुमंत्रा बाई पत्नि बलदेवसिंह	देशी कवेलू	58.32	सुमंत्रा बाई (मुखिया)	स्थाई
						माखन सिंह (पुत्र)	स्थाई
						खुमान सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**58.32**		
93	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	शीलाबाई पत्नि लाखनसिंह	देशी कवेलू	57.95	शीला बाई (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**57.95**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड /पक्का गाटर फर्शी /आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
94	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	मोहनलाल पुत्र चेनसिंह	देशी कवेलू	29.50	मोहनलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	41.04		
				योगः	**70.54**		
95	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	कलाबाई पत्नि पन्नालाल	देशी कवेलू	30.74	कला बाई (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.96	विष्णु (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**32.70**		
			मनोहर पुत्र पन्नालाल	देशी कवेलू	31.32	मनोहर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**31.32**		
96	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	जगन्नाथ पुत्र हजारीलाल	देशी कवेलू	43.31	जगन्नाथ (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**43.31**		
97	कलीबाई पुत्री उमराव सिंह पत्नि हजारीलाल जाति भील पता विदिशा म.प्र भूमि स्वामी	387	नेपाल सिंह पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	31.11	नेपाल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				फर्शी	1.96		
				योगः	**33.07**		
98	कमल सिंह, बैजनाथसिंह, विश्वनाथ सिंह पुत्रगण भंवरलाल कैलश कमर बाई सियु बाई पुत्रीयां भंवरलाल पता धीरगढ लटेरी विदिशा म.प्र.	417	भूराजी पुत्र लालजी	देशी कवेलू	81.90	भूराजी (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	35.20	ग्यारसीराम (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**117.10**		
99	कमल सिंह,	417	अर्जुनसिंह पुत्र	देशी कवेलू	34.98	अर्जन सिंह	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11. के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड /पक्का गाटर फर्शी /आर.सी. सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	बैजनाथसिंह, विश्वनाथ सिंह पुत्रगण भंवरलाल कैलश कमर बाई सियु बाई पुत्रीयां भंवरलाल पता धीरगढ लटेरी विदिशा म.प्र.		लालसिंह	पन्नी	72.75	(मुखिया)	
				योगः	**107.73**		
100	कमल सिंह, बैजनाथसिंह, विश्वनाथ सिंह पुत्रगण भंवरलाल कैलश कमर बाई सियु बाई पुत्रीयां भंवरलाल पता धीरगढ लटेरी विदिशा म.प्र.	417	भजनसिंह पुत्र लालजी	देशी कवेलू	60.45	भजन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	63.00		
				देशी कवेलू	27.00		
				योगः	**150.45**		
101	कमल सिंह, बैजनाथसिंह, विश्वनाथ सिंह पुत्रगण भंवरलाल कैलश कमर बाई सियु बाई पुत्रीयां भंवरलाल पता धीरगढ लटेरी विदिशा म.प्र.	417	चेनसिंह पुत्र रघुनाथ	देशी कवेलू	62.05	चैनसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योगः	**62.05**		
102	कमल सिंह, बैजनाथसिंह, विश्वनाथ सिंह पुत्रगण भंवरलाल कैलश कमर बाई सियु बाई पुत्रीयां भंवरलाल पता धीरगढ लटेरी विदिशा म.प्र.	417	कल्याणसिंह पुत्र लालजी	देशी कवेलू	52.44	कल्याण सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	28.52	गोपाल (पुत्र)	स्थाई
						बबलू (पुत्र)	स्थाई
						शिम्भू (पुत्र)	स्थाई
				योगः	**80.96**		
103	कमल सिंह, बैजनाथसिंह, विश्वनाथ सिंह पुत्रगण भंवरलाल	417	रघुनाथ पुत्र लालजी	देशी कवेलू	99.33	रघुनाथ (मुखिया)	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	कैलश कमर वाई सियु वाई पुत्रीयां भंवरलाल पता धीरगढ लटेरी विदिशा म.प्र.			देशी कवेलू	18.06	किशन सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग:	117.39		

उपरोक्त तालिका अनुसार टेम मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि अर्जन के कारण तहसील लटेरी के ग्राम दपकन, नैनागढ़ ,धीरगढ़ एवं वैरागढ़ में 440 व्यक्तियों के मकान प्रभावित हो रहे है जिसमें प्रभावित मकान धारकों के अलावा अधिनियम 2013 की धारा 3डी के तहत सर्वेक्षित 727 कुटुंब भी निवासरत हैं, इस प्रकार तहसील लटेरी में कुल 1167 प्रभावित कुटुंबों का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है। उपरोक्तानुसार परिवारों (कुटुंबों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत हैं तथा जिनके अन्यत्र स्थानों पर निवास हेतु मकान नहीं है, को विस्थापित क्षेत्र में भूमि पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर शासकीय आवासीय पट्टे 40'X 20'= 800 वर्गफुट साईज के भूखंड प्रदाय किये जावेंगे। जिसकी समयसीमा भू–अर्जन प्रकरणों में अवार्ड पारित होने के उपरांत तीन माह होगी।

अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों का निम्नानुसार पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें / सुविधायें दी जावेगी।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान का ना लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार प्रस्थापित किया जा सकेगा।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, को पाँच लाख रूपये का एक तारगी संदाय दिया जावेगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुवाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए, एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाँए, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और सुनियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(15) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़कों और पक्की राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(16) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित जल निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(17) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(18) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(19) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह।

(20) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

(21) यथोचित पंचायत घर ।

(22) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(23) जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शमशान गृह ।

(24) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल।

(25) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

(26) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी ।

(27) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

(28) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र।

(29) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

(30) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

(31) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

(32) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चबूतरा।

(33) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।

(34) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(35) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील लटेरी के ग्राम बंधकन में शासकीय भूमि खसरा नंबर–169 का रकबा 23.470 हेक्टेयर में से 15.035 हेक्टेयर भूमि न्यायालय कलेक्टर, विदिशा के प्रकरण क्रमांक – 0007/अ–20 (3)/2022–23 में पारित आदेश दिनांक 28/07/2023 द्वारा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला–विदिशा को आवंटित की गई है, साथ ही लटेरी के ग्राम बैरागढ में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 29/1 रकबा 10.431 हे0 भूमि के पुनर्वास हेतु आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। टेम मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभादित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापननीति के तहत एक 40'×20' = 800 वर्गफुट का आवासीय भू–खण्ड आवंटित भूमि पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

(36) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा–11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(37) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा– 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

क्र. 13156–भू–अर्जन.

ग्राम नैनागढ़ पटवारी हल्का नं 49 तहसील लटेरी

अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में टेम मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील– लटेरी जिला– विदिशा के ग्राम नैनागढ के लिए बांध डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम :– टेम मध्यम सिंचाई परियोजना
2. भूमि का विवरण
   1. जिला :– विदिशा
   2. तहसील :– लटेरी
   3. ग्राम :– नैनागढ

:: अनुसूची – 01 ::

::भूमि अर्जन के प्रभावित भूमि इत्यादि का विवरण ::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गोवर्धन पुत्र गोरेलाल	भूमि स्वामी	77	2.088	0.714	–	–	–

:: टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित ग्राम नैनागढ की भूमि का पूर्व में भूमि अर्जन किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां सम्मिलित नहीं होने से निम्न तालिका अनुसार भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियो का अर्जन किया जा रहा है ::

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नवल पुत्र फैल्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 1.00	भूमि स्वामी	27	0.822	0.165	–	–	कुआ–1 कुल –1
2	बाबूलाल पुत्र बृजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 4.74	भूमि स्वामी	29	3.794	3.794	–	–	आम–1 खेजड़ा–2 कुल–3
3	घासीराम पुत्र सोभराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 4.89	भूमि स्वामी	33	3.984	3.984	–	–	बांसकी जाल–1 कुल–1
4	अजब सिंह पुत्र नारायण सिंह पुत्रगण मर्दन सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 4.74	भूमि स्वामी	22	3.794	3.294	–	–	आम–1 कुल–1
5	मोतीलाल पुत्र गोपीलाल भाग 1.126 मांगीलाल पुत्र गोपीलाल भाग 0.710 रामदयाल पुत्र ग्यारसीराम भाग 0.710 गणपत उर्फ रमेश पुत्र गोपीलाल भाग 0.710 मोतीलाल मांगीलाल गणपत उर्फ रमेश पुत्रगण गोपीलाल सुक्कोबाई पुत्री गोपीलाल, गोपीलाल रामदयाल पुत्र ग्यारसीराम कलाबाई पुत्री	भूमि स्वामी	21	3.288	3.288	–	–	नीम–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ग्यारसीराम नरबदीबाई बेवा ग्यारसीराम भाग 0.032 जाति अहिरवार पता छबडीखेडा बैरसिया भोपाल मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.06							
6	भागचन्द पुत्र फुन्दा पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998/5994 भाग भूमि स्वामी गोपाल पुत्र भीकम भाग 0.506 मोती पुत्र फुन्दा भाग 0.177 संतोष पुत्र भीकमसिंह भाग 1.265 जाति नैना पता विदिशा मध्य प्रदेश 1998/5994 भाग भूमि स्वामी धनिया बेवा फुन्दा पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998/5994 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.06	भूमि स्वामी	18	3.288	3.288	–	–	आम–1 कुल–1
7	गोविन्दी पुत्र मेहताब पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.06	भूमि स्वामी	17	3.313	3.313	–	–	आम–7 नीम–1 कुल–8
8	मोवतसिंह पुत्र सोभाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 6.50	भूमि स्वामी	16	3.276	3.276	–	–	पीपल–2 खेजडा–1 गुराड–1 कुल–4
9	भमरा पुत्र वंशी पता निवासी	भूमि	37	2.125	2.125	–	–	टयुबवेल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.65	स्वामी						आम–1 कुल–2
10	बुध्दा पुत्र रामा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998/3996 भाग भूमि स्वामी गणपतसिंह पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499/3996 भाग भूमि स्वामी तखत सिंह पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499/3996 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499/3996 भाग भूमि स्वामी सरदारबाई बेवा मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 501/3996 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.96	भूमि स्वामी	31	3.958	3.958	–	–	आम–4 बांस की जाल–3 बहेडा–1 लिप्टस–7 रूसल्ला–1 खेजडा–1 कुल–17
11	गोरलाल पुत्र धन्ना जाति अहिरवार पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी शांतिबाई प्रेमबाई	भूमि स्वामी	30	2.403	2.403	–	–	कुआ–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	नरबदीबाई पुत्रीया धन्ना जाति अहिरवार पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 3/4 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.94							
12	रईस अहमद पुत्र शफीक अहमद पता नि. भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.43	भूमि स्वामी	70	1.985	0.75	–	–	पीपल–1 कुल–1
13	कोमल सिंह पुत्र शंकर सिंह 1.264 भाग भू–स्वामी हरि सिंह पुत्र पूरन सिंह पता नि. ग्राम 1.264 भाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 4. 83	भूमि स्वामी	76	1.516	1.516	–	–	खजूर–1 कुल–1
14	कोमल सिंह पुत्र शंकर सिंह 1.264 भाग भू–स्वामी हरि सिंह पुत्र पूरन सिंह 1.264 भाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1:24	भूमि स्वामी	75	1.012	1.012	–	–	बांस की जाल–1 कुल–1
15	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मत्थू रामबाई पुत्री मत्थू धनिया बाई बेवा मत्थूपता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.00	भूमि स्वामी	68	1.707	1.707	–	–	कुआ–2 महुआ–2 कुल–4
16	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मत्थू रामबाई पुत्री मत्थू धनिया बाई बेवा मत्थूपता निवासी ग्राम भूमि	भूमि स्वामी	66	0.734	0.734	–	–	आम–1 कुल–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	स्वामी भू–राजस्व 0.85							
17	भागचन्द पुत्र फुन्दा पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998/5994 भाग गोपाल पुत्र भीकम भाग 0.506 मोती पुत्र फुन्दा भाग 0.177 संतोष पुत्र भीकमसिंह भाग 1.265 जाति मैना पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998/5994 भाग भूमि स्वामी धनिया बेवा फुन्दा पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998/5994 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.00	भूमि स्वामी	61	1.745	1.745	–	–	ट्युबवेल–1 आम–4 बांस की जाल–1 महुआ–1 कुल–7
18	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मल्थू रामबाई पुत्री मल्थू धनिया बाई बेवा मल्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.40	भूमि स्वामी	60	0.569	0.569	–	–	आम–2 बैर–3 इमली–1 महुआ–1 अंग्रेजी बबूल–1 सागौन–1 बांस की जाल–3 कुल–12

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	बालमुकुन्द, चुनिया, जगन्नथ, प्रेमा, सरवन पुत्रगण मर्दन सिंह कम्माबाई, पारवती बाई पुत्रियां मर्दन सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.00	भूमि स्वामी	58	0.682	0.682	–	–	आम–2 महुआ–1 कुल–3
20	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मल्थू रामबाई पुत्री मल्थू धनिया बाई बेवा मल्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.16	भूमि स्वामी	59	0.886	0.886	–	–	आम–7 महुआ–1 बांस की जाल–1 कुल–9
21	धुनियाबाई बेवा मानसिंह सल्था रामप्रसाद दया राम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.00	भूमि स्वामी	56	0.632	0.632	–	–	खजूर–1 अंग्रेजी बबूल–7 बांस की जाल–2 नीम–1 कुल–11
22	गोपाल पुत्र भीकम जाति मैंना पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.00	भूमि स्वामी	55	0.632	0.632	–	–	बैर–10 खजूर–2 नींबू–1 बांस की जाल–2 खेजडा–1 महुआ–1 कुल–17
23	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम	भूमि	39	0.873	0.873	–	–	आम–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकंबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मां स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.00	स्वामी						कुल–1
24	धुनियाबाई बेवा मानसिंह, सल्या रामप्रसाद दयाराम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.35	भूमि स्वामी	40	1.669	1.669	–	–	आम–1 अमरूद–1 नीम–1 कुल–3
25	धुनियाबाई बेवा मानसिंह, सल्या रामप्रसाद दयाराम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.25	भूमि स्वामी	41	0.126	0.126	–	–	आम–1 कुल–1
26	धुनियाबाई बेवा मानसिंह, सल्या रामप्रसाद दयाराम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.50	भूमि स्वामी	43	0.089	0.089	–	–	बैर–11 कुल–11
27	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं	भूमि स्वामी	50	0.126	0.126	–	–	कुआ–1 बैर–4 अमरूद–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.35							सीताफल–1 पलाश–1 अंग्रेजी बबूल–1 कुल–9
28	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.33	भूमि स्वामी	53	0.266	0.266	–	–	खजूर–1 पलाश–1 खेजडा–1 महुआ–2 अंग्रेजी बबूल–1 कुल–6
29	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34	भूमि स्वामी	49	0.279	0.279	–	–	कुआ–1 बैर–3 कटहल–1 कारई–1 सागौन–2 बांस की जाल–1 नीम–1 अंग्रेजी बबूल–1 कुल–11
30	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मां स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल	भूमि स्वामी	47	0.316	0.316	–	–	बैर–2 नीम–1 पलाश–1 कुल–4

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.00							
31	फुलसिह पुत्र शोभाराम पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पुर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.90	भूमि स्वामी	46/2	0.38	0.38	–	–	आम–1 नीम–2 खेजडा–1 बबूल–1 कुल–5
32	फूलसिंह पुत्र सोभाराम जाति मैना पता दपकन लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पुर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 5	भूमि स्वामी	45	3.578	3.578	–	–	खजूर–1 कुल–1
33	हजारी पुत्र रतिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.70	भूमि स्वामी	14	0.948	0.948	–	–	बैर–1 नीम–5 सेमल–5 अंग्रेजी बबूल–4 बबूल–2 सागौन–12 बहेडा–1 पीपल–2 खेर–1 कुल–33
34	कमल सिंह पुत्र श्रीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12	0.468	0.468	–	–	अमरूद–5 नींबू–1 आंवला–2 जामून–2

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भू–राज़स्व 3.57							इमली–1 अंग्रेजी बबूल–10 खेजडा–2 गुराड–1 कुल–24
35	बनेसिंह पुत्र श्रीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.17	भूमि स्वामी	8	0.885	0.885	–	–	अमरूद–4 नींबू–1 आम–2 अंग्रेजी बबूल–3 कुल–10
36	बनेसिंह पुत्र श्रीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.05	भूमि स्वामी	9	0.443	0.443	–	–	खजूर–3 अंग्रेजी बबूल–3 असतो–1 बहेडा–1 बांस की जाल–1 कुल–9

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								कुआ–1 नींबू–4 खजूर–1 जामून–1 अमरूद–6 इमली–1
37	प्रेमसिंह पुत्र श्रीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.17	भूमि स्वामी	7	0.885	0.885	–	–	आम–2 कबीट–1 नीम–6 अंग्रेजी बबूल–14 सागौन–6 लिप्टस–3 भीला–1 तेंदू–1 कुल–48
38	सनमान सिंह पुत्र श्रीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.17	भूमि स्वामी	11	0.886	0.886	–	–	आम–3 कुल–3
39	हीरालाल पुत्र मोतीलाल, धुन्धो बाई, भूरीबाई पुत्रियां मोतीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 5.55	भूमि स्वामी	4	3.794	3.794	–	–	आम–2 इमली–1 बैर–1 गुराड–1 कुल–5
40	काशीराम पुत्र राम प्रसाद भाग 0.448 विष्णु पुत्र कमोद सिंह, लक्ष्मी बाई, पूजा बाई पुत्रियां	भूमि स्वामी	3	4.034	4.034	–	–	ट्युबवेल–1 कटहल–1 नीम–1

स. क्र.	अभिलेखानुसार भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि (रकबा हे0 में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कमोद सिंह, कला बाई बेवा कमोद सिंह, प्रेम बाई, नारानी बाई पुत्रियां वंशीलाल भाग 0.448 विजय राम सुजान सिंह हरनाथ सिंह पुत्रगण भमरलाल कपूरी बाई बेवा भमरलाल भाग 0.448 मोतीलाल नारायण सिंह पुत्रगण मर्दन सिंह भाग 1.345 भीकम सिंह पुत्र अर्जन सिंह मोहरबाई पुत्री मुंशीलाल भाग 1.009 लूमाबाई वेवा अमानसिंह कमलबाई पुत्र खुमान सिंह हरिसिंह ना.वा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ना.वा. पुत्र खुमानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 0.336 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 10.27							कुल–3

::. भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शासकीय	51	नन्दराम पुत्र गोविन्दी	देशी कवेलू	213.90	नन्दराम (मुखिया)	स्थाई
						गोविन्दी (पिता)	स्थाई
						लक्ष्मण (पुत्र)	स्थाई
						सुरेश (पुत्र)	स्थाई
				योग	**213.90**		
		51	विशन पुत्र नन्दराम	पन्नी	116.28	विशन (मुखिया)	स्थाई
				योग	**116.28**		
2	शासकीय	51	मोहर सिंह पुत्र दौलत राम	देशी कवेलू	48.45	मोहर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	57.42		
				योग	**105.87**		
3	शासकीय	51	नवल सिंह पुत्र खुमान सिंह	अंगेजी कवेलू	34.00	नवल सिंह (मुखिया)	स्थाई
						गोपाल सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग	**34.00**		
		51	छोटेलाल पुत्र नवल	देशी कवेलू	46.80	छोटेलाल (मुखिया)	स्थाई
				योग	**46.80**		
4	शांसकीय	51	गणपतसिंह पुत्र मंशाराम	देशी कवेलू	39.00	गणपतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग	**39.00**		
		51	सरदार बाई पत्नि मंशाराम	देशी कवेलू	23.43	सरदार बाई (मुखिया)	स्थाई
				योग	**23.43**		
5	शासकीय	51	तखत सिंह पुत्र मंशाराम	अंग्रेजी कवेलू	39.00	तखतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग	**39.00**		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	शासकीय	51	मोती पुत्र मंशाराम	अंगेजी कवेलू	39.00	मोती (मुखिया)	स्थाई
				योग	**39.00**		
7	शासकीय	69	बनेसिंह पुत्र चुन्नीलाल	घासफूस	56.10	बने सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग	**56.10**		
8	शासकीय	69	चुन्नीलाल पुत्र प्रभूलाल	देशी कवेलू	59.52	चुन्नीलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	18.60	सोनू (पुत्र)	स्थाई
				योग	**78.12**		
9	शासकीय	69	मेवाबाई पत्नि बुद्धा	पन्नी	44.54	मेवाबाई (मुखिया)	स्थाई
				टीन शेड	1.43		
				योग	**45.97**		
		69	सनमान पुत्र बुद्धा	देशी कवेलू	66.12	सनमान सिंह (मुखिया)	स्थाई
						मनोज (पुत्र)	स्थाई
				योग	**66.12**		
		69	रामबाबू पुत्र बुद्धा	टीन शेड	64.26	रामबाबू (मुखिया)	स्थाई
				योग	**64.26**		
10	शासकीय	69	झुनिया बाई पत्नि जगन्नाथ	अंगेजी कवेलू	58.50	झुनिया बाई (मुखिया)	स्थाई
						कमोद सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग	**58.50**		
	धुनियाबाई बेवा मानसिंह, सल्या रामप्रसाद दयाराम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.	41	कमोद सिंह पुत्र जगन्नाथ	लकड़ी के पटिया	50.40		
				देशी कवेलू	50.40		

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा / कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	25						
				योग	**100.80**		
11	शासकीय	69	प्रेमसिंह पुत्र फूलसिंह	देशी कवेलू	47.13	प्रेमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	7.36		
				पन्नी	4.60		
				योग	**59.09**		
			मोहरसिंह पुत्र फूलसिंह	देशी कवेलू	47.13	मोहर सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	33.60	मोहित (पुत्र)	स्थाई
				योग	**80.73**		
			राजु पुत्र प्रेमसिंह	पन्नी	23.32	राजू (मुखिया)	स्थाई
				योग	**23.32**		
			चंदन पुत्र प्रेमसिंह	पन्नी	10.23	चन्दन (मुखिया)	स्थाई
				योग	**10.23**		
12	शासकीय	69	पर्वतसिंह पुत्र चंदन सिंह	टीनशेड	146.30	पर्वत सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	6.30		
				योग	**152.60**		
			महाराजसिंह पुत्र पर्वतसिंह	टीनशेड	194.70	महाराज सिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	21.00	दुर्गेश (पुत्री)	स्थाई
						शेलेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
						पुष्पेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				योग	**215.70**		
13	शासकीय	54	पप्पूलाल पुत्र बापूलाल	अंग्रेजी कवेलू	50.04	पप्पूलाल (मुखिया)	स्थाई
						शीला बाई (बहन)	स्थाई
				योग	**50.04**		
			बापूलाल पुत्र ब्रजा	टीनशेड	1.44	बापूलाल (पिता)	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार मू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				योग	**1.44**		
		54	मेहताब पुत्र बापूलाल	अंगेजी कवेलू	50.04	मेहताब (मुखिया)	स्थाई
				योग	**50.04**		
14	शासकीय	48	धनसिंह पुत्र मोहनलाल	अंग्रेजी कवेलू	56.00	धनसिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	25.55	जीवन (पुत्र)	स्थाई
						लोकेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				योग	**81.55**		
		48	जगदीश पुत्र धनसिंह	देशी कवेलू	43.56	जगदीश (मुखिया)	स्थाई
				योग	**43.56**		
15	शासकीय	48	दौजीराम पुत्र मोहनलाल	देशी कवेलू	79.10	दौजीराम (मुखिया)	स्थाई
				घासफूस	38.72	अनिताबाई (पुत्री)	स्थाई
				योग	**117.82**		
		48	वीरेन्द्र पुत्र दौजीराम	पन्नी	57.62	वीरेन्द्र (मुखिया)	स्थाई
				योग	**57.62**		
16	शासकीय	48	रामचरण पुत्र मोहनलाल	टीनचादर	40.28	रामचरण (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	14.84		
				योग	**55.12**		
		48	संतोष पुत्र रामचरण	पन्नी	16.75	संतोष (मुखिया)	स्थाई
				योग	**16.75**		
17	शासकीय	48	पप्पूलाल पुत्र मोहनलाल	देशी कवेलू	44.40	पप्पूलाल (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	42.90	कलिया बाई (मां)	स्थाई
				योग	**87.30**		
18	शासकीय	48	राम दयाल पुत्र	देशी कवेलू	41.34	रामदयाल	स्थाई

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख. क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			मोहनलाल	पन्नी	17.94	(मुखिया)	
				योग	59.28		
19	शासकीय	40	माखन पुत्र हरीसिंह	अंग्रेजी कवेलू	58.29	माखन सिंह (मुखिया)	स्थाई
						हरिसिंह (पिताजी)	स्थाई
				योग	58.29		
20	शासकीय	40	शासकीय स्कूल	आर.सी.सी.	73.50	–	–
				आर.सी.सी.	26.97		
				गार्डर फर्शी	62.70		
				गार्डर फर्शी	5.32		
				गार्डर फर्शी	28.81		
				गार्डर फर्शी	28.81		
				गार्डर फर्शी	10.35		
				गार्डर फर्शी	17.68		
				गार्डर फर्शी	9.02		
				योग	263.16		

:: टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित ग्राम नैनागढ की भूमि का पूर्व में भूमि अर्जन किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में भूमि पर स्थित प्रभावित कुटुंबो एवं मकान इत्यादि का विवरण सम्मिलित नहीं होने से निम्न तालिका अनुसार भूमि पर स्थित मकानो का अर्जन एवं कुटुंबो का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जा रहा है ::

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
21	बुध्दा पुत्र रामा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998 / 3996 भाग भूमि स्वामी गणपतसिंह पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499 / 3996 भाग भूमि स्वामी तखत सिंह पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499 / 3996 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499 / 3996 भाग भूमि स्वामी सरदारबाई बेवा मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 501 / 3996 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.96	31	रतनलाल पुत्र बुद्धराम	घासफूस	56.84	रतनलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	97.50	पप्पू(पुत्र)	स्थाई
	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1 / 2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1 / 2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34	49		घासफूस	25.00		अस्थाई
				योग	179.34		
	बुध्दा पुत्र रामा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998 / 3996 भाग भूमि स्वामी गणपतसिंह पुत्र		चरणसिंह पुत्र रतन लाल	पन्नी	1.82	चरण सिंह (पुत्र)	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499/3996 भाग भूमि स्वामी तख्त सिंह पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499/3996 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499/3996 भाग भूमि स्वामी सरदारबाई बेवा मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 501/3996 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.96						
				योग	**1.82**		
22	मोवतसिंह पुत्र शोभाराम	16	घासीराम पुत्र शोभाराम	देशी कवेलू	34.30	इनका पुनर्वास दपकन में किया गया है	अस्थाई
				योग	**34.30**		
23	रईस अहमद पुत्र शफीक अहमद	70	शंकरलाल पुत्र इमरत	अंग्रेजी कवेलू	44.40	शंकर लाल (मुखिया)	स्थाई
				योग	**44.40**		
24	रईस अहमद पुत्र शफीक अहमद	70	कला बाई पत्नि शिब्बा	पन्नी	13.64	कला बाई (मुखिया)	स्थाई
				घासफूस	10.20		
				योग	**23.84**		
			ओरम पुत्र शिब्बा	देशी कवेलू	27.73	ओरम (मुखिया)	स्थाई
				योग	**27.73**		
			दीमान सिंह पुत्र	देशी कवेलू	28.06	दीमान सिंह	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/ कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			शिवचरण			(मुखिया)	
				योग	28.06		
			गजराज पुत्र शिवचरण	देशी कवेलू	37.82	गजराज सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग	37.82		
25	रईस अहमद पुत्र शफीक अहमद	70	लाखन सिंह पुत्र शंकरलाल	देशी कवेलू	44.40	लाखन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	66.15	वीरेन्द्र (पुत्र)	स्थाई
				घासफूस	1.76		
				योग	112.31		
26	रईस अहमद पुत्र शफीक अहमद	70	लालाराम पुत्र शंकरलाल, बुंदेल सिंह पुत्र शंकरलाल	लकड़ी के पटिया	62.40	लालाराम (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	62.40	संतोष (पुत्र)	स्थाई
						सुनिल (पुत्र)	स्थाई
						मलखान (पुत्र)	स्थाई
						बुन्देल सिंह (भाई)	स्थाई
						नीतू (पुत्री)	स्थाई
				योग	124.80		
			लालाराम बुन्देल सिंह, पुत्रगण शंकरलाल	पन्नी	175.45		
				अंग्रेजी कवेलू	61.92		
				योग	237.37		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			लालाराम पुत्र शंकरलाल	टीनशेड	2.56		
				योग	**2.56**		
			जगदीश पुत्र लालाराम	पन्नी	18.85	जगदीश (मुखिया)	स्थाई
				घासफूस	53.90		
				योग	**72.75**		
			जितेन्द्र पुत्र बुंदेलसिंह	पन्नी	21.76	जीतेन्द्र (मुखिया)	स्थाई
				योग	**21.76**		
27	रईस अहमद पुत्र शफीक अहमद	70	बालचंद पुत्र इमरत	देशी कवेलू	65.28	बालचंद (मुखिया)	स्थाई
				घासफूस	29.12	प्रहलाद (पुत्र)	स्थाई
				योग	**94.40**		
28	रईस अहमद पुत्र शफीक अहमद	70	कोमल सिंह पुत्र शंकरलाल	देशी कवेलू	55.25	कोमल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	77.52	राजू (पुत्र)	स्थाई
				योग	**132.77**		
29	रईस अहमद पुत्र शफीक अहमद	70	रमेश पुत्र कोमल	अंग्रेजी कवेलू	62.62	रमेश (मुखिया)	स्थाई
				योग	**62.62**		
30	रईस अहमद पुत्र शफीक अहमद	70	दिनेश पुत्र कोमल	पन्नी	37.00	दिनेश (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	45.26		
				टीनशेड	1.44		
				योग	**83.70**		
31	कोमल सिंह पुत्र शंकर सिंह 1.264 भाग भू–स्वामी हरि सिंह पुत्र पूरन सिंह 1.264 भाग पता	75	हरीसिंह पुत्र पूरन	देशी कवेलू	45.36	हरिसिंह (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	28.80		
				योग	**74.16**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.24		पूरनसिंह पुत्र कल्ला	पन्नी	17.28	पूरन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग	**17.28**		
32	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मल्थू रामबाई पुत्री मल्थू धनिया बाई बेवा मल्थूपता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.85	68	बाबूलाल पुत्र फेली	पन्नी	30.00	बाबूलाल (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	18.75	सोनू (पुत्र)	स्थाई
				टीनशेड	2.31	राहुल (पुत्र)	स्थाई
				योग	**51.06**		
			रामलखन पुत्र बाबूलाल	पन्नी	31.90	रामलखन (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	24.32		
				योग	**56.22**		
33	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मल्थू रामबाई पुत्री मल्थू धनिया बाई बेवा मल्थूपता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.85	68	प्रकाश पुत्र फेली राम	देशी कवेलू	61.50	प्रकाश (मुखिया)	स्थाई
				योग	**61.50**		
34	भागचन्द पुत्र फुन्दा पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998 / 5994 भाग गोपाल पुत्र भीकम भाग 0.506 मोती पुत्र फुन्दा भाग 0.177 संतोष पुत्र भीकमसिंह भाग 1.265 जाति मैना पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998 / 5994 भाग भूमि स्वामी धनिया बेवा फुन्दा पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998 / 5994 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.00	61	भागचन्द पुत्र फुन्दीलाल	पन्नी	30.38	भागचन्द (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	67.32		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	धुनियाबाई बेवा मानसिंह, सल्या रामप्रसाद दयाराम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व	42		देशी कवेलू	36.00		
				योग	**133.70**		
	भागचन्द पुत्र फुन्दा पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998 / 5994 भाग गोपाल पुत्र भीकम भाग 0.506 मोती पुत्र फुन्दा भाग 0.177 संतोष पुत्र भीकमसिंह भाग 1.265 जाति मैना पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998 / 5994 भाग भूमि स्वामी धनिया बेवा फुन्दा पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998 / 5994 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.00	61	हमीरसिंह पुत्र भागचन्द	पन्नी	30.16	हमीरसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग	30.16		
			लालाराम पुत्र भागचन्द	अंग्रेजी कवेलू	33.80	लालाराम (मुखिया)	स्थाई
				योग	**33.80**		
			सूरतसिंह पुत्र भागचन्द	देशी कवेलू	45.44	सूरतसिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग	**45.44**		
			दिनेश पुत्र भागचन्द	देशी कवेलू	35.75	दिनेश (मुखिया)	स्थाई
				योग	**35.75**		
			जगदीश पुत्र भागचन्द	पन्नी	33.28	जगदीश (मुखिया)	स्थाई
				योग	**33.28**		
35	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मत्थू रामबाई पुत्री मत्थू धनिया बाई बेवा मत्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.40	60	हरीनारायण पुत्र फूलसिंह	घासफूस	88.48	हरिनारायण (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	1.69		
				योग	**90.17**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
36	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मल्थू रामबाई पुत्री मल्थू धनिया बाई बेवा मल्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.40	60	नवल सिंह पुत्र फेली	अंग्रेजी कवेलू	36.48	नवल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग	**36.48**		
			कैलाश पुत्र फेली	अंगेजी कवेलू	36.48	कैलाश (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	10.80	अनिल (पुत्र)	स्थाई
				टीनशेड	2.63		
				योग	**49.91**		
			सुरेश पुत्र कैलाश	पन्नी	40.30	सुरेश (मुखिया)	स्थाई
				योग	**40.30**		
37	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मल्थू रामबाई पुत्री मल्थू धनिया बाई बेवा मल्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.40	60	भोन्दू राम पुत्र कल्ला	देशी कवेलू	38.28	भोन्दूराम (मुखिया)	स्थाई
				योग	**38.28**		
38	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मल्थू रामबाई पुत्री मल्थू धनिया बाई बेवा मल्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.40	60	भारत सिंह पुत्र भोंदूराम चैन सिंह पुत्र भोंदूराम	देशी कवेलू	53.04	भारतसिंह (मुखिया)	स्थाई
						चैनसिंह (भाई)	स्थाई
				योग	**53.04**		
39	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मल्थू रामबाई पुत्री मल्थू धनिया बाई बेवा मल्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.40	60	सरवन पुत्र मर्दन सिंह	देशी कवेलू	34.20	सरवन सिंह (मुखिया)	स्थाई
						कमलसिंह (पुत्र)	स्थाई
						विनोद (पुत्र)	स्थाई
				योग	**34.20**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/ कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
40	भोंदा पुत्र कल्ला	58	कोमल बाई पत्नि अर्जुन सिंह	टीनशेड	34.40	कोमल बाई (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	53.40	सुनिल (पुत्र)	स्थाई
				देशी कवेलू	69.42	घनश्याम (पुत्र)	स्थाई
				अंगेजी कवेलू	44.50	नेपाल सिंह (पुत्र)	स्थाई
				टीनशेड	73.03	नीतेश (पुत्र)	स्थाई
				टीनशेड	1.50	राजपाल (पुत्र)	स्थाई
						भूरालाल (पुत्र)	स्थाई
				योग	**276.25**		
41	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मल्थू रामबाई पुत्री मल्थू धनिया बाई बेवा मल्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.16	59	प्रेमसिंह पुत्र मर्दन सिंह	देशी कवेलू	48.91	प्रेमसिंह (मुखिया)	स्थाई
						श्री कृष्ण (पुत्र)	स्थाई
				योग	**48.91**		
42	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मल्थू रामबाई पुत्री मल्थू धनिया बाई बेवा मल्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.16	59	चुन्नीलाल पुत्र मर्दनसिंह	देशी कवेलू	55.08	चुन्नीलाल (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	25.76	भैयालाल (पुत्र)	स्थाई
						गुलाबसिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग	**80.84**		
			दयालसिंह पुत्र चुन्नीलाल	घासफूस	42.93	दयाल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग	**42.93**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			गणपतसिंह पुत्र चुन्नीलाल	पन्नी	58.24	गणपत (मुखिया)	स्थाई
				योग	**58.24**		
43	करन सिंह, मदनलाल, हाकम सिंह पुत्रगण मत्थू रामबाई पुत्री मत्थू धनिया बाई बेवा मत्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.16	59	जगन्नाथ पुत्र मर्दन सिंह	देशी कवेलू	40.81	जगन्नाथ (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	46.64	गोरेलाल (पुत्र)	स्थाई
				योग	**87.45**		
		59	माखन पुत्र जगन्नाथ	पन्नी	27.56	माखन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग	**27.56**		
44	जगन्नाथ पुत्र पूरण	55	प्रेमसिंह पुत्र श्रीराम	आर.सी.सी.	93.80	प्रेमसिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	29.92	रजनीश (पुत्र)	स्थाई
				पन्नी	6.21	राहुल (पुत्र)	स्थाई
				योग	**129.93**		
45	धुनियाबाई बेवा मानसिंह, सल्या रामप्रसाद दयाराम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व	42	ऊधम पुत्र सदिया	देशी कवेलू	31.00	उधम (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	1.44		
				पन्नी	34.20		
				योग	**66.64**		
			जितेन्द्र पुत्र रामप्रसाद	देशी कवेलू	31.00	जितेन्द्र (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	1.69	बसंती बाई (मां)	स्थाई
				पन्नी	20.28		
				योग	**52.97**		
46	धुनियाबाई बेवा मानसिंह, सल्या रामप्रसाद दयाराम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि	42	हरीसिंह पुत्र बापूलाल	देशी कवेलू	26.00	हरिसिंह (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	1.44	सुनिल (पुत्र)	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	स्वामी भू–राजस्व						
				योग	**27.44**		
47	धुनियाबाई बेवा मानसिंह, सल्या रामप्रसाद दयाराम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व	42	मोतीलाल पुत्र फुन्दीलाल	देशी कवेलू	43.50	मोतीलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	36.00	माखन सिंह (पुत्र)	स्थाई
				पन्नी	34.45		
				योग	**113.95**		
48	धुनियाबाई बेवा मानसिंह, सल्या रामप्रसाद दयाराम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व	42	गोरेलाल पुत्र धन्नालाल, रानी बैवा प्रहलाद	देशी कवेलू	231.20	गोरेलाल (मुखिया)	स्थाई
						रानी (पुत्रवधु)	स्थाई
				योग	**231.20**		
49	धुनियाबाई बेवा मानसिंह, सल्या रामप्रसाद दयाराम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व	42	भरोसी लाल पुत्र शंकरलाल	देशी कवेलू	28.56	भरोसीलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	17.84		
				देशी कवेलू	2.25		
				योग	**48.65**		
			रामबाबू पुत्र भरोसी लाल	देशी कवेलू	27.03	रामबाबू (मुखिया)	स्थाई
				योग	**27.03**		
			सोदान सिंह पुत्र भरोसीलाल	देशी कवेलू	44.80	सोदान सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग	**44.80**		
50	धुनियाबाई बेवा मानसिंह, सल्या रामप्रसाद दयाराम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.50	43	कोमलसिंह पुत्र मानसिंह	देशी कवेलू	66.00	कोमल सिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंगेजी कवेलू	19.60		
				योग	**85.60**		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी/ कच्चा कवेलू/टीनशेड/पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
51	धुनियाबाई बेवा मानसिंह, सल्या रामप्रसाद दयाराम कोमल पुत्रगण मानसिंह शांतिबाई पुत्री मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.50	43	रामप्रसाद पुत्र मानसिंह	लकड़ी के पटिया	22.96	रामप्रसाद (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	22.96		
				पन्नी	8.45		
				टीनशेड	1.44		
				योग	**55.81**		
52	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.35	50	श्रीराम पुत्र मंगल	देशी कवेलू	31.95	श्रीराम (मुखिया)	स्थाई
						निर्दोष (पुत्र)	स्थाई
				योग	**31.95**		
			लालाराम पुत्र श्रीराम	देशी कवेलू	34.65	लालाराम (मुखिया)	स्थाई
				योग	**34.65**		
			सरजन सिंह पुत्र श्रीराम	देशी कवेलू	34.65	सरजन सिंह (मुखिया)	स्थाई
				योग	**34.65**		
			अनारबाई पुत्री श्रीराम	पन्नी	16.34	अनार बाई (मुखिया)	स्थाई
				योग	**16.34**		
53	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.35	50	दौलत राम पुत्र मानसिंह	देशी कवेलू	73.50	दौलत राम (मुखिया)	स्थाई
				घासफूस	22.80	छोटेलाल (पुत्र)	स्थाई
				टीनशेड	3.60	सोनू (पुत्र)	स्थाई
				योग	**99.90**		
			पप्पू पुत्र दौलतराम	टीनशेड	32.71	पप्पूलाल (मुखिया)	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
				योग	32.71		
54	बुध्दा पुत्र रामा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998 / 3996 भाग भूमि स्वामी गणपत पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499 / 3996 भाग भूमि स्वामी तखत सिंह पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499 / 3996 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499 / 3996 भाग भूमि स्वामी सरदारबाई बेवा मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 501 / 3996 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.05	52	गनेशराम पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	21.00	गनेश राम (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	76.56		
				योग	97.56		
55	बुध्दा पुत्र रामा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998 / 3996 भाग भूमि स्वामी गणपत पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499 / 3996 भाग भूमि स्वामी तखत सिंह पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499 / 3996 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499 / 3996 भाग भूमि स्वामी सरदारबाई बेवा मंशा	52	गोरधन पुत्र जगन्नाथ	देशी कवेलू	22.75	गोरधन (मुखिया)	स्थाई
						संजीव (पुत्र)	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को उडी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 501 / 3996 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.05						
				योग	22.75		
56	बुध्दा पुत्र रामा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 1998 / 3996 भाग भूमि स्वामी गणपत पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499 / 3996 भाग भूमि स्वामी तखत सिंह पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढ लटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499 / 3996 भाग भूमि स्वामी मोतीलाल पुत्र मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढलटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 499 / 3996 भाग भूमि स्वामी सरदारबाई बेवा मंशा जाति अहिरवार पता नैनागढलटेरी विदिशा मध्य प्रदेश 501 / 3996 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.05	52	खुशीलाल पुत्र बट्टूलाल	देशी कवेलू	60.14	खुशीलाल (मुखिया)	स्थाई
				योग	60.14		
			अमर सिंह पुत्र बट्टूलाल	अंग्रेजी कवेलू	60.14	अमरसिंह (मुखिया)	स्थाई
						रमेश(पुत्र)	स्थाई
						बुन्देल सिंह (पुत्र)	स्थाई
				योग	60.14		
57	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34	49	अजब सिंह पुत्र मानसिंह	देशी कवेलू	67.45	अजबसिंह (मुखिया)	स्थाई
						सियाबाई (पुत्री)	स्थाई
				योग	67.45		
58	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं	49	श्यामलाल पुत्र भंवरलाल	देशी कवेलू	64.66	श्यामलाल (मुखिया)	स्थाई
				देशी कवेलू	16.00		

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी /आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34			**योग**	**80.66**		
			भमरलाल पुत्र बंशीलाल	देशी कवेलू	16.96	भमरलाल (मुखिया)	स्थाई
				टीनशेड	1.44		
				योग	**18.40**		
59	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34	49	नन्नूलाल पुत्र खुमान सिंह	देशी कवेलू	43.92	नन्नूलाल (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	34.77	रामलखन (पुत्र)	स्थाई
				योग	**78.69**		
60	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34	49	मदनलाल पुत्र खुमान सिंह	टीनशेड	29.07	मदनलाल (मुखिया)	स्थाई
				योग	**29.07**		
			विनोद पुत्र मदनसिंह	अंग्रेजी कवेलू	56.70	विनोद (मुखिया)	स्थाई
				योग	**56.70**		
			सोनू पुत्र मदन सिंह	देशी कवेलू	14.28	सोनू (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	35.00		
				योग	**49.28**		
61	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मॉ स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.34	49	छोटेलाल पुत्र बुद्धराम	देशी कवेलू	32.50	छोटेलाल (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	46.90		
				योग	**79.40**		
			गोवर्धन पुत्र बुद्धराम	देशी कवेलू	32.50	गोवर्धन (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	35.84		
				योग	**68.34**		
			भगवान	देशी कवेलू	46.80	भगवान	स्थाई

स. क्र.	अभिलेखानुसार भू –धारक का विवरण	ख.क्र.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा–11 के प्रकाशन दिनांक को 3डी के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपडी / कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
			सिंह पुत्र बुद्धराम	टीनशेड	1.44	सिंह (मुखिया)	
				पन्नी	49.41		
				योग	**97.65**		
			पार्वती बाई पुत्र बुद्धा	पन्नी	32.68	पार्वती बाई (मुखिया)	स्थाई
				पन्नी	48.98		
				योग	**81.66**		
62	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मां स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.00	47	फूलसिंह पुत्र शोभाराम	देशी कवेलू	49.60	फूलसिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	42.16		
				योग	**91.76**		
63	धनियाबाई वेवा मानसिंह, राम प्रसाद कोमल दयाराम नाबा पुत्रगण मानसिंह सर मां स्वयं भाग 1/2 नन्नुलाल नवल मदनलाल पुत्रगण खुमानसिंह भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.00	47	रवि पुत्र दीवान	टीनशेड	36.00	इनका पुनर्वास दपकन में किया गया है	अस्थाई
				पन्नी	30.00		
				योग	**66.00**		
64	बनेसिंह पुत्र श्रीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 2.17	8	बनेसिंह पुत्र श्रीराम	टीनशेड	39.30	बनेसिंह (मुखिया)	स्थाई
				अंग्रेजी कवेलू	26.66	लेखराज (पुत्र)	स्थाई
				घासफूस	13.95		
				योग	**79.91**		

उपरोक्त तालिका अनुसार टेम मध्यम सिंचाई परियोजना अतर्गत प्रभावित भूमि अर्जन के कारण तहसील लटेरी के ग्राम दपकन, नैनागढ , धीरगढ एवं बैरागढ में 440 व्यक्तियों के मकान प्रभावित हो रहे है जिसमें प्रभावित मकान धारकों के अलावा अधिनियम 2013 की धारा 3 (ड) के तहत सर्वेक्षित 727

कुटुंब भी निवासरत हैं, इस प्रकार तहसील लटेरी में कुल 1167 प्रभावित कुटुंबों का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है। उपरोक्तानुसार परिवारों (कुटुंबों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत हैं तथा जिनके अन्यत्र स्थानों पर निवास हेतु मकान नहीं है, को विस्थापित क्षेत्र में भूमि पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर शासकीय आवासीय पट्टे 40'X 20'= 800 वर्गफुट साईज के भूखंड प्रदाय किये जावेंगे। जिसकी समयसीमा भू–अर्जन प्रकरणों में अवार्ड पारित होने के उपरांत तीन माह होगी।

अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो का निम्नानुसार पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें/सुविधायें दी जावेगी।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार प्रस्थापित किया जा सकेगा।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, को पाँच लाख रूपये का एक बारगी संदाय दिया जावेगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुवाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए, एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और सुनियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(15) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़को और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(16) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित जल निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(17) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(18) पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(19) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह।

(20) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

(21) यथोचित पंचायत घर ।

(22) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(23) जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।

(24) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल।

(25) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

(26) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी ।

(27) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

(28) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र।

(29) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

(30) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

(31) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।

(32) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चबूतरा।

(33) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।

(34) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(35) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील लटेरी के ग्राम दपकन में शासकीय भूमि खसरा नंबर–169 का रकवा 23.470 हेक्टेयर में से 15.035 हेक्टेयर भूमि न्यायालय कलेक्टर, विदिशा के प्रकरण क्रमांक – 0007/अ–20 (3)/2022–23 में पारित आदेश दिनांक 28/07/2023 द्वारा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा, जिला–विदिशा को आवंटित की गई है, साथ ही लटेरी के ग्राम बैरागढ में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 29/1 रकबा 10.431हे0 भूमि के पुनर्वास हेतु आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। टेम मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 40'×20' = 800 वर्गफुट का आवासीय भू–खण्ड आवंटित भूमि पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी।

(36) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा–11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(37) अधिनियम की धारा 3 (ड) के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा– 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अंशुल गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–19 की उपधारा–4

क्रमांक–2092–भू–अर्जन–2025 सीधी, दिनांक 08 सितम्बर 2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

(1)भूमि का वर्णन–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– सिहावल

(ग) ग्राम :– झगरौही

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :– 04 चितांग

(ड.) निजीभूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– **रकबा 1.569 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	भूमिस्वामी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	4/1	0.0150	ददन प्रसाद पटेल पिता हीरामणि पटेल	झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	6/1	0.0020	ददन प्रसाद पटेल पिता हीरामणि पटेल	
3	4/2	0.0100	राजकली पटेल वेवा राजेश पटेल 1/3, वेद पटेल नावालिक पिता राजेश पटेल 1/3, कार्तिक पटेल नावालिक पिता राजेश 1/3 संरक्षक माता राजकली पटेल	
4	6/2	0.0020	राजकली पटेल वेवा राजेश पटेल 1/3, वेद पटेल नावालिक पिता राजेश पटेल 1/3, कार्तिक पटेल नावालिक पिता राजेश 1/3 संरक्षक माता राजकली पटेल	
5	3/3	0.0080	रामजी पिता हीरामणि	
6	4/3	0.0110	रामजी पिता हीरामणि	
7	6/3	0.0020	रामजी पिता हीरामणि	
8	4/4	0.0020	हीरामणि पटेल पिता ठाकुरदीन पटेल	
9	7	0.0200	रामकैलाश पटेल पुत्र वैजनाथ 1/2, संखी वेवा अरूण पटेल 1/8, संजय पटेल पुत्र अरूण पटेल 1/8, अजीत पटेल पुत्र अरूण पटेल 1/8, अजय पटेल पुत्र अरूण पटेल 1/8	
10	8	0.0040	सोमवती पति लक्षिमन पटेल	
11	6/4/1	0.0020	लक्षिमण पिता रघुवीर पटेल	
12	9	0.0060	लक्षिमण पिता रघुवीर पटेल	
13	13	0.0040	लक्षिमण पिता रघुवीर पटेल	
14	16	0.0070	लक्षिमण पिता रघुवीर पटेल	
15	18/219	0.0300	लक्षिमण पिता रघुवीर पटेल	
16	74	0.0070	लक्षिमण पिता रघुवीर पटेल	
17	106	0.0160	लक्षिमण पिता रघुवीर पटेल	
18	117	0.0050	लक्षिमण पिता रघुवीर पटेल	

19	20	0.0200	मु.मुनिया पत्नी जोधा 2/5, वनारस पिता बसुधा 1/2, फुलबसुआ रावत पत्नी रामकृपाल रावत 1/10
20	12	0.0040	जनकदुलारी पटेल पत्नी वृजवासी पटेल 1/3, रामशरण पटेल पिता वृजवासी पटेल 1/3, मंगल प्रसाद पटेल पिता वृजवासी पटेल 1/3
21	91	0.0050	जनकदुलारी पटेल पत्नी वृजवासी पटेल 1/3, रामशरण पटेल पिता वृजवासी पटेल 1/3, मंगल प्रसाद पटेल पिता वृजवासी पटेल 1/3
22	94	0.0060	जनकदुलारी पटेल पत्नी वृजवासी पटेल 1/3, रामशरण पटेल पिता वृजवासी पटेल 1/3, मंगल प्रसाद पटेल पिता वृजवासी पटेल 1/3
23	111/1	0.0050	जनकदुलारी पटेल पत्नी वृजवासी पटेल 1/3, रामशरण पटेल पिता वृजवासी पटेल 1/3, मंगल प्रसाद पटेल पिता वृजवासी पटेल 1/3
24	114	0.0040	जनकदुलारी पटेल पत्नी वृजवासी पटेल 1/3, रामशरण पटेल पिता वृजवासी पटेल 1/3, मंगल प्रसाद पटेल पिता वृजवासी पटेल 1/3
25	115/1	0.0040	जनकदुलारी पटेल पत्नी वृजवासी पटेल 1/3, रामशरण पटेल पिता वृजवासी पटेल 1/3, मंगल प्रसाद पटेल पिता वृजवासी पटेल 1/3,
26	17	0.0100	विरझानी पुत्र कुंवरा 1/12, जिरौआ वेवा जमाहिर 1/36, देवीलाल कोल पुत्र जमाहिर 1/36, दिलीप पुत्र जमाहिर 1/36 सुभगिया वेवा मुनीम 1/12, रामगरीब पुत्र कुंवरा 1/12, रामलखन पुत्र ववुआ 1/2, रामकिशन पुत्र भोला प्रसाद 1/36, मनोज पुत्र भोला प्रसाद 1/36, सूरज पुत्र भोला प्रसाद 1/36, रामपति पुत्र कुंवरा 1/12,
27	18	0.0240	विरझानी पुत्र कुंवरा 1/12, जिरौआ वेवा जमाहिर 1/36, देवीलाल कोल पुत्र जमाहिर 1/36, दिलीप पुत्र जमाहिर 1/36 सुभगिया वेवा मुनीम 1/12, रामगरीब पुत्र कुंवरा 1/12, रामलखन पुत्र ववुआ 1/2, रामकिशन पुत्र भोला प्रसाद 1/36, मनोज पुत्र भोला प्रसाद 1/36, सूरज पुत्र भोला प्रसाद 1/36, रामपति पुत्र कुंवरा 1/12,
28	19	0.0060	विरझानी पुत्र कुंवरा 1/12, जिरौआ वेवा जमाहिर 1/36, देवीलाल कोल पुत्र जमाहिर 1/36, दिलीप पुत्र जमाहिर 1/36 सुभगिया वेवा मुनीम 1/12, रामगरीब पुत्र कुंवरा 1/12, रामलखन पुत्र ववुआ 1/2, रामकिशन पुत्र भोला प्रसाद 1/36, मनोज पुत्र भोला प्रसाद 1/36, सूरज पुत्र भोला प्रसाद 1/36, रामपति पुत्र कुंवरा 1/12,
29	83	0.0250	विरझानी पुत्र कुंवरा 1/12, जिरौआ वेवा जमाहिर 1/36, देवीलाल कोल पुत्र जमाहिर 1/36, दिलीप पुत्र जमाहिर 1/36 सुभगिया वेवा मुनीम 1/12, रामगरीब पुत्र कुंवरा 1/12, रामलखन पुत्र ववुआ 1/2, रामकिशन पुत्र भोला प्रसाद 1/36, मनोज पुत्र भोला प्रसाद 1/36, सूरज पुत्र भोला प्रसाद 1/36, रामपति पुत्र कुंवरा 1/12,
30	22	0.0060	रामऔतार पिता मइलवा कोल 1/6, रामकृपाल कोल पिता पिल्लवा उर्फ वलदेव कोल 1/8, रामफल कोल पिता पिल्लवा उर्फ वलदेव कोल 1/8, मथुरा कोल पिता रघुवीर कोल 1/12, शंकर कोल पिता विश्राम कोल 1/6, बुटईया वेवा

			ललई कोल 1/36, पारसनाथ कोल पिता ललई कोल 1/36, समयलाल कोल पिता ललई कोल 1/36 ददई पुत्र कोलई 1/6, महुरी वेवा सहोलिया 1/24, रामबहोर पुत्र सहोलिया 1/24,
31	25	0.0100	मु.सावित्री वेवा वुद्विसेन, रोहिणी, सुदामा पिता वुद्विसेन, रामकैलाश, जगदीश पिता वैजनाथ, शंखी वेवा अरूण कुमार, संजय, अजय, अजीत पिता अरूण कुमार ना.सं.माता
32	39	0.0060	मु.सावित्री वेवा वुद्विसेन, रोहिणी, सुदामा पिता वुद्विसेन, रामकैलाश, जगदीश पिता वैजनाथ, शंखी वेवा अरूण कुमार, संजय, अजय, अजीत पिता अरूण कुमार ना.सं.माता
33	45	0.0020	मु.सावित्री वेवा वुद्विसेन, रोहिणी, सुदामा पिता वुद्विसेन, रामकैलाश, जगदीश पिता वैजनाथ, शंखी वेवा अरूण कुमार, संजय, अजय, अजीत पिता अरूण कुमार ना.सं.माता
34	48	0.0120	मु.सावित्री वेवा वुद्विसेन, रोहिणी, सुदामा पिता वुद्विसेन, रामकैलाश, जगदीश पिता वैजनाथ, शंखी वेवा अरूण कुमार, संजय, अजय, अजीत पिता अरूण कुमार ना.सं.माता
35	40	0.0030	फूलवती पटेल पत्नी प्रद्युमन पटेल
36	41	0.0020	पन्ना लाल पटेल पुत्र भागीरथी 1/3, लक्षी वेवा लीलामणि पटेल 1/12, रामशिरोमणि पुत्र लीलामणि 1/12, कमलेश पटेल पुत्र लीलामणि 1/12, विनोद पुत्र लीलामणि पटेल 1/12, सियादुलारी पटेल वेवा हीरामणि 1/9, दिनेश पटेल पुत्र हीरामणि पटेल 1/9, रमेश पटेल पुत्र हीरामणि पटेल 1/9
37	42	0.0030	राजकुमार पटेल पुत्र शेषमणि पटेल 1/3, जयप्रकाश पटेल पुत्र शेषमणि पटेल 1/3, शिवकुमार पटेल पुत्र शेषमणि पटेल 1/3
38	55	0.0050	राजकुमार पटेल पुत्र शेषमणि पटेल 1/3, जयप्रकाश पटेल पुत्र शेषमणि 1/3, शिवकुमार पटेल पुत्र शेषमणि पटेल 1/3
39	57	0.0030	राजकुमार पटेल पुत्र शेषमणि पटेल 1/3, जयप्रकाश पटेल पुत्र शेषमणि 1/3, शिवकुमार पटेल पुत्र शेषमणि पटेल 1/3
40	43	0.0050	कालू पुत्र गोपाल 1/4, देवशरण पुत्र कमोद उर्फ कमोधे 1/8, रामलाल पुत्र कमोद उर्फ कमोधे 1/8, जितवा पुत्र दशरथ 1/2
41	49	0.0210	सत्यभान पुत्र दुलारे 1/2, नोहरी वेवा लक्षिमन कोल 1/8, फूलकली वेवा लक्षिमन कोल 1/8 रामभिलन पुत्र लक्षिमन कोल 1/8 राजीव पुत्र लक्षिमन कोल 1/8,
42	51	0.0300	पन्ना लाल पटेल पिता भागीरथी 1/6, राजकुमार पिता शेषमणि पटेल 1/6, जयप्रकाश पिता शेषमणि पटेल 1/6, शिवकुमार पिता शेषमणि पटेल 1/6, रामशिरोमणि पुत्र लीलामणि 1/24, लक्षी पटेल वेवा लीलामणि 1/24, कमलेश पटेल पुत्र लीलामणि 1/24, विनोद पुत्र लीलामणि पटेल 1/24, सियादुलारी पटेल वेवा हीरामणि 1/18, दिनेश पटेल पुत्र हीरामणि पटेल 1/18, रमेश पटेल पुत्र हीरामणि पटेल 1/18
43	54	0.0050	सवित्री वेवा वुद्विसेन पटेल 1/24, राजकुमार पुत्र

			शेषमणि पटेल 1/12, जयप्रकाश पुत्र शेषमणि पटेल 1/12, शिवकुमार पुत्र शेषमण पटेल 1/12, रोहिणी पुत्र बुद्विसेन 1/24, सुदामा उर्फ अमित पुत्र बुद्विसेन 1/24, रामकैलाश पिता वैजनाथ 1/8, जगदीश पिता वैजनाथ 1/8, शंखी वेवा अरूण पटेल 1/32, संजय पुत्र अरूण पटेल 1/32, अजीत पिता अरूण 1/32, अजय पुत्र अरूण पटेल 1/32, पन्नालाल पुत्र भागीरथी 1/12, कमलेश पुत्र लीलामणि 1/48, विनोद पुत्र लीलामणि 1/48, लक्षी वेवा लीलामणि 1/48, सियादुलारी वेवा हीरालाल 1/36, रमेश पुत्र हीरालाल 1/36, दिनेश पुत्र हीरालाल 1/36,
44	58	0.0030	पन्नालाल पिता भागीरथी पटेल
45	59	0.0050	फूलवती पटेल पति प्रदुमन पटेल
46	75	0.0040	बुधनी पति त्रिलोकी पटेल
47	65	0.0050	लव सिंह पटेल पुत्र रामप्रकाश पटेल 1/6, कुश सिंह पुत्र रामप्रकाश पटेल 1/6, सुदर्शन पुत्र रामदयाल पटेल 2/3,
48	66	0.0050	लव सिंह पटेल पुत्र रामप्रकाश पटेल 1/6, कुश सिंह पुत्र रामप्रकाश पटेल 1/6, सुदर्शन पुत्र रामदयाल पटेल 2/3,
49	73	0.0070	लव सिंह पटेल पुत्र रामप्रकाश पटेल 1/2 कुश सिंह पुत्र रामप्रकाश पटेल 1/2
50	90	0.0090	लव सिंह पटेल पुत्र रामप्रकाश पटेल 1/2 कुश सिंह पुत्र रामप्रकाश पटेल 1/2
51	100	0.0050	लव सिंह पटेल पुत्र रामप्रकाश पटेल 1/2 कुश सिंह पुत्र रामप्रकाश पटेल 1/2
52	76/1	0.0030	कौशिल्या पुत्री भीखम पटेल 1/4, कैलाशू देवी पत्नी हरिनारायण पटेल 3/4
53	78/2	0.0150	चन्द्रभान पिता जगेश्वर पटेल
54	97/2	0.0050	शिववहादुर पुत्र चन्द्रभान 1/3, श्रवण पटेल पुत्र चन्द्रभान 1/3, राजबहादुर पुत्र चन्द्रभान पटेल 1/3
55	86/2	0.0040	जोखू पिता रघुवीर पटेल
56	115/3	0.0040	जोखू पिता रघुवीर पटेल
57	95	0.0030	बबूलाल पटेल पुत्र श्यामलाल 1/2, सत्यभान पुत्र श्यामलाल पटेल 1/2
58	98	0.0030	वीरभान पटेल पुत्र रामभरोषा 1/2, राजेन्द्र पटेल पुत्र रामभरोषा 1/2
59	99	0.0030	मनराजू वेवा रामसखा पटेल 1/3, वालकृष्ण पटेल पुत्र रामसखा 1/3, रामजभान पटेल पुत्र रामसखा पटेल 1/3
60	102	0.0040	शिवप्रसाद पटेल पुत्र भीखम 1/4, जगदीश पटेल पुत्र भीखम 1/4, मोतीलाल पटेल पुत्र भीखम 1/4, गुलबसुआ पत्नी कौशल पटेल 1/8, हरिनारायण पटेल पुत्र कौशल पटेल 1/8,
61	103	0.6900	कमलेश कुमार पटेल पुत्र गोविन्द प्रसाद पटेल
62	104/1	0.0020	संजय पुत्र राजेन्द्र बहादुर सिंह
63	104/2	0.0200	रामकैलाश पिता बैजनाथ 1/8, मु. सावित्री वेवा बुद्विसेन पटेल 1/12, रोहिणी पिता बुद्विसेन 1/12, सुदामा पुत्र बुद्विसेन 1/12, संजय पुत्र अरूण 1/16, अजय पुत्र अरूण 1/16, अजीत पुत्र अरूण कुमार 1/16, मु.शंखी वेवा अरूण

			कुमार 1/16, ध्रुवलली पति हंशराज 3/8,	
64	105/1	0.0120	विजय पटेल पुत्र स्वयंवर 1/4, सुरेन्द्र पटेल पुत्र स्वयंवर 1/4, लल्लू पटेल पुत्र स्वयंवर 1/4 विनोद पटेल पुत्र स्वयंवर 1/4	
65	110	0.0040	रामाधार पिता रघुनन्दन पटेल	
66	111/2	0.0050	रामाधार पिता रघुनन्दन पटेल	
67	115/2	0.0080	रामाधार पिता रघुनन्दन पटेल	
68	6/4/2	0.0020	रामाधार पिता रघुनन्दन पटेल	
69	202	0.0200	राजरूप पुत्र वंशगोपाल 1/21, जग्यकेशव, पुत्र वंशगोपाल 1/21, लक्षिमन पुत्र वंशगोपाल 1/21, ललित पुत्र वंशगोपाल 1/21, श्रीलाल पुत्र वंशगोपाल, 1/21, मनगिरिया वेवा वृजमोहन 6/105, लल्लू पुत्र बुजमोहन 1/105, मुन्ना पुत्र बुजमोहन 1/105, संतोष पुत्र बृजमोहन 1/105, अनिल पुत्र वृजमोहन 1/105, रघुवंश पुत्र रामचन्द्र 1/3, शिववंश पुत्र रामचन्द्र 1/3	
70	206	0.1600	राजरूप पुत्र वंशगोपाल 1/21, जग्यकेशव, पुत्र वंशगोपाल 1/21, लक्षिमन पुत्र वंशगोपाल 1/21, ललित पुत्र वंशगोपाल 1/21, श्रीलाल पुत्र वंशगोपाल, 1/21, मनगिरिया वेवा वृजमोहन 6/105, लल्लू पुत्र बुजमोहन 1/105, मुन्ना पुत्र बुजमोहन 1/105, संतोष पुत्र बृजमोहन 1/105, अनिल पुत्र वृजमोहन 1/105, रघुवंश पुत्र रामचन्द्र 1/3, शिववंश पुत्र रामचन्द्र 1/3	
71	203	0.1000	चूडामणि पुत्र रामसखी 1/4, राजबहोर पिता रामसखी 1/4, सूर्यवती पटेल वेवा सत्यप्रसाद पटेल 1/4, मतउनी पति रामसखी 1/4,	
72	204	0.0200	चूडामणि पुत्र रामसखी 1/4, राजबहोर पिता रामसखी 1/4, सूर्यवती पटेल वेवा सत्यप्रसाद पटेल 1/4, मतउनी पति रामसखी 1/4,	
73	205	0.0600	चूडामणि पुत्र रामसखी 1/4, राजबहोर पिता रामसखी 1/4, सूर्यवती पटेल वेवा सत्यप्रसाद पटेल 1/4, मतउनी पति रामसखी 1/4,	
निजी भूमि का योग--		**1.569**		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल
के कार्यालय मेंदेखा जा सकता है।

क्रमांक–2094–भू–अर्जन–2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

(1)**भूमि का वर्णन**–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– सिहावल

(ग) ग्राम :– लोहीडाड़

(घ) पटवारीहल्का का नाम व नम्बर :– 04 चितांग

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– **रकबा 0.275 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	भूमिस्वामी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	581	0.0150	राजरूप पुत्र वंशगोपाल 1/21, जग्यकेशव पुत्र वंशगोपाल 1/21, श्रीलाल पुत्र वंशगोपाल 1/21, लक्षिमन पुत्र वंशगोपाल 1/21, ललित पुत्र वंशगोपाल 1/21, मनगिरिया वेवा बृजमोहन 6/105, लल्लू पुत्र वृजमोहन 1/105, मुन्ना पुत्र वृजमोहन 1/105, संतोष पुत्र वृजमोहन 1/105, अनिल पुत्र वृजमोहन 1/105, रघुवंश पुत्र रामचन्द्र 1/3 शिववंश पिता रामचन्द्र 1/3	झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	582	0.0600	रघुवंश पुत्र रामचन्द्र 1/2, शिववंश पुत्र रामचन्द्र 1/2,	
3	587	0.0300	श्यामलाल पुत्र ललऊ राम ब्रा.	
4	588	0.0500	अग्रसेन पुत्र रघुवंश 1/4, उग्रभान पुत्र रघुवंश 1/4, अम्बिका पुत्र रघुवंश 1/4, अंशुमान पुत्र रघुवंश 1/4,	
5	697	0.0100	संतोष नाई पुत्र रामप्रसाद 1/7, शिवकुमार पुत्र रामप्रसाद 1/7, कुसुमकली वेवा रामप्रसाद 1/7, फुलवा वेवा रामप्रसाद 1/7, पूजा पुत्री रामप्रसाद 1/7, अर्चना पुत्री रामप्रसाद 1/7, सुलोचना पुत्री रामप्रसाद 1/7,	
6	696	0.0050	राजकुमार पटेल पुत्र शेषमणि 1/3, जयप्रकाश पुत्र शेषमणि 1/3, शिवकुमार पुत्र शेषमणि पटेल 1/3,	
7	717	0.0100	राजकुमार पटेल पुत्र शेषमणि 1/12, जयप्रकाश पुत्र शेषमणि 1/12, शिवकुमार पुत्र शेषमणि पटेल 1/12, रहस्यविहारी पुत्र रामकिंकर राम 1/8, जगमोहन पुत्र रामकिंकर राम 1/8, रामभजन पुत्र रामकिंकर राम 3/8, देवेन्द्र पुत्र रामकिंकर राम 1/8,	

8	719	0.0100	इन्द्रवसुआ वेवा मुन्नीलाल 1/36, रामगरीब पुत्र राधे 2/21, राजमणि पुत्र गरूल 1/21, हिन्छलाल पुत्र मुन्नीलाल 1/36, विजय बहादुर पुत्र मुन्नीलाल 1/36, रामसिया पुत्र मुन्नीलाल 1/36, कमलेश पुत्र मुन्नीलाल 1/36, वृजेश पुत्र मुन्नीलाल 1/36, रामचन्द्र पुत्र छद्धारी 1/6, रघुनाथ पुत्र जगजाहिर 1/21, बालकिशन पुत्र जगजाहिर 1/21, वालगोविन्द पिता जगजाहिर 1/21, दुर्घटिहा पुत्री जगजाहिर 1/21, मनबहोर पुत्र भगवत 1/3,	
9	735	0.0200	इन्द्रवसुआ वेवा मुन्नीलाल 1/36, रामगरीब पुत्र राधे 2/21, हिन्छलाल पुत्र मुन्नीलाल 1/36, विजय बहादुर पुत्र मुन्नीलाल 1/36, रामसिया पुत्र मुन्नीलाल 1/36, कमलेश पुत्र मुन्नीलाल 1/36, वृजेश पुत्र मुन्नीलाल 1/36, रामचन्द्र पुत्र छद्धारी 1/6, रघुनाथ पुत्र जगजाहिर 1/21, बालकिशन पुत्र जगजाहिर 1/21, वालगोविन्द पिता जगजाहिर 1/21, दुर्घटिहा पुत्री जगजाहिर 1/21, दीपक कुमार पटेल पुत्र मंगल प्रसाद पटेल 4/21, प्रवेश कुमार पटेल पुत्र मंगल प्रसाद पटेल 4/21,	
10	736	0.0650	इन्द्रवसुआ वेवा मुन्नीलाल 1/36, रामगरीब पुत्र राधे 2/21, हिन्छलाल पुत्र मुन्नीलाल 1/36, विजय बहादुर पुत्र मुन्नीलाल 1/36, रामसिया पुत्र मुन्नीलाल 1/36, कमलेश पुत्र मुन्नीलाल 1/36, वृजेश पुत्र मुन्नीलाल 1/36, रामचन्द्र पुत्र छद्धारी 1/6, रघुनाथ पुत्र जगजाहिर 1/21, बालकिशन पुत्र जगजाहिर 1/21, वालगोविन्द पिता जगजाहिर 1/21, दुर्घटिहा पुंत्री जगजाहिर 1/21, दीपक कुमार पटेल पुत्र मंगल प्रसाद पटेल 4/21, प्रवेश कुमार पटेल पुत्र मंगल प्रसाद पटेल 4/21,	
निजी भूमि का योग–		0.275		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय मेंदेखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2025

क्र. एफ-8-0015-2025-सात-शा. 7.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक F. No. 11-37-2025-M&G, दिनांक 21 अगस्त 2025 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्द्वारा **''जिला अलीराजपुर''** का नाम परिवर्तित कर **''आलीराजपुर''** करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौतम सिंह, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2025

क्र. एफ-8-0015-2025-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-0015-2025-सात-शा. 7, दिनांक 15 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौतम सिंह, अपर सचिव.

Bhopal the 15th September 2025

No.F.-8-0015-2025-VII-Sec-7.—In pursuance of no objection conveyed by Government of India, Ministry of Home Affairs *vide* their letter No. F. No. 11-37-2025-M&G, dated 21st August, 2025 the State Government here by change the name of District "ALIRAJPUR" as "ALIRAJPUR" with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GAUTAM SINGH, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2025

क्र. एफ-8-0004-2025-सात-शा. 7.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक F. No. 11-38-2025-M&G, दिनांक 21 अगस्त 2025 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्द्वारा दमोह जिले के ग्राम **''फतेहपुर''** का नाम परिवर्तित कर **''अजबधाम''** करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौतम सिंह, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2025

क्र. एफ-8-0004-2025-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-0004-2025-सात-शा. 7, दिनांक 15 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौतम सिंह, अपर सचिव.

Bhopal the 15th September 2025

No.F.-8-0004-2025-VII-Sec-7.—In pursuance of no objection conveyed by Government of India, Ministry of Home Affairs *vide* their letter No. F. No. 11-38-2025-M&G, dated 21st August, 2025 the State Government here by change the name of village of "PHATEHAPUR" District Damoh as "AJABDHAM" with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GAUTAM SINGH, Addl. Secy.